

राज्य सभा

बुधवार, 1 मार्च, 2006/10 फाल्गुन, 1927 (शक)

सभा मध्याह्न पूर्व 11 बजे समवेत हुई। उपसभापति महोदय पीठासीन थे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"ऑर्थोडॉक्स टी" के उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन

*141. श्री संतोष बागड़ोदिया † : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की
श्री गिरीश कुमार सांगी

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ऑर्थोडॉक्स टी" के उत्पादकों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है ताकि इस चाय के घटते निर्यात को रोका जा सके और विश्व बाजार में इसका हिस्सा बढ़ाया जा सके;

(ख) क्या चाय के क्षेत्र में विश्व बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने 1 जनवरी, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक परम्परागत चाय के उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु जून, 2005 में एक स्कीम को मंजूरी प्रदान की है।

(ख) और (ग) चाय के क्षेत्र में भारत के वैश्विक बाजार हिस्से को बढ़ाने के लिए तैयार की गई कार्यनीति में शामिल हैं - बाजार पोर्टफोलियो का विविधीकरण, मूल्यवर्धन, विपणन एवं संवर्धन, परम्परागत और सी.टी.सी. (कट-टियर-कल) चाय के प्रतिकूल, उत्पाद मिश्रणों में सुधार करना, विभिन्न ब्राण्डों के संरक्षण हेतु भारत के बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण तथा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान आदि।

यद्यपि चाय के क्षेत्र में भारत का वैश्विक बाजार हिस्सा घट रहा है, तथापि इन वर्षों में बढ़ा हुआ उत्पादन बढ़ी हुई घरेलू खपत के बराबर रहा है। भारत में विनिर्मित अधिकांश चाय सी.टी.सी. होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से परम्परागत चाय अधिक पसंद की जा रही है। परम्परागत चाय के उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से

† सभा में यह प्रश्न श्री संतोष बागड़ोदिया द्वारा पूछा गया।

परम्परागत चाय के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु स्कीम को मंजूरी दी गई थी जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की स्थिति में सुधार हो सकता है।

जिन बाजारों में भारत का चाय बाजार में प्रमुख हिस्सा है उन बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करने तथा नये बाजारों में प्रवेश करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। विशिष्ट फोकस वाले बाजारों में बाजार अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं और चाय उद्योग को इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।

चाय बोर्ड विभिन्न ब्रांडों के संरक्षण हेतु कदम उठाता रहा है और वह प्रमाणन एवं सामूहिक चिन्ह जैसे विभिन्न क्षेत्राधिकारों में दार्जिलिंग चाय की सांविधिक मान्यता हासिल करने में सफल रहा है। दार्जिलिंग चाय को अक्टूबर, 2004 से भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) भी घोषित किया गया है।

चाय की गुणवत्ता में सुधार करने और इसका मूल्यवर्धन करने में प्रयुक्त चाय बैगिंग एवं पैकेजिंग मशीनों, कलर सार्टिंग मशीन जैसी मशीनों की कतिपय मदों पर आयात शुल्क की दर अब से मई, 2006 तक घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

भारतीय चाय की गुणवत्ता बनाये रखने और इसकी ब्रांड इक्विटी बरकरार रखने की दृष्टि से सरकार ने दिनांक 01-04-2005 को एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 जारी किया है जिसमें चाय के लिए कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं और यह शर्त रखी गई है कि आयातित या निर्यातित सभी प्रकार की चाय को नये आदेश में उल्लिखित विनिर्देशनों के अनुरूप होना अपेक्षित होगा।

चाय बोर्ड विदेशी बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप भी चला रहा है और भारतीय चाय निर्यातकों को उनके विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहायता प्रदान कर रहा है। इनमें शामिल हैं - विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी विशिष्टतायुक्त भण्डारों और प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना-देना, मीडिया प्रचार, क्रेता-विक्रेता बैठकें, चाय शिष्टमंडलों को भेजना-बुलाना आदि।

श्री संतोष बागड़ोदिया : उपसभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आरम्भ से ही, मेरा मतलब है बहुत लम्बे समय से वर्ष 1961 से 121 मिलियन किलो सी.टी.सी. चाय की तुलना में परम्परागत चाय का उत्पादन 218 मिलियन किलो था जिसका अर्थ हुआ कि 64 प्रतिशत परम्परागत था। वर्ष 2003 में, सी.टी.सी. का उत्पादन 717 मिलियन किलो बढ़ गया जबकि परम्परागत चाय घटकर 87 मिलियन किलो रह गयी। प्रक्रिया में, परम्परागत चाय का प्रतिशत केवल 10 प्रतिशत है। दक्षिण भारत से, विशेषकर तत्कालीन सोवियत संघ को, परम्परागत चाय का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। केवल एक देश को कुल निर्यात लगभग 120 मिलियन किलो का किया गया। अभी, माननीय मंत्री जी ने इसमें अंतर्ग्रस्त अनेक रणनीतियों का उल्लेख किया है।

यह भी उल्लेख किया गया है कि ये जानते हैं कि विश्व बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही है। लेकिन यह कहना कि भारत में चाय का बाजार बढ़ रहा है, कोई मायने नहीं रखता। प्रश्न यह है कि हम कैसे विश्व बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाएं क्योंकि यह घटता जा रहा है। महोदय, यदि आप रिकार्ड देखें तो पायेंगे कि श्रीलंका, चीन, कीनिया आदि जो कि इस क्षेत्र में नये हैं, वे भी प्रतिवर्ष अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं।

श्री उपसभापति : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया : हमारी परम्परागत भारतीय चाय का निर्यात कम हो रहा है। सरकार की राजनीति परम्परागत चाय को न केवल रूस में दुबारा आरम्भ करने की है बल्कि उन देशों में भी है जो सोवियत संघ से अलग हुए हैं और अधिक प्रभावशाली ढंग से अन्य बाजार ढूँढ लेते हैं क्योंकि सीधे-सीधे इन चीजों से काम नहीं होने वाला है।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि 1950 में परम्परागत चाय का उत्पादन बहुत अधिक था और अब घटकर लगभग 10 प्रतिशत तक रह गया है। ऐसा इसलिए कि भारतीयों की रुचि परम्परागत चाय की तुलना में सी.टी.सी. चाय में अधिक है। महोदय, कीनिया, श्रीलंका आदि जैसे अन्य देशों में उत्पादन बढ़ने के कारण, न केवल सभी प्रकार की चायों का निर्यात हिस्सा बल्कि इसमें भी हमारा निर्यात हिस्सा कम होता जा रहा है। महोदय, इसका ध्यान रखते हुए, विशेषकर हरी परम्परागत चाय के उत्पादन के लिए 1 जनवरी, 2005 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के लिए, 13 जून, 2005 को एक योजना की मंजूरी दी गई जिसमें गत वर्ष से उत्पादन की प्रभावकारी मात्रा के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम के अतिरिक्त प्रोत्साहन सहित, पत्तियों वाली चाय के लिए 3 रुपए प्रति किलोग्राम और चूर्ण वाली चाय के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता सम्मिलित है। इस प्रकार, प्रभावकारी उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी स्थापना अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से की गई है जिसको वास्तव में बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन जिस निधि को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से एकत्र किया गया है, उसको मंजूरी दे दी गई है और उसको आरम्भ कर दिया गया है। आवेदन प्राप्त हुए हैं। मोटे तौर पर लगभग 7.76 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। अतः, वैश्विक रुचि जोकि परम्परागत चाय के प्रति अधिक है - जहां परम्परागत चाय और सी.टी.सी. चाय को एक ही माना जाता है - बदलने वाली है। इस प्रकार, परम्परागत चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं कि दक्षिणी भारत में अनेक चाय बगानों त्याज्य हो गये हैं क्योंकि भारतीय चाय उद्योग में भारतीय चाय की उत्पादन-लागत दुनिया में सबसे अधिक है। यदि ऐसा है तो भारतीय चाय को और अधिक प्रतिस्पर्धी

बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए आपका क्या प्रस्ताव है क्योंकि यह रु. 2/- या रु. 3/- की राजसहायता पर्याप्त नहीं है। परम्परागत चाय की लागत कम से कम रु. 3/- से लेकर रु. 10/- अधिक होनी चाहिए। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ताकि इस राजसहायता को रु. 8/- से बढ़ाकर रु. 10/- कर दिया जाए? इस बात को भूल जाइए कि कितने चाय बागान प्रभावित हुए हैं। यह चाय उद्योग के लिए आतंक पैदा कर रहा है।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि चाय की लागत काफी अधिक है। मूलतः दो कारणों से चाय की लागत काफी अधिक है। हमारे यहां बागान श्रम अधिनियम है। मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार से चर्चा की है, मैंने इसके बारे में असम सरकार और दक्षिणी भारत से चर्चा की है कि लागत बहुत अधिक है। सामाजिक लागत भी है। दूसरे देशों की तुलना में एक भाग है ऊंची लागत और दूसरा है श्रम आदि। कुल मिलाकर यह सापेक्षिक स्थिति है। वैश्विक संकट को सापेक्षिक ढंग से देखा जाना चाहिए। दूसरा है, चाय उद्योग ने पुनर्बागानीकरण और चाय की झाड़ियों के कायाकल्प में निवेश नहीं किया है। इसलिए हमारी झाड़ियों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों की तुलना में बहुत पुराना है। हमने एक विशेषोद्देशीय चाय निधि का प्रस्ताव किया है और इस विशेषोद्देशीय चाय निधि में पुनर्बागानीकरण और कायाकल्प निधि सम्मिलित है जिसको 15 वर्षों तक विस्तारित किया जाने वाला है। अभी यह प्रक्रिया में है। कल बजट में, वित्त मंत्री ने इस निधि के लिए प्रवाही धन राशि के रूप में एक सौ करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह निधि 15 वर्षों तक मोटे तौर पर 4760 करोड़ रुपए की है जिसको हमारा विशेषोद्देशीय चाय निधि कहने का प्रस्ताव है जो कि पुनर्बागानीकरण और कायाकल्प के लिए है क्योंकि हमें यह देखना है कि झाड़ियां नयी हों और उनका उत्पादन अधिकतर हो और साथ ही प्रतिस्पर्धा के लिए हमें बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत उच्च लागत की समस्या का समाधान करना पड़ेगा जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्री गिरीश कुमार सांगी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार चाय उद्योग को कितनी प्राथमिकता देती है। रोजगार, जी.डी.पी. में अंशदान और विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में चाय उद्योग की विकास क्षमता क्या है? क्या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है? क्या इस उद्योग में सुधार करने के लिए सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है?

श्री दीपांकर मुखर्जी : महोदय, इस प्रश्न के लिए इनको राज्य मंत्री की सहायता की आवश्यकता है और राज्य मंत्री यहां नहीं बैठे हैं। मैं नहीं जानता कि वित्त राज्य मंत्री कहां हैं। नहीं, नहीं, वह छुपे नहीं रह सकते। उन्हें अवश्य ही सहायता करनी पड़ेगी और यहां आना पड़ेगा। मंत्री जी कहां है?

श्री उपसभापति : कृपया इनके अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री कमल नाथ : महोदय, जहां चाय की वृद्धि क्षमता का संबंध है, वास्तव में हमारी हिस्सेदारी, जहां तक वैश्विक निर्यातों की बात है, कम होती रही है। कभी हम लोग हमारे चाय का 50 प्रतिशत निर्यात करते थे। अब केवल लगभग 12.84 प्रतिशत करते हैं। चाय की वृद्धि केवल उत्पादन का मामला नहीं है, यह भारत में उपभोग और निर्यात की बड़ी हिस्सेदारी का मामला है। यह उसके द्वारा संचालित किए जाने की आवश्यकता है। बिना घरेलू उपभोग और निर्यात क्षमता के उच्चतर उत्पादन से और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। चाय बोर्ड की विविध योजनाओं की घोषणा की गई है। मुझे इनको संबंधित सदस्य को भेजने में प्रसन्नता होगी।

श्री पी.जी. नारायणन : चाय उद्योग, विशेषकर दक्षिणी भारत में गत पांच वर्षों से बुरी स्थिति में है। टाटा जैसी चाय उद्योग की प्रमुख कम्पनियों में कामगारों को अपनी कम्पनियां बेच दीं और भाग गईं। महोदय, मुझे कहा गया कि कीनिया में भयंकर अकाल पड़ने के बाद भारतीय चाय के लिए बाजार में सुधार हुआ है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिणी भारत से चाय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या-क्या विभिन्न कदम उठाने पर विचार कर रही है?

श्री कमल नाथ : महोदय, यह केवल दक्षिणी भारत से ही प्रोत्साहित करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इसको समूचे देश में प्रोत्साहित करने का है और उसमें दक्षिणी भारत भी शामिल है। महोदय, चाय बोर्ड की विभिन्न योजनाएं हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह रही है कि अब हमारे भौगोलिक संकेतक अधिकांशतः उन स्थानों में हैं जहां भारतीय टीम की विशेषताओं को भौगोलिक संकेतकों के अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है। जहां तक दक्षिणी भारतीय चाय का संबंध है, वह हमारे विशेषोद्देशीय चाय निधि का हिस्सा होने जा रही है जो वहां भी है, और जो उत्पादन बढ़ाएगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही साथ, निर्यात गतिविधियों के लिए चाय बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे कदमों से, निर्यात प्रोत्साहन के लिए, हमारी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारी चाय का निर्यात बढ़ेगा।

श्री दीपांकर मुखर्जी : महोदय, मुझे तुरंत ही चाय की उत्पादन लागत बनाम वैश्विक कीमत के बारे में बातचीत हुई। माननीय मंत्री जी ने राज्य सरकार से हुई अपनी चर्चा और सब कुछ का उल्लेख किया। आजकल चीन के बारे में, उसके माडल का अनुसरण करने आदि के बारे में बहुत बात हो रही है। जबकि श्रमिक भी जोखिम उठाने वालों में से एक हैं, उत्पादन लागत के मुद्दे पर प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। हमने कई बार कहा था - (सेन्टर ऑफ) इंडियन ट्रेड

यूनियन के महासचिव यहां बैठे हैं - कि जब चाय बागानों में उत्पादन, उत्पादकता और श्रम समस्याओं से संबंधित मुद्दे सामने आये, तो पांच प्रमुख आल इंडिया सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को बुलाया जाना चाहिए। तब दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत का मुद्दा नहीं उठेगा। मेरे विचार से, प्रमुख जोखिम धारक के रूप में, पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियंस को चाय बागानों से संबंधित इन विशेष मुद्दों पर, न केवल उनके पारिश्रमिक के संबंध में बल्कि साथ ही उत्पादन, उत्पादकता के बारे में भी और सब कुछ के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया है।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार अंशधारियों का सम्मेलन आयोजित किया जिसका प्रतिनिधित्व ट्रेड यूनियनों, चाय उत्पादकों और चाय उद्योग के समूचे स्पेक्ट्रम द्वारा किया गया जिसमें ट्रेड यूनियन भी शामिल हुए।

श्री दीपांकर मुखर्जी : मंत्री महोदय, मैं आल इंडिया ट्रेड यूनियन का सचिव हूँ। ये आल इंडिया ट्रेड यूनियन के महासचिव हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि यह अपनी मर्जी से बुलाने का मामला था। आपको पांचों केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को बुलाना चाहिए था। यदि एक बार आप उनको आमंत्रित करेंगे तो वे अपने प्रतिनिधि भेज देंगे। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते।

श्री कमल नाथ : महोदय, अपनी मर्जी से चुनने की कोई बात नहीं है। हम यह अवश्य मानते हैं कि यूनियनों के द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले श्रमिकों का इसमें हिस्सा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी इसमें भूमिका है। मुझे यह याद नहीं आता कि उनके यूनियन की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित था। जहां तक मुझे याद है, तीन से चार ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व किया गया था। और, मेरे विचार से, उनमें से एक आपके अपने ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि था। मुझे यह इसलिए याद है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ चर्चा की थी। विचार यह था कि सबको सबके सामने सब कुछ कहना चाहिए। लेकिन, मैं निश्चित रूप से दीपांकर जी ने जो कहा है, उसकी छानबीन करूंगा। इस समय, हम निर्यातों पर ध्यान दे रहे हैं। लागत कारक के संबंध में, मैं कोलकाता गया और वहां माननीय मुख्य मंत्री के साथ इस पर चर्चा की। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चाय बागानों को एक अच्छी अवस्था में लाया गया है। इन अंशधारियों के सम्मेलन में, वास्तव में, मुझे कहा गया था कि चाय बोर्ड ने उनके साथ चर्चा करना जारी रखा है। मैं सबसे पहले चाय बोर्ड को सभी ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श करने का अनुरोध करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं परामर्श करूंगा।

श्री आर.पी. गोयनका : महोदय, परम्परागत चाय मुख्यतः दक्षिणी भारत में उपजायी जाती है। हमारी एक प्रणाली है वर्तमान स्थिति के अनुसार कि जब तक 80 प्रतिशत

चाय की नीलामी या बिक्री मान्यताप्राप्त नीलामी केन्द्रों के माध्यम से नहीं की जाती, तब तक कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो सकता। यू.एन.सी.टी.ए.डी. ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि कीनिया और भारत में गुणवत्तापूर्ण नीलामी प्रणालियां हैं। अतः या तो इस खण्ड को कि 80 प्रतिशत नीलामी के माध्यम से बेची जानी चाहिए, हटा देना चाहिए या इसकी कमियों को संशोधित किया जाना चाहिए। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि : क्या ये हमारी नीलामी प्रणाली में व्याप्त कमियों को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई करने वाले हैं?

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह मैं समझ रहा हूँ कि नीलामी अपने आप में गलत चीज नहीं है। शायद, कुछ सुधार या संशोधन हैं जिनको ये नीलामी प्रणाली में लाने का सुझाव दे रहे हैं। और मुझे माननीय सदस्य को अवश्य ही यह कहना चाहिए - उन्होंने उल्लेख किया कि परम्परागत चाय दक्षिणी भारत में उपजायी जाती है - कि परम्परागत चाय मुख्यतः दार्जिलिंग में उपजायी जाती है, दक्षिणी भारत में नहीं। अभी हम लोग समस्त नीलामियों के लिए ई-नीलामी प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। और, यदि माननीय सदस्य के पास नीलामी प्रणाली को संशोधित करने या सरल बनाने या सुधारने का कोई सुझाव हो तो हमें उनको जानकर प्रसन्नता होगी।

श्री तारिणी कांत राय : महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि भारत में अधिकतर चाय विनिर्माता सी.टी.सी. चाय के हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूप से, परम्परागत चाय को लगातार वरीयता दी जा रही है। यह सही है। लेकिन, महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सी.टी.सी. चाय के उपभोग में कमी आ रही है या नहीं। साथ ही साथ, यह जानना बहुत कठिन है कि कीनिया और श्रीलंका किस प्रकार दुनिया में अपनी निर्यात-हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारी वैश्विक हिस्सेदारी कम हो रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रत्येक व्यक्ति को बुलाना सम्भव नहीं है।...(व्यवधान)...अन्य प्रश्नों के लिए समय नहीं बचेगा।...(व्यवधान)...हम केवल सीमित अनुपूरक प्रश्न ही ले सकते हैं, सबको नहीं।

श्री तारिणी कांत राय : भारत में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है जबकि चाय के क्षेत्र में हमारी वैश्विक हिस्सेदारी कम हो रही है।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं केवल इसी बात की पुष्टि कर सकता हूँ जो सदस्य महोदय कह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी में कमी आ रही है। जैसाकि मैंने कहा कि यह 50 के दशक में 50 प्रतिशत था और यह विश्व उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत रह गया है। हमारे उत्पादन के केवल 12 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है। यह वह विचारणीय बिन्दु है जिसका जिस पर हमें सोचना है कि हम इसको कैसे बढ़ाया जाये।

ये जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग इसे क्यों बेच रहे हैं। दूसरे लोग इसे इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। यदि हम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं तो लोग हमारी चाय भी खरीदेंगे। आखिरकार वे अच्छी कीमत चाहते हैं। और, मैं यह कहता आया हूँ कि यह केवल उस ऊंची लागत के कारण है जो कि पुरानी झाड़ियों एवं ऊंची श्रम लागत से उत्पन्न हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अन्तिम अनुपूरक प्रश्न।...(व्यवधान)...नहीं, नहीं।...(व्यवधान)... हम लोग पहले ही एक प्रश्न पर 20 मिनट लगा चुके हैं।...(व्यवधान)...मैंने दलवार समय दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा : महोदय, असम प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है।

श्री उपसभापति : आप कृपया संक्षिप्त प्रश्न रखें।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा : महोदय, मैं प्रश्न रख रहा हूँ। असम देश में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है और असम के अधिकतर चाय बागान आज रुग्ण में हैं। मेरा प्रश्न यह है। माननीय मंत्री महोदय ने समूचे देश के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। स्वयं असम में ही 900 से अधिक चाय बागान हैं, और उनमें से अधिकतर ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप प्रश्न पूछें।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा : महोदय, एक मिनट। उनमें से अधिकतर वृहद चाय बागान हैं। अब, महोदय, मेरा कहना यह है कि चाय उद्योग के पुनर्जीवन के लिए क्या यह 100 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं।

श्री उपसभापति : उन्होंने कहा है कि 4000 करोड़ रुपए की निधि भी है। उन्होंने पहले ही यह कहा है।...(व्यवधान)...केवल 100 करोड़ रुपए ही नहीं हैं।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि : असम का हिस्सा कितना है?

श्री उपसभापति : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा : महोदय, प्रश्न का एक भाग शेष है। महोदय, दूसरा भाग यह है कि राज्य में कुछ चाय बागानों को शिक्षित बेरोजगारों द्वारा प्रारम्भ किया गया है। वर्षों से चाय की कीमत में गिरावट आने के कारण बदहाल हैं।

श्री उपसभापति : आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन छोटे चाय उत्पादकों को बचाने के लिए क्या कोई कदम उठाया गया है।

श्री कमल नाथ : महोदय, परम्परागत चाय के लिए घोषित किए गए पैकेज में, लगभग 3.75 लाख रुपए की राजसहायता हेतु दावे के लिए असम से 196 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक संख्या में जहां से प्राप्त हुए, वह है असम अर्थात् 196 आपके संकेत के लिए पश्चिमी बंगाल से 28 और दार्जिलिंग से 95 आवेदन प्राप्त हुए। और, असम से प्राप्त 196 आवेदनों में से 136 पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। तो यही बात है।

श्री उपसभापति : अगला प्रश्न।

दक्षिण भारत में आतंकवादी गतिविधियां

*142. **श्री रुद्रनारायण पाणि †** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री रवि शंकर प्रसाद

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण भारत में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में आतंकवादियों को विदेशों से मिलने वाली सहायता को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 2005 में आतंकवाद की दो घटनायें, एक आन्ध्र प्रदेश में और दूसरी कर्नाटक में हुई थीं।

(ग) सरकार ने आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करके आसूचना तंत्र को चुस्त बना कर, केन्द्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के बीच गहन पारस्परिक क्रिया, समन्वित कार्रवाई द्वारा उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करके, उन्नत अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन आदि करके बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। केन्द्र सरकार भी खतरे की आशंका और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के बारे में समय-समय

† सभा में यह प्रश्न श्री रुद्रनारायण पाणि द्वारा पूछा गया।

पर राज्य सरकारों को सुग्राही बनाती रही है। इसके अलावा, आतंकवाद के विश्वव्यापी आयाम को देखते हुए इसके खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय/बहु-पक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु आवश्यक तंत्र मौजूद हैं।

(घ) सरकार ने तटीय गश्त और चौकसी को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल में तटीय सुरक्षा योजना का अनुमोदन किया है ताकि समुद्री मार्ग से आतंकवाद या अवैध गतिविधियों को पहले से ही रोका और नियंत्रित किया जा सके।

श्री रुद्रनारायण पाणि : उपसभापति जी, और कुछ हो न हो, हमारे गृह मंत्री जी ज्ञानी हैं। महोदय, हमारे गृह मंत्री जी ज्ञानी हैं...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप पूछिए ना...(व्यवधान)

श्री रुद्रनारायण पाणि : पूछूंगा।

श्री उपसभापति : आप पहले सवाल पूछिए, बाद में तारीफ कीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, हम जब कॉलेज में थे...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा : ये पानी हैं और वे ज्ञानी हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, हम जब कॉलेज में थे...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : अब वह कॉलेज की बात छोड़िए, आप सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : हम जब कॉलेज में थे, तो हमारे गृह मंत्री साइंस मिनिस्टर थे। * से आज वे गृह मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : यह नहीं जाएगा...(व्यवधान) मैंने इसको हटा दिया है।...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : आज बंगलौर में साइंटिस्ट को मारा जाता है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए ना...(व्यवधान)

श्री रुद्रनारायण पाणि : आज दुर्भाग्य से साइंटिस्ट को मारा जाता है। यह अत्यंत मार्मिक विषय है, इसको हंसी-मजाक में नहीं लेना चाहिए। यह अत्यंत मार्मिक विषय है कि साइंटिस्ट को मारा जाता है। साइंटिस्ट को मारने का क्या कारण है, मंत्री जी ने इसका उत्तर विस्तार से दिया है, लेकिन वे इसकी प्रिंटिंग को नहीं देखते हैं। हिन्दी में जो उत्तर दिया गया है, उसकी प्रिंटिंग ठीक से नहीं हुई है। यह मामला कोई कम गंभीर नहीं है। हम पढ़ नहीं पाते हैं।

श्री उपसभापति : हम इसे देखेंगे।

श्री रुद्रनारायण पाणि : उपसभापति जी, मेरा यह कहना है कि जो-जो कारण मंत्री जी ने बताए हैं और कहा है कि हम ये-ये करने जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार

*अभिलिखित नहीं किया गया।

से जो उपद्रव और आतंकवाद होता है, इसके कारणों का अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तमिलनाडु में एक प्रकार का आतंकवाद होता है, आंध्र में एक प्रकार का आतंकवाद होता है...(व्यवधान) जरा गृह मंत्री जी इसके कारणों के बारे में विस्तार से बताएं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : श्रीमन्, जो साइंस इंस्टीट्यूशन पर हमला हुआ, वह क्यों हुआ, यह सम्माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। हमने पहले ही इस सदन में और बाहर भी बताया था कि जो लोग यहां पर हादसे करवाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है कि यहां की जो नयी इंडस्ट्री है या यहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या यहां के जो खास एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर हमला करें, ताकि यह जो डर फैलाने का काम है, उसमें वे आसानी से आगे बढ़ सकें। इसलिए ये मालूमात स्टेट गवर्नमेंट को हमारी तरफ से दी गई हैं। सम्माननीय सदस्य की मालूमात के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कानून और व्यवस्था कायम करने के काम में यहां से दखलंदाजी नहीं की जा सकती है। हम केवल मदद कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पुलिस को वहां ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते हैं। यहां की पुलिस को भेजकर, यह करो, ऐसा हम नहीं कह सकते। सम्माननीय सदस्य अगर इस बात को ध्यान में रख लें, तो बाकी सारे प्रश्नों को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि साइंस इंस्टीट्यूशन में जो हादसा हुआ, हादसा होने के बाद हमने उनको कहा कि आपको अगर पुलिस की मदद की जरूरत है, तो हम देने के लिए तैयार हैं। हादसा होने के बाद भी, उन्होंने कहा कि हम पुलिस को अपने कैम्पस में नहीं आने देंगे, हम अपनी तरफ से ही इंतजाम करेंगे और उनकी जो सिक्योरिटी है, उन्होंने 50-60 आदमियों को रखकर बनाई हुई थी और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से ली थी। सरकार की तरफ से जब उनको पूछा गया, तो उन्होंने सरकार की मदद लेने से इंकार कर दिया है। इन बातों को नजरअंदाज करके जो लोग बाहर डर फैलाने का काम कर रहे हैं, वही काम हम भी ऐसे प्रश्न पूछकर करें कि डर की मात्रा बढ़ जाए, तो वह हमारे देश के हित में नहीं है।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे : क्या यह उत्तर देने का ढंग है?...(व्यवधान)...यह क्या जवाब है?

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी को यह भूलना नहीं चाहिए कि वे जिस आसन पर आसीन हैं, उस पर सरदार वल्लभभाई पटेल आसीन होते थे।

श्री उपसभापति : आप सवाल कीजिए। यह भाषण नहीं हो रहा है पाणि जी, आप सवाल कीजिए...(व्यवधान)

श्री रुद्रनारायण पाणि : मैं सवाल पर आता हूँ।

श्री उपसभापति : आप सवाल पर आइए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, चाय के ऊपर एक सवाल पर आप 26 मिनट ले लेते हैं...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए। यहां पर 15 मैम्बर्स सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, आप सवाल पूछिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, वे संसद के प्रभावी सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं।

श्री उपसभापति : देखिए, अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो...(व्यवधान)...अगर आप सवाल नहीं पूछना चाहते हैं, तो बोल दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, मैं सवाल पर आता हूँ।

श्री उपसभापति : आप सवाल पर आइए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : सर, इतने प्रभावी आसन पर बैठे हुए मंत्री जी अगर यह कहेंगे कि हमारी पुलिस, तुम्हारी पुलिस, तो यह गलत बात है। महोदय, गृह मंत्री देश की सारी पुलिस...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : पाणि जी, आप सवाल पूछते हैं या नहीं...(व्यवधान)...आप सवाल पूछिए...(व्यवधान)...मैं माननीय सदस्य से सहयोग करने का अनुरोध करता हूँ। मैं इसे प्रश्न काल में नहीं चाहता...(व्यवधान)...कृपया सभापीठ को नियमन करने दें...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : जिस तरह से मंत्री जी ने जवाब दिया...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : श्री अहलुवालिया जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभापीठ को नियमन करने दें...(व्यवधान)...कृपया सभापीठ को नियमन करने दें...(व्यवधान)...मि. पाणि, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : नहीं, नहीं। सर, मैं प्रश्न पर आता हूँ।

श्री उपसभापति : अहलुवालिया जी, आप...(व्यवधान)...आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? सभापीठ अपना अपना काम करेगा। कृपया मुझे इसे करने दें। आप बोलिए...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मेरा एक निवेदन है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप सदस्यों का रक्षण करेंगे। आपसे यह आशा नहीं की जाती कि आप केवल मंत्रियों का रक्षण करेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सदस्यों का रक्षण करें।

श्री उपसभापति : देखिए, आप चेयर की मुश्किल को भी पहचानिए। यहां पर 20-25 मैम्बर्स इस सवाल पर जवाब चाहते हैं। मुझे सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। अगर

एक मैम्बर ही पूरी अपॉर्चुनिटी ले ले, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि समस्त सभा यह निर्णय लेती है कि और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएं, तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा...(व्यवधान)...इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सवाल पूछिए, आप दूसरों का टाइम जाया मत कीजिए। प्लीज सवाल पूछिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : एकाध मिनट ऐसा होता है, उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैं भी यह बात समझता हूँ कि एक-दो मिनट ऐसा होता है, लेकिन आप कहीं जाएंगे, आप उनकी बातों पर गौर करके मुझे जवाब दीजिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, आप सब बड़े-बड़े लोग हैं। बीच में सब लोग बोले। मान्यवर, मेरा निर्दिष्ट प्रश्न यह है कि राजनीति से ऊपर उठ कर गृह मंत्री महोदय उन राज्यों में कितनी बार बैठक कर रहे हैं, जहां पर केन्द्र के राजनीतिक दर्शन के अलावा दूसरी राजनीतिक दर्शन की पार्टी सरकार में है?

श्री शिवराज वी. पाटिल : श्रीमन्, उन्होंने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जहां तक व्यक्तिगत रूप में मेरा प्रश्न है, शायद उसको एलाऊ नहीं किया जाए, उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर भी ऐसे हादसे हो रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों को बुला कर प्रधानमंत्री जी के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ कर चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, हर प्रान्त में, हर रिजन में जो रिजनल कंफेरेंसेज होती हैं, वहां पर मुख्यमंत्रियों को बुला कर उसके ऊपर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, वहां पर खुद जाकर मैंने उन लोगों से चर्चा भी की हुई है। जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं, तो हम उनको जाकर यह बता देते हैं और उनके साथ चर्चा हो जाती है। हम यह नहीं देखते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में कुछ हो गया, तो वहां पर एक दूसरे प्रान्त की सरकार है। उसके लिए यहां आकर सदन में कह दें कि तुमने गलती की, तुमने यह किया, तुमने वह किया, हमने मालूमात दी, उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम इस प्रकार से काम नहीं करते हैं। अगर यहां पर इस प्रकार से काम हो रहा है...तो जिस प्रांत में ये घटनाएं हो रही हैं, उस प्रांत की सरकार को पहले जवाब देना पड़ेगा और दूसरी जगह पर इस राष्ट्र की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यह नहीं समझते हुए पॉलिटिक्स करने के लिए पार्टी के खिलाफ या व्यक्ति के खिलाफ अगर आप प्रश्न पूछते जाएंगे और उसका उत्तर देने के लिए सीनियर मॅम्बर भी उठकर उसकी वकालत करेंगे तो वह कहां तक दुरुस्त होगा? यह आप ठहराव कीजिए और आप जैसा ठहराव करेंगे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ।

श्री उपसभापति : श्री रवि शंकर प्रसाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यह स्वीकार करेंगे कि यह प्रश्न न केवल एक या दो सदस्यों बल्कि समस्त सभा और राष्ट्र की चिंता को दर्शाता है। दक्षिणी भारत केवल हमारी तकनीकी उत्कृष्टता का ही निदर्शन नहीं है - हैदराबाद, बंगलौर या चेन्नई - यह हमारे अन्तरिक्ष अनुसंधान का भी केन्द्र है, यह हमारे प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान का भी केन्द्र है और, इसलिए, यदि आतंकवाद की भयावहता दक्षिणी भारत में भी अपने पैर पसार रही है, तो यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है और माननीय गृहमंत्री जी, मुझे दुख है, मुझे भय है कि हमें इसे एक ऐसे खास निदेशक के अहम पर नहीं छोड़ सकते जो निजी सुरक्षा गार्डों पर ही जोर देता हो। यह राज्य सरकार और साथ ही भारत सरकार की सामूहिक चिंता का विषय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः, मैं आपकी टिप्पणियों की प्रशंसा करने में केवल इसलिए अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि निजी सुरक्षा गार्डों पर जोर दिया गया है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। संस्थान और इसकी समूची गतिविधियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, माननीय गृह मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न के दो स्तर हैं। (क) दक्षिणी भारत में कितने प्रमुख आतंकवादी समूह कार्य कर रहे हैं? क्या आपने उनकी पहचान की है, और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं उत्तर में यह देख रहा हूँ कि एक चिंता का विषय है समुचित सीमा-पार प्रबंधन ताकि अवैध घुसपैठ न हो सके। यह एक अच्छा उत्तर है माननीय गृह मंत्री जी। इस संदर्भ में, मेरे प्रश्न का भाग (ख) है; विदेशियों विषयक अधिनियम के हालिया संशोधन को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे जिसके द्वारा आपने बाहर से घुसपैठ करने वालों की पहचान को उच्चतम न्यायालय द्वारा आई.एम.डी.टी. पर दिए गए आदेश के आलोक में जारी की गई अधिसूचना के कारण व्यावहारिक रूप से असम्भव बना दिया है। ये ही मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, यह एक अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। यह एक तथ्य है कि घुसपैठिये भारत में आ रहे थे और वे सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय थे। लेकिन, अब उन्होंने देश के सभी हिस्सों में फैलने का निर्णय लिया है और उन केन्द्रों पर आक्रमण किया जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और यही कारण है कि हमें इन चीजों की ओर ध्यान देना होगा। सौभाग्यवश, दक्षिणी भारत में हमारे लिए इस प्रकार की गतिविधि इस समय तक उतनी देखने को नहीं मिलती थी लेकिन कोयम्बटूर में भी जब पिछली सरकार थी तो भी वहाँ हमला हुआ था। अब, लम्बे समय से, वे ऐसे लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं जिनका प्रयोग दक्षिणी राज्यों में भी ऐसी गतिविधियों के लिए किया जा सके। इसलिए, हमने जो किया है महोदय, वह है खुफिया एजेंसियों, सी.आई.डी., राज्य

सरकारों की सूचना एकत्र करने वाली एजेंसियों को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित करना है। हमने उनके एक-दूसरे के सम्पर्क में बने रहने को कहा है। एक राज्य की एजेंसी दूसरे राज्यों की एजेंसियों से सम्पर्क बनाए रखेंगी। यहां से भी, महत्वपूर्ण स्थानों को बचाने के लिए इन केन्द्रों तथा साथ ही सरकारों को भी सूचनाओं की आपूर्ति कर रहे हैं। महोदय, शैक्षिक संस्थान, विशेषकर विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक संस्थान परिसर में पुलिस को देखना नहीं चाहते और जब भी यह प्रश्न उठता है कि पुलिस को परिसर में भेजा जाए या नहीं, वे इसका विरोध करते रहे हैं। हम उनको समझाने का प्रयास करते रहे हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में, जब भी आवश्यक हो, हम उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनको वह सुरक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उस सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन इसका विरोध होता है। तब भी विरोध होता है जब घटनाएं घट चुकी हैं। इस संस्थान में जब घटना के बाद चर्चा हुई तब इसको स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा थी। यहां भी हमारी व्यवस्था है। सी.आई.एस.एफ. को इन केन्द्रों जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, वैज्ञानिक संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हम उनको यहां से सहायता करने की स्थिति में हैं लेकिन उसको राज्य सरकार के माध्यम से करना होगा। प्रमुख बात, जिसको बहुत स्पष्ट शब्दों में समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि हम यहां से सीधे-सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें राज्य सरकार के माध्यम से जाना पड़ेगा और यदि हम वैसा करने की चेष्टा करते हैं तो वे कहेंगे कि संघीय व्यवस्था में, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता, केवल राज्य सरकार ही ऐसा कर सकती है और आप क्यों यह कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम उनकी कठिनाई समझते हैं। उन राज्यों में, जहां ऐसे दलों का शासन हो जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में हैं, जो भी हो, हम हम उनको नीचा नहीं दिखा रहे हैं; हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं। कल जो हुआ, उसके लिए हमने उनकी आलोचना करनी नहीं प्रारम्भ कर दी। हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह संयुक्त प्रयास है जिसको करना पड़ेगा और मैं इस सभा से अनुरोध कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से यहां बैठे लोगों को, सबको मिलकर इस समस्या से निबटना पड़ेगा क्योंकि आपके पास प्रश्न करने के अवसर हैं। यदि आप ऐसे प्रश्न करते हैं जो समस्या को सुलझाने की बजाय और समस्या पैदा करते हैं और फिर आप उठकर यह कहते हैं कि ये आपको प्रश्न करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो यह सही नहीं है। कौन कह रहा है कि आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए? मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं लेकिन प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए कि उनसे सहायता मिल सके।

श्री रवि शंकर प्रसाद : और भी दो प्रश्न थे जो मैंने पूछे थे - कितने प्रमुख आतंकवादी समूह दक्षिणी भारत में कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है, और विदेशियों विषयक अधिनियम में क्या संशोधन किया गया है। इनका उत्तर दिया ही नहीं गया।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह विदेशियों विषयक अधिनियम दक्षिण में प्रासंगिक नहीं है; यह अन्य स्थानों के लिए प्रासंगिक है...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपकी अधिसूचना प्रासंगिक है।

श्री उपसभापति : आप उनको जवाब देने दीजिए न!...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है, विदेशियों विषयक अधिनियम अपरिवर्तित है। कृपया समझिए कि अधिनियम भिन्न नहीं है; नियम भिन्न नहीं है; कुछ राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में अधिनियम वही है; नियम वही हैं...(व्यवधान)...

श्री बलवीर के. पुंज : लेकिन इसको असम के मामले में क्यों परिवर्तित कर दिया गया?

श्री उपसभापति : यह प्रश्न का हिस्सा नहीं है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं इस प्रकार के हस्तक्षेपों का उत्तर नहीं दूंगा। महोदय, मैं यह स्पष्ट करने की चेष्टा कर रहा हूं कि विदेशियों विषयक अधिनियम दो या तीन वर्षों पहले जैसा दक्षिणी राज्यों के लिए था उससे भिन्न नहीं है। कृपया इसको समझें। यहां तक कि नियमों को भी नहीं बदला गया है जहां तक उन राज्यों का संबंध है। यह एक ही चीज है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : लेकिन आतंकवादी उन सीमाओं से होकर आते हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, क्या मैं ऐसी चर्चा का उत्तर दे सकता हूं? मैं इस पर चर्चा के लिए तैयार हूं लेकिन जब भी हम चर्चा करते हैं, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे सभा में उपस्थित रहें और अपनी बातें कहें तथा मेरा उत्तर सुनने के लिए सभा में उपस्थित भी रहें, अन्यथा...(व्यवधान)। मैं यह कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि कुछ संगठनों की पहचान की गई थी। अब, कुछ राज्यों में कुछ समूह थे और हमने कार्रवाई भी की थी लेकिन उनकी संख्या थोड़ी है। वे अधिक संख्या में नहीं हैं।

डा. पी.सी. अलेक्जेंडर : महोदय, गृह मंत्री से मेरा प्रश्न खण्ड (ग) के दिए गए उत्तर की अपर्याप्तता के बारे में है। जबकि खण्ड (ग) में समस्या को एक कानून-व्यवस्था के रूप में लेकर इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन है,

क्या मंत्री जी संतुष्ट हैं कि क्या ये कदम स्वयं आतंकवाद की समस्याओं से निपटने में सक्षम होंगे या क्या ये यह स्वीकार करेंगे कि इन कदमों के पूरकता में कुछ और किया जाना चाहिए? उदाहरण के लिए, मैं एक कार्यक्रम का सुझाव दूंगा। क्या माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव मानेंगे? यदि हां, तो मैं इन कदमों की अनुरूपता में चार-सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। एक, जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं, उनके सहयोग की सूची बनाएं। दूसरा, उनको नये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ प्रदान करें और यथासम्भव उनमें से अधिकतर को इन क्षेत्रों में उद्देश्यपूर्ण रोजगार अवसर प्रदान करें। तीसरा, उस क्षेत्र की वर्तमान मांगों की पहचान करें और उनको ऋण प्रदान करें...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया प्रश्न पूछें।

डा. पी.सी. अलेक्जेंडर : क्या मंत्री जी इस समस्या से कानून-व्यवस्था के आधार पर निपटते हुए इन सुझावों को उतना ही महत्वपूर्ण मानेंगे?

श्री शिवराज जी. पाटिल : महोदय, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्नता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ तो मैं तथ्यों के आधार पर उत्तर देता हूँ। कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार और ठीक-ठीक, जब हम इस प्रकार की नीति पर चर्चा कर रहे हैं तो इस पर 10 मिनट में चर्चा नहीं हो सकती। अतः, हमें इन नीतियों पर चर्चा करनी होगी। लेकिन जो सुझाव माननीय सदस्य द्वारा दिए गए हैं, वे अच्छे सुझाव हैं और इस सभा की सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये पहले से ही उन नीतियों के अंग हैं जिनको हमने पहले से ही अपनाया हुआ है। हम यह कहते रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, एक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक हुआ तो पुलिस कार्रवाई करनी पड़ेगी। आर्थिक विकास करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय करना पड़ेगा और उनको मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रशिक्षित किया जाना पड़ेगा। ये सभी चीजें उस नीति की हिस्सा हैं जिसको भारत सरकार ने अपनाया है और राज्य सरकारों को दिया है और राज्य सरकारों ने भी स्वयं इस समस्या से निपटने के लिए कुछ और चीजें विकसित की हैं। लेकिन, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए, वे अच्छे सुझाव हैं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि ये पहले से ही नीति की हिस्सा हैं। और, यदि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति पर चर्चा होती है तो इन चीजों को भली-भांति स्पष्ट किया जा सकता है।

श्री उपसभापति : अब, श्री अबू आसिम आजमी। कृपया सीधे-सीधे प्रश्न करें।

†श्री अबू आसिम आजमी : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माननीय जगन्नाथ सेठी

† माननीय सदस्य द्वारा ऊर्द्ध में दिया गया भाषण मूल संस्करण में उपलब्ध है।

की अगुवाई में जुडिशियल कमेटी, जो कि 1997 के भडकल के कम्युनल दंगों में 17 लोग मारे गए थे,...

श्री उपसभापति : आजमी साहब, आप यह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में क्वैश्चन पूछिए। प्रश्न को प्रासंगिक होना चाहिए।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, मैं सीधा प्रश्न यह पूचना चाहता हूँ कि जस्टिस सेठी की कमेटी ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी थी कि कर्नाटक में आई.एस.आई. का जाल फैल रहा है? यदि दी थी, तो सरकार ने उस पर क्या कुछ कदम उठाया? दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दिसंबर, 2005 के लास्ट वीक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के कैम्पस में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे? और, क्या यह सच है कि इंटेलीजेन्स से कर्नाटक सरकार को पहले यह रिपोर्ट मिली थी कि वहां ऐसा कुछ हमला होने वाला है? अगर मिली थी, तो उस पर सरकार ने कोई कदम उठाया था या नहीं उठाया था?

श्री शिवराज वी. पाटिल : श्रीमन, मैंने पहले ही कह दिया है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका प्रयास यह है कि अलग-अलग जगहों पर वे पहुंचें और वे ऐसी जगहों पर पहुंचना चाहते हैं, जहां पर आई.टी. इंडस्ट्रीज हैं या नेशनल लेबोरेटरीज हैं या ऐसे कुछ इंस्टालेशन्स हैं, जो देश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मैंने यह बात पहले ही बता दी है। जहां तक इंस्टीट्यूशन का सवाल है, हमारी तरफ से, केन्द्र की तरफ से वहां की सरकारों, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की और कर्नाटक की सरकारों को यह बताया गया था कि ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसी जगहों पर हमला करने के लिए इस प्रकार का प्लान बनाया जा रहा है और उसके लिए सतर्कता बरती जाए। इसी इंस्टीट्यूशन, जो साइंस इंस्टीट्यूट है, यहां पर शैक्षणिक चर्चाएं ज्यादातर हुआ करती हैं और जहां शैक्षणिक चर्चाएं होती हैं वहां एक ऐसी साइकोलोजी बनी है कि पुलिस के लोगों का वहां आना अच्छा नहीं है, इसलिए वहां पर यह रुकावट हो जाती है। यह इसके अंदर तकलीफ थी। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, वह रिपोर्ट स्पेसिफिक होने की वजह से उसको देखे बगैर उस पर कुछ कहना दुरुस्त नहीं है, मगर मैं यह कह रहा हूँ कि रिपोर्ट में जो बताया गया है, ऐसा वह मानकर चल रहे हैं, इस प्रकार का मेरा भी यहां सदन में कहना है कि उस प्रकार की बात हो रही है, सरकार को मालूम है।

श्री उपसभापति : श्री बसंत चव्हाण।...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : *

*अभिलिखित नहीं किया गया।

श्री उपसभापति : देखिए।...(व्यवधान)...कुछ भी अभिलिखित नहीं होगा। यह नहीं जाएगा।...(व्यवधान)...ऐसा नहीं है, यह क्वेश्चन आवर है।...(व्यवधान)...प्लीज, यह क्वेश्चन आवर है।

श्री बसंत चव्हाण : महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर में उल्लेख किया है कि सरकार ने तटीय गश्त और निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए तटीय सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र और कोंकण तटीय क्षेत्र भी निगरानी और सुरक्षा में शामिल हैं क्योंकि बॉम्बे से ही दक्षिण को हथियारों, गोला-बारूद तथा विस्फोटकों की आपूर्ति होती है। साथ ही, अनेकानेक विदेशी विशेषज्ञों के बहुतेरी नयी योजनाओं सहित पदापर्ण करने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र आई.टी. सिटी के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने इसमें मुम्बई और कोंकण के तटीय क्षेत्रों को भी शामिल किया है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, उत्तर है 'हां।' गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्णाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और पांडिचेरी को तटीय सुरक्षा को विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मिलेगी। गुजरात वह राज्य है जिसको सबसे अधिक धनराशि मिलती रहेगी, और फिर, कर्नाटक और तमिलनाडु वे राज्य होंगे जिनको प्रचुर धनराशि प्राप्त होगी। हमारे पास वे सभी ब्यौरे हैं कि कितने पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, उनको कितनी नौकाएं दी जाएंगी, और, उनको किस प्रकार की सहायता दी जाएगी। इस योजना का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। लगभग पांच वर्षों के लिए, पेट्रोल के खर्चे भी दिए जाएंगे। केवल उन पुलिसकर्मियों का वेतन राज्यों द्वारा दिया जाएगा जिनको वहां तैनात किया जाएगा।

श्री बसंत चव्हाण : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। महोदय, यह बाम्बे और कोंकण के तटीय क्षेत्रों के बारे में है...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : उपसभापति जी, हमारा गुजरात का क्वेश्चन है।...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं...(व्यवधान)...के तटीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। मैं गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूं...(व्यवधान)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : उपसभापति जी, गुजरात के...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : यह क्या बात है? यह क्वेश्चन आवर है। गुजरात का कहां से आया?...(व्यवधान)...बरोट जी, यह क्या बात है? क्वेश्चन ऑवर में गुजरात कहां से आ गया? यह क्वेश्चन ऑवर है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या चाहते हैं? क्वेश्चन ऑवर में क्या चाहते हैं आप? आपको जब आइडेंटिफाई किया जाएगा, आप उसी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं पूछ सकते। बैठ जाइए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से अपने सवाल के 'क' भाग के रूप में इस सवाल का जो उत्तर आया है, उस बारे में और 'ख' भाग के रूप में जो इन्होंने बार-बार कहा कि वहां के निदेशक या साइंटिस्ट अपने कैम्पस में पुलिस को नहीं देखना चाहते, इसके बारे में पूछना चाहूंगा।

महोदय, क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को इस इंटरनेशनल कांफ्रेंस में विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं, इसके बारे में सूचना थी और उस पर अटैक होगा, क्या इसकी भी कोई सूचना थी? अगर थी तो प्लेन क्लॉथज में वहां पर सिक्युरिटी गार्ड्स, एन.एस.जी. के जवानों या कमांडोज को क्यों नहीं भेजा गया?

महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब जो हिन्दी में आया है, यह बहुत अपमानजनक है। गृह मंत्री महोदय राष्ट्रभाषा के असली मालिक भी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र में चलती है और अगर आप देखें तो इस जवाब की प्रतिलिपि पढ़ी नहीं जा सकती। सवाल के जवाब का जो एक चौथी हिस्सा है, वह कट गया है, कटा हुआ है। यह राष्ट्रभाषा का घोर अपमान है और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसका संज्ञान लेगा, मंत्री महोदय भी इसका संज्ञान लेंगे।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैंने पहले ही बता दिया कि केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को, एक प्रान्त की नहीं बल्कि अनेक प्रान्तों की सरकारों को, यह पहले ही बताया गया कि ये लोग, जो हादसे करना चाहते हैं, कहां पर पहुंचना चाहते हैं और किसको अटैक करना चाहते हैं। आई.टी. इंडस्ट्री हैं, नेशनल लैबोरेट्रीज हैं, दूसरे जो इंस्टालेशंस हैं, उन पर करना चाहते हैं, यह उनको बताया गया था। यहां पर जो इंटेलिजेंस आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में लाना जरूरी है। जो प्लान है, उसका इंटेलिजेंस हमारे पास था, कह दिया, मगर किस जगह पर हो रहा है, कब होने वाला है, जिसको हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं, वह हमेशा के लिए हमें प्राप्त होता ही है, ऐसा नहीं है। जब प्राप्त होता है तो देते हैं और उनको रोकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर, ये जो हादसे करने वाले लोग होते हैं, उनकी ताकत इसी में है कि किस समय यह करना है और कहां पर करना है, वे अपने तरीके से तय करके करते हैं और इसी में मुश्किल हो जाती है। यहां पर जो लोग आने वाले थे, उनको मालूम था कि बाहर के लोग आने वाले हैं और आते रहते हैं, मगर जब साइंस इंस्टिट्यूशंस या यूनिवर्सिटी के लोग कैम्पस में किसी को आने नहीं देना चाहते, वे नहीं चाहते हैं कि लोगों को सब मालूम हो जाए कि यह क्या हो रहा है, पुलिस क्यों है, हमारे ऊपर सी.आई.डी. वाले क्या कर रहे हैं, यह न हो, इसलिए यह सब होता है।

दूसरा जो भाग है इस सवाल का, सर, इस सवाल में नमक-मिर्च डालकर उसको ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए बनाया गया है, अगर उसमें कुछ गलती होगी तो हम दुरुस्त कर देंगे। अगर सवाल नहीं भी है तो आप पूछ सकते हैं, हमको मालूम है, यह हम मानकर चलेंगे।

श्री उपसभापति : अगला प्रश्न, श्रीमती एन.पी. दुर्गा। (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, देखिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्रश्न सं. 143...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मंत्री महोदय, इस तरह से अपमान करते हैं राष्ट्रभाषा का?...(व्यवधान)...राष्ट्रभाषा का अपमान कर रहे हैं, वे नहीं मान रहे, टोंट करते हैं ऊपर से।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : 143। आप जवाब दीजिए 143 का।

श्री अमर सिंह : हिन्दी का अपमान गलत है। हिन्दी का अपमान इस देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे...(व्यवधान)...राष्ट्रभाषा का अपमान...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : सर, यह उत्तर है, यह हिन्दी में दिया हुआ उत्तर है और ये लोग कह रहे हैं कि हिन्दी का अपमान किया गया है।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, वह प्रश्न समाप्त हो गया। हम (व्यवधान) आप बताइए, हम कार्रवाई करेंगे...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी. पाटिल : आप अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप इस जवाब को पढ़िए, आप इसे पढ़कर बताइए।...(व्यवधान)...इसका आधा भाग कटा हुआ है।

श्री उपसभापति : वे ऐग्जामिन करेंगे।

श्री अमर सिंह : यह हिन्दी का अपमान है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप तो हिन्दी के संरक्षक हैं और संरक्षक होकर...(व्यवधान)...

डा. कुमकुम राय : सर, एक महिला मैम्बर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ी है, महिला मैम्बर को सवाल पूछने का मौका दिया जाए...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अहलुवालिया जी, अगर गलती हुई है तो उसको सुधारेंगे, देखेंगे। वे देखेंगे। क्वेश्चन नं. 143।

महिला पुलिस कर्मियों की संख्या

*143. श्रीमती एन.पी. दुर्गा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या पुरुष पुलिसकर्मियों की कुल संख्या का 2.5 प्रतिशत भी नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आंध्र प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पुरुष पुलिसकर्मियों की संख्या की तुलना में 2.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से भी कम है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य पुलिस सेवाओं में महिलाओं की भर्ती सहित लैंगिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 01-01-2005 की स्थिति के अनुसार, भारत में महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या, कुल पुलिस बल की नफरी का 2.5 प्रतिशत थी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्योरा विवरण-1 में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ख) जी हां, श्रीमान। 01-01-2005 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या, आंध्र प्रदेश में कुल पुलिस बल की नफरी का 1.64 प्रतिशत थी।

(ग) पुलिस, संविधान की राज्य सूची का विषय है। तथापि, सरकार, पुलिस सुधारों के भाग के रूप में, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से कहती रहती है कि वे एक निश्चित समयावधि में महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती को बढ़ाकर, कुल नफरी का कम से कम 10% तक करने के लिए कदम उठाएं और पुलिस बल को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने के लिए कारगर उपाय करें।

पुलिस को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने से संबंधित अच्छी परिपाटियों को हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली के अनिवार्य संघटक के रूप में सम्मिलित किया गया है और साथ ही, जैसाकि पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो (बी.पी.आर. एंड डी.) द्वारा परिचालित किया है, इसे राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और बी.पी.आर. एंड डी. द्वारा आयोजित सम्मेलनों के माध्यम से भी इनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

विवरण-1

देश में महिला पुलिस कार्मिकों और उनकी प्रतिशतता का
राज्य-वार ब्यौरे (1-1-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल संख्या	महिला पुलिस कार्मिकों की संख्या	महिला पुलिस कार्मिकों की %
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	88937	1462	1.64%
2.	अरुणाचल प्रदेश	5720	65	1.14%
3.	असम	52293	489	0.94%
4.	बिहार	86801	893	1.03%
5.	छत्तीसगढ़	23776	387	1.63%
6.	गोवा	4472	216	4.83%
7.	गुजरात	64839	2331	3.60%
8.	हरियाणा	52009	893	1.72%
9.	हिमाचल प्रदेश	13748	152	1.11%
10.	जम्मू और कश्मीर	60445	1510	2.50%
11.	झारखंड	45830	159	0.35%
12.	कर्नाटक	83467	2855	3.42%
13.	केरल	52929	2768	5.23%
14.	मध्य प्रदेश	73279	1018	1.39%
15.	महाराष्ट्र	152023	3589	2.36%
16.	मणिपुर	14761	250	1.69%
17.	मेघालय	13311	44	0.33%
18.	मिजोरम	7875	156	1.98%
19.	नागालैंड	19952	264	1.32%

24 प्रश्नों के		[राज्य सभा]		मौखिक उत्तर
1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	38976	342	0.88%
21.	पंजाब	90745	2210	2.44%
22.	राजस्थान	70724	720	1.02%
23.	सिक्किम	3573	177	4.95%
24.	तमिलनाडु	95684	10704	11.19%
25.	त्रिपुरा	20411	215	1.05%
26.	उत्तर प्रदेश	156662	1912	1.22%
27.	उत्तरांचल	15316	470	3.07%
28.	पश्चिम बंगाल	65648	981	1.49%
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2901	16	0.55%
30.	चंडीगढ़	4628	35	0.76%
31.	दादर और नगर हवेली	200	22	11.00%
32.	दमन और दीव	244	12	4.92%
33.	दिल्ली	57203	2265	3.96%
34.	लक्षद्वीप	349	8	2.29%
35.	पांडिचेरी	3170	80	2.52%
कुल		1542901	39670	2.57%

श्रीमती एन.पी. दुर्गा : महोदय, यह दुःखद है कि आन्ध्र प्रदेश में महिला पुलिस का प्रतिशत उनके पुरुष सहकर्मियों की तुलना में केवल 1.64 प्रतिशत है। उत्तर में कहा गया है, "पुलिस राज्य का विषय है।" इस छोटे वाक्य से स्पष्टतः पता चलता है कि केन्द्र सरकार महिला पुलिस के प्रति कितनी संवेदनशील है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जून 2005 में वर्ष 2005-06 के लिए अपनी महिला पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 168 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में महिला पुलिस के सुदृढीकरण के लिए इस प्रस्ताव में क्या-क्या मद शामिल किए गए हैं?

श्री उपसभापति : आप कृपया प्रश्न करें। यह एक लम्बा प्रश्न है।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि भारत सरकार दी गई समय-सीमा के भीतर कुल कर्मचारी वर्ग के दस प्रतिशत महिला पुलिस की भर्ती करने के लिए राज्यों को प्रेरित कर रही है। महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि भारत सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न पर बेहतर ढंग से चर्चा किया जाना पसंद करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप सुनिए तो सही।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा : महोदय, मैं नहीं सुन सकती।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, यह समझे जाने की जरूरत है कि हमारे देश में 22 लाख पुलिसकर्मी हैं। 22 लाख में से, पंद्रह लाख पुलिसकर्मी और अधिकारी राज्य सरकारों के हैं। राज्य पुलिस में पुलिस और अधिकारियों की भर्ती उनके द्वारा उनके अपने कानून, उनकी अपनी नीतियों और उनके अपने निर्णयों के अनुसार की जाती है। जहां तक केन्द्रीय पुलिस का संबंध है, यह केन्द्र के कानून के तहत केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन हो रहा है। महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि न केवल हमारे देश बल्कि विकसित देशों में भी पुलिस में महिलाओं की भर्ती को लेकर पूर्वाग्रह रहा है। सर्वाधिक विकसित देशों में भी, उन्होंने कहा है कि यह 'खर्चीली सनक' है, पुलिस में भर्ती की जाने वाली महिलाओं को उन्होंने 'खर्चीली सनक' कहा है। और यहां भी, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। भारत सरकार अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है। यह भारत के राष्ट्रपति थे जिन्होंने कहा कि पुलिस में कम से कम दस प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जहां भी लोगों के सामने यह बताने का अवसर आता रहा है, मैं यह बात कहता रहा हूं कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती व्यापक पैमाने पर की जानी चाहिए। हम यह करते रहे हैं। हमने न केवल यह कहा है, बल्कि...(व्यवधान)...

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी : महोदय, इन्होंने समय-सीमा के बारे में पूछा है।

श्री उपसभापति : समय खत्म हो रहा है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं कह रहा हूं कि आधुनिकीकरण योजना में हमने निधियों के लिए प्रावधान किया है, न केवल भर्ती के लिए बल्कि पृथक् महिला बटालियनों तथा पृथक् पुलिस स्टेशनों के लिए भी। लेकिन यदि आप यह नहीं समझते कि इसको राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है। हम लोग वही चीज कर रहे हैं; हम उनको ऐसा करने के लिए कह रहे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह सम्पन्न किया जाएगा।

श्री उपसभापति : क्या आपका सैकेंड सप्लीमेंटरी भी है? दूसरों को भी पूछने दीजिए। केवल पांच मिनट बचे हैं। आप अपना प्रश्न सीधे-सीधे पूछें।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि : भारत सरकार योजना व्यय के अन्तर्गत अखिल महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना करने, अखिल महिला पुलिस बटालियनों का गठन करने और पृथक महिला कमांडों दलों का गठन करने के लिए, राज्यों को अलग से सहायता प्रदान करने पर क्यों नहीं विचार कर सकती? यद्यपि, राज्य वैसा करने के इच्छुक हैं तथापि वित्तीय अड़चनों के कारण वैसा करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, क्या मंत्री जी इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में उपर्युक्त चीजों की स्थापना करने के लिए, 'पुलिस बल का आधुनिकीकरण' शीर्ष के अन्तर्गत नहीं बल्कि योजना व्यय के अन्तर्गत वे अतिरिक्त निधियां प्रदान करेंगे?

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश पर नहीं बोल सकता। मैं भारत सरकार पर बोल सकता हूँ और इस प्रकार समस्त देश पर बोल सकता हूँ। लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव अच्छे सुझाव हैं और हम लोग निश्चित रूप से उन पर विचार करेंगे...(व्यवधान)...महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य...(व्यवधान)...यदि आपको मेरी बात सुनने में रुचि नहीं है तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। भारत में कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा ने निर्णय लिया है कि पुलिस बल का न केवल 10 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए बल्कि 30 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। अब, यह उनको करना है, और माननीया महिला सदस्य यह समझ जाएंगी कि समय-सीमा भारत सरकार द्वारा नियत नहीं किया जा सकती...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत : महोदय, मंत्री जी का उत्तर माननीय सदस्यों की चिंता को नहीं दर्शाता...(व्यवधान)...मेरा पहला प्रश्न है, इस उद्देश्य के लिए कितने अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है और क्या सरकार कोई निर्दिष्ट समय-सीमा देगी जिसके भीतर इसे किया जाएगा? हम समय-सीमा चाहते हैं। दूसरा है, पुलिस की लिंग संवेदनशीलता को आवश्यक अंग और पद्धति के रूप में शामिल किया गया है। मुद्दा यह है दुर्भाग्यवश, जिन जिन बुरी पद्धतियों का पालन किया जा रहा है उनका क्या होगा? हम मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि वे बुरी पद्धतियों को बढ़ा रहे हैं जहां तक लिंग संवेदनशीलता की विपरीतता का संबंध है। इसलिए, मंत्री जी क्या परिवर्तन सुनिश्चित करने का विचार कर रहे हैं ताकि दोषी पुलिसकर्मियों को एक समय-सीमा के भीतर दण्डित किया जा सके? यही मेरा प्रश्न है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं प्रश्न के नकारात्मक पक्ष की अपेक्षा सकारात्मक पक्ष का उत्तर देना पसंद करूंगा। प्रश्न का नकारात्मक पक्ष महत्वहीन नहीं है, फिर भी यदि मैं सकारात्मक का उत्तर देने की स्थिति में नहीं होऊंगा तो यह उचित नहीं होगा। यदि आप भारत सरकार से उन सभी चीजों को नियंत्रित करने की अपेक्षा रखते हैं जो कि राज्यों में पुलिस द्वारा की जा रही हैं तो सम्भवतः आपने स्वयं संविधान को ही नहीं समझा है। मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह : बिल्कुल गलत रिप्लाय है।...(व्यवधान)...बिल्कुल गलत रिप्लाय है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : इसका जवाब नहीं आया है।...(व्यवधान)...आप क्वेश्चन पूछिए। ... (व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंह : उपसभापति महोदय, हमें भी क्वेश्चन पूछना है।...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मैं आधे मिनट का सवाल पूछूंगी।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : डा. एम.एस. गिल...(व्यवधान)...आपको जवाब चाहिए तो क्वेश्चन जल्दी कीजिए।...(व्यवधान)...समय नहीं है। उन्होंने अपना नाम प्रश्नकाल आरम्भ होने के पहले ही दिया है। अन्यथा मैं ऐसा नहीं करता। कृपया सहयोग करें...(व्यवधान)...डा. एम.एस. गिल...(व्यवधान)...यदि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तो आपसे आधे घंटे की चर्चा के लिए नोटिस देने का अनुरोध करता हूँ, और उसके बाद आप इस पर चर्चा कर सकते हैं...(व्यवधान)...

डा. एम.एस. गिल : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी की भाषा में यह कह सकता हूँ कि यद्यपि प्रश्न बहुत अच्छा है तथापि उसका उत्तर संतोषजनक से भी कम है। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि हम भी थोड़ा-बहुत संविधान को जानते हैं। केवल उपदेशों से काम नहीं चलने वाला है। भारत सरकार और गृह मंत्रालय सभी पुलिस बलों को भर्ती के लिए, उपस्करों के लिए और अब कुछ के लिए प्रचुर धन राशि प्रदान करता है।

श्री अमर सिंह : महोदय, यह प्रश्न सत्तापक्ष, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति की ओर से आ रहा है।

डा. एम.एस. गिल : क्या ये केन्द्रीय अनुदान का 5 प्रतिशत महिला पुलिस को देते हुए उसको तत्काल सभी राज्यों से जोड़ेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मैं आधे मिनट का सवाल पूछूंगी।...(व्यवधान)...? दिल्ली भी वैसी नहीं है। केवल तमिलनाडु है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मुझे इस प्रकृति के कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्नता है। लेकिन मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता जिनको इस प्रकार रखा

जाता है। महोदय, हम राज्य सरकारों को सुझाव दे रहे हैं कि यदि सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाए तो इसमें पुलिस भी शामिल हो जाएगी। हम यह भी कह रहे हैं कि जो अनुदान दिया जाता है, उसको भर्ती से भी जोड़ा जाना चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभापति महोदय, मैं केवल आधे मिनट में अपना सवाल पूछूंगी। मंत्री जी, आपने कहा कि आप राज्य सरकारों के बारे में नहीं, केवल यूनियन के बारे में बोल सकते हैं। जो आंकड़े आपने दिए हैं, दिल्ली में 3.96 परसेंट और अंडेमान-निकोबार में 0.55 परसेंट, वह तो यूनियन के नीचे आता है। क्या आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके विमैन पुलिस की भर्ती करेंगे जिससे यह गैप पूरा हो सके।

श्री उपसभापति : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या जवाब नहीं आएगा? मैंने केवल आधे मिनट में प्रश्न किया है।

श्री उपसभापति : हाफ एन ऑवर डिसकशन कर लें। क्वेश्चन ऑवर खत्म हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ? प्रश्नों का समय समाप्त हो गया। (व्यवधान)...उत्तर को सही करते हुए मंत्री का वक्तव्य, श्री शंकर सिंह वधेला। (व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : सर...(व्यवधान)...आप बात सुनिए। एक मिनट। ...(व्यवधान)...ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा,...(व्यवधान)...महोदय, केवल एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप तो स्वयं डिप्टी चेयरमैन थीं, मैं क्या करूँ? (व्यवधान)...क्या प्रश्न काल समाप्त हो जाने के बाद भी इसको लिया जाना सम्भव है? (व्यवधान)...आप बैठिए न।...(व्यवधान)...

श्री मोती लाल वोरा : जीरो ऑवर में हम लोगों ने भी दिया है।...(व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : आदेशों की कमी थी। (व्यवधान)...महोदय, यह क्या है? (व्यवधान)...जब हम चर्चा की मांग कर रहे हैं तो आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिए तो आधे घंटे की चर्चा का नोटिस देने से उनको कोई नहीं रोक सकता और इस प्रश्न पर सभा में चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान)...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला : आधा घंटा पर्याप्त नहीं है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के लिए आबंटन

*144. **प्रो. एम.एम. अग्रवाल :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राज्यों में आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि का क्या ब्यौरा है; और

(ग) देश में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधा मुहैया कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आबंटित राशि, की गई रिलीज और खर्च के राज्यवार ब्यौरे विवरण I से IV में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ग) ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण के घटकों में से एक है जिसे चार वर्षों की अवधि अर्थात् 2005-06 से 2008-09 में ग्रामीण आधारभूत सुविधा सृजित करने के लिए एक योजना के रूप में माना गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार की योजना 55067 कवर न की गई बसावटों को पूरी तरह कवर करने की है। इसके अलावा, वे बसावटें, जो प्रणाली या स्रोतों के विफल हो जाने की वजह से पूर्णतः कवर से आंशिक रूप से कवर की गई श्रेणी की बसावटों में बदल गई हैं और वे बसावटें, जिनमें गुणवत्ता समस्याएं हैं, भी कवर की जाएंगी। चालू वर्ष (2005-06) के दौरान, 31 जनवरी, 2006 तक 56270 ग्रामीण बसावटों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 54890 ग्रामीण बसावटों के कवर हो जाने की जानकारी मिली है जिनमें कवर न की गई, पुरानी श्रेणी में लौट आई और गुणवत्ता से प्रभावित बसावटें शामिल हैं।

'स्वजलधारा' योजना के लिए वार्षिक ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों की 20 प्रतिशत तक की धनराशि आबंटित की जा सकती है। ये निधियां राज्यों को प्रत्येक वर्ष आबंटित की जाती हैं। तब राज्य जिलावार आबंटन करते हैं और पेयजल आपूर्ति विभाग को इसकी जानकारी देते हैं जो तदनुसार किस्तों की रिलीज करता है।

देश में समुदाय आधारित जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण प्रणाली को संस्थागत बनाने के लिए भारत सरकार ने फरवरी, 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार का कुल अनुमानित अंश 269.88 करोड़ रु. होगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 57.84 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रों में कार्य कर रहे विभिन्न स्टेकहोल्डरों की क्षमता निर्माण के लिए और इन मुद्दों के बारे में लोगों में सजगता पैदा करने के लिए अब तक 23 राज्यों में 23.82 करोड़ रु. के परियोजना से संचार एवं क्षमता विकास इकाईयों को मंजूरी दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आबंटन, रिलीज तथा उपयोग का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	148.65	183.77	149.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	49.77	36.50	27.49
3.	असम	84.07	56.22	48.49
4.	बिहार	74.06	37.03	33.09
5.	छत्तीसगढ़	24.43	29.43	26.03
6.	गोवा	1.22	0.00	0.24
7.	गुजरात	66.99	99.98	94.91
8.	हरियाणा	29.46	33.57	33.46
9.	हिमाचल प्रदेश	56.43	82.29	76.76

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	123.88	111.96	61.21
11.	झारखंड	30.63	19.50	33.69
12.	कर्नाटक	123.13	143.55	130.70
13.	केरल	36.98	18.99	42.53
14.	मध्य प्रदेश	71.59	95.86	85.95
15.	महाराष्ट्र	168.29	224.63	168.42
16.	मणिपुर	18.26	9.47	11.93
17.	मेघालय	19.57	29.35	16.64
18.	मिजोरम	13.98	20.97	20.97
19.	नागालैंड	14.54	21.81	16.29
20.	उड़ीसा	62.25	61.24	65.32
21.	पंजाब	25.81	30.81	32.37
22.	राजस्थान	267.5	235.96	298.81
23.	सिक्किम	5.97	8.96	6.39
24.	तमिलनाडु	63.58	79.92	73.58
25.	त्रिपुरा	17.34	24.28	13.36
26.	उत्तर प्रदेश	130.22	113.66	126.83
27.	उत्तरांचल	30.83	36.83	31.70
28.	पश्चिम बंगाल	85.45	101.15	79.30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.13	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.07	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.05	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00

32 प्रश्नों के		[राज्य सभा]		लिखित उत्तर
1	2	3	4	5
35.	पाण्डिचेरी	0.05	0.00	0.00
कुल		1845.18	1947.69	1806.31

टिप्पणी : स्वजलधारा के अंतर्गत कोई आबंटन नहीं किया गया।

रिलीज की राशि में आपदा राहत के लिए रिलीज की गई निधियां भी शामिल हैं जोकि आबंटन आधारित नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 2003-04 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आबंटन, रिलीज तथा उपयोग का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	176.16	229.58	180.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	56.44	44.43	42.92
3.	असम	133.83	103.75	58.47
4.	बिहार	80.83	36.05	24.28
5.	छत्तीसगढ़	26.22	31.78	30.47
6.	गोवा	1.45	0.13	0.87
7.	गुजरात	70.05	94.89	98.12
8.	हरियाणा	29.08	30.01	26.62
9.	हिमाचल प्रदेश	68.52	62.25	57.75
10.	जम्मू और कश्मीर	134.17	146.21	146.81

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	34.57	25.01	14.24
12.	कर्नाटक	152.16	153.92	160.47
13.	केरल	49.61	51.99	52.4
14.	मध्य प्रदेश	85.12	111.37	92.93
15.	महाराष्ट्र	215.55	192.28	149.37
16.	मणिपुर	21.43	17.02	12.08
17.	मेघालय	25.47	22.14	21.2
18.	मिजोरम	16.02	14.75	17.65
19.	नागालैंड	18.29	18.15	24.57
20.	उड़ीसा	73.11	57.59	49.58
21.	पंजाब	30.76	26.73	22.8
22.	राजस्थान	268.51	269.06	260.06
23.	सिक्किम	7.13	7.91	10.05
24.	तमिलनाडु	58.72	97.46	80.05
25.	त्रिपुरा	21.24	19.34	24.74
26.	उत्तर प्रदेश	139.69	124.47	114.78
27.	उत्तरांचल	34.19	229.58	22.74
28.	पश्चिम बंगाल	97.11	27.63	84.62
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.39	95.92	0
30.	चंडीगढ़	0.00	0.11	0
31.	दादर व नगर हवेली	0.63	0.00	0
32.	दमन व दीव	0.00	0.35	0
33.	दिल्ली	0.10	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0.02	0.01	0

34	प्रश्नों के	[राज्य सभा]	लिखित उत्तर	
1	2	3	4	5
35.	पाण्डिचेरी	0.32	0.01	0
कुल		2126.89	2112.42	1881.51

टिप्पणी : स्वजलधारा परियोजनाओं के संबंध में किया गया व्यय 2003-04 में शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में है।

रिलीज और व्यय की राशियों में आपदा राहत के लिए रिलीज की गई निधियां भी शामिल हैं जोकि आबंटन आधारित नहीं है।

विवरण-III

वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आबंटन, रिलीज तथा उपयोग का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	242.21	341.13	161.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.99	69.47	76.46
3.	असम	153.13	140.31	116.33
4.	बिहार	83.29	96.67	43.88
5.	छत्तीसगढ़	29.95	26.90	16.47
6.	गोवा	1.36	0.00	5.51
7.	गुजरात	83.56	96.54	75.23
8.	हरियाणा	29.77	29.64	27.07
9.	हिमाचल प्रदेश	61.15	66.03	41.41
10.	जम्मू और कश्मीर	144.29	146.40	134.42

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	35.82	31.66	8.36
12.	कर्नाटक	151.13	178.83	129.32
13.	केरल	44.39	53.52	41.99
14.	मध्य प्रदेश	115.94	119.60	79.95
15.	महाराष्ट्र	223.91	270.37	99.39
16.	मणिपुर	22.66	21.03	13.62
17.	मेघालय	28.62	30.35	22.63
18.	मिजोरम	18.70	20.02	14.2
19.	नागालैंड	19.19	20.48	16.61
20.	उड़ीसा	95.92	103.22	45.33
21.	पंजाब	31.66	35.33	25.26
22.	राजस्थान	339.99	370.66	235.68
23.	सिक्किम	8.61	8.32	6.11
24.	तमिलनाडु	95.40	119.22	63.33
25.	त्रिपुरा	28.41	23.96	21.41
26.	उत्तर प्रदेश	154.04	167.06	123.79
27.	उत्तरांचल	34.14	38.94	36.6
28.	पश्चिम बंगाल	119.03	101.66	85.54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.18	20.37	0
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0
31.	दादर व नगर हवेली	0.12	0.52	0
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0
33.	दिल्ली	0.09	0.00	0
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0

36 प्रश्नों के [राज्य सभा] लिखित उत्तर

1	2	3	4	5
35.	पाण्डिचेरी	0.09	1.00	0
कुल		2462.74	2749.21	1767.44

टिप्पणी : स्वजलधारा परियोजनाओं के संबंध में किया गया व्यय केवल 2004-05 में शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में है।

रिलीज और व्यय की राशि में आपदा राहत के लिए रिलीज की गई निधियां भी शामिल हैं जोकि आबंटन आधारित नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की गत वर्ष की देयता के लिए भी निधियां रिलीज की गई थीं।

विवरण-IV

वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आबंटन, रिलीज तथा उपयोग का राज्यवार ब्यौरा

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन	रिलीज	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	240.77	244.92	97.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	99.94	106.75	35.16
3.	असम	168.51	87.99	71.74
4.	बिहार	175.57	91.05	73.68
5.	छत्तीसगढ़	59.05	29.52	10.04
6.	गोवा	2.21	1.10	0
7.	गुजरात	139.69	141.79	47.65
8.	हरियाणा	41.02	21.79	12.39
9.	हिमाचल प्रदेश	118.56	108.35	41.56

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	229.74	238.47	7.58
11.	झारखंड	63.35	31.67	8.95
12.	कर्नाटक	198.09	227.39	141.87
13.	केरल	61.71	63.48	27.78
14.	मध्य प्रदेश	173.01	168.14	56.02
15.	महाराष्ट्र	316.11	324.15	114.43
16.	मणिपुर	34.31	17.15	5.37
17.	मेघालय	39.50	19.75	7.55
18.	मिजोरम	28.32	27.96	9.42
19.	नागालैंड	29.08	17.29	13.19
20.	उड़ीसा	142.12	90.17	54.39
21.	पंजाब	41.73	40.24	9.82
22.	राजस्थान	486.15	497.23	183.06
23.	सिक्किम	11.96	12.74	5.42
24.	तमिलनाडु	136.05	84.75	57.2
25.	त्रिपुरा	35.03	32.40	17.12
26.	उत्तर प्रदेश	65.59	144.07	109.99
27.	उत्तरांचल	283.72	70.37	38.77
28.	पश्चिम बंगाल	152.47	140.35	52.44
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.34	17.48	0
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0
31.	दादर व नगर हवेली	0.23	0.00	0
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0
33.	दिल्ली	0.17	0.00	0

38 प्रश्नों के		[राज्य सभा]		लिखित उत्तर
1	2	3	4	5
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0
35.	पाण्डिचेरी	0.17	0.00	0
कुल		3574.27	3098.51	1310.13

टिप्पणी : स्वजलधारा परियोजनाओं के संबंध में किया गया व्यय 2005-06 में शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में है।

रिलीज और व्यय की राशि में आपदा राहत के लिए रिलीज की गई निधियां भी शामिल हैं जोकि आबंटन आधारित नहीं है।

ग्रामीण विकास और अवसंरचना-निर्माण

*145. **श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास की प्रत्येक योजना के लिए गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की;

(ख) क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि आगामी वर्ष में ग्रामीण विकास तथा अवसंरचना-निर्माण पर कम से कम 1 लाख करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्यवार पहचान की गई योजनाएं कौन-सी हैं; और

(घ) प्रत्येक योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से इस समय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), वाटरशेड विकास कार्यक्रम अर्थात् समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.), स्वजलधारा और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)/संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

2. विगत दो वर्षों (2003-04 और 2004-05) के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई योजनावार और राज्यवार निधियां विवरण I से III में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

3. ऊपर उल्लिखित सभी योजनाएं ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) ग्रामीण सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) ग्रामीण गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए और ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम पेयजल मुहैया कराने के लिए है। तथापि, एस.जी.आर.वाई., एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. और एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत आवश्यकता आधारित स्थायी ग्रामीण आधारभूत सुविधा भी सृजित की जाती है। संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया है और इसे पहले चरण में 200 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम से ग्रामीण गरीबों को 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार मिलने के अलावा ग्रामीण आधारभूत सुविधा का भी सृजन होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से 'ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान' (पुरा) योजना, जिसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधा मुहैया कराई जाती है के कार्यान्वयन के लिए एक प्रायोगिक चरण की भी शुरुआत की है। भूतल परिवहन, दूरसंचार, मानव संसाधन विकास आदि जैसे अन्य मंत्रालयों द्वारा किए गए निवेश के परिणामस्वरूप भी ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं का सृजन हुआ है।

<div>विवरण-I</div> <div>वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधि</div> <div>(लाख रु. में)</div>							
क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधि					
		एस.जी.आर.वाई.		एन.एफ.एफ. डब्ल्यू.पी*		एस.जी.एस.वाई.	
		2003-04	2004-05	2004-05	2003-04	2004-05	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आंध्र प्रदेश	23995.50	24049.88	12214.72	3942.42	5305.97	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1560.75	1368.64	190.80	139.60	278.92	
3.	असम	29681.01	32124.06	16645.79	5313.00	6595.62	
4.	बिहार	34203.10	49196.29	26456.54	5488.81	9619.84	
5.	छत्तीसगढ़	12023.34	12931.67	10410.19	2025.44	2676.11	
6.	गोवा	110.36	292.55	0.00	25.00	27.82	
7.	गुजरात	9654.67	9941.23	3994.69	1508.00	1946.40	
8.	हरियाणा	5599.45	5567.67	281.85	932.06	1175.08	

9. हिमाचल प्रदेश	2394.67	2259.63	303.91	304.77	487.42
10. जम्मू और कश्मीर	10803.04	2715.61	494.26	427.45	436.74
11. झारखंड	26675.15	27394.54	22595.70	2817.41	4180.61
12. कर्नाटक	19428.39	18290.28	2925.38	2777.12	3735.03
13. केरल	8696.74	7866.56	547.14	1435.18	1783.56
14. मध्य प्रदेश	26705.26	28713.84	15808.32	4397.14	5516.04
15. महाराष्ट्र	31212.10	33657.28	15495.26	5712.39	7409.42
16. मणिपुर	1331.40	2123.41	399.22	56.75	91.05
17. मेघालय	2055.44	2439.01	543.85	117.12	190.84
18. मिजोरम	757.86	574.44	95.52	99.96	146.76
19. नागालैंड	1168.08	1637.97	455.72	157.80	203.94
20. उड़ीसा	24743.95	26939.86	22283.67	4553.07	5866.19
21. पंजाब	4620.08	5818.55	716.32	444.25	442.81
22. राजस्थान	13860.68	14564.97	3532.69	2261.24	2941.56
23. सिक्किम	703.55	685.88	315.73	110.76	179.99
24. तमिलनाडु	23318.54	22470.43	4851.58	3690.70	4676.06
25. त्रिपुरा	3991.89	4079.04	1543.37	696.74	1102.28
26. उत्तर प्रदेश	65695.85	79279.95	26378.11	11756.85	17293.83
27. उत्तरांचल	5355.75	5361.66	1014.86	686.02	954.59

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	21453.96	26731.84	11449.81	2617.59	4608.31
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	97.40	220.94		0.00	25.00
30.	दमन व दीव	41.13	87.28		0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00		0.00	12.50
32.	लक्षद्वीप	28.57	28.57		0.00	0.00
33.	पांडिचेरी	136.13	205.09		25.00	100.00
कुल		412103.79	449618.62	201945.00	64519.64	90010.29

क्र. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधि				(लाख रु. में)
सं.		आई.ए.वाई.			पी.एम.जी.एस.वाई.	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	
1	2	8	9	10	11	
1.	आंध्र प्रदेश	12946.66	19190.68	10063.00	8897.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश	797.11	1106.03	0.00	0.00	
3.	असम	14702.75	22080.95	17109.00	16452.00	
4.	बिहार	25848.10	91533.13	15151.00	2958.00	
5.	छत्तीसगढ़	2520.38	3135.95	11066.00	21868.00	
6.	गोवा	69.56	90.17	11.00	0.00	
7.	गुजरात	3744.63	5416.01	4567.00	0.00	
8.	हरियाणा	1365.84	1785.10	900.00	2860.00	
9.	हिमाचल प्रदेश	574.16	767.60	6699.00	1395.00	
10.	जम्मू और कश्मीर	698.17	928.43	74.00	2000.00	
11.	झारखंड	8693.63	11960.36	12537.00	0.00	

1	2	8	9	10	11
12.	कर्नाटक	6580.16	7831.84	6084.00	0.00
13.	केरल	4272.75	5841.32	1112.00	1039.00
14.	मध्य प्रदेश	8333.54	10594.54	29273.00	26096.00
15.	महाराष्ट्र	12315.64	15569.13	7635.00	0.00
16.	मणिपुर	446.05	921.55	0.00	1800.00
17.	मेघालय	481.18	1435.65	38.00	0.00
18.	मिजोरम	319.91	343.68	2121.00	4785.00
19.	नागालैंड	673.94	865.88	2187.00	1800.00
20.	उड़ीसा	27731.05	13954.68	17585.00	17875.00
21.	पंजाब	802.72	1039.86	2825.00	0.00
22.	राजस्थान	3748.00	4971.71	19103.00	65394.00
23.	सिक्किम	161.71	250.51	2022.00	0.00
24.	तमिलनाडु	6922.99	9921.24	8697.00	7978.00
25.	त्रिपुरा	1340.96	2295.75	23.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	24672.82	31509.17	33811.00	32876.00
27.	उत्तरांचल	3263.04	3400.03	7110.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	12892.42	19084.50	13630.00	27590.00

29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	110.44	352.93	0.00	0.00
30. दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
31. दादर व नगर हवेली	33.35	33.35	0.00	0.00
32. लक्षद्वीप	2.84	3.86	0.00	0.00
35. पांडिचेरी	41.28	94.43	0.00	0.00
कुल	187107.78	288310.02	231433.00	243663.00

*एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया है।

4. वित्त मंत्री ने अपने 2005-06 के बजट भाषण में भारत निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की है जो ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के लिए एक चार वर्षीय व्यावसायिक योजना है तथा इसकी कुल अनुमानित लागत 1,74,000 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा के लिए निर्धारित किए गए घटक हैं - सिंचाई, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरभाष सेवा। वर्ष 2006-07 के केन्द्रीय बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनागत स्कीमों के लिए 31443.62 करोड़ रु. का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

5. आगामी वर्ष के लिए योजना-वार और राज्य-वार आबंटन बजटीय आबंटन पर निर्भर करते हैं और ये अंतर-राज्य आबंटन के योजना-वार मानदंड पर आधारित होते हैं।

विवरण-II

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान विभिन्न क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधि
(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04			2004-05		
		आई.डब्ल्यू. डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.	आई.डब्ल्यू. डी.पी.	डी.पी.ए.पी.	डी.डी.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3444.82	4937.40	567.00	2953.31	4008.31	1774.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	351.89			804.5		
3.	असम	1729.91			3202.78		
4.	बिहार	371.25	323.06		434.63	311.20	
5.	छत्तीसगढ़	1197.26	1329.11		1723.96	1793.52	
6.	गोवा	82.00					
7.	गुजरात	1733.56	3363.14	5612.00	1072.40	2537.18	4681.00
8.	हरियाणा	388.55		1920.00	512.49		1545.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1349.51	529.66	787.00	1345.22	424.98	245.00
10.	जम्मू और कश्मीर	241.96	422.19	1127.00	422.92	222.75	219.00
11.	झारखंड	272.25	1212.34		205.65	1065.02	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	कर्नाटक	2319.84	3215.77	2320.00	2466.94	2503.36	2310.00
13.	केरल	314.75			159.70		
14.	मध्य प्रदेश	2866.22	5021.66		2906.39	5287.91	
15.	महाराष्ट्र	949.41	1484.30		1660.06	3486.26	
16.	मणिपुर	313.25			545.87		
17.	मेघालय	443.65			194.38		
18.	मिजोरम	612.44			974.03		
19.	नागालैंड	1868.31			1711.46		
20.	उड़ीसा	1940.11	1045.92		1457.37	1141.62	
21.	पंजाब	50.66			193.88		
22.	राजस्थान	2097.32	1979.36	9147.00	2121.18	1573.78	10725.00
23.	सिक्किम	31.61			324.27		
24.	तमिलनाडु	1993.50	2401.60		2470.62	2816.93	
25.	त्रिपुरा	268.98			386.63		
26.	उत्तर प्रदेश	1974.33	1498.36		1802.86	1156.68	
27.	उत्तरांचल	364.30	473.36		1227.52	1126.49	
28.	पश्चिम बंगाल	82.50	243.00		156.90	243.00	
	कुल	29654.64	29480.00	21480.00	33437.47	29998.99	21499.00

विवरण-III

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति और संपूर्ण स्वच्छता अभियान योजनाओं के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय निधि

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		टी.एस.सी.		स्वजलधारा	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	13112.00	16418.40	4660.35	3362.27	1640.30	1484.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	4102.40	6825.00	10.00	90.00	223.71	0.00
3.	असम	5772.62	9565.62	199.31	254.95	607.30	159.29
4.	बिहार	3159.50	8941.03	0.00	120.00	0.00	725.84
5.	छत्तीसगढ़	2574.00	2269.80	0.00	1100.17	13.15	296.95
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	134.67	0.00	0.00
7.	गुजरात	8458.00	6696.35	12.50	3690.44	803.84	2710.88
8.	हरियाणा	2662.00	2707.00	62.06	811.13	128.83	221.83
9.	हिमाचल प्रदेश	5137.00	5438.20	0.00	50.00	424.58	609.44
10.	जम्मू और कश्मीर	12850.63	12833.60	76.48	1044.88	823.85	1404.02

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	2060.00	2752.83	284.61	1946.71	195.81	0.00
12.	कर्नाटक	12062.00	12677.44	0.00	558.57	1285.87	1696.06
13.	केरल	4268.71	4401.00	864.13	805.53	470.24	440.81
14.	मध्य प्रदेश	7310.00	7945.00	4352.79	2242.97	622.56	869.51
15.	महाराष्ट्र	15710.00	15971.00	725.05	3592.72	1194.68	3207.50
16.	मणिपुर	1624.15	2103.00	103.56	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	1811.78	2613.87	221.37	0.00	0.00	167.51
18.	मिजोरम	1386.00	1810.00	11.51	60.00	0.00	116.03
19.	नागालैंड	1626.73	1702.00	0.00	62.69	71.62	216.76
20.	उड़ीसा	4713.81	6934.00	284.16	4582.01	597.12	784.39
21.	पंजाब	2269.00	2815.00	0.00	699.94	168.76	316.00
22.	राजस्थान	23368.51	30439.76	119.12	700.86	1881.22	2768.05
23.	सिक्किम	763.00	731.00	38.36	74.07	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	6269.00	8494.13	2768.98	2972.06	706.86	1344.09
25.	त्रिपुरा	1903.00	1575.13	819.21	368.73	112.21	148.48
26.	उत्तर प्रदेश	10457.00	13455.00	3120.44	3475.35	843.11	1458.96
27.	उत्तरांचल	2371.50	3265.47	13.40	503.23	233.20	401.01

28. पश्चिम बंगाल	6827.00	8270.21	1181.10	1566.85	618.65	698.64
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	2037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30. दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
32. दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00
33. लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34. पांडिचेरी	0.00	100.00	0.00	47.42	0.00	0.00
कुल	164629.34	201787.84	19928.49	34918.22	13671.87	22246.16

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर

*146. श्री संजय राजाराम राउत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर विगत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में बढ़ने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक वृद्धि दर क्या थी तथा वर्ष 2005-06 के चालू वर्ष के दौरान वृद्धि दर कितनी होने का अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने उन उद्योगों की भी पहचान कर ली है जिनमें विगत तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि दर या तो बढ़ रही है अथवा घट रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमान के अनुसार, खनन व उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति और निर्माण से उत्पन्न होने वाले सकल घरेलू उत्पाद (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) के रूप में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि वर्ष 2004-05 की 8.6%, 2003-04 की 7.6% और 2002-03 की 7% की तुलना में चालू वर्ष 2005-06 के लिए 9% है।

(ग) और (घ) जिन उद्योगों की वृद्धि दर 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान बढ़ी है, वे मद्यपेय व तंबाकू उत्पाद, सूती वस्त्र, जूट उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, मशीनरी व उपकरण, अन्य विनिर्माणकारी उद्योग, रसायन, चमड़ा तथा इसके उत्पाद और धातु उत्पाद व हिस्से-पुर्जे उद्योग है। विद्युत में भी मामूली वृद्धि देखी गई है।

वर्तमान में जो उद्योग वृद्धि दर में गिरावट दर्शा रहे हैं, वे खाद्य उत्पाद, ऊनी, रेशमी व हस्त-निर्मित फाइबर, काष्ठ तथा इसके उत्पाद, कागज और इसके उत्पाद, रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद, गैर-धात्विक खनिज उत्पाद, मूल धातु व मिश्र-धातु और परिवहन उपकरण तथा हिस्से-पुर्जे हैं। खनन में भी गिरावट देखी गई है।

भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक

*147. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों से भारत में हजारों पाक नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई सूचना भेजी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30-11-2005 की स्थिति के अनुसार देश में 7,134 पाक नागरिक अवैध रूप से ठहरे हुए थे।

(ख) हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से ठहरे हुए 8 पाक राष्ट्रिकों के संबंध में सूचना भेजी है, जिनके विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत विचारण चल रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना

***148. श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों में पारंपरिक परिधान बनाने का कार्य कुटीर उद्योग की तरह घर-घर में हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.एफ.टी.) की तर्ज पर कोई संस्था खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, महोदया, यह सही है कि पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग प्रत्येक घर में उनकी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचालनात्मक बैकस्टैक करघे और फ्रेम करघे हैं। इस क्षेत्र के पारंपरिक अपैरल मुख्य रूप से ड्रेस बेसिक बनावटहीन जैकेटें हैं।

(ख) सतत सुदृढीकरण और समेकन के कार्य को देखते हुए निफ्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि इस स्तर पर कोई भी नया निफ्ट केन्द्र स्थापित करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ख) के अनुसार।

केरल स्थित बिपोर में तटरक्षक केन्द्र

***149. श्री ए. विजय राघवन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित बिपोर में एक तटरक्षक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी भूमि अपेक्षित है तथा भूमि अधिग्रहीत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, सक्षम प्राधिकारियों की

स्वीकृति, मांगी गयी निधि और आबंटित निधि, यदि कोई है तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कितने समय में पूरी होगी; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार, पश्चिमी तट पर तटरक्षक केन्द्रों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार ने तटरक्षक की वर्तमान विकास योजना अवधि 2002-2007 के दौरान बिपोर में एक तटरक्षक स्टेशन स्थापित किए जाने के लिए 15 जनवरी, 2006 को 'सैद्धांतिक रूप' से अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सामान्यतः एक तटरक्षक स्टेशन स्थापित करने के लिए 25 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। बिपोर में तटरक्षक स्टेशन खोलने के लिए भूमि के बारे में केरल सरकार से परामर्श करके पता लगाया जा रहा है। भूमि का पता लगा लिए जाने पर भूमि के अधिग्रहण हेतु धन सहित सक्षम प्राधिकारियों के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे। इस परियोजना को पूरा किए जाने की तारीख इसके बाद ही तय की जा सकती है। आज की तारीख में, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ-साथ पांच तटरक्षक स्टेशन, तीन गुजरात में, एक केरल में और एक लक्षद्वीप तथा मिनीकॉय द्वीपसमूह में कार्य कर रहे हैं।

*150. (वापस लिया गया)

हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण

*151. **श्री बशिष्ठ नारायण सिंह :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण, पर्वतीय तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जिला-वार, कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं;

(ख) राज्य में इन सड़कों के निर्माण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई धन राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बदियारा-नांडला सड़क की चौड़ाई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन बनाई जाने वाली सड़कों के लिए विहित चौड़ाई के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत अनुमोदित किए गए सड़क कार्यों की जिलेवार जानकारी नहीं रखता है।

2. परियोजनाएं राज्य-वार और चरण-वार अनुमोदित की जाती हैं। पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण II (2001-03), III (2003-04) और IV (2004-05) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, अनुमोदित परियोजनाओं की लागत, रिलीज और उपयोग की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

सामान्य पी.एम.जी.एस.वाई.

चरण	अनुमोदित परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रु. में)	अनुमोदित सड़क कार्यों की संख्या	रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)	पूर्ण हो चुके सड़क कार्य (दिसंबर, 2005 तक)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में) (दिसंबर, 2005 तक)
चरण II (2001-03)	128.93	246	128.66	228	117.01
चरण III (2003-04)	254.01	370	254.00	61	115.08
चरण IV (2004-05)	138.31	105	—	—	0.25

विश्वबैंक से सहायता प्राप्त पी.एम.जी.एस.वाई.

बैच	अनुमोदित परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रु. में)	अनुमोदित सड़क कार्यों की संख्या	रिलीज की गई राशि (करोड़ रु. में)	पूर्ण हो चुके सड़क कार्य (दिसंबर, 2005 तक)	उपयोग की गई राशि (करोड़ रु. में) (दिसंबर, 2005 तक)
I	80.28	130	40.14	—	—
II	154.44	97	—	—	—

3. पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण II (2001-03) के अंतर्गत अनुमोदित बदियारानांडला सड़क की चौड़ाई ग्रामीण सड़क नियमावली आई.आर.सी.एस.पी. : 20-2002 में निर्धारित मार्ग की चौड़ाई के अनुसार है।

**एन.आर.ई.जी. योजना के लाभभोगियों को
इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करना**

***152. श्री के. राम मोहन राव :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा **श्री बी.जे. पंडा**

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कारगर कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने तथा लाभभोगियों को धन का इलेक्ट्रॉनिक विधि से अंतरण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनका मंत्रालय लाभभोगियों को वेतन का भुगतान करने के लिए बैंकों और डाकघरों को संबद्ध करने पर भी विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में उपर्युक्त (ग) के अन्तर्गत किये गए प्रस्ताव से कितनी सहायता मिलेगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परिचालन दिशानिर्देश, 2006 तैयार किए हैं ताकि राज्य सरकारें एन.आर.ई.जी. अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सकें। इन दिशानिर्देशों में अधिनियम के कार्यान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के इस्तेमाल या लाभार्थियों को निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण पर निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।

(ग) और (घ) लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान राज्यों द्वारा किया जाएगा। कुछ राज्य बैंक/पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए लाभार्थियों को मजदूरी के भुगतान के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस को एकजुट करने पर विचार कर रहे हैं।

निर्यात किए गए खाद्यान्न

***153. श्री प्रशांत चटर्जी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2002-03 के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्न का निर्यात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कुल निर्यात में खाद्यान्न का निर्यात कितने प्रतिशत रहा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 2002 से 2005 के दौरान निर्यातित खाद्यान्न की वर्ष वार मात्रा (मात्रा एवं मूल्य) तथा कुल निर्यातों में इसके हिस्से का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(मूल्य : करोड़ रुपए)

(मात्रा : '000 टन)

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05*	2005-06* (अप्रैल-नवम्बर, 06)
मात्रा	8745	8109	7923	4604
मूल्य	7682	6957	8866	5585
कुल भारतीय निर्यातों में प्रतिशत हिस्सा (मूल्य वार)	2.98	2.37	2.49	2.16

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

*अनन्तिम

निर्यातोन्मुखी योजनाओं को जारी रखना

*154. **श्री वी. नारायणसामी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 2008-09 के अंत तक निर्यातोन्मुखी योजनाओं को जारी रखने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि प्रतिकारी शुल्क न लगाया जाए और योजनाओं का दुरुपयोग न हो?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस समय कार्यान्वित की जा रही निर्यात संवर्धन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती वस्तुओं, संघटकों, खपत योग्य वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना है। निर्यातोन्मुख स्कीमों के लिए नीति एवं प्रक्रियागत कार्यवाही की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इन स्कीमों के अंतर्गत प्रचालनरत इकाइयों के बेहतर निष्पादन के लिए इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

(ख) निर्यात संवर्धन स्कीमों में इनके दुरुपयोग को रोकने हेतु विभिन्न अंतर्निहित रक्षोपाय होते हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं :-

- (i) अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत जारी लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन और अहस्तांतरणीय होते हैं।
- (ii) निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुएं निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होती हैं।
- (iii) शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात के लिए अन्तर्वधन विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (iv) शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम के संबंध में आयातकों और निर्यातकों को अनाशयित लाभ न देने के लिए मूल्य संबंधी उच्चतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई है।

आंध्र प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को लाभ

*155. श्री एस.एम. लालजन बाशा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, आदिलाबाद, गुंटूर और निजामाबाद जिलों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने वाले बीड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) इन बीड़ी मजदूरों को मिले लाभों का ब्यौरा क्या है और इन पर कितनी लागत आई है;

(ग) क्या यह सच है कि समाज कल्याण योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): (क) और (ख) विभिन्न जिलों में लाभभोगियों की संख्या और लाभों की लागत निम्नानुसार है :

वर्ष 2005-06 (जनवरी, 2006 तक)

क्र. सं.	जिले का नाम	बीड़ी कामगारों की अनुमानित संख्या	छात्रवृत्तियां	चिकित्सा स्वास्थ्य केंप	संस्वीकृत मकानों की संख्या	
					वास्तविक	वित्त रु.
			छात्रों की सं.	वित्त रु.		
1.	पश्चिमी गोदावरी	500	-	-	-	-
2.	पूर्वी गोदावरी	350	-	-	-	-
3.	आदिलाबाद	40000	2548*	26,77,130*	165	-
4.	गुंटूर	15000	-	-	-	-
5.	निजामाबाद	225000	21822	2,13,18,570	1834#	14.80 लाख #

*आंकड़े वर्ष 2004-05 से संबंधित हैं, वर्ष 2005-06 के आवेदनों की संवीक्षा की जा रही है।

#2004-05 के दौरान संस्वीकृत

उपर्युक्त के अलावा, चिकित्सा कैंपों को आयोजित करने के लिए होने वाले व्यय के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन जिलों में 48 लाभभोगियों को तपेदिक/कैंसर/दिल की बीमारी आदि के इलाज के लिए 2,63,096/- रुपये की प्रतिपूर्ति भी की गई है। आदिलाबाद जिले में एक स्थिर-सह-सचल (एस.सी.एम.) औषधालय है और निजामाबाद जिले में तीन एस.सी.एम. औषधालय हैं।

(ग) और (घ) कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए, बीड़ी श्रमिक बहुल क्षेत्रों में उनकी चिकित्सा जांच करने, परिचय पत्र जारी करने तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने हेतु उन्हें जागरूक बनाने के लिए समय-समय पर चिकित्सा और जागरूकता कैंपों का आयोजन करके इसके लिए प्रयास किये जाते हैं। हाल के वर्षों में इन योजनाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है।

विशेष आर्थिक जोन में जापानी निवेश

*156. श्री राजीव शुक्ल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान जापानी कंपनियों को देश में छोटे एवं मझोले उद्यमों तथा विशेष आर्थिक जोनों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रखे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के प्रस्ताव पर जापानी शिष्टमंडल की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख) जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) के एक शिष्टमंडल, जिसमें आटोमोबाइल/आटो संघटक, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और आई.टी. क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने फरवरी, 2006 में भारत का दौरा किया था। उनके दौरे के दौरान औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने एक निवेश सेमिनार सह-प्रायोजित की थी। घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन करना विशेष आर्थिक जोन स्कीम के उद्देश्यों में से एक है। इसलिए निवेश आकर्षित करने के एक संभावित क्षेत्र के रूप में एस.ई.जेड. स्कीम की प्रमुख विशेषताओं को विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) जापानी शिष्टमंडल ने अपने समक्ष भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और इनमें भारत में निवेश करने की संभावना पर चर्चा की गई थी।

रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग का निर्माण

*157. श्री कृपाल परमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल जिले के लिए सभी मौसमों हेतु उपयुक्त सड़क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में मनाली के निकट रोहतांग दर्रे के नीचे से निकलने वाली

सुरंग, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर इस वर्ष कितना व्यय किए जाने का विचार है और अब तक इस पर कितना खर्च हो चुका है तथा सुरंग के निर्माण पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा अथवा लक्ष्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रोहतांग सुरंग सभी मौसमों में मनाली से लेह तक वैकल्पिक सड़क मुहैया कराने संबंधी परियोजना का एक हिस्सा है। इस परियोजना में रोहतांग दर्रे के नीचे 8.82 किलोमीटर लंबी सुरंग तथा 434 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क के निर्माण की परिकल्पना की गई है जिसमें 292 किलोमीटर लंबी सड़क बनायी जानी है। यह परियोजना 1355.82 करोड़ रुपए की लागत पर दिनांक 6-9-2005 को अनुमोदित की गई थी। विशिष्ट सुरंग अभिकल्प आवश्यकता के कारण, एक वैश्विक निविदा जारी की गई थी जो 28 फरवरी, 2006 को खोली गई है। इसी बीच, सुरंग के उत्तर और दक्षिणी द्वारों की संपर्क सड़कों तथा दर्चा-पदम-नीमू के रास्ते लेह तक की वैकल्पिक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना पर अभी तक कुल 68.59 करोड़ रुपए किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। इस परियोजना को 2013.14 तक पूरा किए जाने की योजना है।

तूतीकोरीन और मंगलौर पत्तनों से निर्यात

*158. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल की वस्तुओं जैसे, काजू और समुद्री उत्पाद जिन्हें प्रतिवर्ष तूतीकोरीन और मंगलौर पत्तनों के माध्यम से निर्यात किया जा रहा है, की मात्रा से संबंधित कोई आंकड़े उपलब्ध हैं, और यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान तथा 2005 से अब तक उनका कितना निर्यात किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के निर्यात के संबंध में राज्यवार आंकड़े तैयार करने और उन्हें राज्य सरकारों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-05 तथा अप्रैल-सितम्बर, 2005-06 के दौरान तूतीकोरीन और न्यू मंगलौर पत्तनों के जरिए निर्यातित केरल के काजू तथा समुद्री उत्पादों की मात्रा निम्नानुसार रही थी :-

मात्रा कि.ग्रा. में

पत्तन	काजू		समुद्री उत्पाद	
	2004-05	2005-06 अप्रैल-सित.	2004-05	2005-06 अप्रैल-सित.
तूतीकोरीन	20796620	100722415	864182	126736
न्यू मंगलौर	122000	211100	—	—

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सूनामी से
प्रभावित लोगों को मकान उपलब्ध कराना**

*159. श्री विजय जे. दर्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मोहसिना किदवई

(क) क्या यह सही है कि सुनामी से बुरी तरह प्रभावित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपना घर-बार गंवा चुके लगभग 10,000 लोगों के सिर पर छत का होना अभी तक भी एक दूर का सपना बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्थानीय प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच चल रहे इस विवाद के कारण है कि इस काम के लिए कितनी भूमि की जरूरत है, जिसकी वजह से कई परियोजनाओं का कार्य रुक गया है, जिसमें लगभग 5672 मकानों का निर्माण भी शामिल है; और

(ग) इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और परिकल्पित परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। द्वीपसमूह में सुनामी आने के तत्काल पश्चात अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पीड़ितों के लिए कुल 9565 अन्तर्वर्ती आवासों का निर्माण किया गया और ये प्रभावित परिवारों को आवंटित किए गए। प्रभावित परिवार अब इन अन्तर्वर्ती आवासों में रह रहे हैं। भूमि की जरूरत के बारे में स्थानीय प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच कोई विवाद नहीं चल रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रभावित परिवारों के लिए स्थायी घरों के निर्माण

को अनुमोदित किया है। स्थायी घरों का निर्माण कार्य अप्रैल, 2008 तक पूरा होने की सम्भावना है।

ग्रामीण रोजगार के लिए निधियां

*160. **श्री लेखराज वचानी** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार ग्रामीण रोजगार के लिए विभिन्न राज्यों हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) क्या इस कार्य में संसद सदस्यों और विधायकों को शामिल करने तथा उनका सहयोग लेने के लिए किसी तंत्र के बारे में सोचा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ऐसे 150 जिलों में जहां काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) चल रहा है, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियों का उपयोग एन.आर.ई.जी.ए. के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, एन.आर.ई.जी.ए. के लिए नए अभिज्ञात किए गए 50 जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए 5.35 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं। एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. निधियों सहित प्रत्येक राज्य को रिलीज की गई कुल निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा एन.आर.ई.जी.ए. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रचालन दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं, राज्य सरकारों, संसद सदस्यों तथा आम जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए की गई चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। संसद सदस्य और विधायक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं।

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में संबंधित राज्य का ग्रामीण विकास मंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। लोकसभा के 4 संसद सदस्य, राज्य सभा का एक संसद सदस्य और 5 विधायक इस समिति के सदस्य होते हैं। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में जिले से निर्वाचित तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य (लोकसभा) इसका अध्यक्ष होता है। जिले के सभी संसद सदस्य (लोकसभा) तथा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संसद सदस्य (राज्य सभा) जो उस जिले में जिला स्तरीय समिति से जुड़ना चाहते हैं, समिति के सदस्य होते हैं तथा उन्हें समिति

के सह-अध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाता है। जिले के सभी विधायक समिति के सदस्य होते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री ने पहले चरण में अभिज्ञात जिलों के संसद सदस्यों से ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक में भाग लेने का आग्रह किया था। मुख्य मंत्रियों से संसद सदस्यों और विधायकों को यह सलाह देने का भी आग्रह किया गया था कि वे अपनी पसंद के जिलों में ग्राम सभा से जुड़ें।

विवरण

एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां
(एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. निधियों सहित)

क्र.स.	राज्यों के नाम	कुल रिलीज (लाख रु. में)
1.	आंध्र प्रदेश	24099.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	450.26
3.	असम	13292.65
4.	बिहार	41411.75
5.	छत्तीसगढ़	23966.35
6.	गुजरात	6026.85
7.	हरियाणा	1030.72
8.	हिमाचल प्रदेश	1236.75
9.	जम्मू और कश्मीर	1410.46
10.	झारखंड	44983.7
11.	कर्नाटक	6030.67
12.	केरल	864.59
13.	मध्य प्रदेश	44676.77
14.	महाराष्ट्र	18985.16
15.	मणिपुर	914.78
16.	मेघालय	1469.12

क्र.स.	राज्यों के नाम	कुल रिलीज (लाख रु. में)
17.	मिजोरम	772.89
18.	नागालैंड	532.86
19.	उड़ीसा	49265.3
20.	पंजाब	1221.32
21.	राजस्थान	11026.58
22.	सिक्किम	552.78
23.	तमिलनाडु	9272.59
24.	त्रिपुरा	2604.92
25.	उत्तरांचल	1595.8
26.	उत्तर प्रदेश	23670.61
27.	पश्चिम बंगाल	22120.2
कुल		353486.21

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ता में भारतीय किसानों के हितों को अग्रता

864. **श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य**

श्री प्रमोद महाजन

: क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) चूंकि भारत में लाखों किसान कृषि पर निर्भर होते हैं अतः क्या डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ता के दूसरे दौर में बातचीत के समय किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा;

(ख) क्या यह सच है कि विकसित देशों से व्यापार को प्रभावित करने वाली उनकी कृषि राजसहायता में 83 प्रतिशत की कटौती करने का अनुरोध किया गया था यदि हां, तो इस संबंध में विकसित देशों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्रवाई करेगी; और

(घ) क्या खाद्य और आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के संरक्षणार्थ प्रावधान किए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) विकसित देशों द्वारा उनके कृषि क्षेत्र को प्रदत्त लागू व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता के स्तरों को कम करने के जी-20, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जी-20 ने सबसे अधिक सब्सिडी प्रदाताओं अर्थात् अमरीका (यू.एस.) के साथ यूरोपीय संघ (ई.यू.) के सदस्य देशों द्वारा समग्र व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में 80% कटौती और जापान द्वारा 75% की कटौती का प्रस्ताव किया है। इसके बदले ई.यू. ने प्रस्ताव किया है कि वह 70% की कटौती को स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि अमरीका और जापान अन्य बातों के साथ-साथ अपनी सहायता में 60% तक कटौती करने पर सहमति व्यक्त करें। इसी प्रकार, अमरीका ने अपने लिए और जापान के लिए 60% कटौती का प्रस्ताव किया है बशर्ते कि ई.यू. अन्य बातों के साथ-साथ 83% की कटौती पर सहमत हो। हांगकांग में 13-18 दिसंबर, 2005 के बीच आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसकी समाप्ति पर एक घोषणा पत्र पारित किया गया था जिसका इस संबंध में प्रमुख परिणाम यह है कि व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में कमी करने के त्रिस्तरीय ढांचे में अनुमत सहायता का सर्वोच्च स्तर रखने वाला सदस्य (ई.यू.) सर्वोच्च कटौतियों के साथ सर्वोच्च स्तर पर होगा, सहायता का द्वितीय और तृतीय सर्वोच्च स्तर रखने वाले दो सदस्य (जापान और अमरीका) दूसरे स्तर में होंगे और अन्य सभी विकसित देश और ऐसे विकासशील देश जिनके पास सहायता की सम्पूर्ण मात्रा (ए.एम.एस.) उपलब्ध कराने की हकदारी है सबसे कम कटौतियों के साथ निचले स्तर पर होंगे। इसके अलावा, व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में कारगर कटौती हासिल करने के लिए सिद्धांत तैयार किए जाएंगे। दोहा कार्यक्रम को पूर्ण करने और वार्ताएं वर्ष 2006 में सम्पन्न करने के लिए हांगकांग में डब्ल्यू.टी.ओ. मंत्रियों द्वारा लिए गए संकल्प के तहत 30 अप्रैल, 2006 तक कृषि में रूपरेखाएं निर्धारित करने तथा अनुसूचियों का मसौदा 31 जुलाई, 2006 तक प्रस्तुत करने की दृष्टि से वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं।

(ग) और (घ) नवंबर, 2001 में आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू की गई वार्ताओं में भारत का समग्र उद्देश्य कृषि में ऐसे किसी अंतिम परिणाम को हासिल करा रहा है जो सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी की शीघ्र समाप्ति, व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त प्रभावी कमी तथा खासकर विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार करने के लिए सहमत वार्ताकारी अधिदेश के सुसंगत हो। इसके साथ-साथ इस बात पर भी सहमति हुई है कि विकासशील देशों के लिए विशेष एवं अलग प्रकार का व्यवहार इस बात को स्वीकार

करते हुए कि कृषि विकासशील देशों के सदस्यों के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वार्ताओं के सभी पहलुओं का अभिन्न अंग होगा और उन्हें उन कृषि नीतियों का अनुसरण करने में सक्षम होना चाहिए जो उनके विकासपरक उद्देश्यों, गरीबी उपशमनकारी नीतियों, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका की चिंताओं में सहायक हों।

हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र में उन निर्यात सब्सिडियों को वर्ष 2013 तक समाप्त करने, जिन्हें मुख्यतः कुछ विकसित देशों द्वारा प्रदान किया जाता है जिनके एक बड़े भाग की समाप्ति कार्यान्वयन अवधि के प्रथमार्द्ध में की जाएगी और विकसित देशों द्वारा वर्ष 2006 तक कपास निर्यात सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय भी शामिल किया गया है। विकासशील देशों को सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी की समाप्ति की अंतिम तारीख के बाद 5 वर्ष तक कृषि निर्यातों पर विपणन एवं परिवहन सब्सिडी संबंधी प्रावधानों से लाभ मिलना जारी रहेगा। व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता के संबंध में तीन सबसे बड़े सब्सिडी प्रदाता अपनी ए.एम.एस. में कमी सहित सबसे अधिक कटौती करेंगे और कपास पर प्रदत्त व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडी में अधिक महत्वाकांक्षी ढंग से एवं अपेक्षाकृत कम समयावधि में कमी की जानी है। कोई ए.एम.एस. न रखने वाले भारत जैसे विकासशील देशों को न्यूनतम सीमा और समग्र व्यापार विकृतिकारी सहायता के स्तरों पर किसी प्रकार की कटौती से छूट प्रदान की जाएगी। बाजार पहुंच संबंधी वचनबद्धता के बारे में यह निर्णय लिया गया है कि एक त्रिस्तरीय टैरिफ कमी संबंधी फार्मूले को तैयार किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा, आजीविका एवं ग्रामीण विकास की जरूरतों का समाधान करने के लिए विकासशील देशों के पास उचित संख्या में विशेष उत्पादों को स्वतः निर्दिष्ट करने की लोचशीलता होगी जिनके संबंध में व्यवहार अधिक लोचशील होगा। आयातों में वृद्धि एवं प्रतिकूल वैश्विक कीमत उतार-चढ़ाव के प्रति विकासशील देशों में किसानों की रक्षा करने के लिए आयात मात्रा एवं कीमत पर विशेष रक्षोपाय तंत्र के प्रमुख ढांचागत घटकों के रूप में सहमति हुई है।

सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों, किसानों और निर्यातकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हितबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श करती आ रही है। सरकार खाद्य सुरक्षा तथा आजीविका की सुरक्षा एवं कृषि क्षेत्र की ग्रामीण विकास की जरूरतों की पूर्ति करने एवं दोहा अधिदेश तथा 1 अगस्त, 2004 के महापरिषद के निर्णय में निहित परिवर्ती निर्णयों तथा सभी घरेलू हितबद्ध पक्षों, खासकर किसानों एवं निर्यातकों के हितों की रक्षा करने हेतु हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र के अनुरूप अपनी विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आई.टी.पी.ओ., चेन्नई का विस्तार

865. **श्री सी. पेरूमल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, चेन्नई का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (आई.टी.पी.ओ.) का एक क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में है। इसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आई.टी.पी.ओ. का तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लि. (टी.आई.डी.सी.ओ.) के साथ एक संयुक्त उद्यम है। इस उद्यम को तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (टी.एन.टी.पी.ओ.) के रूप में जाना जाता है जिसमें आई.टी.पी.ओ. का हिस्सा 51% और टी.आई.डी.सी.ओ. का हिस्सा 49% है। टी.एन.टी.पी.ओ., चेन्नई व्यापार केन्द्र का प्रबंधन करता है। टी.एन.टी.पी.ओ. बोर्ड ने एक अन्य प्रदर्शनी हॉल की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

**अमेरिकी और यूरोपियन देशों द्वारा कृषि उत्पादों के
निर्यात में राजसहायता का खत्म किया जाना**

866. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह **श्री रवि शंकर प्रसाद** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व व्यापार संगठन के तहत छठवीं मंत्री स्तरीय बैठक में अमेरिकी व यूरोपियन देशों द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कृषि उत्पादों के उत्पादन से संबंधित सब्सिडी के संबंध में कोई निर्णय हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) डब्ल्यू.टी.ओ. के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 13-18 दिसम्बर, 2005 तक हांगकांग में हुआ था। हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की समाप्ति पर एक मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र पारित किया गया था, जिसकी प्रति संसद के दोनों सदनों - राज्य सभा और

लोक सभा के पुस्तकालय को माननीय सदस्यों के संदर्भ हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। कृषि के बारे में मुख्य-मुख्य परिणाम और समय सीमाएं निम्नानुसार हैं :

दोहा कार्यक्रम को पूर्ण करने और वार्ताएं वर्ष 2006 में सम्पन्न करने का संकल्प लिया गया।

30 अप्रैल, 2006 तक कृषि में रूपरेखाएं तैयार करना; अनुसूचियों का मसौदा 31 जुलाई, 2006 तक प्रस्तुत करना।

वर्ष 2013 तक निर्यात सब्सिडी समाप्त करना जिसके बड़े भाग की समाप्ति कार्यान्वयन अवधि के प्रथमार्द्ध में की जाएगी; विकसित देशों द्वारा वर्ष 2006 तक कपास निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना।

विकासशील देशों को सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी की समाप्ति की अंतिम तारीख के बाद 5 वर्ष तक कृषि निर्यातों से संबंधित विपणन एवं परिवहन सब्सिडी के प्रावधानों से लाभ मिलता रहेगा।

व्यापार विकृतिकारी, घरेलू सहायता के संबंध में सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान करने वाले तीनों देश सबसे अधिक कटौती करेंगे; कोई ए.एम.एस. न रखने वाले भारत जैसे विकासशील देशों को न्यूनतम सीमा और समग्र स्तर के संबंध में किसी प्रकार की कटौती से छूट प्रदान की जाएगी।

विकासशील देशों के पास विशेष उत्पादों को स्वतः निर्दिष्ट करने की लोचशीलता होगी; विशेष रक्षोपाय तंत्र हेतु कीमत एवं मात्रा के बारे में सहमति बनी।

कपास के संबंध में, विकसित देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी वर्ष 2006 में समाप्त की जानी है; व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडी में और अधिक महत्वाकांक्षी ढंग से और अपेक्षाकृत कम समयावधि में कमी की जानी है।

विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु नई सुविधाएं

867. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह **श्री रवि शंकर प्रसाद** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में नयी सुविधाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और हाल ही में कौन-कौन सी नयी सुविधाएं शामिल की गयी हैं;

(ग) इन नई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण कुल कितने स्पेशल जोन स्थापित होने का अनुमान है; और

(घ) प्रत्येक जोन से इकाइयों की संख्या क्या-क्या होगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (एस.ई.जेड. अधिनियम) और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (एस.ई.जेड. नियम) दिनांक 10-2-2006 से लागू कर दिए गए हैं। एस.ई.जेड. अधिनियम और नियमों में एस.ई.जेड. के विकासकर्ता के साथ-साथ उन इकाइयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान है जिनकी एस.ई.जेडों में स्थापित होने की संभावना है। एस.ई.जेडों की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए अपेक्षित सभी निविष्टियों को करों, शुल्कों और उपकरणों से छूट प्राप्त है। एस.ई.जेड. अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हुए अतिरिक्त प्रमुख प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं :-

प्रोत्साहन	एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध	एस.ई.जेड. अधिनियम से पहले उपलब्ध प्रोत्साहन
एस.ई.जेड. इकाइयों को आयकर छूट	एस.ई.जेड. इकाइयों के लिए पहले 5 वर्षों के लिए 100% आयकर छूट, अगले 5 वर्षों के लिए 50% और अगले 5 वर्षों के लिए पुनःप्रयुक्त निर्यात लाभ के 50% तक आयकर छूट।	पहले 5 वर्षों के लिए 100% आयकर छूट; अगले 2 वर्षों के लिए 50% और अगले 3 वर्षों के लिए पुनःप्रयुक्त निर्यात लाभ के 50% तक आयकर छूट।
अपतटीय बैंकिंग इकाइयों/ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित इकाइयों को आयकर छूट	एस.ई.जेडों में स्थापित अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित इकाइयों को 5 लगातार वर्षों के लिए 100% आयकर छूट तथा अगले 5 वर्षों के लिए 50% आयकर छूट।	विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित अपतटीय बैंकिंग इकाइयों को 3 लगातार वर्षों के लिए 100% आयकर छूट और अगले 2 वर्षों के लिए 50% आयकर छूट।
एस.ई.जेड. विकासकर्ता को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट	एस.ई.जेड. विकासकर्ता को आय-कर अधिनियम की धारा 155अख के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट प्रदान की गई है।	उपलब्ध नहीं।

(ग) और (घ) निजी/संयुक्त क्षेत्र और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक 117 विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु अनुमोदन दिया जा चुका है जिनमें से 7 जोनों ने अब कार्य करना शुरू कर दिया है। चूंकि एस.ई.जेड. निजी/संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदित किए गए हैं, इसलिए स्थापित किए जाने वाले संभावित एस.ई.जेडों या इन दोनों में से प्रत्येक में स्थापित की जाने वाली इकाइयों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) में रोजगार के अवसर

868. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा**

श्री राम जेटमलानी

: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह

डा. कुमकुम राय

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी तीन वर्षों में "स्पेशल इकोनोमिक जोनों" में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से लगभग एक लाख हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश होने का आकलन है;

(ख) क्या अन्य बातों के साथ-साथ आगामी तीन वर्षों में लगभग पांच लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने का भी आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा यह आकलन किस आधार पर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस आधार का ब्यौरा क्या है तथा पांच लाख रोजगार अवसरों में कितने अवसर विशेष प्रशिक्षित श्रमिकों व अप्रशिक्षित श्रमिकों के लिए होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान विशेष आर्थिक जोनों के अवसंरचना विकास में तथा उनमें इकाइयों की स्थापना में 100,000 करोड़ रुपए का निवेश होने एवं पांच लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) के प्रवर्तकों द्वारा एस.ई.जेड. की स्थापना हेतु अनुमोदन प्राप्त करते समय उनके द्वारा व्यक्त की गयी निवेश/रोजगार की संभावना पर आधारित है। तथापि, विशेषज्ञों, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कर्मचारियों की श्रेणियों में रोजगार के उक्त पांच लाख अवसरों के ब्यौरे के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

उपभोक्ता और पूंजीगत माल का आयात

869. श्री राम जेठमलानी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2005 में देश में उपभोक्ता सामग्री का आयात 18.9 प्रतिशत बढ़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूंजीगत सामग्री के आयात में वृद्धि होने का आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वृद्धि का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि में आयातित औद्योगिक कच्चे माल का मूल्य कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 44% बढ़ गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। आयात एवं निर्यात के आई.टी.सी. (एच.एस.) वर्गीकरण के अध्याय 84 (जो प्रथमतः पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित है) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात में लगभग 33% वृद्धि हुई है। आयातित औद्योगिक कच्चे माल का मूल्य वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खण्ड II आयात वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिया गया है, जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

**विशेष आर्थिक जोन में औद्योगिक इकाइयों का
कुल सकल उत्पाद में अंश**

870. श्री राम जेठमलानी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "स्पेशल इकोनामिक जोनों" में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का सकल घरेलू उत्पाद में उनकी भागीदारी होने का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 के दौरान "स्पेशल इकोनोमिक जोनों" में स्थापित इकाइयों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में क्या-क्या भागीदारी थी; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कुल कितनी-कितनी आंकी गई थी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।
(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डब्ल्यू.टी.ओ. की हांगकांग मंत्रालयीय बैठक

871. **श्री कलराज मिश्र**

श्री राजकुमार धूत : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की
श्री मनोज भट्टाचार्य

कृपा करेंगे कि :

(क) डब्ल्यू.टी.ओ. की हांगकांग मंत्रालयीय बैठक में भारतीय किसानों और कृषि आधारित उद्योग की बाजार में कृषि संबंधी उत्पादों के पाटन के विरुद्ध सहायता हेतु क्या रणनीति तैयार की गई थी;

(ख) क्या भारत डी.ओ.एच.ए. (दोहा) वार्ता के दौर में लिए गए निर्णयों के आलोक में कृषि राजसहायता को बाजार अभिगम और सीमा शुल्कों में कमी जैसे अन्य मुद्दों के साथ जोड़े जाने के पक्ष में नहीं है; और

(ग) तीसरी दुनिया के देशों को उनके कृषि उत्पादों को विकसित देशों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर निर्यात करने में समर्थ बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) वार्ता के आगामी हांगकांग दौर में कौन-कौन से विशेष कदम उठाए जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) डब्ल्यू.टी.ओ. का छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन दिनांक 13-18 दिसम्बर, 2005 तक हांगकांग में आयोजित किया गया था। नवम्बर, 2001 में डब्ल्यू.टी.ओ. के दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू की गयी वार्ताओं में भारत का समग्र उद्देश्य सहमत वार्ताकारी अधिदेश के अनुरूप अन्तिम परिणाम हासिल करना रहा है। जहां तक कृषि का संबंध है, भारत ने इन वार्ताओं में यह सुनिश्चित करने के लिए भाग लिया है कि कृषि उत्पादों के पाटन से भारतीय किसान व कृषि आधारित उद्योगों की रक्षा सहित इसकी प्रमुख चिंताओं और हितों का पर्याप्त रूप से निराकरण हो जाता है।

चल रही वार्ताओं की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप भारत कृषि में तीनों स्तम्भों अर्थात् निर्यात प्रतिस्पर्धा, घरेलू सहायता तथा बाजार पहुंच से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहा है, ताकि इन तीनों स्तम्भों में संतुलित परिणाम के माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जा सके।

भारत हांगकांग में अपने स्वयं के तथा अन्य विकासशील देशों की चिंता के मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में अत्यन्त सक्रिय रहा था।

भारत खासतौर से विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों पर निर्यात सब्सिडियों की शीघ्र समाप्ति, व्यापार, विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त व कारगर कमी और बाजार पहुंच में अत्यधिक सुधार हासिल करने के उद्देश्य से विकासशील देशों के गठबंधनों को और सुदृढ़ बनाने के लिए समान विचारधारा वाले अन्य देशों और समूहों जैसे कृषि से संबंधित जी-20 और विशेष उत्पाद एवं विशेष रक्षोपाय तंत्र से संबंधित जी-33 के साथ भी मिलकर कार्य कर रहा है। हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की समाप्ति पर एक मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र पारित किया गया था, जिसकी प्रति संसद के दोनों सदनों - राज्य सभा और लोक सभा के पुस्तकालय को माननीय सदस्यों के संदर्भ हेतु उपलब्ध करा दी गयी है। कृषि के बारे में मुख्य-मुख्य परिणाम और समय सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

दोहा कार्यक्रम को पूर्ण करने और वार्ताएं वर्ष 2006 में सम्पन्न करने का संकल्प लिया गया।

30 अप्रैल, 2006 तक कृषि में रूपरेखाएं तैयार करना; अनुसूचियों का मसौदा 31 जुलाई, 2006 तक प्रस्तुत करना।

वर्ष 2013 तक निर्यात सब्सिडी समाप्त करना जिसके बड़े भाग की समाप्ति कार्यान्वयन अवधि के प्रथमार्द्ध में की जाएगी; विकसित देशों द्वारा वर्ष 2006 तक कपास निर्यात सब्सिडी को समाप्त करना।

विकासशील देशों को सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी की समाप्ति की अंतिम तारीख के बाद 5 वर्ष तक कृषि निर्यातों से संबंधित विपणन एवं परिवहन सब्सिडी के प्रावधानों से लाभ मिलता रहेगा।

व्यापार विकृतिकारी, घरेलू सहायता के संबंध में सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान करने वाले तीनों देश सबसे अधिक कटौती करेंगे; कोई ए.एम.एस. न रखने वाले भारत जैसे विकासशील देशों को न्यूनतम सीमा और समग्र स्तर के संबंध में किसी प्रकार की कटौती से छूट प्रदान की जाएगी।

विकासशील देशों के पास विशेष उत्पादों को स्वतः निर्दिष्ट करने की लोचशीलता होगी; विशेष रक्षोपाय तंत्र हेतु कीमत एवं मात्रा के बारे में सहमति बनी।

कपास के संबंध में, विकसित देशों द्वारा निर्यात सब्सिडी वर्ष 2006 में समाप्त की जानी है; व्यापार विकृतिकारी घरेलू सब्सिडी में और अधिक महत्वाकांक्षी ढंग से और अपेक्षाकृत कम समयावधि में कमी की जानी है।

विकासात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि तथा "एन.ए.एम.ए." के बीच बाजार पहुंच में महत्वाकांक्षा का संतुलन अपेक्षित है।

कृषि में तौर तरीकों को अन्तिम रूप देने से संबंधित कार्य में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और सरकार अपनी मौजूदा नीति के अनुसार राष्ट्रीय हितों और किसानों व निर्यातकों के हितों का संरक्षण करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न हितबद्ध पक्षों से विचार विमर्श कर रही है। सभी घरेलू हितबद्ध पक्षों, खास तौर से किसानों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों के अनुरूप हस्तक्षेप करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

इंडियन ट्रेड आर्गेनाइजेशन का गठन

872. **श्रीमती कमला मनहर :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व व्यापार संगठन की तर्ज पर भारतीय व्यापार संगठन के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही की प्रगति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रीय कृषक आयोग से जनवरी, 2006 में उसकी तीसरी अन्तरिम रिपोर्ट में भारतीय व्यापार संगठन (आई.टी.ओ.) की स्थापना हेतु एक सिफारिश प्राप्त हुई है। इसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ संसूचित और सकारात्मक निर्णय लेने में सरकार को समर्थ बनाने तथा व्यापार पर नजर रखते हुए प्रमुख कृषि वस्तुओं के संभावित अधिशेष एवं कमी के संबंध में समय पर सलाह देने के लिए एक मार्गदर्शन एवं सूचना बैंक के रूप में कार्य किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है और यथा समय कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

पेटेंट दावे

873. **श्री मनोज भट्टाचार्य :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ओर से पेटेंट दावों की मांग उठाने में सरकार की असफलता को लेकर हाल ही में गंभीर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नीम, बासमती चावल और हल्दी जैसे भौगोलिक सूचकों के आधार पर पेटेंट दावों को दायर करने के लिए समुचित और त्वरित कार्यवाही करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने हेतु आगे क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क), (ख) और (घ) एक कोमल-पेषण गेहूं के संबंध में यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा दिए गए एक पेटेंट को निरस्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को निदेश देने का निवेदन करने संबंधी एक सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने का निदेश दिया था। तदनुसार, सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट अब माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त पेटेंट को यूरोपीय पेटेंट नियमों के अनुसार 3-10-2004 को निरस्त कर दिया गया था।

(ग) विभिन्न देशों में, भारतीय तथा विदेशी दोनों आवेदकों/निवेशकों द्वारा अपने वाणिज्यिक तथा अन्य हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए पेटेंट मांगें/प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार के पेटेंट विभिन्न देशों के प्रभुसत्ता-संपन्न विशेषाधिकार के तहत इनके संबंधित पेटेंट कानूनों के अनुसार मंजूर किए जाते हैं और इनका क्षेत्र-विशिष्ट में प्रभाव होता है, अर्थात्, ये केवल मंजूरी के देश में ही प्रभावी होते हैं। किसी भी देश में पेटेंट की मंजूरी के लिए योग्यता पाने के उद्देश्य से आविष्कारक, चाहे प्रक्रिया हो या उत्पाद, को पेटेंटनीयता के मानदंड, नामतः नवीनता, आविष्कारिता और औद्योगिक प्रयोज्यता को पूरा करना होता है। जो भारतीय वस्तुएं/मर्दे पहले ही से लोक ज्ञान/क्षेत्र में हैं, उन्हें पेटेंट नहीं किया जा सकता है।

चूंकि पेटेंट अनिवार्यतः निजी अधिकार होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे व्यक्ति (यों) द्वारा जिनके हित प्रभावित/क्षतिग्रस्त होते हैं, संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रायः चुनौती दी जाती है।

जब भी सूचना प्राप्त होती है कि किसी ऐसी मद पर पेटेंट प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें पेटेंटनीय नहीं माना जाता और जिनसे भारत के हित प्रभावित होते हैं, तो यह निर्धारण करने के लिए कदम उठाये जाते हैं कि क्या संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत ऐसी पेटेंट प्रदानगी को चुनौती दी जा सकती है। पूर्व में, घाव भरने में हल्दी के प्रयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किए गए एक पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती

दी गई और उसे संबंधित देश के पेटेंट कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार, यूरोप में नीम के कवकनाशी गुण पर प्रदान किए गए एक पेटेंट को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई। बासमती राइसलाइन और अनाज पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किये गये पेटेंट के दावों को भी चुनौती दी गई, जिनसे भारत के हित प्रभावित होने की संभावना थी। बाद में यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस द्वारा उक्त दावों को निरस्त कर दिया गया और पेटेंट के शीर्षक में भी संशोधन कर दिया गया।

भौगोलिक सूचकों वाली वस्तुओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 पारित किया गया। इस कानून में, भौगोलिक सूचकों के पंजीकरण के जरिये संरक्षण की व्यवस्था है। भौगोलिक सूचक के पंजीकरण से, यदि वैध होगा, प्राधिकृत उपयोगकर्ता को उन वस्तुओं के संबंध में भौगोलिक सूचक के प्रयोग का अनन्य अधिकार मिलेगा जिनके संबंध में भौगोलिक सूचक पंजीकृत किया गया होगा। इससे पंजीकृत स्वामी और प्राधिकृत उपयोगकर्ता को भौगोलिक सूचक के अतिक्रमण के संबंध में राहत प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। यह अधिनियम 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी बनाया गया। यह नया कानून होने के कारण, संपूर्ण भारत में चरणबद्ध रूप से जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजन करने और इस प्रकार भारतीय भौगोलिक सूचकों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये गये हैं। 2003-04 और 2004-05 के दौरान पंद्रह संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन पहलों के फलस्वरूप, 31 मार्च, 2005 तक भौगोलिक सूचकों के पंजीकरण हेतु भौगोलिक सूचक रजिस्ट्री को 46 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 27 पहले ही पंजीकृत किए जा चुके हैं। भौगोलिक सूचक वाली पंजीकृत वस्तुओं में अन्यो के साथ-साथ शामिल हैं, दार्जीलिंग चाय, चंदेरी साड़ी, पोचम्पल्ली इकत, कोटा डोरिया, कांगड़ा चाय, कूर्ग संतरे, चन्नपटना खिलौने व गुड़ियां, नन्जनागुड केले, मैसूर अगरबत्ती आदि।

म्यांमार के साथ सीमा व्यापार

874. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुर के मोरेह नगर से म्यांमार के साथ सीमा व्यापार हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि आंकड़े इस व्यापार में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और यह व्यापार नगण्य सा हो गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस गिरावट का कोई अध्ययन किया है और कारणों का पता लगाकर उनका समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) मणिपुर में मोरेह भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा व्यापार हेतु एक अनुमोदित भू-सीमाशुल्क स्टेशन है।

(क) मोरेह स्थित भू-सीमाशुल्क स्टेशन से म्यांमार के साथ द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष कुछ गिरावट प्रदर्शित हुई है।

(ग) सीमा व्यापार के तहत भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के आदान-प्रदान की अनुमति है। सीमा-व्यापार में अन्तर अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धता के कारण उत्पन्न होता है और यह सीमा के पास रहने वाले लोगों की जरूरतों पर भी निर्भर करता है।

सिंगल ब्रांड रिटेलिंग हेतु नियम

875. **डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताते **श्री रवि शंकर प्रसाद** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में विदेशियों को 'सिंगल ब्रांड रिटेलिंग' के लिये स्वतंत्र रूप से अनुमति देने के बाद, इस अनुमति के क्रियान्वयन हेतु कोई नियम निर्धारित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार की उपरोक्त स्वीकृति के बाद बाजार में कोई भी ब्रांड वस्तु खुदरा आधार पर बेची जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में ही पूर्व सरकारी अनुमोदन से साथ 51 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी है। प्रेस नोट 3 (2006 श्रृंखला) के तहत अधिसूचित किये गये दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि :

- (i) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रांड' के होने चाहिए;
- (ii) उत्पादों को अन्तरराष्ट्रीय रूप से उसी ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए; और
- (iii) 'एकल ब्रांड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में केवल उन्हीं उत्पादों को शामिल किया जायेगा जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रांड प्रदान किया जाता है।

नए विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र

876. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुए विशेष आर्थिक जोन कानून के अंतर्गत कितने क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा जैसे अति पिछड़े राज्यों में कितनी परियोजनाएँ खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) किसी नए विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) को स्थापित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा सरकार की नीति राज्य सरकारों के सहयोग से निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में अथवा स्वयं राज्य सरकारों द्वारा एस.ई.जेडों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उसे सुकर बनाने की है। तदनुसार निजी/संयुक्त क्षेत्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अब तक 117 एस.ई.जेडों की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है जिनमें से 13 एस.ई.जेड. उत्तर प्रदेश और 2 उड़ीसा में है। एस.ई.जेडों की स्थापना हेतु बिहार से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

2006-07 के दौरान अनुमानित व्यापार वृद्धि

877. **श्री विजय जे. दर्डा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2005 के दौरान हुए कई द्विपक्षीय समझौतों के मद्देनजर 2006-07 के दौरान व्यापार में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) ये द्विपक्षीय समझौते 2006-07 के दौरान भारत को उच्च प्रौद्योगिकी हासिल करने और संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने में कितना समर्थ बनाएंगे; और

(ग) चूंकि साफ्टा (साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) ने मूर्तरूप धारण कर लिया है अतः इसके कार्यान्वयन की वजह से 2006-07 के दौरान क्षेत्रीय व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) अब तक हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों के प्रमुख घटकों में से एक घटक चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ

रियायतों का है। ऐसे करारों से एक निर्धारित अवधि के दौरान समग्र व्यापार में वृद्धि होने की आशा है। तथापि, इन करारों के परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 के लिए व्यापार में वृद्धि का कोई विशिष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) भागीदार देशों के उद्योग द्वारा संयुक्त उद्यमों का संवर्धन किया जाता है। द्विपक्षीय व्यापार करार केवल सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं।

(ग) 1 जुलाई, 2006 से साफ्टा के लागू हो जाने से अंतरा-सार्क व्यापार में वृद्धि होने की आशा है किन्तु इस स्तर पर वृद्धि के प्रतिशत का पता नहीं लगाया जा सकता है।

निर्यातकों संबंधी मुद्दों के संबंध में अंतर मंत्रालयीय कृतिक बल का गठन

878. **श्री वी. नारायणसामी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में निर्यातकों के मुद्दों के समाधान हेतु एक अंतर मंत्रालयीय कृतिक बल का गठन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल का गठन कब किया जायेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) सरकार बेहतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय के जरिए निर्यातों से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में सरकार ने वित्त मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को शामिल करते हुए एक अंतर-मंत्रालयी दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। जिसकी बैठकें निर्यातकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए समय-समय पर होंगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी मंत्री समूह

879. **श्री धर्मपाल सन्नवाल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की **श्रीमती कमला मनहर** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्री समूह के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्री समूह की बैठकें लंबे अंतराल के पश्चात् होती है और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कई मामले अनिर्णित रह गए; और

(घ) यदि हां, तो मंत्री समूह के कार्य को समय-बद्ध कार्यक्रम में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) नीति की समीक्षा करने से संबंधित विशेष प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था। मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा अब निर्णय ले लिए गये हैं जिन्हें दिनांक 10 फरवरी, 2006 को अधिसूचित कर दिया गया है।

भारत-चीन व्यापार

880. **श्री आर.के. आनन्द :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2004 में भारत-चीन व्यापार 13.6 बिलियन डालर था;

(ख) क्या यह भी सच है कि म्यांमार के साथ सड़क संपर्क होने से चीन और तेजी से प्रगति कर रहे अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से आर्थिक सहयोग बढ़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान चीन-भारत व्यापार की मात्रा 11.33 बिलियन अमरीकी डालर रही थी।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत और म्यांमार के बीच सम्पर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इनमें सड़कें एवं राजमार्ग, नौवहन सम्पर्क एवं रेल सम्पर्क शामिल हैं।

"आसियान" और "सार्क" के बीच आर्थिक संबंधों के अंतर को पाटना

881. **श्री विजय जे. दर्डा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "फिक्की" द्वारा "विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एशिया इन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" विषय पर नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित सेमिनार में फिलिपींस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा इस आशय पर की गई टिप्पणी की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने संपूर्ण एशिया-पेसिफिक क्षेत्र के एकीकरण हेतु "आसियान" और "सार्क" देशों को अति महत्वपूर्ण आधार बताया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार "आसियान" और "सार्क" देशों के बीच आर्थिक संबंधों के अंतर को पाटने के लिए कोई प्रस्ताव चर्चा हेतु प्रस्तुत करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) फिक्की द्वारा नई दिल्ली में "विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एशिया इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" विषय पर हाल ही में आयोजित सेमीनार में फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा की गई टिप्पणी की सरकार को जानकारी है।

(ख) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(घ) वर्तमान में भारत आसियान के साथ एक व्यापक आर्थिक करार पर बातचीत कर रहा है।

सीमा व्यापार के लिए नाथु-ला को खोला जाना

882. श्री हरीश रावत

श्री विजय जे. दर्डा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की श्री संतोष बागड़ोदिया

कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए नाथु-ला मार्ग को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ख) प्रस्तावित सीमा व्यापार से भारतीय राज्यों को कितना लाभ प्राप्त होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जून, 2006 में नाथु-ला के जरिए सीमा व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। तथापि, इस क्षेत्र में जलवायु की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नाथु-ला दर्रे से होकर सीमा व्यापार को शुरू करने में विलम्ब हो सकता है। नाथु-ला दर्रे के जरिए सीमा व्यापार हेतु रूपरेखाओं को चीनी पक्ष के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

(ख) सीमा व्यापार स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार एवं सीमा पर रहने वाले निवासियों द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान है और यह दोनों देशों के सीमा क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से सहमत वस्तुओं का व्यापार तथा आदान-प्रदान है। इस प्रकार प्रस्तावित सीमा व्यापार से केवल सीमा पर रहने वाले निवासियों को ही लाभ प्राप्त होगा।

चालू वर्ष के दौरान आयात/निर्यात

883. **श्री संजय राजाराम राउत** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयात के निर्यात से अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो आयात और निर्यात मूल्य के संबंध में क्या अनुमान है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान स्वर्ण के आयात का क्या मूल्य रहा और जेवरातों इत्यादि के निर्यात से कितनी राशि प्राप्त हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एंड एस.), कोलकाता से उपलब्ध नवीनतम अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी, 2005-06 के दौरान 74.94 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुमानित निर्यात की तुलना में भारत का अनुमानित आयात 108.80 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा।

(ग) भारत को सोने के आयात का मूल्य वर्ष 2003-04 में 6.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान 10.3 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था। रत्न एवं आभूषण के निर्यातों का मूल्य वर्ष 2003-04 के दौरान 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2004-05 में 13.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा था।

एन.एम.सी.सी. द्वारा की गई सिफारिशें

884. **श्री विजय जे. दर्डा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनिर्माण क्षेत्र में 12 प्रतिशत विकास का लक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त किया जाए इस संबंध में 'नैशनल मैनुफैक्चरिंग कम्पिटिटीवनैस' कमीशन (एन.एम.सी.सी.) द्वारा हाल ही में कुछ सिफारिशें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सिफारिशों की जांच की गई है और इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद ने विनिर्माण के लिए एक रणनीति तैयार करने संबंधी अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है। सिफारिशों का उद्देश्य अन्य बातों के

साथ-साथ विनिर्माण की वृद्धि दर को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है। रिपोर्ट को सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

885. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक देश के साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने सभी पड़ोसी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार पड़ोसी देशों, विशेषकर कम विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से अधिक आयात करने की इच्छुक है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (छ) भारत ने अब तक भूटान के साथ भारत-भूटान व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी करार और श्रीलंका के साथ भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई.एस.एल.एफ.टी.ए.) नामक मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में किसी पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (साफ्टा), जिस पर जनवरी, 2004 में इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे और जिसे 1 जनवरी, 2006 से लागू किया जाना था, से संबंधित बकाया मुद्दों को पूर्ण कर लिया गया है और साफ्टा के नियम 7 के तहत चरणबद्ध टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम को अब 1 जुलाई, 2006 से लागू किया जाना है। भारत, बंगलादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका साफ्टा के सदस्य हैं।

दिनांक 01-07-2006 से साफ्टा के कार्यान्वयन, जिसमें अल्प विकसित संविदाकारी देशों (एल.डी.सी.) बंगलादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल) के लिए कुछेक रियायतों का भी प्रावधान है, से साफ्टा के एल.डी.सी. सदस्यों से भारत को आयात सहित अंतरा-सार्क व्यापार को बढ़ावा मिलने की आशा है।

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग मुक्त व्यापार क्षेत्र हेतु बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल (बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. - एफ.टी.ए.) विषयक कार्यवाही करार पर दिनांक 8 फरवरी, 2004 को थाईलैंड में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत, बंगलादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसके सदस्य हैं। वर्तमान में कार्यवाही करार में की गई व्यवस्था के अनुसार 1 जुलाई, 2006 से एफ.टी.ए. का कार्यान्वयन शुरू करने के उद्देश्य से वार्ताएं जारी हैं।

कृषि में वृहत बाजार अभिगम का प्रभाव

886. **श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बात की सहमति व्यक्ति की गई है कि कृषि उत्पादों में वृहत बाजार अभिगम के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को विदेशों से और अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और किसानों की दशा और अधिक बिगड़ जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कदम उठाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) सरकार का यह विचार है कि भारत में कृषि प्राथमिक रूप से जीवन निर्वाह से सम्बद्ध है और लाखों किसानों की आजीविका इस पर निर्भर है। कृषि उत्पादों के क्षेत्र में अधिक बाजार पहुंच के प्रावधान को पर्याप्त रक्षोपायों के साथ सावधानीपूर्वक अंशशोधित किए जाने की आवश्यकता होगी ताकि इस संवेदनशील क्षेत्र का संरक्षण किया जा सके। यह इस परिस्थिति में विशेष रूप से प्रासंगिक है जबकि अनेक विकसित देश अपने किसानों को भारी मात्रा में व्यापार विकृतिकारी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए सरकार, डब्ल्यू.टी.ओ. वार्ताओं में व्यापार विकृतिकारी सहायता में पर्याप्त कमी तथा सभी निर्यात सब्सिडियों की समाप्ति के लिए बातचीत कर रही है। हमारे किसानों के संरक्षण की दृष्टि से भारत ने जी-33 के तत्वावधान में उचित संख्या में विशेष उत्पादों का स्व-निर्धारण कराया है, जिन पर अधिक लोचशील बाजार पहुंच प्रावधान उपलब्ध हैं। सरकार आयात में अचानक वृद्धि तथा कीमतों में मंदी के दुष्प्रभाव से हमारे किसानों को संरक्षित करने के लिए विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस.एस.एम.) पर भी बातचीत कर रही है।

दोहा कार्यक्रम को पूर्ण करने तथा वर्ष 2006 में वार्ताएं सम्पन्न करने हेतु हांगकांग में डब्ल्यू.टी.ओ. मंत्रियों द्वारा दिए गए समग्र संकल्प के तहत कृषि में रूपरेखाएं 30 अप्रैल, 2006 तक निर्धारित करने तथा अनुसूचियों का मसौदा 31 जुलाई, 2006 तक प्रस्तुत करने की दृष्टि से वार्ताएं आगे बढ़ रही हैं।

**द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और
रूस के बीच समझौता ज्ञापन**

887. **श्री ललित सूरी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और रूस ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा दोनों देशों के बीच व्यापार (आयात और निर्यात दोनों) के लिए कौन-कौन सी नई मदों को शामिल किये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2010 तक दोनों देशों के कारोबार में 10 बिलियन अम. डालर तक की वृद्धि करने की दृष्टि से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के बीच श्री कमल नाथ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री श्री जी.ओ. ग्रेफ द्वारा उनकी भारत यात्रा के दौरान सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर दिनांक 6 फरवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन में भारत की ओर से वाणिज्य सचिव या उनके प्रतिनिधि और रूस की ओर से प्राधिकृत विशेषज्ञ की सह-अध्यक्षता में एक संयुक्त अध्ययन दल (जे.एस.जी.) के गठन का प्रावधान है। जे.एस.जी. को व्यापक क्षेत्रों विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में द्विपक्षीय संबंधों को विविधीकृत एवं मजबूत बनाने तथा भारत और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर विचार करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के समग्र उद्देश्य के साथ भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

वनस्पति तेल के आयात में गिरावट

888. **श्री ए. विजय राघवन** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2005 से जनवरी, 2006 के बीच वनस्पति तेल के आयात में गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, माहवार, श्रेणीवार वनस्पति तेल के आयात सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान वनस्पति तेल बाजार द्वारा सामना किये जा रहे मुद्दों का हल निकालने के लिए कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 2005 से जनवरी, 2006 तक के दौरान वनस्पति तेल के आयात में मूल्य के रूप में 46% (अनंतिम) की गिरावट आई है। माह-वार एवं श्रेणी-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड-II (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) जी हां। एसोसिएशन ने मुख्यतः वनस्पति के आयात शुल्क में उर्ध्वगामी संशोधन की मांग की है। इस मामले पर सरकार के संबंधित विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

तिलहन किसानों, उपभोक्ताओं एवं प्रसंस्कर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए खाद्य तेलों से संबंधित शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

निर्यात और आयात किये गये कृषि उत्पाद

889. **श्री टी.टी.वी. धिनकरन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा कौन-कौन से प्रमुख कृषि उत्पादों का निर्यात और आयात किया जाता है;

(ख) उन फसलों का आयात किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे आयात के दौरान खतरनाक उत्पादों के बीजों के पाटन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत द्वारा निर्यातित एवं आयातित प्रमुख कृषि उत्पादों में दालें, मसाले, चीनी, फल एवं सब्जियां, तिलहन, खाद्य तेल, चाय, कॉफी एवं कपास शामिल हैं। उत्पादों का आयात घरेलू उपयोग के लिए तथा मूल्यवर्धन एवं निर्यात के लिए किया जाता है।

(ग) समस्त प्राथमिक कृषि उत्पादों का आयात पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी जैव सुरक्षा

एवं स्वच्छता - पादप स्वच्छता आयात अनुज्ञप्ति के अधीन होता है। इसके अलावा, समस्त आयात सीमाशुल्क की लागू दर के अधीन होते हैं और ये घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों तकनीकी विनिर्देशनों एवं घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर यथालागू पर्यावरणिक सुरक्षा मानदण्डों के अधीन भी होते हैं।

**चीन से किये गये आयात पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क का
नवीकरण न किया जाना**

890. श्री बी.जे. पंडा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की सुश्री प्रमिला बोहीदार

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीन से किये गये आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का नवीकरण न किये जाने का विचार रखती है;

(ख) क्या स्थानीय उद्योगों द्वारा उक्त शुल्क को हटाने के विरुद्ध याचिका दी गई है;

(ग) क्या कानूनी उपबंधों के अनुसार इस प्रकार से शुल्क को केवल इस मामले की उचित समीक्षा करने तथा स्थानीय उद्योगों के हितों पर विचार करने के उपरांत ही हटाया जा सकता है;

(घ) क्या इस मामले में इस प्रकार की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने अथवा लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने का विनिश्चय मध्यावधि या निर्णायक समीक्षाओं हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद किया जाता है। समीक्षाएं मामला-दर-मामला आधार पर की जाती हैं। वर्ष 1992 से चीन के खिलाफ लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के 86 मामलों में से 20 मामलों में मध्यावधि समीक्षाएं/निर्णायक समीक्षाएं शुरू की गई थीं जिनमें से 10 मामलों में शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

चमड़े के वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

891. श्री सी. पेरुमल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चमड़े के वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों में चमड़े के वस्त्रों के निर्यातों में गिरावट का रुख रहा है। निर्यातों में गिरावट के कारण अन्य बातों के साथ-साथ स्थानापन्न सामग्री के वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ना, गन्तव्य बाजारों में जलवायु की स्थितियों में परिवर्तन, अन्य देशों द्वारा कम दर पर आपूर्ति आदि है।

(ग) सरकार अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन, चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार एवं अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आई.एल.डी.पी.) के कार्यान्वयन हेतु कदम उठा रही है। सरकार बाजार विकास सहायता और बाजार पहुंच पहल स्कीमों के जरिए चमड़े के उत्पादों के निर्यात हेतु चर्म निर्यात परिषद (सी.एल.ई.) और अलग-अलग निर्यातकों को सहायता भी प्रदान कर रही है।

भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

892. श्री राजकुमार धूत

श्री बी.जे. पंडा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा श्रीमती जया बच्चन

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (ई.सी.पी.ए.) पर तीव्रता से कार्रवाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कार्रवाई ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोरिया द्वारा भी भारत के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (ई.सी.पी.ए.) करने का विचार प्रकट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत और इन देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करने में किस हद तक ये समझौते सहायक होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत-जापान संयुक्त अध्ययन दल के चल रहे कार्य के परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्ष एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार की संभावना की जांच करने के लिए सहमत हुए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत-कोरिया संयुक्त अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, व्यापार सुगमीकरण हेतु उपायों, निवेश के प्रवाह

के संवर्धन, सुगमीकरण एवं उदारीकरण हेतु उपायों, अभिज्ञात वस्तु क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के उपायों को शामिल करते हुए कोरिया-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी.ई.पी.ए.) की सिफारिश की है। दोनों देशों के बीच सी.ई.पी.ए. तैयार करने के कार्य हेतु एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है।

(ड) सरकार का प्रयास अन्य देशों के साथ दीर्घावधि, सतत् धारणीय एवं टिकाऊ आर्थिक संबंध बनाने का रहता है। इन करारों से भारत और इन देशों के बीच आर्थिक संबंधों, व्यापार एवं निवेश को आगे और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सिंगापुर के साथ व्यापक सहयोग

893. श्री राममुनी रेड्डी सिरिगीरेड्डी

: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह

श्री के राम मोहन राव

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा हाल ही में सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे तीसरे विश्व के देशों से आयात की बाढ़ नहीं आ जाएगी क्योंकि समझौते में सिंगापुर द्वारा पर्याप्त सुरक्षोपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने पर विचार कर रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस करार में निर्धारित उद्गम संबंधी नियमों के अंतर्गत तीसरे देशों में विनिर्मित माल अधिमानी शुल्कों पर सिंगापुर से होकर भारत में आयात किए जाने का अर्थ नहीं है।

चेन्नई में 'फुटवियर पार्क'

894. श्री सी. पेरूमल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चेन्नई में एक 'फुटवियर पार्क' स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 'पार्क' की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या 'फुटवियर पार्क' को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार "चमड़ा क्षेत्र की अवसंरचना सुदृढीकरण" (आई.एस.एल.एस.) नामक एक योजनागत स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है और - इंरुंगटुकोट्टई (चेन्नई के पास) में एक फुटवियर कॉम्प्लेक्स स्थापित करना इस स्कीम के तहत परिकल्पित उपसंघटकों में से एक है। दि स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एस.आई.पी. सी.ओ.टी.) इस स्कीम का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है और इसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना के पूरा होने की सम्भावित तारीख भी शामिल होगी।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने इंरुंगटुकोट्टई (चेन्नई के पास) में 150 एकड़ क्षेत्र में फुटवियर क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने को "सिद्धान्त-रूप" अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(च) लागू नहीं है।

एस.टी.सी. के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ का आयात

895. **श्री सी. पेरुमल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ऊँकि :

(क) क्या आल इंडिया रबड़ इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ के आयात और इस प्रकार से आयातित रबड़ को लघु उद्योगों को बेचने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को बंद करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमत घरेलू कीमतों से काफी अधिक है इसलिए राज्य व्यापार निगम के जरिए प्राकृतिक रबड़ का आयात व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता है।

नेपाल के रास्ते भारत को चीनी वस्तुओं का निर्यात

896. **श्री बी.जे. पंडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में नेपाल का शीर्ष स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल में विनिर्मित सभी मदों को भारतीय बाजारों में शुल्क रहित प्रवेश दिया जाता है;

(घ) क्या चीन में निर्मित माल भी नेपाल के माध्यम से भारत में लाया जा रहा है और उस पर उक्त वरीयता उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो नेपाल के माध्यम से हमारे बाजारों में प्रवेश कर रहे चीन में निर्मित माल के संबंध में सुरक्षोपायों के संबंध में सरकार की कार्रवाई योजना क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2004-05 के दौरान नेपाल से 29.13 करोड़ रुपए के सिले-सिलाए वस्त्रों के आयात हुए थे।

(ग) भारत में शुल्क मुक्त प्रवेश हेतु नेपाल की वस्तुओं को पूर्णतः भारतीय/नेपाली सामग्रियों से निर्मित होना चाहिए अथवा नेपाली वस्तुओं में सुमेलीकृत वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली के चार अंकीय स्तर पर परिवर्तन हुआ हो। इसके अलावा, नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं में तीसरे देश की निविष्टि प्रथम वर्ष, 6-3-2002 से 5-3-2003 के दौरान कारखाना द्वारा कीमत के 75 प्रतिशत और इसके बाद 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, चार मदों अर्थात् वनस्पति, तांबा उत्पादों, एक्रिलिक यार्न और जिक आक्साइड के संबंध में नेपाल से भारत में होने वाले शुल्क मुक्त आयातों को वार्षिक कोटाओं तक सीमित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत संधि में निर्धारित मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण शर्तों की पूर्ति के बिना नेपाल से भारत में होने वाले तीसरे देश के निर्यात को प्रतिबंधित किया गया है। अतः भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत नेपाल से चीन की वस्तुओं का पुनः निर्यात भारत में नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए भारत-नेपाल व्यापार करार के अंतर्गत दोनों देशों की सरकारें अपनी-अपनी सीमा पर अनधिकृत व्यापार की रोकथाम हेतु एक-दूसरे के साथ सहयोग करती हैं। नेपाल से होकर तीसरे देश के उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय के क्षेत्रीय संगठनों को भी जानकारी बनाया गया है।

कृषि उत्पादों के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र

897. श्रीमती सुखबंस कौर

: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की

श्री कलराज मिश्र

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, तम्बाकू और मछली जैसे कृषि उत्पादों के लिए उन क्षेत्रों जहां उस विशेष कृषि उत्पाद की बहुतायत है, में कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से कृषि उत्पादों के लिए इस प्रकार के निर्यात क्षेत्र स्थापित किये जाएंगे जिनमें निर्यात योग्य कृषि उत्पादों का वार्षिक उत्पादन क्या होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) दार्जिलिंग के लिए एक कृषि निर्यात जोन (ए.ई.जेड.) को अनुमोदित किया जा चुका है। कॉफी, तम्बाकू और मछली के लिए ए.ई.जेड. स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देने की दृष्टि से मौजूदा ए.ई.जेडों के कार्य-निष्पादन का समग्र मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन पूरा होने के बाद नए ए.ई.जेडों की स्थापना पर विचार किया जाएगा।

निर्यात अवसंरचना का विकास

898. श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार निर्यात अवसंरचना तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय अनुदानों के लिए सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात से आय अर्जन के मामले में प्रत्येक राज्य का निष्पादन कैसा रहा है;

(ङ) क्या देश से निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन देने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधायों के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) नामक स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र समेत राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(क) और (ग) जी, हां। ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों के ब्यौरे जारी किए गए हैं और इन्हें वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर भी डाल दिया गया है।

(घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 के लिए पण्य वस्तुओं के निर्यात के राज्यवार आंकड़े, विवरण-II में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(ङ) और (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चल रही ए.एस.आई.डी.ई. स्कीम के अलावा, देश के निर्यातों को बढ़ाने के लिए राज्यों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I							
ए. एस. आई. डी. ई. स्कीम के अंतर्गत राज्यों को कुल वित्तीय सहायता							
क्र.सं.	राज्य	आबंटित राशि	जारी की गई	आबंटित राशि	जारी की गई	आबंटित राशि	जारी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,300.00	1,300.00	1,385.00	1,385.00	1,545.00	1,545.00
2.	अंडमान और निकोबार	200.00	100.00	200.00	0	200.00	0
3.	बिहार	650.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0
4.	चंडीगढ़	200.00	0.00	200.00	0.00	320.00	0
5.	छत्तीसगढ़	400.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.	दादर और नगर हवेली	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0
7.	दमन एवं दीव	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0
8.	दिल्ली	200.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0
9.	गोवा	600.00	600.00	373.00	373.00	609.00	609.00
10.	गुजरात	1,500.00	1,500.00	3,578.00	3,578.00	4,338.00	4,338.00
11.	हरियाणा	600	600.00	849.00	849.00	1,405.00	1,405.00

(लाख रुपए में)

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	हिमाचल प्रदेश	750	750.00	500.00	500.00	553.00	553.00
13.	जम्मू और कश्मीर	600.00	600.00	500.00	500.00	525.00	525.00
14.	झारखंड	400.00	400.00	500.00	0.00	500.00	0
15.	कर्नाटक	1,900.00	1,900.00	2,414.00	2414.00	3,399.00	3,399.00
16.	केरल	1,200.00	1,200.00	930.00	930.00	1,069.00	1,069.00
17.	लक्षद्वीप	200.00	200.00	200.00	0	200.00	0
18.	मध्य प्रदेश	1,100.00	1,100.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
19.	महाराष्ट्र	3,400.00	3,400.00	5,709.00	5709.00	6,552.00	6,552.00
20.	उड़ीसा	1000.00	1,000.00	605.00	605.00	693.00	693.00
21.	पांडिचेरी	300.00	150.00	200.00	0.00	200.00	0
22.	पंजाब	1000.00	1,000.00	968.00	968.00	1,217.00	608.50
23.	राजस्थान	1,300.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
24.	तमिलनाडु	3,000.00	3,000.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00
25.	उत्तर प्रदेश	2,100.00	2,100.00	1,259.00	1259.00	2,100.00	1,050.00
26.	उत्तरांचल	400.00	200.00	500.00	500.00	527.00	263.50
27.	पश्चिम बंगाल	1,100.00	1,100.00	1,491.00	1491.00	2,009.00	1,004.50
कुल		26,000.00	23,900.00	30,400.00	28,235.00	36,000.00	30,788.50

पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. अरुणाचल प्रदेश	125.00	125.00	251.00	0.00	251.00	0
2. असम	500.00	500.00	1149.00	1149.00	1,257.00	1,257.00
3. मणिपुर	250.00	0.00	200.00	200.00	206.00	103.00
4. मिजोरम	250.00	0.00	200.00	200.00	324.00	324.00
5. मेघालय	250.00	250.00	572.00	572.00	834.00	834.00
6. नागालैंड	125.00	50.00	200.00	200.00	200.00	100.00
7. सिक्किम	125.00	0	200.00	0.00	200.00	200.00
8. त्रिपुरा	375.00	375.00	828.00	828.00	728.00	728.00
कुल	2000.00	1300.00	3600.00	3149.00	4000.00	3,546.00
कुल योग	28,000.00	25,200.00	34,000.00	31,384.00	40,000.00	34,334.50

विवरण-II

वर्ष 2004-05 के लिए राज्यवार निर्यात आंकड़े

अप्रैल '04-मार्च '05

राज्य कोड	राज्य का नाम	मूल्य रुपये में	% हिस्सा
1	2	3	4
01	असम	7481652522	0.21
02	मेघालय	2271398501	0.06
03	मिजोरम	348313754	0.01
06	बिहार	4939602197	0.14
07	झारखंड	2159994330	0.60
09	अरुणाचल प्रदेश	701910906	0.02
10	पश्चिम बंगाल	167128675534	4.62
14	नागालैंड	248331491	0.01
15	मणिपुर	18068726	0.00
16	उड़ीसा	79213016417	2.19
17	सिक्किम	122265857	0.00
18	त्रिपुरा	98264751	0.00
19	अंडमान और निकोबार	149766356	0.00
20	उत्तर प्रदेश	127298864822	3.52
21	उत्तरांचल	2675034860	0.07
29	दिल्ली	190537765589	5.27
30	पंजाब	89666123519	2.48
34	हरियाणा	107901970702	2.98
39	चंडीगढ़	1936472639	0.05

1	2	3	4
44	जम्मू और कश्मीर	2462725008	0.07
46	हिमाचल प्रदेश	5130408683	0.14
50	राजस्थान	77471710176	2.14
54	गुजरात	516552556572	14.27
60	महाराष्ट्र	1171241931752	32.37
67	दमन एवं दीव	4343450121	0.12
68	गोवा	45510561939	1.26
69	दादर और नगर हवेली	3821574681	0.11
70	मध्य प्रदेश	74637216381	2.06
71	छत्तीसगढ़	14049192841	0.39
80	आंध्र प्रदेश	121374261906	3.35
84	कर्नाटक	299918515236	8.29
89	लक्षद्वीप	52897805	0.00
90	तमिलनाडु	351224688856	9.71
96	केरल	74985833331	2.07
99	पांडिचेरी	3996892702	0.11
	अनिर्दिष्ट	47679731344	1.32
कुल योग		3618791591807	100.00

हरियाणा और उड़ीसा में विशेष आर्थिक क्षेत्र

899. श्री बी.जे. पंडा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र का हरियाणा में आठ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में स्थापित किये गये अथवा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिससे इस पिछड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) किसी नए विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) को स्थापित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा सरकार की नीति राज्य सरकारों के सहयोग से निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में अथवा स्वयं राज्य सरकारों द्वारा एस.ई.जेडों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उसे सुकर बनाने की है। निजी/संयुक्त क्षेत्र तथा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर हरियाणा एवं उड़ीसा में स्थापना हेतु अब तक अनुमोदित किए गए एस.ई.जेडों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

हरियाणा

क्र. सं.	स्थान	विकासकर्ता का नाम	प्रकार
1	2	3	4
1.	गुड़गांव	मै. एम.जी.एफ. डेवलपमेंट्स लि.	बहु उत्पाद
2.	गढ़ी-हरसारु, जिला गुड़गांव	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	बहु उत्पाद
3.	फरीदाबाद	मै. हरियाणा टेक्नॉलोजी पार्क	सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)
4.	डूंडाहारा गांव, गुड़गांव	मै. आई.एस.टी. लि.	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.)/आई.टी.
5.	गांव सिलोखेड़ा, गुड़गांव	मै. डी.एल.एफ. कमर्शियल डेवलपर्स लि.	आई.टी./आई.टी.ई.एस.
6.	नूह जिला, मेवात क्षेत्र	मै. एस.आर.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	बहु उत्पाद
7.	गुड़गांव	मै. डी.एल.एफ. साइबर सिटी	आई.टी./आई.टी.ई.एस.

1	2	3	4
8. गांव टिकरी, गुड़गांव	मै. यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लि.	आई.टी./आई.टी.ई.एस.	
9. गांव घाटा, गुड़गांव	मै. पॉयनियर प्रोफिन लि.	आई.टी./आई.टी.ई.एस.	
10. गुड़गांव	मै. ओरिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	वस्त्र	
उड़ीसा			
1. पारादीप (कलिंग नगर, डुबुरी को स्थानांतरित)	उड़ीसा सरकार	बहु उत्पाद	
2. गोपालपुर	उड़ीसा सरकार	बहु उत्पाद	

मसालों के निर्यात में गिरावट

900. **श्री ए. विजय राघवन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल से दिसम्बर, 2005 के दौरान मसालों के निर्यात में गिरावट का रुख दिखाई पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है और किन-किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल निर्यात का वस्तु-वार, माह-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यात में हुई गिरावट के क्या कारण हैं तथा इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान मसालों के निर्यात में वर्ष 2004 की इसी अवधि की तुलना में मूल्य के रूप में 3 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई थी।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान विभिन्न मसालों (मात्रा और मूल्य) के मद-वार निर्यात और कुल निर्यातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान मसालों के निर्यात में आई गिरावट के मुख्य कारण हैं, लाल मिर्च के संबंध में अन्य क्षेत्रों से उपलब्धता में वृद्धि होना,

पाकिस्तान द्वारा ताजे अदरक की कम खपत, हल्दी के संबंध में कम इकाई मूल्य की प्राप्ति, बीज मसालों के संबंध में अन्य प्रमुख प्रतियोगियों की तुलना में उच्च कीमतें और भारत से निर्यातित वनीला की कम इकाई मूल्य प्राप्ति।

मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- मार्च, 2005 से ब्रांडिड भारतीय मसालों जैसे "फ्लेवरिट" की प्रमुख श्रेणी की विश्वव्यापी सीधी बिक्री का संवर्धन।
- जैविक मसालों के निर्यात का संवर्धन।
- उच्च अंतिम मूल्य-वर्धन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और उभरते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने हेतु क्षमताओं का विकास।
- उच्च तकनीकी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाना जैसे क्रायो ग्राइंडिंग, स्टीम स्टर्लाइजेशन, सुपर फ्लूयिड एक्सट्रैक्शन और पेकेजिंग की उन्नत प्रणाली।
- निर्यातकों की इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उनका उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करना ताकि अन्य के साथ-साथ मसालों में कीटनाशी अवशिष्ट, एफ्लेटॉक्सिन, भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म जैविक संदूषकों एवं रासायनिक संरचना की जांच की जा सके।
- आई.एस.ओ., एच.ए.सी.सी.पी., एस.क्यू.एफ., 2000 के तहत मान्यता जैविक प्रमाणन आदि के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाना।
- सहायता की पेशकश करके विदेशी क्रेताओं के साथ व्यक्तिगत मेल-जोल एवं संबंध बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, बैठकों आदि में भाग लेने तथा व्यापारिक दौरे करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना।

विवरण

दिसम्बर, 2004 और अप्रैल-दिसम्बर, 2004 की तुलना में दिसम्बर, 2005 और अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान भारत में किए गए मसालों के अनुमानित निर्यात

माद	दिसम्बर, 2005			दिसम्बर, 2004		
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	यू मूल्य (रु./कि.)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	यू मूल्य (रु./कि.)
1	2	3	4	5	6	7
मिर्च	1,700	1436.50	84.50	1,335	1063.34	79.63
इलायची (छोटी)	100	300.00	300.00	80	274.74	341.47
इलायची (बड़ी)	75	84.00	112.00	93	109.75	117.52
लाल मिर्च	7,000	2800.00	40.00	11,670	4195.98	35.96
ताजा/सूखा अदरक	750	450.00	60.00	1,317	672.09	51.04
हल्दी	3,500	1347.50	38.50	3,740	1239.94	33.15
धनिया	2,000	620.00	31.00	1,074	312.12	29.05
जीरा	1,250	937.50	75.00	1,132	865.49	-76.45
अजमोद	250	98.75	39.50	565	162.24	28.74
सौंफ	350	192.50	55.00	490	184.00	-37.52

1	2	3	4	5	6	7
मेंथी	800	174.00	21.75	700	152.35	21.76
अन्य बीज (1)	300	105.00	35.00	274	118.92	43.42
लहसुन	3,500	411.25	11.75	274	62.44	22.82
जायफल व जावित्री	200	420.00	210.00	176	346.03	196.97
दनीला	0.06	1.32	2200.00	2.44	57.57	2359.43
अन्य मसाले (2)	1,300	520.00	40.00	1,112	472.76	42.51
करीपावडर/पेस्ट	850	739.50	87.00	750	598.87	79.87
पुदीना उत्पाद (3)	750	4275.00	570.00	390	1794.00	460.00
मसाला तेल	425	3612.50	850.00	365	3019.48	826.30
कुल	25,100	18525.32		25,540	15702.11	
मूल्य मिलि. अम. डालर में		40.57			35.71	

मद	अप्रैल-दिसम्बर, 2005			अप्रैल-दिसम्बर, 2004		
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	यू मूल्य (रु./कि.)	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रु.)	यू मूल्य (रु./कि.)
1	8	9	10	11	12	13
मिर्च	12,050	10,153.36	84.26	10,450	9,049.37	86.27
इलायची (छोटी)	570	1,816.75	318.73	439	1,651.69	376.35
इलायची (बड़ी)	700	696.50	99.50	536	688.97	128.60
लाल मिर्च	86,750	29,810.50	34.36	107,681	39,454.89	36.64
ताजा/सूखा अदरक	3,600	2,587.50	71.88	7,573	3,272.40	43.21
हल्दी	37,500	12,292.30	32.78	34,202	12,598.58	36.84
धनिया	19,500	5,290.25	27.13	29,087	7,000.31	24.07
जीरा	7,250	5,589.13	77.09	11,790	8,674.11	73.57
अजमोद	2,550	923.25	36.21	3,350	1,054.06	31.47
सौंफ	3,400	1,593.50	46.87	5,890	2,033.68	34.53
मेंथी	10,650	1,969.95	18.50	10,848	2,044.20	18.84
अन्य बीज (1)	5,500	1,456.25	26.48	9,159	2,070.60	22.61
लहसुन	21,000	2,457.50	11.70	1,168	365.66	31.39

1	8	9	10	11	12	13
जायफल व जावित्री	1,400	2,803.30	200.24	1,046	1,778.77	170.12
वनीला	20.73	453.15	2185.95	17.7	2,356.03	13333.50
अन्य मसाले (2)	13,700	5,046.50	36.54	10,917	4,247.97	38.91
करीपावडर/पेस्ट	6,250	5,293.00	84.69	5,686	4,726.71	83.13
पुदीना उत्पाद (3)	7,750	40,745.00	525.74	8,122	36,089.69	444.35
मसाला तेल	4,525	36,623.75	809.36	4,067	33,658.85	827.66
कुल	244,666	167601.44		262.067	172817.54	
मूल्य मिलि. अम. डालर में		378.49			381.01	

(1) सरसों, सौंफ, अजवाइन बीच, शतपुष्प, खसखस इत्यादि शामिल हैं।

(2) इमली, हींग, तेजपत्ता, केसर इत्यादि शामिल हैं।

(3) पुदीना तेल, मेंथाल एवं मेंथाल क्रिस्टल शामिल हैं।

(*) पिछले माल की बिलब रिपोर्ट शामिल।

स्रोत : सीमाशुल्क, डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता से दैनिक निर्यात सूची पिछले वर्ष की निर्यात प्रवृत्ति इत्यादि पर आधारित अनुमान।

राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए निधि

901. **डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) निर्गत की गई धनराशि तथा राजस्थान द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक विकास के बारे में नियत लक्ष्य तथा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास उपर्युक्त संदर्भ में राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव अभी भी लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक निपटा लिया जायेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) 10वीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान में 4 विकास केन्द्रों के लिए विकास केन्द्र योजना के तहत जारी की गई 16.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का पूरी तरह प्रयोग कर लिया गया है। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के तहत, सरकार ने किशनगढ़ के मार्बल क्लस्टर के लिए 27.60 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान मंजूर किया है और 9.20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस राशि का उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है। स्वीकृत परियोजनाओं का पूरा होना राजस्थान सरकार तथा अन्य पणधारकों द्वारा समान अंश जारी किए जाने पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना अथवा विकास केन्द्र योजना के तहत राजस्थान सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

"साफ्टा" के तहत अन्तरक्षेत्रीय व्यापार

902. **श्री के. राम मोहन राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साफ्टा से अन्तरक्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि किस प्रकार होगी;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अभी भी "साफ्टा" को अंगीकार नहीं किया है;

(ग) "साफ्टा" के लागू होने के पश्चात् "सार्क" देशों के साथ भारत के 2500 करोड़ रुपए के वर्तमान व्यापार में किस प्रकार से वृद्धि होगी; और

(घ) "साफ्टा" के प्रभाव में आने के बाद "सार्क" देशों के बीच किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी करार (साफ्टा) के नियम 7 के अंतर्गत चरणबद्ध टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम के अनुसार दो वर्षों में अल्पविकसित संविदाकारी देशों से इतर देश (एन.एल.डी.सी.) अपनी टैरिफों को कम करके 20 प्रतिशत करेंगे जबकि अल्प विकसित संविदाकारी देश (एल.डी.सी.) इन्हें कम करके 30 प्रतिशत करेंगे। तत्पश्चात् अल्पविकसित देशों से इतर देश 5 वर्षों में (श्रीलंका 6 वर्ष) टैरिफों को 20 प्रतिशत से कम करे 0-5 प्रतिशत करेंगे जबकि अल्पविकसित देश ऐसा 8 वर्षों में करेंगे। यह टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम प्रत्येक सदस्य देश द्वारा संवेदनशील सूची में रखी गई मदों पर लागू नहीं होगा। नेपाल को छोड़कर साफ्टा के सभी देशों को 1 जुलाई, 2006 से टैरिफ उदारीकरण लागू करना है और नेपाल इसे इस शर्त के अधीन 1 अगस्त, 2006 से लागू करेगा कि पहले दो वर्षों के लिए टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम 31 दिसम्बर, 2007 तक पूरा किया जाएगा। साफ्टा के 1 जुलाई, 2006 से लागू होने के पश्चात् अंतरा-क्षेत्रीय सार्क व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होने की उम्मीद है लेकिन इस समय इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(ख) सार्क सचिवालय ने यह सूचित किया है कि पाकिस्तान सरकार ने साफ्टा का अनुसमर्थन कर दिया है।

(ग) साफ्टा के टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम के 1 जुलाई, 2006 से लागू होने के पश्चात् सार्क देशों के साथ भारत के व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होने की उम्मीद है लेकिन इस समय इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(घ) साफ्टा करार के अनुच्छेद 3 में उद्देश्य और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार बाधाओं को हटाने, संविदाकारी देशों के बीच वस्तुओं का सीमापार आवागमन, करार के कार्यान्वयन के लिए कारगर तंत्र सृजित करने और इस करार के परस्पर लाभों का विस्तार करने और उनमें वृद्धि करने के लिए और अधिक क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक कार्यढांचा तैयार करने का प्रावधान है। करार के अनुच्छेद 10 में इस करार के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं का उल्लेख है।

ई.पी.सी.जी. योजना के प्रावधानों में संशोधन

903. **डा. एम.ए.एम. रामास्वामी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ई.पी.सी.जी.) योजना के उपबंधों में संशोधन किए हैं;

- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों में इस योजना के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए आयात की गई कारों की कीमत कितनी है;
- (घ) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा कितनी कारें नष्ट की गई हैं; और
- (ङ) आवश्यक शुल्कों की अदायगी के पश्चात् सरकार द्वारा छोड़े गए ऐसे वाहनों की संख्या क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। डी.जी.एफ.टी. द्वारा ई.पी.सी.जी. स्कीम के अंतर्गत हाल ही में दिनांक 17-1-2006 को अधिसूचना सं. 39 (आर-ई-2005)/2004-09 जारी की गई है जिसमें कारों के आयात से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। अब से मोटर कारों, खेल के लिए उपयोगी वाहनों/सर्वउद्देशीय वाहनों के आयात के लिए किसी लाइसेंसिंग वर्ष में जारी सभी ई.पी.सी.जी. लाइसेंसों पर "बचाये गए शुल्क" की राशि पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, यात्रा एवं पर्यटन और गोल्फ पर्यटन क्षेत्रों से हुई औसत विदेशी मुद्रा आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, मोटर कारों, खेल के लिए उपयोगी वाहनों/सर्वउद्देशीय वाहनों के आयात की अनुमति केवल उन होटलों, यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटर्स अथवा टूर परिवहन ऑपरेटर्स और गोल्फ रिसोर्टों के स्वामित्व वाली/संचालन करने वाली कंपनियों को ही होगी जिनकी चालू वर्ष में और तीन पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्षों में होटल, यात्रा एवं पर्यटन और गोल्फ पर्यटन क्षेत्रों से कुल विदेशी मुद्रा आय कम से कम 1.5 करोड़ रुपए है।

(ग) ई.पी.सी.जी. स्कीम के कथित दुरुपयोग में शामिल वाहनों का कुल मूल्य 30.16 करोड़ रुपए है।

(घ) डी.आर.आई. (राजस्व आसूचना निदेशालय) द्वारा अब तक 93 वाहनों को जब्त किया गया था।

(ङ) 37 वाहन।

पंजाब में विशेष आर्थिक जोन

904. **श्री वरिन्दर सिंह बाजवा :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पंजाब राज्य में हाल में कितने विशेष आर्थिक जोन बनाए गए हैं;
- (ख) प्रत्येक जोन कहां-कहां स्थित हैं;
- (ग) इस प्रकार के जोनों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(घ) क्या पंजाब राज्य में निकट भविष्य में कोई नए विशेष आर्थिक जोन खोजे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) किसी नए विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) को स्थापित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा सरकार की नीति राज्य सरकारों के सहयोग से निजी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र में अथवा स्वयं राज्य सरकारों द्वारा एस.ई.जेडों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उसे सुकर बनाने की है। तदनुसार राज्य सरकार/निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पंजाब में तीन विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

स्थान	विकासकर्ता का नाम
अमृतसर	पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड
मोहाली	मै. क्वार्कसिटी इंडिया प्रा. लि.
मोहाली	मै. रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि.

विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में निर्धारित मानदण्डों में शामिल हैं - न्यूनतम क्षेत्र, अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन, निर्यात संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश संवर्धन, रोजगार के अवसरों का सृजन और बुनियादी सुविधाओं का विकास।

उत्तरांचल में स्थापित किए गए उद्योग

905. **श्री हरीश रावत :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल में विगत तीन वर्षों के दौरान गरीब लोगों को गरीबी-रेखा से ऊपर लाने में सहायता करने की दृष्टि से वर्ष-वार और जिला-वार स्थापित किए गए छोटे और बड़े उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) उत्तरांचल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-2004 से उत्तरांचल राज्य में

स्थापित किए गए उद्योगों के जिले-वार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। (नीचे देखिए) फील्ड इकाइयों ने गरीब तथा बेरोजगार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए रोजगार के अवसर सृजित किये हैं।

(ख) उत्तरांचल राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तरांचल राज्य हेतु विशेष पैकेज की शुरुआत की है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नये एककों के लिए तथा मौजूदा एककों को भी उनके पर्याप्त विस्तार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट, आयकर छूट तथा केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता की व्यवस्था है।

विवरण

वर्ष 2003-2004 से उत्तरांचल राज्य में स्थापित किए गए
उद्योगों के जिले-वार ब्यौरे

जिले का नाम	2003-2004 एककों की संख्या	2004-05 एककों की संख्या	2005-06 जनवरी, 2006 तक एककों की संख्या
1	2	3	4
नैनीताल	174	213	205
उधम सिंह नगर	255	308	214
अल्मोड़ा	275	240	186
बागेश्वर	50	75	36
पिथौरागढ़	116	192	122
चम्पावत	51	76	67
देहरादून	315	355	195
पौड़ी	250	280	206
टिहरी	215	237	206
चमौली	180	180	136
उत्तरकाशी	155	181	106

1	2	3	4
रुद्रप्रयाग	65	84	68
हरिद्वार	380	410	252
कुल	2481	2831	2099

जापान और रूस के साथ व्यापारिक करार

906. डा. कुमकुम राय : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान एवं रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक करार कर चुकी है/करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। जहां तक रूस का संबंध है, भारत और रूसी परिसंघ के बीच वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी करार में भारत-रूसी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु मूलभूत कार्यवाहियों का प्रावधान है। भारत सरकार एवं जापान सरकार ने वर्ष 1958 में वाणिज्य संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए थे।

दो 'ऑपरेशनों' को एक ही 'कूट नाम' देने के पीछे तर्कसंगतता

907. श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना द्वारा दिसम्बर, 1961 में गोवा को स्वतंत्रता प्रदान करवाने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन' का 'कूट नाम' 'विजय ऑपरेशन' दिया गया था;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के हमले को नाकाम करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का 'कूट नाम' भी 'विजय ऑपरेशन' दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों को एक ही नाम दिए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1961 में गोवा में तथा वर्ष 1999 में कारगिल में किए गए ऑपरेशनों को एक ही नाम "ऑपरेशन विजय" दिया गया था। इन दोनों ऑपरेशनों के नाम में समानता एक संयोग है।

डिनेल सौदे के संबंध में मंत्री का पत्र

908. **श्री अबू आसिम आजमी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री अमर सिंह

(क) क्या मंत्रालय को दिनांक 10 जून, 2004 को तत्कालीन पर्यटन-मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा अग्रेषित कोई पत्र मिला है जो नौ पृष्ठों का है और जिसे सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की 'डिनेल' जो भारतीय सेना को तोपें बेचे जाने की कोशिश में लगा हुआ था, के विरुद्ध तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जिन्होंने इसे तैयार किया है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ कुछ दस्तावेज संलग्न थे।

(ख) उक्त पत्र में यह महसूस किया गया था कि 155 मि.मी. ट्रैकड और व्हील्ड एस.पी. तोपों की अधिप्राप्ति में "गम्भीर विसंगतियां थीं और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया था"। यह ज्ञात नहीं है कि उपर्युक्त दस्तावेज किसने तैयार किए थे।

(ग) उपर्युक्त में उठाए गए मुद्दों की सेना मुख्यालय से परामर्श करके जांच की गई है। विशेष रूप से, मैसर्स डिनेल के विरुद्ध वर्ष 2002 के दौरान अधिप्राप्ति के कुछ अन्य मामलों में कुछ आरोपों के कारण, मैसर्स डिनेल के साथ मामलों पर आगे कार्रवाई रोक दी गई है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम**प्रदान करने के बदले मुआवजा**

909. **श्री एकनाथ के. ठाकुर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम दिए जाने के बदले सरकार से 1235 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है;

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय अन्य बैंड पर शिफ्ट करने के लिए तैयार था परंतु सरकार ने स्पेक्ट्रम खाली करने के लिए 345 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रक्षा संचार नेटवर्क का स्तरोन्नयन और उसकी स्पेक्ट्रम आवश्यकता की पुनरीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रस्ताव की मामला-दर-मामला आधार पर जांच की जाती है और धन उपलब्ध होने पर तथा प्रस्ताव के उचित होने पर धन मुहैया कराया जाता है।

सेल्यूलर ऑपरेटरों के लिए स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी खाली करने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के बाद लिया जाता है कि रक्षा आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी की जा रही हैं जिसमें सेल्यूलर ऑपरेटरों की ओर से इस स्पेक्ट्रम की मांग को ध्यान में रखा जाता है।

खुला सागर में आतंकवाद

910. **डा. कुमकुम राय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौ सैनिकों के जेहन में खुला सागर में आतंकवाद से खतरे का मसला हावी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उससे निपटने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल 'समुद्री आतंकवाद, अवैध आप्रवासन, तस्करी को रोकने तथा भारतीय अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए भारतीय भूभागीय समुद्र में नियमित निगरानी करते हैं तथा गश्त लगाते हैं।

'ध्रुव' को उड़ान भरने पर रोक

911. **श्रीमती सुखबंस कौर**

श्री कलराज मिश्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने स्वदेश में निर्मित एडवांस लाइट हेलिकाप्टर 'ध्रुव' के पूरे बेड़े को उड़ान भरने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) इस हेलिकाप्टर के व्यावहारिक उपयोग के दौरान इसकी संचालन क्षमता के बारे में यदि कोई तकनीकी या अन्य दोष पाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संदर्भ में इस प्रकार के हेलिकाप्टर की दुर्घटनाओं (क्रैश) के कितने मामलों की समीक्षा या जांच की जा रही है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय वायुसेना के ध्रुव हेलिकाप्टर बेड़े को दिनांक 26-11-2005 से उड़ान भरने से रोक दिया गया है।

(ख) यद्यपि टेल रोटर ब्लेड वाले विशिष्ट बैच में त्रुटि पाई गई थी किंतु ध्रुव हेलिकाप्टर की परिचालन क्षमता अथवा अन्य किसी तकनीकी त्रुटि का पता नहीं चला है।

(ग) ध्रुव हेलिकाप्टरों की दुर्घटनाओं से संबंधित किसी भी मामले की पुनरीक्षा अथवा जांच नहीं की जा रही है। दिनांक 28-10-2004 तथा 25-11-2005 को हेलिकाप्टरों को विवश होकर नीचे उतारने की दो घटनाएं हुईं। दोष सुधार हेतु इन घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। इन दोनों मामलों में न तो किसी पायलट/कार्मिक को चोटें आई हैं और न ही कोई आग लगने की घटना हुई है अथवा ईंधन/तेल का रिसाव हुआ है, जो इस हेलिकाप्टर के सुदृढ़ होने तथा समुचित सुरक्षा उपायों से सज्जित होने को प्रमाणित करता है।

रक्षा परिव्यय को बढ़ाया जाना

912. **श्री गिरीश कुमार सांगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष में अपना परिव्यय बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान आबंटित परिव्यय को खर्च कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रक्षा मंत्रालय का वार्षिक आबंटन प्रति वर्ष बजट से पहले वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके निर्धारित किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है।

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों में धन के उपयोग की मात्रा इस प्रकार है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
2003-04	65,300.00	60,300.00	60,065.80
2004-05	77,000.00	77,000.00	75,855.92

इस प्रकार वर्ष 2003-04 तथा वर्ष 2004-05 में अल्प बचत हुई है।

कश्मीर घाटी से सैनिकों की वापसी

913. श्री उदय प्रताप सिंह

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा

डा. प्रभा ठाकुर

श्री संतोष बागड़ोदिया

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर घाटी से 5000 सैनिकों की वापसी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वह निर्णय राज्य में व्याप्त स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य में शांति बहाल हो रही है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) भविष्य में किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) क्या पाकिस्तान ने भी अपनी सीमाओं पर सैनिकों की संख्या कम की है और भारत की नियंत्रण रेखा को स्वीकार कर लिया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) जम्मू-कश्मीर राज्य में तैनात सैनिकों की संख्या का सेना द्वारा बदलती खतरे संबंधी अवधारणा के आधार पर निरंतर मूल्यांकन तथा पुनरीक्षा की जाती है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आ रही है। जम्मू-कश्मीर में हिंसक घटनाएं वर्ष 2004 में 2565 की तुलना में 2005 में घटकर 1990 रह गईं। सेना ने जम्मू-कश्मीर में एक बहुस्तरीय व्यवस्था वाली व्यापक घुसपैठ-रोधी रणनीति अपनाई है जिसमें पहले स्तर पर सैन्य दलों की तैनाती, अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती, नियंत्रण-रेखा पर बाड़ तथा बाड़ के साथ-साथ दूसरे स्तर की तैनाती शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ/बहिर्गमन के सफल प्रयासों में काफी कमी हुई है। सेना, अन्य आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ अपनी रणनीति की लगातार पुनरीक्षा करती रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घुसपैठ कम से कम हो तथा जम्मू-कश्मीर में हिंसा के स्तर नियंत्रण में रहें।

ऐसी कोई सूचनाएं नहीं हैं जिनसे यह पता चलता हो कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या में कमी की है। भारत और पाकिस्तान दोनों जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण-रेखा का सम्मान करने पर सहमत हुए हैं।

सैन्य अस्पतालों में आम आदमी का इलाज

914. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सैन्य अस्पतालों में मानवीय आधार पर दुर्घटना अथवा आपात स्थिति में आम नागरिकों के इलाज किए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के ऐसे कितने सैन्य अस्पतालों में यह सुविधा मुहैया कराई गई है; और

(घ) क्या सरकार बाकी सैन्य अस्पतालों में भी यह सुविधा मुहैया करायेगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवा संबंधी विनियम, 1983 के अनुसार, चिकित्सा अधिकारियों से आपात स्थिति में, किसी भी संकटग्रस्त व्यक्ति का उपचार करना अपेक्षित है तथा बाद में उन्हें यथावश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करनी होती है। रोगी की स्थिति में सुधार होने पर तथा उसे वहां से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयुक्त पाए जाने पर, उसे आवश्यक सुविधाओं वाले निकटतम सिविल अस्पताल में रेफर/स्थानांतरित किया जाता है।

(ग) यह विनियम, देश के सभी सैन्य अस्पतालों तथा चिकित्सा स्थापनाओं पर लागू है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा कावेरी इंजिन का विकसित किया जाना

915. **श्री बी.के. हरिप्रसाद**

श्री राममुनी रेड्डी सिरिगीरेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.आर.डी.ओ. द्वारा लड़ाकू विमान के 'कावेरी' नामक इंजिन को विकसित किए जाने संबंधी प्रयासों में हुई प्रगति क्या है;

(ख) क्या इस इंजिन का रूस के परीक्षण स्थलों में हाई अल्टीट्यूड पर परीक्षण किया गया है, यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) क्या डी.आर.डी.ओ. 'कावेरी' नामक इस इंजिन को और विकसित करने के लिए अमरीका के किसी प्रौद्योगिकी-भागीदार की तलाश में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस समय बेंगलूर स्थित गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना में चार इंजनों का टेस्ट बेड पर परीक्षण किया जा रहा है, जबकि दो इंजनों का निर्माण किया जा रहा है।

इस दिशा में कड़े मानकों का अनुपालन प्रदर्शित करने के लिए विश्वसनीयता और सुरक्षा संबंधी परीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2007 के आरंभ में निर्धारित सीमा तक पहली उड़ान भरी जा सकती है। साथ ही, प्रणोद में सुधार करने और भार कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) एक आदि प्ररूप इंजन और एक कोर इंजन का परीक्षण मैसर्स सेंद्रल इंस्टीच्यूट ऑफ एवीयेशन मोटर्स, रूस के उच्चतुंगता परीक्षण सुविधा में किया गया था।

इन परीक्षणों से पता चला कि कावेरी के फ्लाइट इनवलप के कई पहलुओं में ये इंजन संतोषजनक ढंग से कार्य करेगा। नोट की गई खामियों में सुधार किया जा रहा है।

(ग) चूंकि इंजन का विकास महत्वपूर्ण सीमा तक हो गया है इसलिए विकास की गति को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सहभागी की तलाश करने का निर्णय लिया गया है।

इसके मद्देनजर विश्व के विभिन्न नामित इंजन हाउसों को प्रस्ताव अनुरोध भेजा गया था।

प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

मध्यम श्रेणी का लड़ाकू विमान विकसित करना

916. **श्रीमती एस.जी. इन्दिरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान को विकसित करने हेतु समझौता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हल्के लड़ाकू विमान लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट को विकसित करने पर अभी तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) हल्का लड़ाकू विमान विकास कार्यक्रम के तहत विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी/विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से मध्यवर्ती लड़ाकू विमान की परिकल्पना करने के लिए एयरोनॉटिकल विकास एजेंसी, बंगलौर में प्राथमिक अध्ययन शुरू किए गए हैं।

(ग) 31 मार्च, 2005 तक, एल.सी.ए. कार्यक्रम पर हुआ लेखापरीक्षित व्यय निम्नलिखित है :-

- * पूर्ण इंजीनियरिंग विकास (एफ.एस.ई.डी.) चरण-I, 2188 करोड़ रुपए
- * पूर्ण इंजीनियरिंग विकास (एफ.एस.ई.डी.) चरण-II, 988.21 करोड़ रुपए
- * पूर्ण इंजीनियरिंग विकास (एफ.एस.ई.डी.) नौसेना 38.68 करोड़ रुपए

सूचना-अधिकार अधिनियम से छूट

917. **श्रीमती एन.पी. दुर्गा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय ने कार्मिक मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह तीनों सशस्त्र सेनाओं को सूचना-अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट प्रदान करे;

(ख) क्या यह भी सच है कि रक्षा मंत्रालय अपनी तीनों सेनाओं को उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर रखने की मांग इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अर्धसैनिक बलों को सूचना-अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मंत्रालय अपनी सेनाओं को इस अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल करवाने के माध्यम से छूट मांगने पर जोर क्यों दे रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सशस्त्र सेनाओं के कार्यकलापों में राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सम्प्रभुता को बनाये रखना है। इसलिए, रक्षा मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की द्वितीय अनुसूची में सशस्त्र सेनाओं को शामिल करने के लिए कार्मिक, जन-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से अनुरोध किया है।

हिमाचल प्रदेश में टिंडी के किनारे वैकल्पिक मार्ग

918. **श्री कृपाल परमार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्बा जिले के पांगी-किलाद की ओर जाने वाली तथा हिमाचल प्रदेश के आदिवासीय जिले लाहौल-स्पीति-उदयपुर की सीमा पर सड़क सीमा सड़क संगठन के अधीन है तथा इस सड़क के दोनों ओर कई छोटी नदियां हैं जिससे यह सड़क बहुधा भारी बर्फबारी के कारण बंद पड़ी रहती है जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों से किसानों की आवाजाही तथा उनकी नकदी फसलों की ढुलाई में बाधा उत्पन्न हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर लेफ्ट बैंक से टिंडी तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) टिंडी तक वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए कोई संक्रियात्मक अपेक्षा नहीं है।

विभिन्न राज्यों में स्थित छावनियां

919. **डा. प्रभा ठाकुर**

श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कुल कितने छावनी क्षेत्र हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की ओर से सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो शिकायतें किस-किस प्रकार की हैं तथा किन राज्यों से प्राप्त हुई हैं एवं सरकार ने उनके निराकरण के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) देश के 19 राज्यों में 62 छावनियां स्थित हैं, जैसाकि विवरण में संलग्न सूची में दर्शाया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) छावनी क्षेत्र के निवासियों से नागरिक सुविधाओं की पर्याप्तता, बेहतर आधारभूत सुविधाओं संबंधी आवश्यकताओं, संपत्ति कर की मात्रा, स्टाफ के विरुद्ध शिकायत जैसे विभिन्न विषयों पर समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। निवासियों की शिकायतों को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। व्यथित निवासियों द्वारा संपत्ति निर्धारण के विरुद्ध जिला न्यायालयों के समक्ष अपील करने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में क्रियाविधि अंतर्निहित है। स्टाफ द्वारा कर्तव्य की घोर अवहेलना की स्थिति में छावनी बोर्डों द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए छावनी निधि सेवक नियम, 1937 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

अधिकांश छावनी बोर्डों ने नागरिक चार्टर बनाए हैं और सूचना एवं सुविधा काउंटर बनाए हैं जो सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। चूंकि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतें सामान्यतः विशिष्ट छावनी बोर्डों को भेजी जाती हैं इसलिए छावनी बोर्डों द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतों का रक्षा मंत्रालय में कोई केन्द्रीकृत ब्यौरा नहीं रखा जाता।

विवरण			
देश के विभिन्न राज्यों में छावनी क्षेत्र			
क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रत्येक राज्य में छावनियों की संख्या	छावनी का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	सिकन्दराबाद
2.	बिहार	1	दानापुर
3.	दिल्ली	1	दिल्ली
4.	गुजरात	1	अहमदाबाद
5.	हरियाणा	1	अम्बाला
6.	हिमाचल प्रदेश	7	बकलोह डगसाई डलहौजी जतोग कसौली खसयोल सुबाथू
7.	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू बादामीबाग
8.	झारखंड	1	रामगढ़
9.	कर्नाटक	1	बेलगाम
10.	केरल	1	कण्णनूर
11.	मध्य प्रदेश	5	जबलपुर मूह मोरार

122 प्रश्नों के		[राज्य सभा]	लिखित उत्तर
1	2	3	4
			पंचमढ़ी
			सागर
12.	महाराष्ट्र	7	अहमदनगर
			औरंगाबाद
			देहू रोड
			देवलाही
			कामठी
			खडकी
			पुणे
13.	मेघालय	1	शिलांग
14.	पंजाब	3	फिरोजपुर
			अमृतसर
			जालंधर
15.	राजस्थान	2	अजमेर
			नसीराबाद
16.	तमिलनाडु	2	वेलिंगटन
			सेंट थामस मार्केट
17.	उत्तर प्रदेश	13	आगरा
			बबीना
			इलाहाबाद
			बरेली
			फैजाबाद
			फतेहगढ़
			झांसी
			कानपुर

1	2	3	4
			लखनऊ मथुरा मेरठ शाहजहांपुर वाराणसी
18.	उत्तरांचल	9	अल्मोड़ा चकराता क्लेमेंट टाउन लंदौर देहरादून लैंसडाउन नैनीताल रुड़की रानीखेत
19.	पश्चिम बंगाल	3	बैरकपुर लेबांग जलापहाड़
कुल		62	

भारतीय वायुसेना के एच.पी.टी.-32 के प्रशिक्षु पायलट की मृत्यु

920. श्री गिरीश कुमार सांगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष हैदराबाद में भारतीय वायुसेना के एच.पी.टी.-32 के प्रशिक्षु पायलट की मृत्यु हो गई थी, यदि हां, तो ऐसी दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1989 के बाद से एच.पी.टी.-32 की यह दसवीं दुर्घटना है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पायलट के अनुभवी न होने के कारण मानवीय चूक (हवाई कर्मी दल) होने से यह दुर्घटना हुई थी।

(क) वर्ष 1989 से कुल चौदह (14) एच.पी.टी.-32 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ग) उड़ान सुरक्षा बढ़ाने तथा उसका उन्नयन करने के लिए भारतीय वायुसेना में सतत तथा बहु-चरणीय प्रयास सदैव जारी रहते हैं। पायलटों का दक्षता स्तर, उचित निर्णय और परिस्थितिजन्य जागरूकता की योग्यता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण की गुणता बढ़ाने के उपायों का अनुपालन किया जा रहा है। विमानों की तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा संबंधित देशों के मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ बराबर संपर्क भी किया जाता है। इसके अलावा, पक्षी-रोधी उपाय भी किए जाते हैं।

एन.सी.सी. में सुधार के लिए नई योजनाएं

921. **डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रक्षा संबंधी तैयारियों में सुधार करने के लिए एन.सी.सी. कैडेट्स की कार्यक्षमता में गुणात्मक सुधार करने के लिए नई योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन.सी.सी. के कार्यकलापों के लिए राजस्थान को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके उपयोग की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या उपर्युक्त संदर्भ में राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव इस समय केन्द्र के पास विचारार्थ लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा उनका किस प्रकार निपटारा किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को दिया जा रहा प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों को पूरा करता है। राष्ट्र की रक्षा तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हथियार और युद्ध पद्धति की तकनीकों में प्रशिक्षण राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

(ग) से (च) इस वित्त के दौरान कार्यालय आकस्मिक अनुदान, सूचना प्रौद्योगिकी और सिविल परिवहन किराए पर लेने के शीर्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, राजस्थान को आबंटित धन इस प्रकार है :-

शीर्ष	आबंटित धन (लाख रुपए में)	प्रयुक्त धन (लाख रुपए में)
(i) कार्यालय आकस्मिक अनुदान	11.00	8.10
(ii) सूचना प्रौद्योगिकी	10.50	10.24
(iii) सिविल परिवहन को किराए पर लेना	1.68	1.18

इसके अलावा, राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैंपों पर व्यय करती हैं जिसके लिए व्यय की 50% प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। मौजूदा वर्ष के दौरान दिसंबर 2005 तक राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए 65.34 लाख रुपए का डेबिट प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को अभी 199.28 लाख का डेबिट प्रस्तुत किया जाना है।

सेना को आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता

922. **श्री मोती लाल वोरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना को आपूर्ति किए जाने वाले शस्त्रों तथा साजोसामान की गुणवत्ता को कौन सी एजेंसी सुनिश्चित करती है तथा इसकी जांच के लिए अपनाए जाने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कितने गुणवत्ता नियंत्रक केन्द्र हैं तथा आयुध निर्माणियों में निर्मित शस्त्रों, गोलाबारूद तथा सशस्त्र वाहनों के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सेना को आपूर्ति की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत सिंह) : (क) सेना को आपूर्ति किए जाने वाले शस्त्रों तथा उपस्करों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व गुणता आश्वासन महानिदेशालय का है।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय, यह कार्य उपस्कर की आपूर्ति आदेश में दिए गए विनिर्देशनों के प्रति स्वीकृति हेतु गुणता जांच परीक्षण की प्रक्रिया तथा निगरानी और निरीक्षण तथा कार्य-निष्पादन-परीक्षण के जरिए करता है।

(ख) गुणता आश्वासन महानिदेशालय के देश भर में 29 गुणता आश्वासन नियंत्रणालय तथा 78 फील्ड गुणता आश्वासन स्थापनाएं हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रयोक्ताओं द्वारा नियंत्रणालयों को रिपोर्ट की गई कुल खराबियों की संख्या लगभग 400 प्रतिवर्ष है।

(ग) और (घ) गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा डिजाइनकर्ता, विनिर्माता और प्रयोक्ता के साथ समन्वय करके, रिपोर्ट की गई खराबियों की जांच की गई है। सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए खराबियों के बारे में की गई जांच के निष्कर्षों को विनिर्माता तथा प्रयोक्ता को सूचित कर दिया गया है। गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य नवीनतम उपस्कर शामिल करके तथा ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर प्रक्रिया/उत्पाद में सुधार करके किया जाता है।

मिग-21 का सही ढंग से काम नहीं करना

923. **श्री राजकुमार धूत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्नत किए गए मिग-21 सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि 17 जनवरी, 2006 को जामनगर (गुजरात) में हुई दुर्घटना के दौरान सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिग-21 की सुरक्षित उड़ान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। उन्नत मिग-21 एक टिकाऊ शस्त्र वायुयान है और इन वायुयानों को वर्ष 2002 में सेवा में शामिल करने के बाद से भारतीय वायुसेना ने इन पर 10,000 घंटों से अधिक की सुरक्षित उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उड़ान सुरक्षा बढ़ाने तथा उसका उन्नयन करने के लिए भारतीय वायुसेना में सतत् तथा बहु-चरणीय प्रयास सदैव जारी रहते हैं। पायलटों का दक्षता स्तर, उचित निर्णय लेने और परिस्थितिजन्य जागरूकता की योग्यता में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण की गुणता बढ़ाने के उपायों का अनुपालन किया जा रहा है। विमानों की तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिए हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा संबंधित देशों के

मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ बराबर संपर्क भी किया जाता है। इसके अलावा, पक्षी-रोधी उपाय भी किए जाते हैं।

सेन्सर का स्वदेशी रूप में निर्माण

924. **श्री नंदी येल्लैय्या** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमापार से घुसपैठियों और आतंकवाद से निपटने में हमारी सीमाओं पर सेन्सर की अधिष्ठापना काफी प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद के भारत डायनामिक्स, डी.एम.आर.एल., ई.सी.आई.एल., ए.एम.डी., दिल्ली और अहमदाबाद की एन.पी.एल., मुंबई की बी.ए.आर.सी., आई.आई.टी. तथा बंगलूर की आई.आई.एस. देश में ही सेन्सरों के उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी से पूर्णतः सुसज्जित हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन संगठनों द्वारा सेन्सर उत्पादन करने हेतु इन अनुसंधानों और विकास का प्रयोग करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बाड़ निर्माण के साथ-साथ सेन्सरों की संस्थापना और निगरानी उपायों के साथ ही सैन्य टुकड़ियों की कड़ी तथा गत्यात्मक तैनाती सीमा-पार घुसपैठ के स्तर को कम करने में प्रभावी भूमिका निभा सकती है। ये सेन्सर राडार सेन्सर, ओप्टो-इलेक्ट्रॉनिक सेन्सर और जमीन में दबाए गए दबाव सेन्सर हो सकते हैं।

(ग) से (ङ) सेन्सरों की सप्लाई के स्वदेशी स्रोत उपलब्ध हैं और इन स्रोतों पर सीमा पर बाड़ के उपयोग हेतु भारतीय सेना और अर्द्ध सैन्य बलों को सेन्सरों की सप्लाई के लिए भी विचार किया जाता है।

सैनिकों में एड्स

925. **श्री अमर सिंह**

श्री अबू आसिम आजमी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी संख्या में सैनिकों के एड्स से संक्रमित होने का पता चला है और यदि हां, तो इस समय ऐसे कितने सैनिक हैं;

(ख) क्या कुछ संक्रमित सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से इस प्रकार निकाले गए सैनिकों के विरोध में कोई विरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) यह सही नहीं है कि सशस्त्र बलों के अधिकांशतः कार्मिकों को ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वाइरस/एक्वायर्ड इम्यून डिफिसिएंसी (एच.आई.वी./एड्स) से ग्रस्त पाया गया है। वस्तुतः आम आदमी की तुलना में सशस्त्र बलों के बहुत ही कम कार्मिक एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित हैं।

एच.आई.वी. से ग्रसित कार्मिकों को सेवा में बनाए रखा जाता है तथा एड्स से पूरी तरह से आक्रांत कार्मिकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुसार आरंभ में एंटी रेट्रोविरल चिकित्सा मुहैया करायी जाती है। रक्त परीक्षण के जरिए कार्मिकों की स्थिति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें सेवा में बनाए रखा जाता है बशर्ते उनके समग्र चिकित्सीय प्रोफाइल में सतत सुधार देखने को मिले। अन्यथा इन व्यक्तियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया जाता है तथा उन्हें आजीवन भूतपूर्व सैनिक के रूप में एंटी रेट्रोविरल चिकित्सा मुहैया करायी जाती है। वर्ष 2004 के दौरान 104 कार्मिक चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किए गए थे।

ऐसे कार्मिकों को सेवा से हटाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से कोई विरोध-पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा सहयोग समझौता

926. **श्री के. राम मोहन राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माननीय राष्ट्रपति की हाल ही की मनीला की यात्रा के दौरान भारत और फिलीपींस ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच हुए सहयोग के समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से रक्षा मंत्रालय को किस प्रकार लाभ पहुंचेगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 'भारत गणराज्य की सरकार तथा फिलीपींस गणराज्य की सरकार के बीच रक्षा सहयोग संबंधी करार' पर फरवरी, 2006 में फिलीपींस के माननीय राष्ट्रपति के दौरे के समय हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) करार में भारत और फिलीपींस के परस्पर लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने की परिकल्पना है।

(ग) फिलीपींस, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, के साथ संपर्क बढ़ाना तथा सुदृढ़ रक्षा सहयोग करना, भारत की दक्षिण-पूर्व एशिया देशों के साथ निकट संबंध बनाना 'लुक ईस्ट पोलिसी' के अनुरूप है।

'ध्रुव' का दुर्घटनाग्रस्त होना

927. **श्री अजय मारु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री मंगनी लाल मंडल

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 'ध्रुव' हेलीकाप्टर उसकी यांत्रिक तथा तकनीकी खामियों के कारण कई स्थानों पर कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि हेलीकाप्टर की डिजाइन में खामियों के कारण ट्रांसमिशन तथा टेल गियर बाक्स के रोटर में खामियां पाई गई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दुर्घटनाओं के बाद इजराइल सहित कई देशों ने 'ध्रुव' हेलीकाप्टर प्राप्त करने के बारे में अपना संकोच दर्शाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रजीत सिंह) : (क) ध्रुव हेलिकाप्टरों को अब तक मजबूरी में उतारे जाने की दो घटनाएं हुई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन-रैंक-वन-पेंशन योजना

928. **श्रीमती सुखवंस कौर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त होने वाले समान रैंक के अधिकारियों में समानता लाने के उद्देश्य से बनाई गई वन रैंक वन पेंशन योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा कर्मियों की कौन सी श्रेणी एवं वर्ग अब भी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित है; और

(ग) तय की गई अंतिम तिथि (1996) से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सैन्यकर्मियों को देय ग्रेच्युटी तथा पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों में अब भी कितनी विसंगति है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) और (ख) 'एक रैंक एक पेंशन' के मुद्दे की जांच करने के लिए एक मंत्री-समूह का गठन किया गया था। मंत्री-समूह ने 'एक रैंक एक पेंशन' की सिफारिश नहीं की थी।

(ग) पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को 1-1-1996 से कार्यान्वित किया गया था। 1-1-1996 से पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त होने वालों की पेंशन में भेद

विद्यमान है क्योंकि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने पूर्ण समानता की सिफारिश नहीं की थी।

अर्जुन टैंक की खामियों को दूर करना

929. **श्री ललित सूरी** : क्या **रक्षा** मंत्री 24 अगस्त, 2005 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3035 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2005 में अर्जुन टैंक के निर्माण के समय तैयार किए गए मॉडल के परीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को दूर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो टैंक के उन्नत एवं स्वीकार्य मॉडल को कब तक निर्मित किए जाने तथा सेना में शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। इसमें आवश्यक सुधार करने और इसे मजबूत बनाने का कार्य पूरा कर दिया गया है। संपूर्ण प्रारंभिक परीक्षण 2006 की गर्मियों में किए जाएंगे।

(ख) उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, अर्जुन टैंक का उत्पादन भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी में चल रहा है। 2006 की गर्मियों में परीक्षणों के बाद टैंक सेना को सुपुर्द कर दिए जाएंगे।

फोन टेपिंग

930. **श्री मोती लाल वोरा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी सरकारी और निजी टेलीकॉम कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक बैठक कुछ समय पूर्व बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक की कार्य सूची क्या थी और इसमें क्या निर्णय लिये गये;

(ग) निजी टेलीफोन कंपनियों द्वारा टेलीफोन टेपिंग की कितनी घटनाएं घटित हुई; और

(घ) किन-किन निजी कंपनियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) श्री अमर सिंह, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा के फोन की अनधिकृत टेपिंग का केवल एक दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आया है। दिल्ली पुलिस ने

इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है और इस मामले में एक आरोप पत्र भी दायर कर दिया गया है।

सांसदों के फोन की टैपिंग

931. **श्री अबू आसिम आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से उनके टेलीफोन टैप किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन शिकायतों के बारे में कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, श्री अमर सिंह, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा के टेलीफोन की अनधिकृत रूप से टैपिंग करने की केवल एक घटना सरकार की जानकारी में आई है और सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई कर रही है।

संगठनों को विदेशी निधियां प्राप्त करने से रोका जाना

932. **श्री बी.के. हरिप्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 8600 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों को सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बगैर विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत विदेशी निधियां प्राप्त करने से रोक दिया है;

(ख) क्या इन प्रतिबंधित संस्थाओं में मद्रास विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं ऐसी ही अन्य विशुद्ध शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने यह परामर्श दिया था कि और अधिक जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विदेशी निधियों की निगरानी, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अधीन वित्त मंत्रालय के स्कैनर के अंतर्गत लाया जाए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत, पंजीकृत अथवा पूर्व-अनुमति प्राप्त संगठनों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 4 महीनों के अन्दर अर्थात् आगामी वर्ष की 31 जुलाई तक, निर्धारित एफ.सी.-3 फार्म में वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त और उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय के संबंध में वार्षिक लेखा-जोखा केन्द्र सरकार को सूचित करना अनिवार्य है। यहां तक कि, यदि वर्ष के दौरान कोई लेन देन नहीं होता है, तो भी "शून्य" रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8,673 संगठनों, जिन्होंने लगातार, 3 वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 तक एफ.सी.-3 रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है, को दिनांक 18-11-2005 की राजपत्र अधिसूचना सं. 1197 के तहत इस अधिनियम की धारा 6(1) के परन्तुक के अन्तर्गत पूर्व-अनुमति प्राप्त करने वालों की श्रेणी में रख दिया गया। ये संगठन अब केवल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही विदेशी अभिदाय प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) पूर्ण रूप से शैक्षणिक संस्थानों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत न करने वाले संगठनों की सूची गृह मंत्रालयकी वेब साइट <http://mha.nic.in/fcra.htm> पर उपलब्ध है। इसमें मद्रास विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शामिल है।

(ग) विदेशी निधियों के प्रबोधन को विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय के अधीन लाने के बारे में कोई प्रस्ताव गृह मंत्रालय/भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

933. श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा या किसी अन्य समूह या संगठन द्वारा कर्णाटक के करवई जिले के आस-पास कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भंडारों और पावर स्टेशनों को उड़ाने की किसी योजना की जानकारी है;

(ख) क्या कर्णाटक या गोवा सरकार को इस संबंध में सचेत किया गया था; और

(ग) क्या सरकार ने संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष उपाय करने की योजना बनाई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उसे पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है।

एन.डी.एम.एफ. का गठन

934. श्री ललित सूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधि गठित करने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस स्तर पर है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि सरकार, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन कर सकती है। सरकार द्वारा वे तारीखें अभी अधिसूचित की जानी हैं जिन तारीखों से अधिनियम के संगत उपबंध प्रभावी होंगे।

ए.एफ.एस.पी.ए. की समीक्षा

935. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोक्त क्षेत्र में लागू सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को वापस लेने के लिए मणिपुर में हुए व्यापक आन्दोलन के बाद सरकार द्वारा नियुक्त की गई समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) 1972 में यथासंशोधित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 6-6-05 को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में निहित समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है और मामले में अभी निर्णय लिया जाना है।

नक्सली उग्रवादियों और लिट्टे/नेपाल के

माओवादियों के बीच गठजोड़

936. **श्री रवि शंकर प्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के नक्सली उग्रवादियों और लिट्टे तथा नेपाल के माओवादियों के बीच बढ़ रहे गठजोड़ के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) यह संकेत करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है कि नक्सलियों और श्रीलंका की एल.टी.टी.ई. के बीच कोई संबंध है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टें यह सुझाती हैं कि सी.पी.एन. (माओवादी) और भारतीय नक्सली ग्रुपों के बीच निरंतर भाई-चारे तथा संभारिकीय (गैर-रणनीतिक) संबंध हैं।

(ख) यद्यपि एल.टी.टी.ई. पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में तथा विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 के अंतर्गत एक विधि विरुद्ध संगठन के रूप में अभी भी प्रतिबंध जारी है, नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में सी.पी.एन. (माओवादी) की अवांछित गतिविधियों के फैलने की संभावना को रोकने हेतु भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ सतर्कता बढ़ा दी गई है तथा इस सेक्टर में सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ कर दिया गया है।

राजनीतिक दलों के नेताओं के फोन टैप किया जाना

937. **श्री जनेश्वर मिश्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कई राजनैतिक दलों के शीर्षस्थ नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि उनके टेलीफोन टैप किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फोन टैपिंग कानून के अनुसार केन्द्र सरकार के सक्षम अधिकारियों से इसकी सम्यक अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसका तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है जिन्हें बिना सम्यक अनुमति के फोन टैपिंग प्रकरण में संलिप्त पाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) श्री अमर सिंह, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा के टेलीफोन की अनधिकृत रूप से टैपिंग करने की केवल एक घटना सरकार की जानकारी में आई है। सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई कर रही है।

जासूसी में लिप्त विदेशी कंपनियां

938. **श्री राम जेटमलानी**

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और दिल्ली के निकटस्थ क्षेत्रों में स्थित विदेशी कंपनियों में कई कार्यालय भारत में जासूसी के धंधे में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कंपनियां किन-किन देशों की हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत की प्रमुख आसूचना एजेंसियों के पूर्व अधिकारी इन कंपनियों में कार्यरत हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार की जानकारी में नहीं आई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बंगलादेश से घुसपैठ

939. **श्री एकनाथ के. ठाकुर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी नियंत्रण रेखा के मुकाबले बंगलादेश से ज्यादा घुसपैठ होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सेना द्वारा घुसपैठ विरोधी कार्यवाही शुरू कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) चूंकि सीमाओं के साथ-साथ घुसपैठ गुप्त रूप से होती है इसलिए या तो बांग्लादेश से या पश्चिमी नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की सही-सही मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है।

(ख) सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकने/कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं अर्थात् (i) चौबीसों घंटे, रात और दिन, गश्त लगाकर सीमा की चौकसी करना; (ii) रात में देखने वाले यंत्रों का उपयोग करना; (iii) फ्लोटिंग बी.ओ.पी. स्थापित करना; (iv) सीमा सुरक्षा बल और अन्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण; (v) अभियान चलाना और नाकेबंदी करना/घात लगाना और विशेष अभियान चलाना; और (vi) भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाना। सेना भी अन्य आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिल कर अपनी रणनीति की निरंतर समीक्षा करती है ताकि घुसपैठ को कम किया जा सके।

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के लोगों को

दोहरी नागरिकता प्रदान किया जाना

940. **श्रीमती जया बच्चन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों की ओर से दोहरी नागरिकता के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 24-02-2006 की स्थिति के अनुसार, सरकार को भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओ.सी.आई.) के रूप में पंजीकरण हेतु 9,156 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) 24-02-2006 की स्थिति के अनुसार, 6,408 आवेदनकर्ताओं को भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकरण पत्र प्रदान किए गए हैं।

अवैध आप्रवासी

941. **श्री धर्मपाल सन्नवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों से अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए नई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) अवैध आप्रवासियों का पता लगाना तथा उन्हें देश से निर्वासित करना एक सतत् प्रक्रिया है। विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत अवैध आप्रवासियों का पता लगाने तथा उन्हें देश से निर्वासित करने की शक्तियां सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित की गई है।

(ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अवैध रूप से उहरे उन विदेशियों की संख्या, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान देश से निर्वासित किया गया है, इस प्रकार है :

वर्ष	2002	2003	2004
संख्या	6,394	20,767	39,189

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा नागरिकों पर हमला

942. **श्री एस.एम. लालजन बाशा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों पर हमला करने और पिछले दो महीनों में सामान्यतः नागरिकों से भिड़ने की सूचना है;

(ख) शांतिपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों के साथ ऐसी झड़पों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के जनता के साथ व्यवहार को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा अपने कार्मिकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण में बदलावों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) 29-01-2006 को हुई केवल एक घटना ध्यान में आई है जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 35 सीमा सुरक्षा बल कर्मी संगठित रूप से कामाख्या मंदिर में दर्शनार्थ गए और बताया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और पंडों (मंदिर के कर्मचारियों)/सिविलियनों के बीच हाथापाई हुई जिसके परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के दो कर्मी तथा चार सिविलियन जखमी हो गए।

(ग) सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अपनी ड्यूटियां करते समय आम जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के बारे में उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से ब्रीफ किया/सुग्राही बनाया जा रहा है।

(घ) भर्ती के समय और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, दोनों के दौरान, प्रशिक्षण में जनता के साथ कारगर संबंध बनाने के बारे में पर्याप्त समय (पिरियड) दिया गया है।

दिल्ली में टैक्सी और आटो ड्राइवरों द्वारा अधिक किराया वसूल किया जाना

943. **श्रीमती जया बच्चन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में टैक्सी और आटो ड्राइवरों द्वारा विशेषकर रेलवे स्टेशनों पर और छोटी दूरी के लिए अधिक किराया वसूल किया जाना बेरोकटोक जारी है;

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रक्रिया को रोकने में सफल न हो पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी में टैक्सी और आटो ड्राइवरों द्वारा अधिक किराया वसूल किए जाने को रोकने के लिए सरकार क्या कार्रवाई की हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) टैक्सी और आटो ड्राइवरों द्वारा अधिक किराया वसूलने और सवारियों को ले जाने से इंकार आदि किए जाने के विरुद्ध दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने के बावजूद ऐसी घटनायें जानकारी में आई हैं। तथापि,

दिल्ली पुलिस द्वारा 2004 में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की तुलना में वर्ष 2005 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या में कमी आई है।

(ग) टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों द्वारा अधिक किराया वसूलने और इंकार करने आदि को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और उन्हें टैक्सी/ऑटो ड्राइवरों के शोषण से बचाने के लिए रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस अड्डों और वाणिज्यिक केन्द्रों में प्रि-पेड टी.एस.आर. बूथ, हवाई अड्डों पर प्रि-पेड टैक्सी बूथ स्थापित करना; इंकार करने/अधिक किराया वसूलने, दुर्व्यवहार करने और मीटरों के साथ छेड़-छाड़ करने के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिए चौबीसों घंटे "यातायात हेल्पलाइन" सं. 23378888 स्थापित करना; शिकायतें दर्ज करने के लिए आम जनता में प्रि-पेड शिकायत कार्ड वितरित करना; टी.एस.आर./टैक्सी ड्राइवरों को अनुशासित करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाना शामिल है।

आसूचना नेटवर्क को सुधारने के लिए पहल

944. **श्री धर्मपाल सन्नवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी हमलों के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आसूचना नेटवर्क में सुधार के लिए कोई नई पहल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) सरकार ने आसूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और उसके प्रसार को सुकर बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों में नए तंत्र स्थापित किए हैं ताकि आतंकवाद के संभावित खतरों का मुकाबला किया जा सके।

भारतीय मूल के लोगों के लिए दोहरी नागरिकता

945. **श्री धर्मपाल सन्नवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्रीमती कमला मनहर

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में दोहरी नागरिकता की घोषणा की है और इस संबंध में कार्ड दिए हैं;

(ख) क्या गृह मंत्रालय की नई योजना के अनुसार, भारतीय मूल के लोग दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र की कतिपय सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को 74% तक बढ़ा दिया है। यह सीमा भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओ.सी.आई.) के रूप में पंजीकृत भारतीय मूल के लोगों द्वारा निवेश पर भी लागू होती है।

दिल्ली में अपराध

946. **प्रो. एम.एम. अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री धर्मपाल सन्नवाल

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान लूटपाट हत्याएं, अपहरण और महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामलों की वर्ष-वार/जिला-वार/जोन-वार संख्या क्या है;

(ख) लूटपाट और हत्या की घटनाओं के परिणामस्वरूप मारे गए व्यक्तियों की संख्या क्या है और मृतकों के निकट संबंधियों को प्रदान की गई मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त ऐसे दर्ज किए गए, सुलझाए गए और गिरफ्तारी के मामलों की संख्या क्या है; और

(घ) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 (31 जनवरी तक) के दौरान ऐसे मामलों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ लूटपाट, हत्याओं, अपहरण और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ संबंधी दर्ज और हल किए गए मामलों के वर्ष-वार और जिला-वार (अपराध और रेलवे, विशेष प्रकोष्ठ और आई.जी.आई. विमानपत्तन के तीन पुलिस स्टेशनों, पालम और महिपालपुर सहित) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं (नीचे **देखिए**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान लूटपाट और हत्याओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या 1600 थी। आपराधिक रिट याचिका संख्या 1965-69/2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में, एक मामले में मुआवजे के रूप में 3.50 लाख रुपये की धनराशि अदा की गई।

(घ) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में; गश्त की बीट प्रणाली में सुधार करना; अपराध की उच्च दर

वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और ऐसे पुलिस स्टेशनों को अतिरिक्त मानव शक्ति और मोटर साईकिल पर गश्त लगाने का प्रावधान करना; इसकी कारगरता को इष्टतम बनाने के लिए गश्त लगाने के समय को युक्तियुक्त बनाना; दुर्दान्त अपराधियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना का विकास करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों को बहु-विध कार्य सौंपना; महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना करना; सभी नौ पुलिस जिलों में रेप क्राइसेस इंटरवेंशन सेन्टरों की स्थापना करना; संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में कार्मिकों को तैनात करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष में समर्पित "महिला हेल्पलाइन" शुरू करना; संकट में पड़ी महिलाओं की गुहार पर चौबीसों घंटे के आधार पर कार्रवाई करने के लिए "महिला मोबाइल टीम" का गठन करना; पुलिस मुख्यालयों में "वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ" का गठना करना; रिहाइशी कल्याण संघों के साथ गहन बातचीत करना और अधुनातन उपकरणों से सुसज्जित चल अपराध टीम की स्थापना करना तथा हरेक जिले में इसकी चौबीसों घंटे के आधार पर तैनाती करना शामिल हैं।

विवरण
दिल्ली में अपराध

नई दिल्ली जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003			वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (31-1-06 तक)		
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
लूटपाट	16	14	32	9	6	18	13	10	24	2	2	4
हत्या	7	5	12	6	5	7	10	7	14	1	0	0
अपहरण	16	4	4	12	2	2	16	6	7	2	1	1
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	44	44	61	112	108	147	155	155	220	1	1	1

पूर्वी जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006 (31-1-06 तक)					
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या				
लूटपाट	39	32	98	52	48	126	58	52	118	3	2	2
हत्या	44	33	75	52	40	85	31	21	58	5	4	9
अपहरण	111	29	44	111	29	36	109	53	56	6	2	3
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	682	682	1141	1397	1397	2437	608	608	1045	28	28	46

उत्तर-पूर्व जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006 (31-1-06 तक)
	सूचित हल किए गए मामलों की संख्या	सूचित हल किए गए मामलों की संख्या	सूचित हल किए गए मामलों की संख्या	सूचित हल किए गए मामलों की संख्या
लूटपाट	56	60	60	7
हत्या	54	43	51	3
अपहरण	122	40	165	15
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	41	70	76	3

दक्षिणी जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003			वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (31-1-06 तक)		
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए मामलों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	
लूटपाट	57	49	114	54	48	126	93	85	193	10	6	12
हत्या	87	63	143	83	65	146	67	50	111	3	2	5
अपहरण	99	30	40	167	40	56	175	103	111	18	3	3
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	85	84	118	67	62	93	369	367	553	9	9	10

दक्षिण-पश्चिम जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006 (31-1-06 तक)					
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या				
लूटपाट	60	46	101	51	39	105	51	44	86	3	1	1
हत्या	45	30	61	45	35	97	47	35	69	5	3	6
अपहरण	76	16	20	72	21	23	83	19	22	4	1	2
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	96	96	144	32	30	41	43	43	53	0	0	0

परिचामी जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003			वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (31-1-06 तक)		
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
लूटपाट	53	47	139	50	42	112	49	44	116	2	1	5
हत्या	77	57	125	67	42	80	57	37	80	4	4	5
अपहरण	71	27	33	68	19	33	120	36	48	8	4	4
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	80	80	167	108	105	192	171	171	253	5	5	5

उत्तरी जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003			वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (31-1-06 तक)		
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
लूटपाट	35	33	83	30	24	99	34	31	89	1	1	3
हत्या	32	25	44	20	10	27	24	24	38	3	3	3
अपहरण	42	10	16	68	17	21	70	35	16	4	3	2
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	445	445	508	222	222	243	97	97	127	7	7	9

मध्य जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003			वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (31-1-06 तक)		
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
लूटपाट	17	13	27	19	19	43	20	18	45	1	1	1
हत्या	31	21	61	16	15	24	32	18	41	0	0	0
अपहरण	46	11	13	40	6	8	47	14	19	4	0	0
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	49	49	70	46	46	52	74	74	83	2	2	3

उत्तर-पश्चिमी जिला

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005		वर्ष 2006 (31-1-06 तक)					
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए व्यक्तियों की संख्या				
लूटपाट	93	66	189	120	104	268	124	101	256	8	4	11
हत्या	108	79	161	130	91	188	128	93	196	14	7	17
अपहरण	240	61	80	224	59	69	451	122	139	31	2	3
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	76	76	174	70	70	118	115	115	147	6	6	13

अपराध और रेलवे

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003			वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006 (31-1-06 तक)		
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
लूटपाट	14	11	23	6	6	15	5	3	5	0	0	0
हत्या	8	5	9	6	3	5	16	6	17	0	0	0
अपहरण	5	3	3	3	1	3	2	0	0	0	0	0
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	0	0	0	5	5	7	5	5	5	0	0	0

विशेष प्रकोष्ठ

अपराध शीर्ष	वर्ष 2003	वर्ष 2004	वर्ष 2005	वर्ष 2006 (31-1-06 तक)
	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	सूचित किए गए मामलों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या
	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
लूटपाट	0	0	0	0
हत्या	0	0	1	0
अपहरण	0	0	0	0
महिलाओं के साथ छेड़छाड़	0	0	2	0

झारखण्ड में लश्कर-ए-तैयबा का नेटवर्क

947. **श्री अजय मारु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाया गया है, जिनके अनुसार झारखंड के कई शहरों में लश्कर-ए-तैयबा ने नेटवर्क बना लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई विवरण प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) झारखण्ड सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाल ही में, जमशेदपुर जिले से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनका एल.ई.टी. के सक्रिय कार्यकर्ता होने का संदेह है।

(ग) सरकार ऐसी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है और ऐसे आतंकवादी माड्यूलों/गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए राज्यों की सहायता करती है ऐसी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं, घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आतंकवादी/राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना। इसके अतिरिक्त, इसके विश्वव्यापी विस्तारण को देखते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

टेलीफोन टैपिंग के संदर्भ में दिशा-निर्देश

948. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन टैपिंग के संदर्भ में कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये दिशा-निर्देश पहले से चले आ रहे दिशा-निर्देशों से किस प्रकार भिन्न है; और

(ग) इस समय लागू दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) निजी क्षेत्र सहित बड़ी संख्या में सेवा प्रदाताओं के आने के साथ-साथ पिछले कुछ समय से टेलिकॉम नेटवर्क के स्वरूप में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों और संचार प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति के मुद्देनजर, सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने, विशेष रूप से आपाती परिचालनात्मक

कारणों के लिए अवरोधन प्रक्रिया को कड़ा करने और बाद में सक्षम प्राधिकारी से उनकी पुष्टि करने तथा सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा अवरोधन आदेशों का प्रति-सत्यापन किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि संदेशों का कोई अनधिकृत अवरोधन न होने पाए। इस संबंध में राज्य सरकारों को भी उचित सलाह जारी की गई है।

सरकार और कम्पनियों के बीच हिन्दी में पत्राचार

949. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा देश में स्थापित कम्पनियों (राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय) के बीच समस्त पत्र-व्यवहार हिन्दी में करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में राजभाषा विभाग और कम्पनियों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में प्रमुख उद्योग मंडलों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावित) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संसद की राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के सातवें खण्ड में सिफारिश की है कि "बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियों, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी का सहारा ले रही हैं, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करे।" इस पर राष्ट्रपति जी के ये आदेश पारित हुए हैं कि राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करे।

राजभाषा विभाग ने इस संबंध में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, कानफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कामर्स तथा पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज से उनकी टिप्पणी आमंत्रित की है। उनसे अभी तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। उद्योग मंडलों ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

भारत-बंगलादेश सीमा पर महिला आतंकवादी

950. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-बंगलादेश सीमा पर बंगलादेशी महिला आतंकवादियों का खतरा बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ बंगलादेशी महिला आतंकवादी पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुस आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार को कोई विशिष्ट रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) सीमा चौकसी बल (बी.जी.एफ.) को सीमा-पार से होने वाली अवैध आवाजाही का पता लगाने और रोकने के लिए सीमा पर गहन सतर्कता बरतने के प्रति सुग्राही बनाया गया है।

पाक राष्ट्रिकों का लापता हो जाना

951. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने पाकिस्तान नागरिक भारत में पर्यटक के तौर पर आये और उनमें से कितने लापता हैं;

(ख) इन पर्यटकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने बंगलादेश/नेपाल सीमा के रास्ते आना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) मौजूदा वीजा प्रणाली के अनुसार, पाक राष्ट्रिकों को "पर्यटक वीजा" प्रदान नहीं किया जाता है। उन्हें रिश्तेदारों/ मित्रों से मिलने के लिए अथवा अन्य वैध प्रयोजनार्थ आगन्तुक (विजीटर) वीजा प्रदान किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 2,392 पाक राष्ट्रिक जो भारत आए थे, 30-11-2005 की स्थिति के अनुसार लापता हैं।

(ख) भारत में अवैध रूप से रह रहे पाक राष्ट्रिकों सहित विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए, विदेशियों विषयक, अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अन्तर्गत शक्तियां राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर अनुदेश भी जारी किए जाते हैं।

(ग) यह संकेत देने वाली रिपोर्टें हैं कि पाकिस्तान विघनकारी गतिविधियों और जासूसी के लिए सुभेद्य भारत-बांग्लादेश तथा भारत-नेपाल सीमा के जरिए अपने एजेंटों की घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रहा है।

(घ) भारत-बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) को आधुनिक उपकरण और निगरानी गेजेट्स उपलब्ध करवाकर सुदृढ़ करना; सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनों खड़ी करना; सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना; गश्त गहन करना और सीमा सड़कों और सीमा पर बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना। जहां तक भारत-नेपाल सीमा का संबंध है, इसकी चौकसी सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) द्वारा की जाती है जिसे नए गठन और आधुनिक उपकरणों और निगरानी गेजेट्स की शुरुआत करके सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अन्तर्गत विशेष सहायता प्रदान करके भारत-नेपाल सीमा पर सीमा जिलों में राज्य पुलिस व्यवस्था के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया गया है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलवादियों के लिए पुनर्वास नीति

952. **श्री वरिन्दर सिंह बाजवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलवादियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को कोई अतिरिक्त वित्तीय पैकेज दिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। तथापि, प्रमुख नक्सल प्रभावित राज्यों में पहले से ही उन नक्सलवादियों के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास स्कीमें हैं जो हिंसा को छोड़ना और मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रोत्साहन पैकेज भिन्न-भिन्न है, केन्द्र सरकार इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या नक्सलवादियों ने हथियारों के साथ अथवा हथियारों के बिना आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) स्कीम के अन्तर्गत प्रति अभ्यर्पिती 20,000 रुपए तक व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।

(ग) सरकार ने नक्सली समस्या का मुकाबला करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए

राज्यों को धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अलावा, केन्द्र सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) के पिछड़ा जिला प्रोत्साहन (बी.डी.आई.) घटक के अन्तर्गत 2475 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

एन.सी.सी.एफ. के अन्तर्गत नागालैण्ड को सहायता

953. **श्री टी.आर. जेलियंग :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागालैण्ड सरकार से विगत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से हुई हानि के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) के अन्तर्गत विशेष सहायतार्थ कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक आपदा (बाढ़) से कितने जिले प्रभावित हुए हैं और सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

नागालैण्ड सरकार ने यह विनिर्दिष्ट करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया था कि वर्ष 2004-05 के दौरान सात जिले और 2005-06 के दौरान एक जिला भारी वर्षा/बाढ़/बादल फटने/भू-स्खलन के कारण प्रभावित हुए हैं। नागालैण्ड सरकार से वर्ष 2003-04 में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था।

राहत व्यय को वित्त पोषित करने की स्कीम के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) के संग्रह में से, आवश्यक राहत अभियान चलाना अपेक्षित है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात से अंशदान किया जाता है। गंभीर स्वरूप की प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में यथानिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से भी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

नागालैण्ड राज्य को वर्ष 2003-04 के लिए सी.आर.एफ. से 2.27 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2004-05 के लिए 2.38 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2005-06 के लिए 3.83 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने एन.सी.सी.एफ. से नागालैण्ड राज्य के लिए, तत्काल आपदा के लिए सी.आर.एफ. लेखों में उपलब्ध बकाया राशि के समायोजन की शर्त पर 2004-05 के दौरान 3.36 करोड़ रुपए की राशि तथा 2005-06 के दौरान 0.81 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)

के विशेष घटक के अन्तर्गत 6.56 लाख रुपए तथा राहत रोजगार के लिए एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अन्तर्गत 351 मीट्रिक टन खाद्यान्नों का भी अनुमोदन किया है।

पुलिस सेवा में कैटीन सुविधा

954. **श्री के. चन्द्रन पिल्लै :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकार से पुलिस सेवा में कैटीन सेवा सुविधा के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में पुलिस कर्मियों की सेवा पर विचार करते हुए, कैटीन सेवा, जो अभी केवल रक्षा सेवा में उपलब्ध है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) "पुलिस" तथा "कानून और व्यवस्था" राज्य विषय हैं और इस विषय पर संबंधित राज्य सरकारों को निर्णय लेना होगा।

पुलिस के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

955. **श्री के. चन्द्रन पिल्लै :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई विशेष पुलिस अनुसंधान और प्रशिक्षण एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने राज्य में अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) केन्द्र सरकार ने हथियार और रणकौशल, विद्रोह विरोधी, संचार, आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, आसूचना और अन्य व्यावसायिक आवश्यकताओं में पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। एक पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की भी स्थापना की गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

आतंकवादी हमले

956. **श्री हरीश रावत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में कितने आतंकवादी हमले हुए; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) वर्ष 2004 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। 2005 में उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में किसी आतंकवादी हमले की सूचना नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश में, 2005 में, 5 जुलाई, 2005 को अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में विफल आतंकवादी हमले और जौनपुर में 28 जुलाई, 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ी में हुए बम विस्फोटों सहित दो आतंकवादी हमले हुए थे।

2005 में, दिल्ली में आतंकवाद की दो घटनाएँ अर्थात् 29 अक्टूबर, 2005 को क्रमिक बम विस्फोट और 22 मई, 2005 को दो सिनेमा घरों में विस्फोट हुए थे।

सरकार, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को निष्क्रिय करने के लिए राज्यों की सहायता करती है। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में, सुरक्षा बल कर्मियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित ऑपरेशनों द्वारा आतंकवादियों/राष्ट्र-विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के विश्वव्यापी विस्तारण को देखते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु कदम भी उठाए गए हैं।

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य

957. **श्री के. चन्द्रन पिल्लै :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास/पुनर्निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्ण हो चुके और चल रहे कार्य का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक खर्च हुई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त की गई कुल निधि और केन्द्र द्वारा जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) भारत सरकार ने तत्काल राहत और कार्रवाई के लिए सहायता प्रदान करने, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार करने, अस्थाई आश्रयों का निर्माण करने और आधारभूत ढांचे की मरम्मत/बहाली करने तथा अनाथों, अविवाहित लड़कियों, विधवाओं और अपंग व्यक्तियों को विशेष राहत प्रदान करने के लिए "सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" नामक एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, राजीव गांधी पैकेज का कार्यान्वयन कर रही हैं। सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई, जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

(31-12-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य संघ शासित क्षेत्र	राजीव गांधी पैकेज के तहत आवंटित राशि	राजीव गांधी पैकेज के तहत जारी की गई राशि	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा खर्च की गई राशि
1.	तमिलनाडु	2347.19	811.52	713.52
2.	आन्ध्र प्रदेश	70.00	70.00	37.65
3.	केरल	249.36	100.00	103.19
4.	पांडिचेरी	155.62	70.83	69.14
5.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	821.88	697.91	377.79
	कुल	3644.05	1750.26	1301.29

2. बचाव और तत्काल राहत के चरण के पूरा होने के पश्चात, सरकार ने चार वर्षों (2005-2009) की अवधि के लिए 9870.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक दीर्घकालीन सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टी.आर.पी.) अनुमानित किया है। टी.आर.पी.

में विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जैसे आवास, मत्स्य पालन, कृषि और जीपिका, बन्दरगाह और घाट, सड़कें और पुल, विद्युत, जल और जलमल निकासी, सामाजिक आधारभूत ढांचा और कल्याण, पर्यावरण और तटीय संरक्षण और पर्यटन आदि।

3. आवास और मत्स्य पालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टी.आर.पी. के प्रथम वर्ष में चालू/पूर्ण कार्यों की राज्य वार स्थिति नीचे दी गई है। तथापि, जिलेवार ब्योरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

आवास की स्थिति

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मित किए जाने वाला घरों की संख्या	स्थिति
तमिलनाडु	45892	4237 पूर्ण हो गए।
पांडिचेरी	9676	गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निर्माण चल रहा है।
केरल	4055	3707 घर निर्माणाधीन हैं।
आन्ध्र प्रदेश	481	12 घर निर्माणाधीन हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9500	डिजाइन और विशिष्टाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा निष्पादन एजेंसियों का पता लगा लिया गया है।

नावों की मरम्मत/प्रतिस्थापन की स्थिति

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकलित नुकसान			मरम्मत/प्रतिस्थापन		
	आंशिक	पूर्णतः	कुल	मरम्मत	प्रतिस्थापित	कुल
1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	19,305	16,775	36,080	18,991	1318	20,309
केरल	2021	1940	3961	1481	163	1645
आन्ध्र प्रदेश	8976	2418	11,394	8,640	975	9,615

1	2	3	4	5	6	7
पांडिचेरी	235	7570	7805	1023	4547	5570
आंडमान और निकोबार द्वीप समूह	938	765	1703	1082		1082

नक्सलवादी हिंसा

958. **श्री अमर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री अबू आसिम आजमी

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गणतन्त्र दिवस समारोहों में संगठित नक्सलवादी हिंसा, जो बिहार और झारखंड में कुछ उग्र थी और महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में हल्के हमलों तक सीमित थी, से बाधा उत्पन्न हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके हमले के परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ; और

(ग) क्या सरकार नक्सल समस्या, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए हैं, से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पायी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) नक्सलियों ने इस वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर रेल पटरियों को उड़ाने/रेलवे स्टेशनों, पुलिस संस्थानों पर हमला करने, सड़क यातायात में व्यवधान डालने, पोस्टर लगाने, पैंफलेट बांटने और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अपने गढ़ों में जुलूस आयोजित करने का सहारा लिया उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे हमलों के दौरान जान-माल को हुई हानि आदि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) सरकार की नक्सली खतरे से उत्पन्न चुनौती का मुकाबला करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित नीति है। सरकार ने राजनीतिक, सुरक्षा और विकास के मोर्चों पर नक्सल समस्या को हल करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। जब कि नक्सली हिंसा का मुकाबला करने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा अलग-अलग और संयुक्त रूप से प्रभावी और निरंतर पुलिस कार्रवाई की जानी है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास में तेजी लाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं। प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सल गुटों के साथ तब तक वार्ता नहीं की जाएगी जब तक नक्सली, हिंसा का त्याग नहीं कर देते हैं। केन्द्र सरकार, नक्सली समस्या से उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए सुरक्षा और विकास, दोनों मोर्चों पर राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों का समन्वय करना और उनमें मदद करना जारी रखेगी।

विवरण
नक्सलवादी हिंसा के कारण जान-माल की क्षति का ब्यौरा

राज्य	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	लूटे गए हथियार	बरामद किए गए हथियार	नष्ट/क्षतिग्रस्त संपत्ति
1	2	3	4	5	6
बिहार	-	1	राइफल-4 कार्बाईन-1 वायरलेस सेट-1 मिला-जुला गोली बारूद-250		रेलवे पुल-1 ट्रक-1 ट्रैक्टर-4
झारखंड	1	2		विस्फोटकों के 50 पैकेट और एक टी.वी.एस. मोटर साइकल कैम बम-1	मालगाड़ी की बोनियां 4 ट्रक-2, सरकारी भवन-1 रेल पटरियों- 4, पुलियां-2 पुल-1 ट्रक-13, एल.एम.बी.- 5 मोटरसाइकल-7 सरकारी स्कूल की
छत्तीसगढ़	1	2			

1	2	3	4	5	6
					इमारत-1 एक सरकारी स्कूल से काफी मात्रा में फर्नीचर
महाराष्ट्र	-	-			पी.डब्ल्यू.डी. विश्राम गृह-1
मध्य प्रदेश	-	-			बांस का ढेर-1
आंध्र प्रदेश	-	-			पर्यटक विभाग को रेस्त्रां-1

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नक्सली हमले

959. **श्री मोती लाल वोरा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार झारखंड में नक्सलियों द्वारा गणतंत्र दिवस से ठीक पहले कुछ रेल कर्मचारियों का अपहरण कर रेल पटरियों तथा पुल को बम से उड़ा देने के कारण रेल यातायात बाधित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नक्सलियों द्वारा पिछले कुछ समय से गणतंत्र दिवस पर हमले की धमकी दी जा रही थी; और

(घ) यदि हां, तो इसे विफल करने के लिए केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) नक्सलियों ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेल पटरियों को उड़ाने/रेलवे स्टेशनों, पुलिस संस्थानों पर हमला करने, सड़क यातायात में व्यवधान डालने और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अपने गढ़ों में जुलूस आयोजित करने का सहारा लिया। सामान्यता ऐसे अवसरों पर नक्सली बंद का आह्वान करते हैं।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों और रेलवे प्राधिकारियों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे सतर्कता बढ़ाएँ और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें ताकि नक्सलियों की योजनाओं को विफल किया जा सके और उनके द्वारा की जाने वाली संभावित हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके।

छठी अनुसूची में डी.जी.एच.सी. को शामिल करना

960. **श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या इस नये उपाय से डी.जी.एच.सी. को अधिक स्वायत्तता और विकास के लिए निधियां मिलेंगी; और

(ग) क्या इससे लम्बे समय से रुके हुए परिषद के चुनावों का मार्ग भी प्रशस्त होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावित) : (क) वर्तमान दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) के स्थान पर दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए

भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक नई काउंसिल का सृजन करने के लिए भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) के बीच 6-12-2005 को "सिद्धांत रूप में समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ख) उपरिलिखित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.एस.) के अनुसरण में गठित की जाने वाली नई परिषद को संविधान की छठी अनुसूची में की गई व्यवस्था के अनुसार और अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। समझौता ज्ञापन में नई परिषद को और अधिक विकास निधियां दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) समझौता ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह परिकल्पना की गई है कि जब तक संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और नई परिषद का गठन नहीं कर लिया जाता है तब तक संविधान के संगत उपबंधों/केन्द्र/राज्य सरकारों के मौजूदा कानूनों के अनुसार दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डी.जी.एच.सी.) और डी.जी.एच.सी. क्षेत्रों में पंचायत निकायों के चुनाव कराए जाएं।

नक्सलवाद पर समन्वय बैठक

961. **श्रीमती वंगा गीता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नक्सलवाद पर 19वीं समन्वय बैठक बुलाई है ताकि इस संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा और समन्वय किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन-जिन बिन्दुओं पर चर्चा हुई उनका ब्योरा क्या है;

(ग) इसका निष्कर्ष क्या रहा;

(घ) क्या सरकार सुरक्षा, आसूचना और विकास संरचनाओं की सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को और अधिक सूचारू बनाने तथा राज्य, जिला तथा पुलिस स्टेशन के स्तर पर संबंधित तंत्र की पुनरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्य योजना क्या है;

(च) क्या सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को सभी संभव सहायता देने की इच्छुक है; और

(छ) यदि हां, तो अब तक प्रत्येक राज्य सरकार से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ङ) 13-1-2006 को केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में ली गई समन्वय केन्द्र की 19वीं बैठक के दौरान, नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को अनिवार्य रूप से (i) नक्सलियों और उनके आधारभूत ढांचे के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई आगे और तेज करने के लिए पुलिस संरचना

को सुव्यवस्थित बनाने, (ii) उनके बीच आसूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने हेतु समन्वित तंत्र गठित करने (iii) नक्सलियों हेतु कारगर समर्पण और पुनर्वास नीति तैयार करने तथा सशस्त्र संघर्ष विचारधारा और नक्सली ग्रुपों की प्रत्यक्ष (ओवर ग्राउंड) सहायता से निपटने के लिए जनता को जागरूक करने संबंधी कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए कहा गया।

(च) और (छ) केन्द्र सरकार, नक्सली समस्या से उत्पन्न चुनौती से निपटने हेतु सुरक्षा और विकास, दोनों मंचों पर, राज्य सरकारों के प्रयासों और संसाधनों का समन्वय करना और उनमें मदद करना जारी रखेगी। राज्य इस समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पृथक आसूचना प्रणाली

962. **श्री मंगनी लाल मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में विघटनकारी व उग्रवादी गतिविधियों के बारे में समय-समय पर सरकार को सूचना नहीं मिल पाने के कारण यहां हिंसा, उत्पाद, विध्वंस एवं रक्तपात की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से एक संयुक्त खुफिया तंत्र स्थापित एवं विकसित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 के दौरान जबकि हिंसक घटनाओं की संख्या में 8% की मामूली सी वृद्धि हुई है, मारे गए सुरक्षा बल कार्मिकों और सिविलियनों की संख्या में क्रमशः 37% और 6% की कमी आई है।

(ख) और (ग) असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ 15 जुलाई, 2005 को हुई केन्द्रीय गृह सचिव की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी कि पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महानिदेशक, संयुक्त आसूचना समन्वय के लिए आवधिक अंतरालों पर बैठक करेंगे। इस व्यवस्था में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर राज्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया था।

आतंकवादियों द्वारा मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाया जाना

963. **श्रीमती वंगा गीता :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किसी राज्य में आतंकवादियों ने किसी मुख्यमंत्री अथवा पूर्व मुख्यमंत्री को निशाना बनाया है;

- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूर्णतया अभेद्य प्रबंध कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या मंत्रालय ने मुख्यमंत्रियों के स्तर पर ऐसे मामले पर चर्चा करने के लिए कोई बैठक बुलाई है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) से (छ) चूंकि कानून और व्यवस्था, राज्य का विषय है इसलिए मुख्य मंत्री या भूत-पूर्व मुख्य मंत्री पर आतंकवादी/उग्रवादी ग्रुपों के हमले रोकने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे से संबंधित सूचनाओं का संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जा रहा है ताकि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर आंतरिक सुरक्षा की सभी प्रमुख बैठकों में विचार किया जाता है।

नक्सलवाद से निपटने के लिए बिहार को विशेष दर्जा

964. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या पटना उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से बिहार सरकार को विशेष दर्जा देने के लिए कहा है ताकि राज्य में नक्सली समस्या से निपटा जा सके; और
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) पटना उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है।

- (ख) प्रश्न नहीं उठता है।

महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा

965. **श्री राजकुमार धूत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि वर्ष 2005 के अंतिम सप्ताह के दौरान महानगरों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बलात्कार के अत्यधिक मामलों की सूचना मिली थी बावजूद इसके कि इन्हें रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं;

- (ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सभी संलिप्त अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है;
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावित) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और महानगरों से वार्षिक और मासिक आधार पर अपराध आंकड़े संग्रहित करता है। अतः वर्ष 2005 के अंतिम सप्ताह के दौरान महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के सूचित मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2005 के अंतिम महीने (दिसम्बर) के दौरान उक्त तीन अपराध शीर्षों के अन्तर्गत चार महानगरों में सूचित अपराध आंकड़ों के संबंध में विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

दिल्ली पुलिस की सूचना के अनुसार, वर्ष 2005 के अंतिम सप्ताह के दौरान सामूहिक बलात्कार का कोई मामला घटित नहीं हुआ। तथापि, उक्त सप्ताह के दौरान बलात्कार के 3 मामले तथा महिलाओं के साथ छेड़छानी के 8 मामले सूचित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और अपराध का पता लगाने, पंजीकरण, जांच और रोकथाम करने तथा अपराधी पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। जबाब-तलब किए जा रहे अभियुक्त व्यक्तियों की मामलावार सूचना एन.सी.आर.बी. द्वारा मासिक अथवा साप्ताहिक आधार पर एकत्रित नहीं की जाती है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने के लिए संयुक्त प्रयास करने तथा महिलाओं सहित समाज के सभी संवेदनशील वर्गों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए कारगर उपाय करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सलाह जारी करती रही है।

महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है; महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों की स्थापना; सभी नौ पुलिस जिलों में बलात्कार संकट हस्तक्षेप केन्द्रों (रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर) की स्थापना; बलात्कार के मामलों की जांच में महिला पुलिस अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेना; महिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में तीन विशेष न्यायालयों की स्थापना; गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग; संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में स्टाफ

की तैनाती; समर्पित टेलीफोन सहायता लाइनों की शुरुवात; तथा 24 घंटों के आधार पर संकट में पड़ी महिलाओं के गुहार पर कार्रवाई करने के लिए "महिला मोबाइल टीम" का गठन; जरूरतमंद शिकायतकर्ता को गैर सरकारी संगठनों के जरिए परामर्श उपलब्ध करवाना; बलात्कार के मामलों की जांच के दौरान गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, मनोचिकित्सों, वकीलों और विशेष परामर्शदाताओं जैसे पेशेवरों की सहायता लेना; चिकित्सा जांच, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के दौरान पीड़िता की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेना; आत्म-रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और हाल में शुरू की गई "परिवर्तन" नामक स्कीम जिसके अंतर्गत चुने गए स्लाम क्षेत्रों में महिला बीट कांस्टेबलों को तैनात किया गया है।

महानगरों में छेड़खानी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनायें

क्र.सं.	शहर	छेड़खानी दिसम्बर, 2005	बलात्कार दिसम्बर, 2005	सामूहिक बलात्कार दिसम्बर, 2005
1.	चेन्नै	1	1	0
2.	दिल्ली	48	27	0
3.	कोलकाता	5	1	0
4.	मुम्बई	28	12	0

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

माओवादी उग्रवादियों के आक्रामक तेवर

966. श्री मंगनी लाल मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार में माओवादी उग्रवादियों ने पिछले दिनों बारूदी सुरंग विस्फोट के माध्यम से संचार टावरों, रेलवे स्टेशनों एवं पुलिस चौकियों को निशाना बना कर और उन्हें ध्वस्त करने अपने तेवर आक्रामक कर दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि इन उग्रवादियों का नेपाल के माओवादी उग्रवादियों से सम्पर्क है तथा नेपाल के ये माओवादी उग्रवादी यहां प्रशिक्षण देते हैं और अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री भी सप्लाई करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) वर्ष 2005 में, जबकि आधारभूत ढांचे के विध्वंस की घटनाओं सहित छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में वृद्धि हुई है, बिहार और झारखंड राज्यों में 2005 में नक्सली हिंसा में कमी रिकार्ड की गई है। तथापि, झारखंड में 11-11-2005 को गिरिडीह होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र से हथियार लूटने और बिहार में 13-11-2005 को जहानाबाद जेल तोड़ने जैसी नक्सली हिंसा की गंभीर घटनाएँ हुई।

(ख) और (ग) उपलब्ध रिपोर्टें यह नहीं सुझाती हैं कि नेपाली माओवादी, भारतीय नक्सली गुप्तों को प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध करवा रहे हैं।

दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना

967. **श्री मनोज भट्टाचार्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पारित दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के प्रावधान राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर अधिसूचित किये गये थे और यदि हाँ, तो किस तारीख को;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित वकीलों के विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के कतिपय उपबंधों पर आपत्ति की गई है। इस अधिनियम को प्रभावी बनाने से पहले उनकी शिकायतों की जांच किए जाने की जरूरत है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 1 की उप-धारा (2) में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि केन्द्र सरकार, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अलग-अलग तारीखें अधिसूचित कर सके।

आई.एस.आई. नेटवर्क

968. **श्रीमती एन.पी. दुर्गा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई.एस.आई. द्वारा सृजित आतंक अवसंरचना भारत द्वारा अनेक सी.बी.एम. लेने के बावजूद अभी तक वैसी की वैसी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आई.एस.आई. नेटवर्क न केवल उत्तर-पश्चिम में बल्कि पूर्वोत्तर में भी आतंकवादियों की भर्ती कर रहा है, उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार क्या संगठित उपाय कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंक के आधारभूत ढांचे को नष्ट करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की है और यह कि पाकिस्तान आई.एस.आई., जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादियों की भर्ती करने, हथियारों का प्रशिक्षण देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित अभी भी संभारकीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ग) आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें घुसपैठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में, सुरक्षा बल कर्मियों को उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण सुनिश्चित करना, सुसमन्वित आसूचना पर आधारित ऑपरेशनों द्वारा आतंकवादियों/राष्ट्र-विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद के विश्वव्यापी विस्तारण को देखते हुए आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने हेतु कदम भी उठाए गए हैं।

श्रम कानूनों का पालन न किया जाना

969. **डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिल्डर माफिया, कालीन फैक्टरी मालिक, राजमार्ग/सड़क निर्माण ठेकेदार, भट्ठा मालिक आदि भारतीय श्रम अधिनियम/विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन नहीं करते जो श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं;

(ख) इस संदर्भ में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष व सिफारिशें क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन असंगठित श्रमिकों के, उनकी मजदूरी, बुनियादी सुविधाओं तथा आवासीय परिवेश के संबंध में शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) निर्माण, कालीन, बुनाई, खनन इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यकलापों में लगे प्रतिष्ठानों द्वारा अनेक श्रम कानूनों जैसे भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; वेतन संदाय अधिनियम, 1936; समान पारिश्रमिक अधिनियम अधिनियम, 1976 और अंतर-राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 के उपबंधों का पालन किया जाना अपेक्षित है। इन अधिनियमों के प्रवर्तन का दायित्व केन्द्र और राज्य क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों में क्रमशः केन्द्र और दोनों सरकारों का है। प्रवर्तन तंत्र श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षणों का आयोजन करता है। तथापि, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं कराया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने कुछ श्रम कानून बनाकर असंगठित कामगारों के शोषण पर रोक लगाने और उनकी कार्य और रहन-सहन दशाओं में सुधार करने के लिए अनेक पहल की हैं, ये श्रम कानून इन कामगारों पर अंशतः या पूर्णतः लागू होते हैं। सरकार कामगारों की कतिपय श्रेणियों अर्थात् बीड़ी कामगारों, कतिपय गैर-कोयला खान कामगारों और सिने कामगारों को सामाजिक सुरक्षा/कल्याण उपाय प्रदान करने के लिए कल्याण निधियां भी स्थापित की हैं। इसके साथ-साथ गरीबी रेखा के नीचे और कुछ ऊपर रहने वाले लोगों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु जनश्री बीमा योजना भी उपलब्ध है। विभिन्न मंत्रालय/विभाग हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों, मछुआरों इत्यादि जैसे व्यावसायिक समूहों के लिए बीमा योजनाएं भी लागू कर रहे हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच पड़ताल करने के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया है। सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया है जिसमें प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार का प्रावधान है।

रोजगार केन्द्रों द्वारा परामर्श सेवाएं

970. **श्री तारिक अनवर :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में स्थापित रोजगार केन्द्रों के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) रोजगार केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इनके काम-काज पर कुल कितनी राशि व्यय होती है; और

(ग) क्या ये केन्द्र शिक्षित युवाओं को परामर्श सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) रोजगार कार्यालयों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :-

(i) रोजगार कार्यालय, रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण करते हैं तथा अधिसूचित रिक्तियों हेतु अभ्यर्थियों को भेजते हैं; (ii) श्रम की मांग एवं पूर्ति के आकलन हेतु आंकड़ा-आधार (डाटा-बेस) का सृजन तथा आजीविका साहित्य तैयार करने के उद्देश्य से श्रम बाजार सूचना का संकलन करते हैं; तथा (iii) रोजगार चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन/आजीविका-परामर्श प्रदान करते हैं।

(ख) रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)। रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों के सीधे प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं, अतः सूचना विस्तार से नहीं रखी जाती। तथापि, वर्ष 2001-2002 के दौरान, प्रति रोजगार कार्यालय औसत व्यय लगभग 14.3 लाख रुपए था।

(ग) जी हां।

विवरण

रोजगार कार्यालयों/यू.ई.आई.जी.बी.एक्स. की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	रोजगार कार्यालय/यू.ई.आई.जी.बी.एक्स. की संख्या
1	2	3
(क) राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	52
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	18
6.	दिल्ली	14
7.	गोवा	1

1	2	3
8.	गुजरात	42
9.	हरियाणा	61
10.	हिमाचल प्रदेश	15
11.	जम्मू और कश्मीर	14
12.	झारखंड	33
13.	कर्नाटक	40
14.	केरल	86
15.	मध्य प्रदेश	58
16.	महाराष्ट्र	46
17.	मणिपुर	11
18.	मेघालय	11
19.	मिजोरम	3
20.	नागालैंड	7
21.	उड़ीसा	40
22.	पंजाब	46
23.	राजस्थान	42
24.	सिक्किम*	
25.	तमिलनाडु	34
26.	त्रिपुरा	5
27.	उत्तरांचल	23
28.	उत्तर प्रदेश	84
29.	पश्चिम बंगाल	75
	(ख) संघ शासित प्रदेश	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
31.	चंडीगढ़	2

1	2	3
32.	दादर व नगर हवेली	2
33.	दमन व दीव	3
34.	लक्षद्वीप	1
35.	पाण्डिचेरी	1
कुल		947

टिप्पणी 1. * इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

ई.एस.आई.सी. द्वारा मॉडल अस्पतालों का विकास

971. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आदर्श अस्पताल विकसित करने की किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोषणा के आधार पर देश भर के प्रस्तावित उक्त अस्पतालों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय लेगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों से 12 अस्पतालों को आदर्श अस्पतालों के रूप में विकसित करने के लिए अपने नियंत्रण में लिया है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थाई समिति ने दिनांक 2-7-2001 को आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम सर्वप्रथम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को आदर्श अस्पतालों के रूप में विकसित करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा पहले से ही मध्य प्रदेश में व्यावसायिक जन्य रोग निदान केन्द्र के रूप में चलाए जा रहे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, नागदा को आदर्श अस्पताल के रूप में

विकसित किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए किसी और अस्पताल को अपने नियंत्रण में नहीं लिया जाएगा।

विवरण

राज्य सरकारों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लिए गए आदर्श अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल
1.	आंध्र प्रदेश	नचारम, हैदराबाद 200 बिस्तर
2.	असम	बेल्टोला 50 बिस्तर
3.	झारखण्ड	रांची 50 बिस्तर
4.	कर्नाटक	राजाजीनगर 500 बिस्तर
5.	केरल	असारमम, कोल्लम, 200 बिस्तर
6.	उड़ीसा	राऊरकेला 50 बिस्तर
7.	पंजाब	लुधियाणा
8.	राजस्थान	जयपुर 236 बिस्तर
9.	उत्तर प्रदेश	साहिबाबाद 100 बिस्तर
10.	बिहार	फुलवारी शरीफ 50 बिस्तर
11.	गुजरात	बापु नगर-600 बिस्तर
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू-50 बिस्तर

ई.पी.एफ. पर ब्याज में वृद्धि

972. श्रीमती एस.जी. इन्दिरा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अर्थव्यवस्था के प्रत्याशित विकास पर विचार करते हुए ई.पी.एफ. पर ब्याज दर बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ई.पी.एफ. में संचित निधि सरकार की निधि संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए शक्ति का एक स्रोत रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ई.पी.एफ. ब्याज दर बढ़ाने की मांग की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का निवेश सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 52(1) में अधिसूचित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, हां।

ई.पी.एफ. पर ब्याज दर बढ़ाने की मांग

973. **श्री राजकुमार धूत :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक संघों के नेता विशेष जमा योजना पर ब्याज दर बढ़ा कर ई.पी.एफ. पर ब्याज दर बढ़ाने का अनुरोध करने हेतु 12 जनवरी, 2006 को वित्त मंत्री से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-06 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% की ब्याज दर को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। विशेष जमा योजना पर ब्याज दर बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ब्याज दर का निर्धारण काफी विचार-विमर्श के बाद किया गया है।

शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार

974. **श्री कृपाल परमार :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में शिक्षित युवाओं तथा बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या के मौजूदा अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन युवाओं को रोजगार प्रदान करने तथा बेरोजगारी कम करने के लिए कोई विशेष कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार का पिछला सर्वेक्षण जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, वर्ष 1999-2000 में किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति आधार पर, बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानित संख्या लगभग 90 लाख थी। बेरोजगार व्यक्तियों का 60% अर्थात् लगभग 54 लाख (सेकेण्डरी एवं उससे अधिक) शिक्षित थे।

(ग) और (घ) 10वीं योजनावधि के दौरान लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इनमें से लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसर अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि प्रक्रिया द्वारा तथा शेष 2 करोड़ विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया अद्यतन प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार उपलब्ध कराना है।

बाल श्रमिकों का पुनर्वास

975. **प्रो. अलका क्षत्रिय :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों हेतु चल रही परियोजना के कार्यों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को बाल श्रमिकों के पुनर्वास सम्बन्धी कार्यक्रमों को कई राज्यों द्वारा लागू न करने की शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : (क) और (ख) सरकार देश के 21 राज्यों के 250 जिलों में कार्य से हटाए गए बच्चों के लाभार्थ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन.सी.एल.पी.) की योजना चला रही है। जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से इस योजना की समीक्षा की जा रही है। केन्द्र और राज्य स्तर के अधिकारियों के क्षेत्र दौरों द्वारा भी इस परियोजना को मानीटर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल मजदूरी पर रोक लगाना

976. **श्री राजीव शुक्ल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बाल मजदूरी के सभी रूपों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आग्रह करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में बाल मजदूरी के सभी मामलों का उन्मूलन करने हेतु दीर्घ-कालिक योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : (क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दायर रिट-याचिका के उत्तर में नोटिस जारी किए हैं।

(ख) सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है।

(ग) और (घ) सरकार हर प्रकार के बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति वचनबद्ध है, जिसकी शुरुआत जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रमों में कार्यरत बच्चों से होगी।

बकाया धनराशि की वसूली

977. **श्री आर.के. आनन्द :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चूककर्ता प्रतिष्ठानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनसे कर्मचारी भविष्य निधि की 1 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि वसूली जानी है;

(ख) इन चूककर्ता प्रतिष्ठानों से बकाया राशि वसूलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत कितने मामले/शिकायतें दर्ज की गई हैं, कितनी सम्पत्ति/बैंक खाते जब्त किए गये तथा कितने चूककर्ताओं को उनसे बकाया राशि वसूलने के लिए गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : (क) 31-03-2005 की स्थिति के अनुसार चूककर्ता प्रतिष्ठानों का (क्षेत्रवार) ब्यौरा विवरण-I पर है। (नीचे देखिए)

(ख) सांविधिक बकायों की वसूली कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों के अनुरूप की जाती है। इसमें अधिनियम की धारा 14 के तहत अभियोजन, आई.पी.सी. की धारा 406/409 के तहत शिकायत दर्ज करना, चल/अचल सम्पत्ति कुर्क करना और चूककर्ताओं की गरप्तारी करना शामिल है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई दबावकारी कार्रवाईयों का ब्यौरा विवरण-II पर है।

विवरण-I

एक करोड़ रुपये से अधिक वाले भविष्य निधि बकायों के चूक वाले प्रतिष्ठानों का क्षेत्रवार ब्यौरा (31-03-2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	क्षेत्र	चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या	चूक की कुल राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	3493.60
2.	बिहार	7	3639.94
3.	छत्तीसगढ़	2	318.30
4.	दिल्ली	9	4684.31
5.	गोवा	0	0.00
6.	गुजरात	8	1701.07
7.	हिमाचल प्रदेश	1	100.35
8.	हरियाणा	6	4038.99
9.	झारखंड	10	11665.83
10.	कर्नाटक	11	8285.92
11.	केरल	17	2862.13

182 प्रश्नों के		[राज्य सभा]	लिखित उत्तर
1	2	3	4
12.	महाराष्ट्र	39	8592.89
13.	मध्य प्रदेश	19	6596.67
14.	उत्तर पूर्व क्षेत्र	14	3008.11
15.	उड़ीसा	17	6449.06
16.	पंजाब	2	524.58
17.	राजस्थान	5	1806.06
18.	तमिलनाडु	36	6130.76
19.	उत्तर प्रदेश	32	8148.56
20.	उत्तरांचल	5	3307.46
21.	पश्चिम बंगाल	48	29906.96
कुल		300	115261.55

विवरण-II

सभी ई.पी.एफ. चूककर्ताओं के विरुद्ध प्रारम्भ की गई दबावकारी कार्रवाईयां

वर्ष	आई.पी.सी. की धारा 406/409 के तहत दायर शिकायतें	चूक अचल सम्पत्ति	चूक चल सम्पत्ति	चूक बैंक खाते	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी
2002-2003	945	322	287	6390	144
2003-2004	1387	377	624	19278	1231
2004-2005	684	469	297	17459	101

रोजगार में कमी

978. **श्री ए. विजय राघवन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2001-03 की अवधि के दौरान सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में प्रदान किए गये रोजगार की वर्षवार, श्रेणीवार, राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में हटाए गए मजदूरों की वर्षवार, श्रेणीवार, राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार की श्रेणीवार, राज्यवार, वर्षवार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) और (ख) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम से उपलब्ध सूचनानुसार, 31 मार्च 2001, 2002 एवं 2003 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी संगठित क्षेत्र में राज्य-वार रोजगार का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 (अनंतिम) के दौरान बंद हो जाने, छंटनी तथा निलंबन (ले ऑफ) के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या विवरण-II में दी गई है। (नीचे देखिए)

(घ) देश में समग्र रोजगार के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 के दौरान किया गया। वर्ष 1993-94 तथा 1999-2000 के दौरान प्रमुख राज्यों में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में राज्य-वार रोजगार का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I										
सार्वजनिक एवं निजी संगठित क्षेत्र में रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा										
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-03-2001 को			31-03-2002 को			31-03-2003 को		
		सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हरियाणा	416.4	236.2	652.7	410.0	255.5	665.5	400.4	255.1	655.5
2.	पंजाब	586.2	261.1	847.2	581.1	255.1	836.2	556.0	244.0	800.0
3.	हिमाचल प्रदेश	256.54	48.0	304.5	247.7	49.5	297.2	247.7	49.5	297.2
4.	चंडीगढ़	63.9	27.5	91.3	62.8	28.0	90.8	62.4	28.0	90.4
5.	दिल्ली	623.6	217.6	841.1	621.1	214.9	836.0	623.9	212.5	836.5
6.	राजस्थान	992.4	255.9	1248.3	955.9	249.9	1205.8	934.9	244.9	1179.9
7.	जम्मू और कश्मीर	199.6	10.5	210.1	199.6	10.5	210.1	199.6	10.5	210.1
8.	मध्य प्रदेश	992.7	186.3	1179.1	967.8	173.8	1141.6	947.9	161.8	1109.7

रोजगार (हजार में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	छत्तीसगढ़	317.1	31.0	348.1	323.9	30.4	354.3	323.9	30.4	354.3
10.	उत्तर प्रदेश	1758.0	465.8	2223.8	1718.1	455.5	2173.6	1692.3	451.5	2143.8
11.	उत्तरांचल	234.9	35.5	270.4	228.4	36.9	265.3	227.0	35.3	262.3
12.	असम	537.1	579.3	1116.4	525.7	538.2	1063.9	528.0	551.2	1079.2
13.	मेघालय	72.6	9.3	81.9	72.6	9.3	81.9	72.6	9.3	81.9
14.	मणिपुर	80.4	2.6	83.0	80.1	2.7	82.8	80.1	2.7	82.8
15.	मिजोरम	40.1	1.4	41.5	40.1	1.4	41.5	40.1	1.4	41.5
16.	नागालैंड	74.2	3.4	77.7	74.2	3.2	77.3	67.7	2.9	70.6
17.	त्रिपुरा	110.4	12.9	123.3	110.4	12.9	123.3	110.4	12.9	123.3
18.	बिहार	1360.1	252.9	1613.0	1360.1	252.9	1613.0	1360.1	252.9	1613.0
19.	झारखंड	@	@	@	@	@	@	@	@	@
20.	उड़ीसा	743.7	85.2	828.8	693.4	84.3	777.7	667.6	82.6	750.2
21.	पश्चिम बंगाल	1524.6	800.1	2324.7	1516.5	747.3	2263.9	1516.5	747.3	2263.9
22.	गुजरात	933.8	762.1	1696.0	848.6	735.4	1584.0	850.5	780.4	1630.9
23.	महाराष्ट्र	2261.1	1433.5	3694.6	2232.3	1402.3	3634.6	2204.9	1388.3	3593.2
24.	गोवा	69.7	40.5	110.2	35.8	25.0	60.8	35.8	25.0	60.8
25.	दमन व दीव	1.6	13.4	15.0	2.0	12.5	14.5	2.0	12.5	14.5

26. आन्ध्र प्रदेश	1489.1	586.2	2075.3	1462.2	588.5	2050.7	1475.5	625.3	2100.8
27. कर्नाटक	1112.6	767.1	1879.7	1090.0	765.9	1855.9	1075.0	775.0	1850.0
28. केरल	644.9	596.8	1241.7	644.9	576.0	1220.9	634.2	577.2	1211.4
29. पंजाब	20.4	5.4	25.8	20.4	5.4	25.8	37.5	13.5	51.0
30. तमिलनाडु	1586.3	919.5	2505.8	1612.3	904.1	2516.4	1570.3	831.9	2402.2
31. अण्डमान और निकोबार	33.4	4.7	38.1	35.2	4.8	40.0	34.7	4.9	39.6

योग	19137.5	8651.7	27789.2	18773.4	8432.1	27205.5	18579.7	8420.7	27000.3
-----	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

@ इन राज्यों के आंकड़े उनके पैतृक राज्य में शामिल कर दिए गए।
हो सकता है पूर्णांक के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

विवरण-II

सरकारी और निजी क्षेत्रों में बन्द कर देने, छंटनी तथा निलंबन के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या

वर्ष	निम्नलिखित के कारण प्रभावित कामगार					
	बंद होना		छंटनी		निलंबन	
	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी
2003	464	7791	424	2407	4140	16364
2004	5940	7191	853	2091	12634	15918
2005	-	3059	1	1932	1833	5907

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

विवरण-III

प्रमुख राज्यों तथा अखिल भारत में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार

क्र.सं.	प्रमुख राज्य	1993-1994 (हजार में)				1999-2000 (हजार में)			
		कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र	कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र	कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र	कुल रोजगार	संगठित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	आंध्र प्रदेश	35899	1877.7	34021.3	36148	2071.6	34076.4		
2.	असम	8075	1069.3	7005.7	9357	1084.5	8272.5		
3.	बिहार	31328	1701.3	29626.7	36437	1613.9	34823.1		
4.	गुजरात	19233	1701.1	17531.3	22931	1690.3	21240.7		
5.	हरियाणा	6528	631.9	5896.1	7159	651.6	6507.4		
6.	कर्नाटक	22166	1530.4	20635.6	23599	1863.3	21735.7		
7.	केरल	11437	1198.1	10238.9	12444	1209.8	11234.2		
8.	मध्य प्रदेश	31634	1676.8	29957.2	34424	1593.7	32830.3		
9.	महाराष्ट्र	37933	3766.2	34166.8	41241	3759.8	37481.2		
10.	उड़ीसा	14155	794.3	13360.7	14981	797.9	14183.1		

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	पंजाब	8073	833.5	7239.5	9885	845.8	9039.2
12.	राजस्थान	21897	1223.7	20673.3	23212	1275.7	21936.3
13.	तमिलनाडु	28430	2381.5	26048.5	28895	2524.5	26370.5
14.	उत्तर प्रदेश	54238	2656.7	51581.3	58924	2552.7	56371.3
15.	पश्चिम बंगाल	26639	2332.1	24306.9	28237	2352.3	25884.7
सभी प्रमुख राज्य		357665	25375.2	332289.8	387950	25887.4	362062.6
अखिल भारत		374450	27374.8	347075.2	397000	27959.7	369140.3

देश में बीड़ी बनाने वाले कामगार

979. श्री एस.एम. लालजन बाशा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी बनाने वाले कामगारों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे देश में बीड़ी बनाने वाले ऐसे कितने कामगार हैं जिन्हें पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) वर्ष 2006-2007 में बीड़ी बनाने वाले कामगारों की सहायता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(घ) और (ङ) बीड़ी श्रमिक बहुल इलाकों में समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाकर प्रयास किए गए जा रहे हैं ताकि उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभों की जानकारी मिल सके। योजनाओं को हाल के वर्षों में अधिक सरल और युक्तिसंगत बनाया गया है।

विवरण

बीड़ी श्रमिकों की राज्यवार कुल संख्या और उन्हें जारी पहचान-पत्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	बीड़ी श्रमिकों की अनुमानित संख्या	जारी पहचान-पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,35,000	7,15,711
2.	असम	7,725	6,335
3.	बिहार	3,35,000	1,72,429
4.	झारखण्ड	1,15,000	64,433
5.	गुजरात	50,075	45,874

192 प्रश्नों के		[राज्य सभा]	लिखित उत्तर
1	2	3	4
6.	कर्नाटक	2,87,082	2,76,706
7.	केरल	96,324	79,208
8.	मध्य प्रदेश	8,27,194	8,25,150
9.	छत्तीसगढ़	26,110	20,481
10.	महाराष्ट्र	2,56,000	2,17,663
11.	उड़ीसा	2,65,000	1,89,008
12.	राजस्थान	31,736	31,736
13.	त्रिपुरा	9,946	6,349
14.	तमिलनाडु	6,25,000	6,05,079
15.	उत्तर प्रदेश	4,50,000	3,22,098
16.	पश्चिम बंगाल	7,52,225	7,42,050
कुल		48,69,417	43,20,310

कृषि मजदूर

980. श्री कृपाल परमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी और भुखमरी के शिकार लाखों कृषि मजदूरों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कृषि मजदूरों को राज्यवार कितनी मजदूरी दी जाती है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में विद्यमान कम मजदूरी कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) और (ख) सरकार ने संपूर्ण आबादी में गरीबी की स्थिति का आकलन कराया है। राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराये गये सर्वेक्षण (1999-2000) के अनुसार, कुल आबादी का लगभग 26 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने से, बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तथापि, कृषि श्रमिकों के बीच अलग से गरीबी का कोई आकलन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। इस अधिनियम के अनुसार, समुचित सरकारें पांच वर्षों के अनधिक अंतराल पर अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने/संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। कतिपय मामलों में, न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) शामिल होता है, जिसकी वर्ष में दो बार आवधिक रूप में समीक्षा/संशोधन किया जाता है जो अप्रैल और अक्टूबर से प्रभावी होता है। राज्य और केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों में विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है। (नीचे देखिए) कृषि श्रमिकों की मजदूरी कृषि उत्पादन को उस तरह प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित नहीं करती है जिस तरह जलवायु दशाएं, कृषि प्रथाएं आदि जैसे अन्य कारक कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ङ) और (च) कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। किन्तु राज्य सरकारों के बीच आम सहमति न होने की वजह से, इस प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी दरें।

क्र.सं.	समुचित सरकारें	अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी (प्रतिदिन रुपये में)
1	2	3
	केन्द्रीय क्षेत्र	102.78 से 114.78

1	2	3
	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1.	आन्ध्र प्रदेश	64.00 से 84.00 (क्षेत्र के अनुसार)
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.00 (क्षेत्र-I) 57.00 (क्षेत्र-II)
3.	असम	69.00
4.	बिहार	66.0
5.	छत्तीसगढ़	52.87
6.	गोवा	94.00
7.	गुजरात	50.00
8.	हरियाणा	84.29 भोजन के साथ 88.29 भोजन के बिना
9.	हिमाचल प्रदेश	65.00
10.	जम्मू और कश्मीर	66.00
11.	कर्नाटक	56.48
12.	केरल	72.00 हल्के कार्य के लिए 125.00 भारी कार्य के लिए
13.	मध्य प्रदेश	56.96
14.	महाराष्ट्र	क्षेत्र-I 51.00 क्षेत्र-II 49.00 क्षेत्र-III 47.00 क्षेत्र-IV 45.00
15.	मणिपुर	72.40
16.	मेघालय	70.00
17.	मिजोरम	91.00
18.	नागालैंड	66.00

1	2	3
19.	उड़ीसा	52.50
20.	पंजाब	90.58
21.	राजस्थान	73.00
22.	तमिलनाडु	70.00-80.00
23.	त्रिपुरा	50.00
24.	उत्तर प्रदेश	58.00
25.	उत्तरांचल	73.00
26.	पश्चिम बंगाल	62 भोजन के साथ 65 बिना भोजन के
27.	अंडमान और निकोबार	100.00 (अंडमान) 107.00 (निकोबार)
28.	चंडीगढ़	114.00
29.	दादर व नागर हवेली	89.00
30.	दिल्ली	125.80
31.	पांडिचेरी	45.00 पांच घंटे के लिए (महिलाएं)
	✓ कराइकल	54.00 छः घंटे के लिए (पुरुष)
	✓ यमन क्षेत्र	55.00 से 75.00 छः घंटे के लिए

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्था

981. श्री टी.आर. जेलियंग : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार/जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : (क) 31 दिसम्बर, 2003 (नवीनतम) की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित रोजगार चाहने वालों (10वीं कक्षा एवं उससे अधिक) जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) 10वीं योजनावधि हेतु लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इनमें से, सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिवर्ष 8% वृद्धि मानते हुए लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसर अर्थव्यवस्था में सामान्य वृद्धि द्वारा तथा शेष 2 करोड़ विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित होंगे। इनसे पूर्वोक्त राज्यों के रोजगार चाहने वालों को भी सहायता प्राप्त होगी।

विवरण

31 दिसम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वालों (10वीं कक्षा व उससे अधिक) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2576.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.3
3.	असम	1026.6
4.	बिहार	1466.4
5.	छत्तीसगढ़	722.5
6.	दिल्ली	892.1
7.	गोवा	84.1
8.	गुजरात	847.1
9.	हरियाणा	678.3
10.	हिमाचल प्रदेश	713.1
11.	जम्मू और कश्मीर	58.2
12.	झारखंड	916.9

1	2	3
13.	कर्नाटक	1153.7
14.	केरल	3317.5
15.	मध्य प्रदेश	1531.1
16.	महाराष्ट्र	3192.9
17.	मणिपुर	281.7
18.	मेघालय	21.1
19.	मिजोरम	18.2
20.	नागालैंड	26.5
21.	उड़ीसा	610.9
22.	पंजाब	290.2
23.	राजस्थान	611.5
24.	सिक्किम*	0.0
25.	तमिलनाडु	3273.5
26.	त्रिपुरा	204.2
27.	उत्तरांचल	269.8
28.	उत्तर प्रदेश	1498.1
29.	पश्चिम बंगाल	3684.0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.6
31.	चंडीगढ़	93.6
32.	दादर व नगर हवेली	1.8
33.	दमन व दीव	4.5
34.	लक्षद्वीप	5.7
35.	पांडिचेरी	151.9
कुल योग		30254.8

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

हो सकता है पूर्णकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

बाल मजदूर

982. **श्रीमती एस.जी. इन्दिरा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की आयु प्राप्त करने से पूर्व ही बच्चों को काम में लगाये जाने के संबंध में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने जनगणना महापंजीयक से देश में बाल मजदूरी के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करने का आग्रह किया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) और (ख) जनगणना 2001 के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष की आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की संख्या में पूर्ण रूप से 1991 की संख्या से थोड़ी वृद्धि हुई है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की कुल संख्या 1.12 करोड़ थी और 2001 की जनगणना के अनुसार यह संख्या 1.26 करोड़ थी। तथापि, संगत आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में कामकाजी बच्चों के प्रतिशत में कमी हुई है।

(ग) जी, हां। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त देश के कामकाजी बच्चों के आंकड़े प्रदान कर रहे हैं।

हड़ताल के कारण कार्यदिवसों की क्षति

983. **श्री दीपांकर मुखर्जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान हड़ताल के कारण कितने कार्यदिवसों की क्षति हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तालाबंदी के कारण कितने कार्यदिवसों की क्षति हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अस्थायी छंटनी के कारण कितने कार्यदिवसों की क्षति हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 के दौरान हड़तालों, तालाबंदियों और कामबंदियों के कारण क्षति हुए श्रम दिवसों को दर्शाता हुआ ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

हड़तालों, तालाबंदियों और कामबंदियों के कारण क्षति हुए श्रम दिवस
(करोड़ में)

वर्ष	हड़तालें	तालाबंदियां	कामबंदियां
2002	9.66	16.92	2.78
2003	3.21	27.05	1.92
2004	4.83	19.04	1.79
2005 (अ)	7.29	15.98	0.88

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला

अ : अनंतिम

आन्ध्र प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता

984. श्री सी. रामचन्द्रैय्या : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या तथा व्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को चलाने के लिए राज्य सरकार को कोई धनराशि प्रदान नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सहायता हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) राज्य सरकार तथा निजी निकाय निजी निधियों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों को स्थापित करते एवं उन्हें चलाते हैं तथा इन संस्थानों को चलाने के लिए किसी प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

(घ) से (च) 10वीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में पांच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करते हुए 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने संबंधी एक योजना आरंभ की गई। योजना के तहत सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 1.2 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान है। उक्त प्रावधान की तुलना में, 171.75 लाख रु. की धनराशि की मंजूरी दी गई जिसमें से 26.06 लाख रु. की धनराशि की प्रथम किश्त को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही जारी किया जा चुका है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिए जाने वाले लाभ की दर

985. **श्री बी.के. हरिप्रसाद :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी समग्र निधि से 1,50,000 करोड़ से अधिक राशि अक्टूबर, 2005 के अंत तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार प्रतिभूति, वित्तीय संस्थानों और लोक लेखा विभागों में निवेश किया है;

(ख) क्या इनमें से किसी भी निवेश से सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अभिदाताओं को 8.5 प्रतिशत लाभ का भुगतान करने के उसके दायित्व की तुलना में 8.5 प्रतिशत लाभ का अर्जन हुआ है; और

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास वर्ष 2005-2006 के लिए अभिदाताओं को 8.5 प्रतिशत का निश्चित लाभ का भुगतान करने के लिए अपने कोष से आहरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आगामी वर्षों में इस दर को बरकरार रख पायेगा?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) 31-03-2005 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित व्यय के वर्गों के संबंध में वर्ष 2005-06 के लिए औसत प्राप्ति का अनुमान निम्नानुसार हैं :-

वर्ग	प्राप्ति (%)
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां	9.87
राज्य सरकार/सरकार प्रत्याभूत प्रतिभूतियां	11.09
राज्य विकास कर्ज	8.53
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	7.62
विशेष जमा योजना	8.00

(ग) 8.5% की घोषित दर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का देयता और आय क्रमशः 6889.04 करोड़ रुपये और 6523.15 करोड़ रुपये है। अतः घोषित ब्याज की दर पर, कमी को पूरा करने के लिए संगठन को विशेष आरक्षित निधि/अन्य स्त्रोतों से 365.89 करोड़ रुपये अपवर्तित करने होंगे। आगामी वर्षों के लिए ब्याज की दर का निर्धारण निधि के अर्जन को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति का गठन

986. श्रीमती वृन्दा कारत

श्री दीपांकर मुखर्जी

: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सी.आई.टी.यू. द्वारा श्रम मंत्रालय को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आई.टी.ई.एस.) उद्योगों द्वारा श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई ज्ञापन भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में उठाये गए मुद्दे के संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय का विचार इन उद्योगों के लिए औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) जी, हां।

(ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आई.टी.ई.एस. क्षेत्र में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लिखा है क्योंकि राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन

987. श्री सिलवियस कॉडपन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोनस एक्ट, बागान श्रम अधिनियम, ग्रेच्युटी एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों को संगत बनाने के उद्देश्य से, बागान श्रम अधिनियम, 1951 से संबंधित प्रस्तावों पर 26.08 2005 के त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति में विचार विमर्श किया गया है। जबकि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के मामले में राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के विचार मांगे गए हैं। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों पर दिनांक 9-10 दिसम्बर, 2005 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया है।

कूड़ा उठाने वाले कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी

988. **श्री पेनुमल्ली मधु :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों में कूड़ा हटाने के कार्य में लगे कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा सफाई कर्मचारियों/कूड़ा उठाने वालों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए)। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम की अनुसूची में हाथ से कूड़ा उठाने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 के अधीन प्रतिषिद्ध कार्यकलापों के अलावा झाड़ू-बुझारू और सफाई कार्य का नियोजन भी जोड़ा है।

विवरण

सफाई कर्मचारी/कूड़ा उठाने वालों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी

क्र. सं.	राज्य संघ शासित क्षेत्र का नाम	भिन्न-भिन्न अनुसूचित नियोजन में कामगारों की श्रेणी	न्यूनतम मूल मजदूरी (रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश*	सफाई कर्मचारी	88

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश*	सफाई कर्मचारी	55
3.	असम*	सफाई कर्मचारी	66
4.	बिहार*	सफाई कर्मचारी	68
5.	गोवा*	सफाई कर्मचारी	75
6.	गुजरात*	सफाई कर्मचारी/कूड़ा उठाने वाले	88
7.	हरियाणा*	सफाई कर्मचारी	87
8.	हिमाचल प्रदेश	सफाई कर्मचारी	65
9.	कर्नाटक*	सफाई कर्मचारी/कूड़ा उठाने वाले	69
10.	मध्य प्रदेश*	सफाई कर्मचारी	86
11.	महाराष्ट्र*	सफाई कर्मचारी/कूड़ा उठाने वाले	
		क्षेत्र-I	128
		क्षेत्र-II	124
		क्षेत्र-III	120
12.	मणिपुर*	सफाई कर्मचारी	72
13.	मिजोरम	सफाई कर्मचारी	91
14.	नागालैंड	सफाई कर्मचारी	66
15.	पंजाब*	सफाई कर्मचारी	91
16.	राजस्थान	सफाई कर्मचारी	73
17.	तमिलनाडु*	सफाई कर्मचारी	72
18.	उत्तरांचल*	सफाई कर्मचारी	87
19.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	सफाई कर्मचारी	
		जिला अंडमान	100
		जिला निकोबार	107
20.	चंडीगढ़*	सफाई कर्मचारी	114

1	2	3	4
21. दमन और दीव*	सफाई कर्मचारी		75
22. दिल्ली*	सफाई कर्मचारी		122
23. पांडिचेरी*	सफाई कर्मचारी		56

*परिवर्ती महंगाई भत्ता शामिल है।

मुकदमाधीन ई.पी.एफ. बकाया

989. **श्री नंदी येल्लैया :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में स्थापित निजी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि की राशि कई वर्षों से लंबित है, का नाम दर्शाते हुए विभिन्न राज्यों में आज तक मुकदमाधीन कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की स्थिति क्या है;

(ख) इतने अधिक समय से लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के अतिदेय भुगतान का तत्काल भुगतान निश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) मुकदमाधीन कर्मचारी भविष्य निधि बकाया राशि की स्थिति विवरण-I में दी गई है। (नीचे देखिए)

आंध्र प्रदेश में बड़े चूककर्ता निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (50 लाख रुपए तथा अधिक की चूक वाले) का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) विभिन्न न्यायालयों द्वारा वसूली कार्रवाइयों पर स्थगन दे दिया जाता है तथा वसूली तंत्र वसूली कार्रवाई की दिशा में आगे कदम उठा पाने की स्थिति में नहीं है।

(ग) कर्मचारियों के काटे गए किन्तु कर्मचारी भविष्य निधि में जमा न कराए गए अंश की चूक और काफी समय से बंद तथा अथवा मुकदमाधीन प्रतिष्ठान के संबंध में चूक की दशा में, चूक किए गए अंशदान की अदायगी विशेष आरक्षित निधि से की जाती है।

विवरण-I

मुकदमाधीन कर्मचारी भविष्य निधि बकाया राशि के मामलों का ब्यौरा

	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त धनराशि (रुपये लाखों में)
गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र		
न्यायालय द्वारा स्थगन	2805	36544.50
मुकदमाधीन	720	8654.57
छूट-प्राप्त क्षेत्र		
न्यायालय द्वारा स्थगन	56	22309.62
मुकदमाधीन	18	287.14
कुल	3599	67795.83

विवरण-II

आंध्र प्रदेश में बड़े चूककर्ता निजी और सरकारी क्षेत्र संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	प्रतिष्ठान का नाम	धनराशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1. आं.प्र./11813	मैसर्स आई.टी.सी. भद्राचलम	57.69
2. आं.प्र./3209	मैसर्स एल्युमिनियम इन्डस्ट्रीज लि.	96.31
3. आं.प्र./16271	मैसर्स सम्राट स्पिनर्स लि.	85.91
4. आं.प्र./7863	मैसर्स अनवार-उल-लूम कालेज	54.54
5. आं.प्र./11898	मैसर्स आदिलाबाद कॉटन ग्राउंड्स	83.72
6. आं.प्र./3071	मैसर्स एच.एम.टी.	234.65
7. आं.प्र./5864	मैसर्स आंध्र प्रदेश हैवीमशीनरी एण्ड इंजी. लि., कोंडापल्ली (आं.प्र.)	75.55

206 प्रश्नों के	[राज्य सभा]	लिखित उत्तर
1	2	3
8. आं.प्र./3495	मैसर्स बी.एच.पी.वी.	1387.68
9. आं.प्र./258	मैसर्स दी आंध्र को-आप., स्पनिंग मिल्स लि., चिराला	92.91
10. आं.प्र./25661	मैसर्स रॉयल सीमा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, कालामल्ला, कुडाप्पा	55.36
11. आं.प्र./22041	मैसर्स चित्तूर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स, चित्तूर	201.84
12. आं.प्र./43231	मैसर्स एस.ई. एण्ड एस.एस. डिवीजन, एपीट्रांसको, कुडाप्पा	56.97
13. आं.प्र./2460	मैसर्स चिराला कोआप. स्पनिंग मिल्स लि. चिराला	76.30
14. आं.प्र./5864एक्स	मैसर्स ए.पी.एच.एम.ई.एल., कोंडापल्ली	77.05
15. आं.प्र./370	मैसर्स सर्वराया टैक्सटाइल्स	388.45
16. आं.प्र./2	मैसर्स नेल्लीमर्ला जूट मिल्स	565.04
17. आं.प्र./759	मैसर्स फैकर लि.	281.46
18. आं.प्र./24996	मैसर्स कार्गो हैन्डलिंग प्राइवेट वर्कर्स पूल प्रा. लि.	71.87
19. आं.प्र./2814	मैसर्स सर्वराया टैक्सटाइल्स	194.31
20. आं.प्र./13	मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	216.20
21. आं.प्र./1184	मैसर्स पण्यम सीमेन्ट्स एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज लि.	634.33
22. आं.प्र./23	मैसर्स रायलसीमा मिल्स, अडोनी	285.87
23. आं.प्र./4365	मैसर्स रायलसीमा पेपर मिल्स लि., कुरनूल	126.10
24. आं.प्र./294	मैसर्स जी.एन. प्रोडक्ट्स लि., अडोनी, कुरनूल	228.55
25. आं.प्र./19888	मैसर्स पार्किन टैक्सटाइल्स, नागरी, चित्तूर जिला	139.09
26. आं.प्र./144	मैसर्स प्राग टूल्स, हैदराबाद	446.69

रोजगार के अवसर

990. **श्री मोती लाल वोरा:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है;

(ख) वर्ष 2006 में रोजगार प्रदान कराये जाने के लिए लक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) इस समय में देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या यह सच है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को निजी औद्योगिक घरानों द्वारा साक्षात्कार के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) से (ग) 10वीं योजनावधि (2002-2007) के लिए लगभग 5 करोड़ रोजगार अवसर (प्रति वर्ष औसतन एक करोड़ रोजगार अवसर) सृजित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर के साथ-साथ श्रम सघन क्षेत्रों के संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। सरकार देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया अद्यतन प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार उपलब्ध कराना है।

(घ) 30 नवम्बर, 2005 को उपलब्ध सूचनानुसार, लगभग 3.9 करोड़ रोजगार चाहने वाले, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं।

(ङ) रोजगार कार्यालय नियोक्ताओं द्वारा उन्हें अधिसूचित की गई रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का नाम प्रायोजित करते हैं। तत्पश्चात्, नियोक्ता अपनी आवश्यकतानुरूप उम्मीदवारों का चुनाव कर उन्हें साक्षात्कार पत्र भेजते हैं।

ढेका श्रमिकों की बिगड़ती स्थिति

991. श्री एन.आर. गोविंदराजर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अद्यतन जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्रीय और राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र में ढेका श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन ढेका श्रमिकों की सेवा एवं कार्य करने की अवस्थाएं वास्तव में लगातार बिगड़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ढेका श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) ढेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अनुसार, केन्द्रीय तथा अन्य सरकार दोनों ही अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के भीतर आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में "समुचित सरकार" हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में, वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा कवर किए गए ढेका श्रमिकों की संख्या 968792 थी।

(ख) से (ङ) सरकार इस तथ्य से अवगत है कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में सामान्य तौर पर ढेका श्रम प्रथा विद्यमान है। श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो ढेका श्रमिकों की कार्य दशाओं के संबंध में समय-समय पर सर्वेक्षण करवाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान चार उद्योगों/प्रतिष्ठानों अर्थात् सीमेन्ट विनिर्माण उद्योग, सीमेन्ट से संबंधित खानों, भारतीय खाद्य निगम के डिपो तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाइयों में एक सर्वेक्षण करवाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिष्ठानों/ढेकेदारों द्वारा ढेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों तथा अन्य श्रम कानूनों का कुल मिलाकर पालन किया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया है कि ढेका कामगारों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को छोड़कर सर्वेक्षण किए गए प्रतिष्ठानों/उद्योगों में ऐसे कार्यों में तैनात किया गया था जो नियमित प्रकृति के थे।

ढेका श्रमिकों के उनकी मजदूर, कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे हितों का संरक्षण करने के लिए ढेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 सहित विभिन्न श्रम कानूनों में पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों ही द्वारा बारहमासी प्रकृति के कार्यों/प्राक्रियाओं में ढेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध करते हुए अनेक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। नियमित निरीक्षण करवाए जाते हैं तथा यदि आवश्यक हो तो कानूनी उपबंधों के अनुसार अभियोजन चलाकर उल्लंघनों के मामलों से कड़ाई से निपटा जाता है।

बीड़ी मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था

992. श्री एस.एम. लालजन बाशा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-2005 में और 2005-2006 में बीड़ी मजदूरों के लिए निर्मित मकानों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार बीड़ी मजदूरों के आवास हेतु भूमि खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 (जनवरी, 2006 तक) में 15,789 और 12,267 मकानों के निर्माण के लिए प्रति मकान 40,000/- रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। 11.50 करोड़ रुपये और 47.15 करोड़ रुपये की राशि (जनवरी, 2006 तक) आर्थिक सहायता के रूप में जारी की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु योजनाएं

993. श्री गिरीश कुमार सांगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तथा सामान्यतः देश के अन्य भागों के विकास हेतु कोई विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा पेश आ रही समस्याओं से अवगत होने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय आन्ध्र प्रदेश सहित देश में गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के नाम हैं - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.),

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.), स्वजलधारा और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.)। हाल ही में, ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम वाले कार्य करना चाहते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया है। प्रथम चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश के 13 जिलों सहित देश के 200 जिलों का निर्धारण किया गया है।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों और राज्य सचिवों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों/पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत, जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियों तथा राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के माध्यम से अपने सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है ताकि कृषकों सहित लक्षित समूहों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाया जा सके। मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाली चूक को कम करने के लिए एक चार-सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना (ii) पारदर्शिता (iii) जन भागीदारी और (iv) जवाबदेही शामिल हैं।

एन.आर.ई.जी.पी. का कार्यान्वयन

994. **सुश्री प्रमिला बोहीदार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् (एन.ए.सी.) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का सुपुर्दगी उन्मुखी कार्यान्वयन करने के लिए दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.ए.सी. ने क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए क्षेत्रीय विकास संबंधी चिन्ता के विषयों पर भी विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य के संबंध में विशेष रूप से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ताकि इस पिछड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के कारगर कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, प्रमुख व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार किए हैं। दिशानिर्देश इस मंत्रालय की वेब-साइट पर उपलब्ध हैं। दिशानिर्देशों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी रखी गई हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय विकास तथा केन्द्र - राज्य संबंधों का विषय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक में उठाया गया था। जबकि इन चर्चाओं के जारी रहने की संभावना है, यह महसूस किया गया है कि उन राज्यों तथा जिलों को संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के उपाय किए जाने की जरूरत है जहां वास्तविक तथा सामाजिक अवसंरचना विकसित करने की अधिक आवश्यकता है।

राजस्थान में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

995. **डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना कब से प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है और यह अन्य आवास निर्माण योजना से किस प्रकार भिन्न है;

(ख) राज्यों को आई.ए.वाई. के अधीन निधियों के आबंटन हेतु मापदंड क्या हैं;

(ग) 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान आई.ए.वाई. के अधीन राजस्थान को कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इसके लिए वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उक्त अवधि के दौरान इंदिरा आवास योजना के अधीन राजस्थान में निर्मित आवास इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र के पास विचार हेतु अभी भी लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निपटान की स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के प्रारंभ होने की जानकारी का पता 1980 में शुरू किए गए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों से लगाया जा सकता है। 1980 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) तथा 1983 में शुरू किए गए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी.) के अंतर्गत प्रमुख क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप आवासों का निर्माण करना था। तथापि, राज्यों में ग्रामीण आवासों

के लिए एक जैसी नीति नहीं है। जून, 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आर.एल.ई.जी.पी. निधियों का एक हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए आवासों के निर्माण हेतु निर्धारित किया गया था। इसके फलस्वरूप, आर.एल.ई.जी.पी. की उपयोजना के रूप में 1985-86 के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) शुरू की गई थी। इसके बाद, आई.ए.वाई. अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) शुरू किए जाने के बाद से उसकी उप-योजना के रूप में चलती रही। कुल जे.आर.वाई. निधियों का 6 प्रतिशत हिस्सा आई.ए.वाई. के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया था। वर्ष 1993-94 से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल करने के लिए आई.ए.वाई. के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया था। इसके साथ ही योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों के आबंटन को राष्ट्र स्तर पर जे.आर.वाई. के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया था। आई.ए.वाई. को जे.आर.वाई. से अलग कर दिया गया था तथा 1 जनवरी, 1996 से एक अलग योजना बना दी गई थी। अब कुल आबंटन में से कम से कम 60 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी.पी.एल. परिवारों पर खर्च करनी होती हैं। अन्य पात्र बी.पी.एल. परिवारों पर योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं किया जा सकता है। इस समय, दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आई.ए.वाई. कार्यान्वित की जाती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे के गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों को भी सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य में सहायता करना है। योजना के खर्च को केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में शत-प्रतिशत राशि केन्द्र द्वारा वहन की जाती है। आवास की कमी को और अधिक कारगर ढंग से दूर करने की दृष्टि से चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 से आवास की कमी तथा इंदिरा आवास योजना के राज्य स्तरीय आबंटन हेतु गरीबी अनुपात को दी गई 50:50 की वेटेज की तुलना में आवास की कमी को 75 प्रतिशत तथा गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत वेटेज देने के लिए निधियों के आबंटन संबंधी मानदंड को संशोधित किया गया है।

(ग) और (घ) राजस्थान में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्षवार आबंटित, रिलीज की गई निर्धारित लक्ष्यों तथा बनाए गए आवासों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	लक्ष्य (संख्या में)	बनाए गए आवासों की संख्या
2004-2005	4876.10	4971.71\$	31207	31070
2005-2006*	6013.11	5650.30	32070	24349

\$ इसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के 95.64 लाख रु. शामिल हैं।

* 22-2-2006 की स्थिति के अनुसार।

(ड) और (च) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

**एस.जी.एस.वाई. के तहत निर्धन लोगों को
लाभ से वंचित करना**

996. **श्री आर.के. आनन्द :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमींदारों जैसे समाज के संपन्न व्यक्ति स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक गरीब लोगों को लाभों से वंचित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो एस.जी.एस.वाई. के अधीन कितने अपात्र व्यक्तियों ने लाभ उठाया है; और

(ग) इस योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2001-2002 तक एस.जी.एस.वाई. के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 2002-03 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन करवाया गया था जिससे यह पता चला कि :-

- देश भर में जितने स्वरोजगारियों को नमूने के तौर पर लिया गया था उनमें से 92.68% बी.पी.एल. श्रेणी के थे। केवल 7.32% स्वरोजगारी गरीबी रेखा से ऊपर पाए गए। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों का अनुपात जो एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र-प्रदेश तथा झारखण्ड में अधिक है। राज्यवार स्थिति विवरण में संलग्न है। (नीचे देखिए) इन राज्यों को इस

रिपोर्ट के मुख्य तथ्यों पर आवश्यकतानुसार उपचारी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(ग) एस.जी.एस.वाई. का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के मिले-जुले माध्यम से आयसर्जक परिसम्पत्तियां उपलब्ध करा कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। कार्यक्रम का लक्ष्य गरीब की योग्यता तथा प्रत्येक क्षेत्र की क्षमता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अति लघु उद्यम स्थापित करना है। दिशानिर्देशों में जब भी बदलाव की जरूरत होती है मंत्रालय उसके लिए प्रयास करता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। कदाचारों को रोकने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों और राज्य सचिवों एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों/पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियों एवं राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के जरिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। मंत्रालय ने एक चार-सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना (ii) पारदर्शिता (iii) जन-भागीदारी और (iv) जवाबदेही शामिल हैं जिससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाली त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलती है।

विवरण

एस.जी.एस.वाई. लाभार्थियों में बी.पी.एल. परिवार (व्यक्ति तथा समूह)

क्र.सं.	राज्य	बी.पी.एल. परिवार के सदस्य %
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70.91
2.	आंध्र प्रदेश	73.79
3.	अरुणाचल प्रदेश	99.18
4.	असम	85.79
5.	बिहार	97.45

1	2	3
6.	छत्तीसगढ़	97.30
7.	दादर नगर हवेली	100.00
8.	दमन और दीव	100.00
9.	गोवा	88.40
10.	गुजरात	98.35
11.	हरियाणा	95.66
12.	हिमाचल प्रदेश	96.20
13.	जम्मू और कश्मीर	93.83
14.	झारखण्ड	77.78
15.	कर्नाटक	91.09
16.	केरल	92.02
17.	लक्षद्वीप	94.12
18.	मध्य प्रदेश	99.35
19.	महाराष्ट्र	98.98
20.	मणिपुर	69.62
21.	मेघालय	100.00
22.	मिजोरम	95.99
23.	नागालैंड	88.64
24.	उड़ीसा	97.40
25.	पांडिचेरी	98.78
26.	पंजाब	94.95
27.	राजस्थान	92.73
28.	सिक्किम	93.10
29.	तमिलनाडु	88.94
30.	त्रिपुरा	100.00

1	2	3
31. उत्तर प्रदेश		91.25
32. उत्तरांचल		92.14
33. पश्चिम बंगाल		96.53
कुल		92.68

**जलापूर्ति परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र तथा
राज्य की एजेंसियों के बीच समन्वय**

997. **श्री कृपाल परमार :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य की एजेंसियों के बीच जल आपूर्ति परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में पूर्ण समन्वय है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन अब तक शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) शेष जिले इस कार्यक्रम में कब तक शामिल किए जायेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकार ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार हैं। तथापि, केंद्र सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया कराकर इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. पूरे देश में चल रहा है और राज्यों की जरूरतों के अनुसार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत दी गई निधियों से ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना बनाने, उन्हें मंजूरी देने, कार्यान्वित एवं निष्पादित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई हैं।

रोजगार का सृजन

908. **श्री एन.आर. गोविंदराज :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप देश में ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार का सृजन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न लघु अवधि वाले कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन पर आधारित नीति के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) योजना आयोग के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा रोजगार तथा बेरोजगारी पर हाल ही में किए गए पंचवर्षीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि चालू दैनिक स्थिति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर 1993-94 में 241.04 मिलियन से बढ़कर 1999-2000 में 250.89 मिलियन हो गए। तथापि, आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर का परिणाम उसी दर से रोजगार सृजन में वृद्धि के रूप में नहीं हो सकता क्योंकि यह अन्य कई कारकों पर भी निर्भर होता है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार सृजन संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। जिनमें स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का स्वरोजगार कार्यक्रम तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) का मजदूरी रोजगार कार्यक्रम शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयासों में सहायता करने के लिए 2004-05 में देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) को पहले चरण में देश के 200 चुने हुए जिलों में शुरू किया गया है। इन 200 जिलों में वे 150 जिले शामिल हैं जहां एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. कार्यान्वित किया जा रहा था और अब इन 200 जिलों में एस.जी.आर.वाई. तथा एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. को एन.आर.ई.जी.ए. में मिला दिया जाएगा। उपर्युक्त के अलावा, यह मंत्रालय ग्रामीण सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री (पी.एम.जी.एस.वाई.) तथा वाटरशेड आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा करते हैं।

जल गुणवत्ता सर्वेक्षण

999. **श्रीमती एन.पी. दुर्गा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार और राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 2.2 लाख ग्रामीण वास स्थान मार्च, 2004 की स्थिति

के अनुसार विभिन्न जल गुणवत्ता समस्याओं से प्रभावित हैं और केवल आंध्र प्रदेश में ही 4,000 से भी अधिक वास स्थान फ्लोराइड, लवणता, आर्सेनिक इत्यादि के कारण प्रभावित हैं;

(ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अधीन केन्द्र द्वारा क्या तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि पेयजल की गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके; और

(ग) भारत सरकार गुणवत्ता प्रभावित वास स्थानों को शामिल करने के लिए राज्यों को कौन से समेकित उपायों का सुझाव दे रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) राज्य सरकारों द्वारा कराए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार, 31 मार्च 2004 को 2,16,968 ग्रामीण बसावटों के अत्यधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक, खारापन, लौह, नाइट्रेट और इनके मिश्रण जैसी जलगुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित होने की जानकारी दी गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि 31-3-2004 की स्थिति के अनुसार 4050 बसावटें जल गुणवत्ता संबंधी विभिन्न समस्याओं से प्रभावित थीं। इन 4050 बसावटों में से, 3072 बसावटों में पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड, 973 में अत्यधिक खारापन और 5 बसावटों में अत्यधिक लौह की समस्या है।

(ख) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है, भारत सरकार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पेयजल की आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए राज्यों को निम्नलिखित तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता दी जा रही है :-

- जिला स्तरीय जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं बनाने के लिए कार्य निष्पादन दिशा-निर्देश 1990 में जारी किए गए थे। प्रत्येक जिले में प्रयोगशाला बनाने में राज्यों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सहायता ली गई थी। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अर्थात् लगभग 4 लाख रु. (एक लाख रु. प्रयोगशाला बनाने और 3 लाख रु. उपस्कर हेतु) की अनुमति है। प्रचालन नियमावली जिसमें जल गुणवत्ता जांच की प्रक्रियाएं बताई गई हैं, भी जारी की गई थी।
- आंध्र प्रदेश सहित 10 राज्यों में राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के माध्यम से जल-भू-विज्ञानी पर आधारित भूजल की संभावना को बताने

वाला मानचित्र तथा सैटेलाइट आंकड़े तैयार किए गए हैं जिससे पेयजल स्रोतों का पता लगाने में और जल एकत्रीकरण ढांचे बनाने के लिए सही स्थान का चयन करने में भी मदद मिलेगी।

- जल एकत्रीकरण और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक सीडी बनाई गई है तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए सभी राज्यों को भेज दी गई है। वर्षा जल एकत्रीकरण संबंधी एक नियमावली 1990 में जारी की गई थी। जल एकत्रीकरण और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी एक अन्य नियमावली भी तैयार की गई थी तथा 2004-05 में सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।
- वर्ष 2006 में सभी राज्यों को समुदाय आधारित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच संबंधी दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं।
- उपर्युक्त के अलावा, विभाग यथापेक्षित, राज्यों को तकनीकी सहायता देता है।

(ग) जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने पर जोर देने के लिए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अब एक समेकित नीति भी सुझाई है जिसमें एकल ग्राम योजनाओं को कवर करने, व्यापक पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं, किफायती उपचारी संयंत्र, घरेलू फिल्टरों, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, स्थानीय जल संरक्षण आदि के लिए किफायती प्रौद्योगिकी विकल्पों का उपयोग करना शामिल है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1000. **प्रो. अलका क्षत्रिय :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दिए गए लाभों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उन रोजगार सृजित करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय उपचारी उपाय करने और नीतिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के माध्यम से मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से अखिल भारतीय स्तर पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराता है। मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निम्नलिखित मूल्यांकन/प्रभाव मूल्यांकन कराए हैं -

- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) - एक दौर
- 20 राज्यों के 20 जिलों में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र सुधार परियोजना का त्वरित मूल्यांकन
- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 34 विशेष परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन
- ग्रामीण आवास का अभिनव चरण और पर्यावास विकास परियोजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन
- समग्र आवास योजना का समवर्ती मूल्यांकन
- देश के सभी जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) का समवर्ती मूल्यांकन
- एस.जी.आर.वाई. की व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का शीघ्र मूल्यांकन अध्ययन
- देश में क्षेत्र सुधार परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) नामक तीन बड़ी रोजगार योजनाएं क्रियान्वित करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) निर्धारित 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में 2 फरवरी, 2006 से लागू हो गया है जिसमें में शारीरिक कार्य की मांग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल शारीरिक कार्य की कानूनी गारंटी का प्रावधान है।

रोजगार के अवसर मुहैया कराने हेतु योजनाएं

1001. **प्रो. अलका क्षत्रिय :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गांवों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलन में हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्यवार और योजना वार सृजित रोजगार के अवसर कितने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं सहित निर्धन व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से तीन प्रमुख योजनाओं अर्थात्, स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, संसद ने सितम्बर, 2005 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) पारित किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के 200 जिलों में 2 फरवरी, 2006 से एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत योजनाएं शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा रिलीज की गई धनराशि और सृजित रोजगार अवसरों के राज्यवार ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण-।

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत रिलीज की गई केन्द्रीय धनराशि

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.	
		रिलीज की गई राशि 2002-03	रिलीज की गई राशि 2003-04	रिलीज की गई राशि 2004-05	रिलीज की गई राशि 2002-03	रिलीज की गई राशि 2003-04	रिलीज की गई राशि 2004-05
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
1.	आंध्र प्रदेश	3738.02	3942.42	5305.97	24380.17	23995.50	24049.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.06	139.60	278.92	824.26	1560.75	1368.64
3.	असम	2802.61	5313.00	6595.62	22496.96	29681.01	32124.06
4.	बिहार	3493.34	5488.81	9619.84	26727.42	34203.10	49196.29
5.	छत्तीसगढ़	1968.76	2025.44	2676.11	12013.04	12023.34	12931.67
6.	गोवा	17.65	25.00	27.82	75.04	110.36	292.55
7.	गुजरात	1403.27	1508.00	1946.40	6942.87	9654.67	9941.23
8.	हरियाणा	827.79	932.06	1175.08	5610.37	5599.45	5567.67
							281.85

9. हिमाचल प्रदेश	348.62	304.77	487.42	2046.00	2394.67	2259.63	303.91
10. जम्मू और कश्मीर	350.44	427.45	436.74	2051.61	10803.04	2715.61	494.26
11. झारखंड	1801.02	2817.41	4180.61	17584.68	26675.15	27394.57	22595.70
12. कर्नाटक	2686.99	2777.12	3735.03	17429.04	19428.39	18290.28	2925.38
13. केरल	1266.55	1435.18	1783.56	7665.17	8696.74	7866.56	547.14
14. मध्य प्रदेश	4232.53	4397.14	5516.04	26872.02	26705.26	28713.84	15808.32
15. महाराष्ट्र	5579.85	5712.39	7409.42	28960.58	31212.10	33657.28	15495.26
16. मणिपुर	0.00	56.75	91.05	669.80	1331.40	2123.41	399.22
17. मेघालय	27.51	117.12	190.84	1905.92	2055.44	2439.01	543.85
18. मिजोरम	86.06	99.96	146.76	573.88	757.86	574.44	95.52
19. नागालैंड	83.15	157.80	203.94	667.28	1168.08	1637.97	455.72
20. उड़ीसा	4181.99	4553.07	5866.19	27406.55	24743.95	26939.86	22283.67
21. पंजाब	391.58	444.25	442.81	3848.98	4620.08	5818.55	716.32
22. राजस्थान	2143.41	2261.24	2941.56	14904.76	13860.68	14564.97	3532.69
23. सिक्किम	95.33	110.76	179.99	439.18	703.55	685.88	315.73
24. तमिलनाडु	3290.35	3690.70	4676.06	21161.09	23318.54	22470.43	4851.58
25. त्रिपुरा	599.65	696.74	1102.28	3850.07	3991.89	4079.04	1543.37
26. उत्तर प्रदेश	7126.87	11756.85	17293.83	66092.08	65695.85	79279.95	26378.11
27. उत्तरांचल	667.95	686.02	954.59	4398.54	5355.75	5361.66	1014.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	पश्चिम बंगाल	1121.19	2617.59	4608.31	20649.89	21453.96	26731.84	11449.81
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	25.00	42.32	97.40	220.94	**
30.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	12.50	61.40	41.13	87.28	**
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	28.58	**
33.	पांडिचेरी	53.64	25.00	100.00	112.61	136.13	205.09	**
कुल		50464.18	64519.64	90010.29	368463.58	412103.79	449618.65	201945.00

*एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया।

**एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), के अंतर्गत सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत सृजित श्रमदिवसों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायताप्राप्त स्व-रोजगारियों की कुल संख्या	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित श्रमदिवसों की संख्या (लाख में)	एन.एफ.एफ. डब्ल्यू. पी. के अंतर्गत सृजित श्रमदिवसों की संख्या (लाख में)				
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05	2004-05*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	70504	79736	84825	392.09	445.55	336.25	39.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	1053	1220	1743	16.62	18.42	8.53	2.49
3.	असम	50176	45480	64814	483.50	637.20	626.02	1.33
4.	बिहार	123546	111613	128075	442.44	489.85	605.32	54.96
5.	छत्तीसगढ़	25950	22926	28842	377.68	308.55	348.85	130.85
6.	गोवा	697	364	683	0.68	0.49	3.57	**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गुजरात	18132	21462	27457	201.40	323.19	264.68	3.82
8.	हरियाणा	11673	11863	14132	119.18	68.87	70.12	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	5745	7928	8950	21.74	39.06	40.18	1.72
10.	जम्मू और कश्मीर	10617	6965	8039	47.10	47.89	43.73	0.00
11.	झारखंड	53729	66644	59705	283.85	386.05	303.88	13.33
12.	कर्नाटक	37116	43293	52976	519.60	566.07	419.24	4.11
13.	केरल	19778	20062	23306	70.95	100.86	118.91	0.21
14.	मध्य प्रदेश	51907	41979	48777	531.52	585.21	581.39	114.07
15.	महाराष्ट्र	55442	60451	70146	490.38	630.96	674.69	0.0
16.	मणिपुर	असूचित	असूचित	असूचित	14.91	14.00	31.93	5.21
17.	मेघालय	1935	5514	7508	24.43	34.37	36.96	1.16
18.	मिजोरम	884	1457	1488	12.99	15.38	6.54	0.00
19.	नागालैंड	2218	4177	2981	16.39	398.99	36.71	0.00
20.	उड़ीसा	48925	59289	65712	599.03	618.57	553.94	260.27
21.	पंजाब	6547	6554	5246	25.93	46.00	33.39	0.00
22.	राजस्थान	27901	28618	35225	377.84	268.62	219.48	33.14
23.	सिक्किम	1397	1942	1598	6.28	8.21	5.34	1.20

24. तमिलनाडु	56838	61120	74927	491.96	512.06	519.41	28.62
25. त्रिपुरा	7777	6581	9301	99.46	126.96	108.46	15.30
26. उत्तर प्रदेश	98469	140622	246824	1335.11	1330.53	1750.45	29.99
27. उत्तरांचल	7690	10780	12493	62.10	91.44	94.29	0.50
28. पश्चिम बंगाल	28748	27008	28280	414.39	445.04	377.56	43.42
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	142	350	373	0.00	0.42	3.01	**
30. दादर व नगर हवेली	17	0	0	0.00	0.00	0.00	**
31. दमन व दीव	0	163	0	0.00	0.00	0.00	**
32. लक्षद्वीप	7	26	6	0.10	0.01	0.13	**
33. पांडिचेरी	707	708	1409	3.28	1.42	0.13	**
कुल	826267	896895	1115841	7482.93	8560.24	8223.08	785.18

*एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. नवम्बर, 2004 में शुरू किया गया।

**एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

केन्द्र द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

1002. श्री टी.टी.वी. धिनकरण : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रियान्वित किए जा रहे केन्द्र द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष विकास देखभाल हेतु अभिनिर्धारित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्नत तकनीकी के प्रयोग सहित देश के पिछड़े जिलों में सुधार लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक योजनाएं अर्थात् स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मजदूरी रोजगार के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम, आश्रय मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण संपर्कता के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वाटरशेड परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा तथा स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित करता है। चुने गए अत्यंत पिछड़े 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया है ताकि एक वित्तीय वर्ष में मांग करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की कानूनी गारंटी दी जा सके।

(ख) विशेष विकासपरक देखभाल के लिए एन.आर.ई.जी.ए. के अंतर्गत कार्यान्वयन के पहले चरण हेतु चुने गए 200 पिछड़े जिलों को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, आवास, क्षेत्र विकास तथा पेयजल जैसी न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से इन जिलों को पर्याप्त संसाधन मुहैया करा रहा है।

विवरण

पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित 200 जिलों की सूची

राज्य	150 एन.एफ.ए.डब्ल्यू.पी. जिले	50 अतिरिक्त जिले
1	2	3
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	
	अनंतपुर	
	कुडप्पा	
	खम्माम	
	महबूबनगर	
	नालगोंडा	
	रंगारेड्डी	
	वारंगल	
		चित्तूर
		करीम नगर
अरुणाचल प्रदेश असम	अपर सुबानसिरी	मेडक
	धीमाजी	निजामाबाद
	कारबी आंगलांग	विजयनगरम
	कोकराझार	
	उ. कछार हिल्स	
	उत्तरी लखीमपुर (लाक्षा)	

1	2	3
		बोंगईगांव गोलपाड़ा
बिहार	अररिया दरभंगा गया जमुई कटिहार लखीसराय मधुबनी मुंगेर मुजफ्फरपुर नवादा पूर्णिया समस्तीपुर शिवहर सुपौल वैशाली	औरंगाबाद भोजपुर जहानाबाद कैमूर (मबुआ) किशनगंज नालंदा पटना रोहतास

1	2	3
छत्तीसगढ़	बस्तर बिलासपुर दंतेवाड़ा धमतरी जशतरी जशपुर कांकेर कोरिया रायगढ़ राजनांदगांव सरगुजा	कवर्धा
गुजरात	बनासकांठा डांगस दोहाद नर्मदा पंच महल साबरकांठा	
हरियाणा	महेन्द्रगढ़	सिरस
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	सिरमौर
जम्मू और कश्मीर	डोडा कुपवाड़ा	पुंछ

1	2	3
झारखंड	चतरा	
	दुमका	
	गढ़वा	
	गोड्डा	
	गुमला	
	जामतारा	
	लतेहर	
	लोहारदग्गा	
	पाकुर	
	पलामू	
	साहेबगंज	
	सरायकेला	
	सिमडेगा	
	प. सिंहभूम	
		बोकारो
		धनबाद
कर्नाटक	बीदर	गिरिडीह
	चित्रदुर्ग	हजारीबाग
	दावनगेरे	कोडरमा
		रांची
		गुलबर्गा
		रायचूर

1	2	3
केरल	वायनाड	पलक्कड
मध्य प्रदेश	बालाघाट बड़वानी बैतूल छत्तरपुर धार झाबुआ खंडवा मंडला शहडोल शिवपुर शिवपुरी सीधी टीकमगढ़ उमरिया खरगोन	डिंडोरी सतना सिवनी
महाराष्ट्र	अहमदनगर औरंगाबाद भंडारा चंद्रपुर धुले	

1	2	3
	गढ़चिरौली	
	गोंदिया	
	हिंगोली	
	नान्देड़	
	नान्दुरबार	
	यवतमाल	
		अमरावती
मणिपुर	तामेनलांग	
मेघालय	द. गारो हिल्स	
		प. गारो हिल्स
मिजोरम	सैहा	
		लवंगतलाई
नागालैण्ड	मोन	
उड़ीसा	बोलांगीर	
	बौध	
	देवगढ़	
	ढेंकनाल	
	गंजम	
	झारसुगुड़ा	
	कालाहांडी	
	क्योंझर	
	कोरापुट	
	मलकानगिरी	
	मयूरभंज	
	नवरंगपुर	

1	2	3
	नौपाड़ा	
	फुलबनी	
	रायगढ़	
	संबलपुर	
	सोनपुर	
	सुन्दरगढ़	
		गजपति
पंजाब	होशियारपुर	
राजस्थान	बांसवाड़ा	
	डूंगरपुर	
	करौली	
	सिरोही	
	उदयपुर	
		झालावाड़
सिक्किम	उ. सिक्किम	
त्रिपुरा	धलाई	
तमिलनाडु	नागापट्टिनम	
	द. आरकोट/कुड्डालूर	
	तिरुवन्नामलाई	
	विल्लूपुरम	
		डिंडीगुल
		शिवगंगई
उत्तरांचल	चम्पावत	
	टिहरी गढ़वाल	
		चमोली

1	2	3
उत्तर प्रदेश	बांदा बाराबंकी चित्रकूट फतेहपुर हमीरपुर हरदोई कुशीनगर लखीमपुर खीरी ललितपुर महोबा मिर्जापुर रायबरेली सीतापुर सोनभद्र उन्नाव	आजमगढ़ चन्दौली गोरखपुर जालौन जौनपुर कौशम्बी प्रतापगढ़
प. बंगाल	बांकुरा मालदा मुर्शिदाबाद	

1	2	3
	पुरुलिया	
	प. मिदनापुर	
	प./उ. दिनाजपुर	
		द. 24 परगना
		बीरभूम
		जलपाईगुड़ी
		द. दिनाजपुर

स्वजलधारा के अन्तर्गत योजनाएं

1003. **श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2005 में स्वजलधारा के अधीन कुल 4222 योजनाओं को पूरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं हेतु राज्य-वार कितनी राशि खर्च की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) स्वजलधारा के अंतर्गत अब तक कुल 5613 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) निधियों का 20% वार्षिक तौर पर स्वजलधारा योजना के लिए आबंटित किया जा सकता है। इसके बाद ये निधियां वर्ष के लिए निर्धारित अंतर-राज्यीय ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. आबंटन अनुपात के अनुसार राज्यों को आबंटित की जाती हैं। तत्पश्चात्, राज्य जिला-वार आबंटन करते हैं तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी.डब्ल्यू.एस.सी.)/राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एस.एम.) स्तर पर विशेष प्रस्तावों पर विचार करते हैं और स्वजलधारा के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें अनुमोदित करते हैं। भारत सरकार संबंधित डी.डब्ल्यू.एस.सी./एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के योजना-वार ब्यौरे नहीं रखती है।

विवरण		
विभिन्न राज्यों में स्वजलधारा के अंतर्गत योजनाएं		
क्र.सं.	राज्य	2002-03 में स्वजलधारा के शुरू होने से लेकर अब तक पूरी हो चुकी योजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2122
2.	अरुणाचल प्रदेश	75
3.	असम	143
4.	छत्तीसगढ़	53
5.	गुजरात	142
6.	हिमाचल प्रदेश	40
7.	जम्मू और कश्मीर	64
8.	झारखंड	3
9.	कर्नाटक	247
10.	केरल	5
11.	मध्य प्रदेश	210
12.	महाराष्ट्र	16
13.	उड़ीसा	173
14.	राजस्थान	600
15.	तमिलनाडु	1053
16.	त्रिपुरा	263
17.	उत्तर प्रदेश	393
18.	उत्तरांचल	6
19.	पश्चिम बंगाल	5
कुल		5613

एस.जी.एस.वाई. के संबंध में अंतर मंत्रालयी समूहों की सिफारिशें

1004. **श्री सी. रामचन्द्रैया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-07 हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन प्रायोगिक कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अंतर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) प्रथम तथा द्वितीय चरण में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य के चयनित जिलों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2005-2006 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) अंतर-मंत्रालयीय समूह (आई.एम.जी.) ने सिफारिश की थी कि एक ऐसा मांग आधारित कौशल विकास कार्यक्रम बनाया जाए जिससे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को बाजार संबंधी कौशल प्राप्त हो सके ताकि वे या तो संगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा लघु उद्यम के माध्यम से स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें। आई.एम.जी. की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौशल विकास का एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रायोगिक योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं।

योजना के प्रायोगिक चरण (2005-2007) के दौरान 100 चुनिंदा जिलों में प्रतिवर्ष कम से कम 1000-2000 ग्रामीण युवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित सहायता (75:25) की समान प्रणाली के साथ एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा। राज्य सरकारों से अब तक ऐसी कोई विशेष परियोजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

ग्रामीण परियोजनाओं के प्रस्ताव

1005. **श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान विभिन्न सड़कों के विकास हेतु देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त ग्रामीण परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान देश में विभिन्न सड़कों के विकास हेतु किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में प्रत्येक परियोजना पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुमोदन राज्यवार और चरणवार किया जाता है। पी.एम.जी.एस.वाई. के चरण तीन (2003-04) और चरण चार (2004-05) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, रिलीज की गई निधि और उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

<p style="text-align: center;">विवरण-I</p> <p style="text-align: center;">चरण-III (2003-04) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, रिलीज की गई और उपयोग में लाई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे (लंबाई कि.मी. में और रिलीज तथा व्यय करोड़ रु. में)</p>									
क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि *	सड़क कार्यों की सं.	सड़क कार्यों की लम्बाई	पूर्ण सड़क कार्यों की सं.	पूर्ण सड़क कार्यों की लम्बाई	पूर्ण सड़क कार्यों की सं.	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	आंध्र प्रदेश	258.56	253.56	615	2233.52	418	1350.00	177.53	
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0	0.00				
3.	असम	199.72	199.72	107	800.10	48	320.57	151.71	
4.	बिहार	931.16	151.44	329	3019.75			55.99	
5.	छत्तीसगढ़	378.02	376.06	293	1913.29	193	1185.34	247.16	
6.	गोवा	0.00	0.00	0	0.00				
7.	गुजरात	88.70	88.70	303	651.24	269	572.46	67.14	
8.	हरियाणा	48.04	48.04	14	274.81	11	218.53	42.28	
9.	हिमाचल प्रदेश	254.01	254.00	370	1881.93	61	189.26	115.08	
10.	जम्मू और कश्मीर	91.27	72.82	67	295.47			3.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	झारखंड	135.92	135.92	131	651.92	39	145.47	77.48
12.	कर्नाटक	118.26	118.26	359	1096.30	109	323.64	63.30
13.	केरल	20.54	20.77	52	97.96	0	0.00	4.26
14.	मध्य प्रदेश	583.00	583.00	555	2821.00	451	2111.69	416.29
15.	महाराष्ट्र	147.48	145.34	304	926.66	21	52.49	51.24
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0	0.00			
17.	मेघालय	30.05	0.00	30	93.10			
18.	मिजोरम	48.80	48.80	21	291.94	15	287.19	48.66
19.	नागालैंड	21.44	21.44	22	193.42	14	188.74	17.85
20.	उड़ीसा	440.93	440.93	630	2011.92	412	1368.82	323.84
21.	पंजाब	36.81	36.81	114	223.95	79	151.32	25.21
22.	राजस्थान	679.45	591.26	1508	5490.70	1501	5303.25	596.91
23.	सिक्किम	35.30	20.00	21	105.95	0	90.00	13.26
24.	तमिलनाडु	164.78	164.78	498	1113.92	385	787.85	116.29
25.	उत्तर प्रदेश	670.54	650.27	1937	4546.49	1452	2733.39	571.83
26.	उत्तरांचल	58.56		52	430.37			0
27.	पश्चिम बंगाल	599.28	599.28	367	2029.58	203	964.29	374.77
कुल जोड़		6080.21	5040.69	8706	33276.20	5681	18344.30	3569.76

*5-2-2006 तक

विवरण-II

चरण-IV (2004-05) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं, रिलीज की गई और उपयोग में लाई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे
(लंबाई कि.मी. में और रिलीज तथा व्यय करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि *	सड़क कार्यों की सं.	सड़क कार्यों की लम्बाई	पूर्ण सड़क कार्यों की सं.	पूर्ण सड़क कार्यों की लम्बाई	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	369.24	100.00	607	a2638.84			
2.	अरुणाचल प्रदेश	106.22	52.00	64	340.04			
3.	असम	244.46	244.46	195	750.64	14	42.84	96.22
4.	बिहार	0.00	0.00	0	0.00			
5.	छत्तीसगढ़	412.59	184.07	359	1872.72	131	838.94	184.07
6.	गोवा	1.08	0.00	6	4.32			
7.	गुजरात	49.31	24.66	142	289.03	32	69.23	20.55
8.	हरियाणा	40.22	20.11	18	183.03	10	96.65	20.11
9.	हिमाचल प्रदेश	136.11	0.00	105	620.21			
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0	0.00			
11.	झारखंड	0.00	0.00	0	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कर्नाटक	101.17	50.58	90	611.96			
13.	केरल	52.76	25.00	96	179.47			
14.	मध्य प्रदेश	736.59	361.94	743	3508.00	329	1368.90	361.94
15.	महाराष्ट्र	143.16	0.00	240	847.81	13	36	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0	0.00			
17.	मेघालय	0.00	0.00	0	0.00			
18.	मिजोरम	92.79	46.40	14	294.63		202.09	36.90
19.	नागालैंड	37.51	18.00	9	224.50	2	170.50	14.94
20.	उड़ीसा	398.72	199.36	418	1645.12	2	95.92	83.59
21.	पंजाब	78.87	39.44	59	419.47	4	14.01	21.82
22.	राजस्थान	302.81	302.81	584	2279.56	567	2121.32	254.68
23.	सिक्किम	63.10	25.00	34	144.49		46	9.16
24.	तमिलनाडु	117.91	58.95	417	825.90			0.53
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0	0.00			
26.	उत्तर प्रदेश	1007.76	503.88	2301	4230.69			
27.	उत्तरांचल	102.87	0.00	79	595.47			0.00
28.	पश्चिम बंगाल	311.90	150.00	152	975.53			
	कुल जोड़	4907.15	2406.66	6732	23481.43	1104	5102.40	1104.51

*5-2-2006 तक

विभिन्न योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि

1006. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत कितना आबंटन किया गया और उसकी तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का व्यय किया गया; और

(ख) पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा प्रभावी निगरानी तंत्र को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन तथा रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी द्वारा किए गए फील्ड दौरों तथा राज्य सचिवों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों/पंचायतों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ चर्चा, जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियों और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के माध्यम से अपने सभी कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए तथा लक्ष्य समूहों के सामने आने वाली समस्याओं को जानने के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में पंचायती राज संस्थाएं निचले स्तर पर प्रगति की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित व व्यय की गयी धनराशि (करोड़ रु. में)									
क्र. सं.	कार्यालय का नाम	केन्द्रीय आबंटन			केन्द्रीय रिलीज				
		2002-03	2003-04	2004-05	2002-03	2003-04	2004-05		
1.	एस.जी.आर.वाई.	3552.53	4120.25	4495.25	3684.64	4121.04	4496.19		
2.	एस.जी.एस.वाई.	567.90	800.00	1000.00	504.64	645.20	900.10		
3.	आई.ए.वाई.	1656.40	1870.50	2460.67	1628.53	1871.08	2883.10		
4.	एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.**	—	—	2049.00	—	—	2019.45		
5.	पी.एम.जी.एस.वाई.	2375.00	2220.00	2220.00	2469.00	2314.33	2436.64		
6.	डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी./आई.डब्ल्यू.डी.पी.	*	*	0	643.91	806.15	849.35		
7.	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1845.18	1623.15	1921.10	1901.69	1646.29	2017.88		
8.	टी.एस.सी.	*	*	*	138.36	199.28	349.18		
9.	स्वजलधारा	219.62	199.94	240.71	196.79	136.72	222.46		

* ये योजनाएं मांग आधारित हैं तथा निधियां राज्यों को आबंटित नहीं की जाती हैं और निधियां राज्यों में अनुमोदित की गई परियोजनाओं के अनुसार उनकी मांग के आधार पर रिलीज की जाती हैं।

** एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. नवम्बर, 2004 में शुरू की गई।

कोसा और खादी परिधानों का निर्यात

1007. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
 (क) क्या देश से कोसा (टसर) एवं खादी परिधानों का निर्यात किया जा रहा है;
 (ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को इस प्रकार का निर्यात किया जा रहा है;
 (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों को उक्त परिधानों का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और
 (घ) आयातित कोसा परिधानों का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से इनका कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लंगोवन) : (क) से (ग) जी, हां। कोसा (तसर) परिधान के संबंध में निर्यात आंकड़े 1999-2000 से उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए तसर रेशम फैब्रिक्स की देश-वार मात्रा नीचे दी गई है :-

(मात्रा मी. टन में)

देश	2002-03	2003-04	2004-05
संयुक्त राज्य अमेरिका	112.87	127.87	160.42
ब्रिटेन	22.05	29.06	82.85
स्पेन	39.76	34.87	50.85
संयुक्त अरब अमीरात	32.06	46.50	69.91
इटली	32.45	25.72	103.44
जर्मन लोक गणराज्य	27.58	23.25	36.80
फ्रांस	23.36	34.50	50.43
सऊदी अरब	61.43	5.20	16.22
सिंगापुर	8.41	12.55	16.25
हांग-कांग	31.78	10.69	3.74
अन्य	140.22	231.02	173.51
कुल	531.86	581.23	764.72

खादी परिधान के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान तसर रेशम फैब्रिक्स की देश-वार आयात नीचे दिए गए हैं :-

(मात्रा : कि.ग्रा. में)

देश	2003-04	2004-05
चीन	473	32
हांगकांग	—	1717
नेपाल	—	3634
संयुक्त राज्य अमेरिका	71	—
नाइजीरिया	841	—
अन्य	202	210
कुल	1587	5593

बंद पड़ी वस्त्र मिलें

1008. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी कपड़ा मिलें दस वर्षों से अधिक समय से बंद पड़ी हैं;

(ख) उनके नाम क्या-क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) छत्तीसगढ़ में बी.एन.सी. मिल को बंद किए जाने के क्या कारण हैं और यह कब से बंद पड़ी है; और

(घ) इसको चालू किए जाने अथवा बेचे जाने हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विकसित हो रहे वस्त्र केन्द्रों के लिए योजनाएं

1009. **प्रो. एम.एम. अग्रवाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पारंपरिक रूप से विकसित हो रहे वस्त्र केन्द्रों में औद्योगिक विकास हेतु तैयार की गई और क्रियान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए मंजूर की गई, जारी की गई और व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लैंगोवन) : (क) से (ग) वस्त्र क्षेत्र में क्रियाकलाप मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। वस्त्र क्षेत्र में योजनाएं इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए हैं और वे विशिष्ट क्षेत्र/केंद्रों पर संकेंद्रित नहीं हैं। वस्त्र क्षेत्र में निधियां प्राप्त प्रस्तावों की अर्थक्षमता के आधार पर उन विभिन्न योजनाओं, जो राज्य विशिष्ट भी नहीं हैं, के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। वस्त्र क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	क्षेत्र	योजना का नाम
1.	हथकरघा	हथकरघा निर्यात योजना (एच.ई.एस.) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना विपणन संवर्धन कार्यक्रम कार्यशाला-सह-आवास योजना बुनकर कल्याण योजना
2.	हस्तशिल्प	बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना निर्यात संवर्धन योजना पिशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस.एच.टी.पी.) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना
3.	रेशम उत्पादन	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम
4.	कपास	कपास प्रौद्योगिकी मिशन
5.	संगठित क्षेत्र	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
6.	निर्यात	एकीकृत वस्त्र पार्क योजना

रेशों पर उत्पाद शुल्क को कम किया जाना

1010 श्री पी.के. माहेश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एम.एम.एफ. रेशों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कर भार और लाल फीताशाही के कारण देश का वस्त्र उद्योग प्रत्याशित विकास नहीं कर पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) और (ख) बजट प्रस्ताव, 2006-07 में मानव-निर्मित फाइबर और यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वस्त्र क्षेत्र में वित्तीय शुल्क ढांचा पिछले कुछ वर्षों में युक्तिसंगत बना दिया गया है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इससे वस्त्र क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई है।

उड़ीसा में रेशम कीट पालन उद्यम स्थापित किया जाना

1011. **सुश्री प्रमिला बोहीदार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े राज्य उड़ीसा में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए राज्य सरकार अत्यधिक पिछड़े कालाहान्डी, बोलनगिर कोरापुट (के.बी.के.) प्रदेशों में रेशम कीट पालन उद्यम स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या इस परियोजना को केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा किए जाने की दिशा में अभी तक क्या प्रगति की गई है; और

(घ) ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान करने के दृष्टिकोण से रेशम कीट पालन में इस गरीब राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्र की क्या कार्य योजना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) और उड़ीसा राज्य सरकार दोनों रेशम विज्ञानियों को रोजगार के लाभप्रद अवसर प्रदान करने के लिए के.बी.के. क्षेत्र सहित उड़ीसा के विभिन्न जिलों में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं :

1. के.बी.के. जिलों सहित उड़ीसा के विभिन्न रेशम उत्पादन क्षेत्रों में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
2. मयूरभंज जिले के सिमलीपाल बायोस्फेयर में तसर पारि प्रजाति विकास परियोजना।

(ग) केंद्रीय रेशम बोर्ड 10वीं योजना के दौरान देश में रेशम उद्योग के संवर्द्धन के लिए उड़ीसा राज्य सहित विभिन्न राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात् "उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम" के तहत विभिन्न योजनाओं/संघटकों का कार्यान्वयन कर रहा है। सी.डी.पी. के तहत संघटकों में घरेलू पौधारोपण, फार्म इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, रेशम में रीलिंग और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम आदि के विकास और विस्तार की परिकल्पना है। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (जनवरी, 2006 तक) के दौरान क्रमशः 50.62 लाख रुपए, 82.29 लाख रुपए, 24.32 लाख रुपए और 120.89 लाख रुपए खर्च/जारी किए हैं। सी.डी.पी. के.बी.के. जिलों सहित उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित की जाती रही है।

मॉडल तसर पारि प्रजाति विकास परियोजना 2.60 करोड़ रुपए की कुल लागत से मयूरभंज जिले में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सी.एस.बी. का 39.13 लाख रुपए का हिस्सा शामिल है। सी.एस.बी. ने अब तक मुख्य रूप से परियोजना क्षेत्रों में बीज कोया की खरीद, यातायात, आधार एकक की स्थापना और परिसरों के संगठन के लिए 34.23 लाख रुपए जारी किए हैं। इस परियोजना से मॉडल पारि-प्रजाति जनसंख्या के संरक्षण में मदद मिली है और वन पारिस्थितिकी में व्यवधान डाले बिना गुणवत्ता के तसर कोया की फसल उगाने में स्थानीय पालकों को सहायता मिली है।

(घ) केंद्रीय रेशम बोर्ड और अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से इन योजनाओं/परियोजनाओं को जारी रखेगा। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने 11.36 करोड़ रुपए की कुल लागत से राज्य में तसर कृषि के विकास के लिए विशेष स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) परियोजना तैयार की है और वित्तीय सहायता के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। यह परियोजना 2006 और 2010 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना में 3,220 लाभार्थियों के माध्यम से 70.14 मी.टन तसर रेशम और 29.91 मी.टन एरी स्पन रेशम का उत्पादन करने की परिकल्पना है।

विश्व वस्त्र बाजार में भारत का अंश

1012. श्री दारा सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विश्व वस्त्र बाजार 150 बिलियन डॉलर का है;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व की कुल कपास में से 17 प्रतिशत कपास का उत्पादन हमारे देश द्वारा किया जाता है;

(ग) क्या देश के लिए यह संभव होगा कि वह उस स्थिति में विश्व वस्त्र बाजार के एक बड़े हिस्से पर अधिकार जमा ले जब आगामी तीन वर्षों के लिए इसके सर्वाधिक बड़े उत्पादक देश चीन को कोटा प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व बाजार में भारत के संभावित अंश का प्रतिशत क्या होगा तथा बढ़ते हुए वस्त्र निर्यात के आधार पर कितनी नई नौकरियां सृजित होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अनुसार विश्व बाजार वर्ष 2004 के लिए क्लोदिंग में 258 बिलियन अमेरिकी डालर है और वस्त्र क्षेत्र में 195 बिलियन अमेरिकी डालर है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आई.सी.ए.सी.) बुलेटिन सितंबर, 2005 के अनुसार भारत ने वर्ष 2004-05 के दौरान (कपास वर्ष : अक्टूबर-सितम्बर) विश्व कपास का 15.73% उत्पादन किया।

(ग) और (घ) उद्योग के वस्त्र दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय वस्त्र उद्योग के 2010 तक विश्व बाजार का 6% हिस्सा प्राप्त करने की संभावना है और यह 12 मिलियन का अतिरिक्त रोजगार सृजित करेगा (अर्थात् प्रत्यक्ष रोजगार के माध्यम से 5 मिलियन और संबद्ध क्षेत्र में 7 मिलियन रोजगार)।

विश्व वस्त्र बाजार में भारत की सहभागिता

1013. **श्री मंगनी लाल मंडल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व वस्त्र बाजार में भारत की भागीदारी में 46 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन की भागीदारी के अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि वस्त्र निर्यात बाजार में चीन में भागीदारी वर्ष 2001 में 9 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 72.3 प्रतिशत हो गई है जबकि उक्त अवधि में भारत की भागीदारी का प्रतिशत 2.8 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वैश्विक वस्त्र बाजार में भारत का हिस्सा 2000 में 3.46% से आंशिक रूप से घटकर 2003 में 3.33% हो गया है जबकि चीन का हिस्सा 2000 में 14.83% से बढ़कर 2003 में 19.5% हो गया है।

(ग) चीन को अवसंरचना, कच्ची सामग्री की लागत, किराया ढांचे, विद्युत दरों आदि के संबंध में भारत की अपेक्षा कुछ बढ़त है। चीन के पास अत्यधिक विकसित,

पुराना और सुस्थापित वस्त्र उद्योग है जिसकी संपूर्ण वस्त्र मूल्य शृंखला में महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

वस्त्र कोटि उन्नयन निधियां

1014. **श्री सी. रामचन्द्रैया :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र कोटि उन्नयन निधि को कम किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वस्त्र क्षेत्र की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या बैंकों ने वस्त्र उन्नयन निधि के अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज राजसहायता की प्रतिपूर्ति करने से इंकार कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए विगत में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए विगत में सरकार द्वारा किए गए कदम

- प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.)** शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग और प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।
- संगठित और असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)**

शुरू की गई गयी थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

- वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टी.यू.एफ.एस. के तहत 20-4-2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।
- लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.) 13-1-2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।
- विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए **उच्च प्रौद्योगिक बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समूह कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण पूंजीगत सब्सिडी योजना** जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार ने 20% पूंजीगत सब्सिडी योजना-टी.यू.एफ.एस. के तहत मशीनों के लिए पूंजी की सीमा 13-1-2005 से 60 लाख रु. से बढ़ाकर 100.00 लाख रु. कर दी है।
- वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए जुलाई, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पर आधारित **"एकीकृत वस्त्र पार्क योजना"** (एस.आई.टी.पी.) नामक एक योजना शुरू की गई है।
- बजट 2004-05 में, मानव निर्मित फाईबर और फिलामेंट यार्न, को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पालिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य-वर्द्धित कर 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।
- कोटा पश्चात व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी

गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी.सी.डी.) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

- बजट 2005-06 में निटिंग और निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।
- सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।
- निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा **अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (ए.टी.डी.सी.)** को सुदृढ़ बनाने तथा नए ए.टी.डी.सी. खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।
- सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।
- सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।
- **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)** की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।
- विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है :-
 - अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
 - देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
 - देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

जूट मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना

1015. **डा. कुमकुम राय** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष सहायता दे रही है/देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.), पटसन उद्यमी सहायता योजना (जे.ई.ए.एस.), पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना और बाह्य बाजार सहायता योजना (ई.एम.ए.) जैसी कई योजनाएं चला रही है जिनका उद्देश्य पटसन मिलों का आधुनिकीकरण करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र परियोजनाएं

1016. **श्री द्विजेन्द्र नाथ शर्मा** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चलायी जा रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) से (ग) वस्त्र क्षेत्र में क्रियाकलाप मुख्य रूप से विकेंद्रीकृत क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। सरकार वस्त्र क्षेत्र में कोई परियोजना स्थापित करने में नहीं लगी है। वस्त्र क्षेत्र में निधियां प्राप्त प्रस्तावों की अर्थक्षमता के आधार पर उन विभिन्न योजनाओं, जो राज्य विशिष्ट भी नहीं हैं, के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं। वस्त्र क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	क्षेत्र	योजना का नाम
1.	हथकरघा	हथकरघा निर्यात योजना (एच.ई.एस.) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना विपणन संवर्धन कार्यक्रम कार्यशाला-सह-आवास योजना बुनकर कल्याण योजना

क्र.सं.	क्षेत्र	योजना का नाम
2.	हस्तशिल्प	बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना निर्यात संवर्धन योजना पिशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (एस.एच.टी.पी.) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना
3.	रेशम उत्पादन	उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम
4.	कपास	कपास प्रौद्योगिकी मिशन
5.	संगठित क्षेत्र	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
6.	निर्यात	एकीकृत वस्त्र पार्क योजना

हस्तशिल्पों का विकास

1017. श्री एन.आर. गोविंदराज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हस्तशिल्प के विकास के संबंध में कोई आकलन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने हस्तशिल्पों के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं और हस्तशिल्पों के विकास के पीछे छूट रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन राज्यों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इल्लेगोवन) : (क) जी हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) के माध्यम से हस्तशिल्पों के निर्यात की स्थिति का एक आकलन हाल ही में किया गया था।

(ख) इस आकलन का परिणाम इस प्रकार है :-

(i) हस्तशिल्पों का निर्यात 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

(ii) निर्यात के मुख्य अंशकारक हैं : कशीदाकारीकृत और क्रोशिए से बनी वस्तुएं (32.46 प्रतिशत); धातु की कलात्मक वस्तुएं (31.98 प्रतिशत); कलात्मक वस्तुओं के रूप में शालें (28.45 प्रतिशत) और नकली आभूषण (28.41 प्रतिशत)।

(iii) विश्व के हस्तशिल्प व्यापार में भारतीय निर्यात का हिस्सा 1.3 प्रतिशत है।

(iv) देश से होने वाले हस्तशिल्पों के कुल निर्यात में मध्य क्षेत्र का योगदान 48 प्रतिशत और उत्तरी क्षेत्र का योगदान लगभग 35 प्रतिशत है।

(ग) निर्यात में प्रदर्शन के अनुसार, पिछड़े रह गए क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूर्वी क्षेत्र (6.33 प्रतिशत), पश्चिमी क्षेत्र (5.66 प्रतिशत) और दक्षिणी क्षेत्र (4.99 प्रतिशत) हैं और हस्तशिल्पों के लक्ष्य एवं निर्यात आंकड़े देश में समग्र रूप से निर्धारित किए जाते तथा रखे जाते हैं तथा राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(घ) पिछड़े रह गए क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्पों के विकास और संवर्धन के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें कलस्टर विकास, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाएं, निर्यात संवर्धन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.), कौशल उन्नयन के लिए विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना, ऋण गारंटी स्कीम, अनुसंधान एवं विकास आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, पूर्वी, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों के क्षमतावान शिल्पों की पहचान करके उत्पादों का विविधीकरण किया जा रहा है।

रेशम कीट पालन के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

1018. श्री बी.के. हरिप्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में रेशम कीट पालन उद्योग के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम उद्योग के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन के संबंध में एक प्रारूप दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच की है; और

(ग) प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन को कब तक शुरू किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न राज्य सरकारों और उद्योग के भागीदारों के साथ समन्वय करके भारतीय रेशम के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के वास्ते एक दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह दस्तावेज प्रारंभिक चरणों में है और काफी कार्य एवं परामर्श अभी किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में इसे शुरू किए जाने के समय के बारे में बताना संभव नहीं है।

प्रश्न के उत्तर के संशोधनार्थ मंत्री द्वारा विवरण

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : "हथकरघा क्षेत्र का विकास" के संबंध में 14 दिसम्बर, 2005 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2418 के दिए गए उत्तर के संशोधनार्थ एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

**एन.आई.एम.आई., चेन्नई का प्रतिवेदन और
लेखे (2004-2005) तथा संबद्ध-पत्र**

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री चन्द्र शेखर साहू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :

- (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट (एन.आई.एम.आई.), चेन्नई का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3705/06]

गृह मंत्रालय की अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2005 को प्रकाशित करने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2005 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3757/06]

गृह मंत्रालय की अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : महोदय, मैं विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन गृह मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) विदेशियों विषयक (अधिकरण) संशोधन आदेश, 2006 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 57(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006।
- (2) विदेशियों विषयक (असम के लिए अधिकरण) आदेश, 2006 को प्रकाशित करने वाली सा.का.नि. 58(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2006। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3688/06]

- I. एन.आई.एफ.टी., नई दिल्ली का प्रतिवेदन और लेखे (2002-03) तथा संबद्ध-पत्र
- II. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, चेन्नई का प्रतिवेदन और लेखे (2004-05) तथा संबद्ध-पत्र

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- I. (क) 2002-2003 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एन.आई.एफ.टी.), नई दिल्ली का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
(ख) उपर्युक्त इंस्टीट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 3735/06]
- II. (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, चेन्नई का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
(ख) उपर्युक्त परिषद् के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 3734/06]
- I. एस.ई.पी.सी., कोलकाता के प्रतिवेदन और लेखे (2004-05) तथा संबद्ध-पत्र
- II. सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल., कोलकाता का प्रतिवेदन और लेखे (2004-05) तथा संबद्ध-पत्र
- III. पी.एल.ई.एक्स.सी.ओ.एन.सी.आई.एल., मुंबई का प्रतिवेदन और लेखे (2004-05) तथा संबद्ध-पत्र
- IV. पी.एच.ए.आर.एम.ई.एक्स.सी.आई.एल., हैदराबाद का प्रतिवेदन और लेखे (2004-05) तथा संबद्ध-पत्र
- V. सी.एच.ई.एम.ई.एक्स.सी.आई.एल., मुंबई का प्रतिवेदन और लेखे तथा संबद्ध-पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :

-
- I. (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए शेल्लक निर्यात संवर्धन परिषद (एस.ई.पी.सी.), कोलकाता का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (ख) 2004-2005 के वर्ष के लिए शेल्लक निर्यात संवर्धन परिषद (एस.ई.पी.सी.), कोलकाता के वार्षिक लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ग) उपर्युक्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (घ) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 3771/06]
- II. (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल., कोलकाता का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 4097/06]
- III. (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए प्लास्टिक्स निर्यात संवर्धन परिषद (पी.एल.ई.एक्स.सी.ओ.एन.सी.आई.एल.), मुंबई का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 3773/06]
- IV. (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए फार्मास्युटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद (पी.एच.ए.आर.एम.ई.एक्स.सी.आई.एल.), हैदराबाद का पहला वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 3774/06]

[श्री जयराम रमेश]

V. (क) 2004-2005 के वर्ष के लिए बेसिक केमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एंड कार्बोमेटिक्स निर्यात संवर्धन परिषद (सी.एच.ई.एम.ई.एक्स.सी.आई.एल.), मुम्बई का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त परिषद के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई।
देखिए संख्या एल.टी. 3772/06]

लोक सभा से प्राप्त संदेश

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

महासचिव : महोदय, मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा से, वहां के महासचिव के हस्ताक्षर सहित, यह सन्देश प्राप्त हुआ है :

"लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 96 के, उपबन्धों के अनुसार मैं आदेशानुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 जिस रूप में उसे लोक सभा ने अपनी 27 फरवरी, 2006 की बैठक में पारित किया है, की एक प्रति भेजता हूं।"

मैं विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सभापीठ की अनुमति से उठाये गये मामले

अमरीका में भारतीयों के प्रति जातीय भेदभाव

श्रीमती एन.पी. दुर्गा (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान उन समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं जो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, विशेषकर (आन्ध्र प्रदेश) के इंजीनियरों को अमेरिका में पेश आ रही हैं। (व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह (झारखण्ड) : गृह मंत्री जी, आप कृपया दो मिनट बैठिए। एक सवाल है।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : महोदय, मुझे लोक सभा में दो विधेयक प्रस्तुत करने हैं। मुझे कहा गया है कि मैं वहां उपस्थित रहूं।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा : मीडिया में अनेक खबरें आई हैं। मैंने टेलीविजन पर देखा है कि आन्ध्र प्रदेश की तिरुमालासत्ती नीलिमा नामक महिला ने, जो केयर मार्क नामक कम्पनी में काम करती है, टैक्सास में फेडरल कोर्ट के समक्ष यह कहते हुए कि उसे गर्भवती जानते हुए भी अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं, एक मामला दायर किया है। गर्भवती महिला के खिलाफ इस तरह का व्यवहार अत्यंत अमानवीय है। इसके अलावा, अमेरिका ने भारतीय विज्ञान संस्थान के डा. गोवर्द्धन मेहता, इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केन्द्र के डा. रॉड्रिगेज और डा. स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान के श्री पी.सी. केसवन जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। यह सभा इसके बारे में चिंतित है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अमरीका में भारतीयों के खिलाफ किए जा रहे जातीय भेदभाव के संबंध में हमारी चिंता से, विशेषकर इस मामले में श्री बुश को, जो कि अपनी भारत-यात्रा पर आ रहे हैं, अवगत कराएं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करें। धन्यवाद।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी-बंगाल) : महोदय, मैं स्वयं को श्रीमती एन.पी. दुर्गा द्वारा कही गई बात से संबद्ध करती हूँ।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में कपास-उत्पादकों को पेश आ रही विपणन संबंधी समस्याएं

श्री पेनुमल्ली मधु (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, भारतीय कपास निगम ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में कपास की खरीद धीमी कर दी है। वहां क्षोभ उत्पन्न हो रहा है और किसान बहुत उत्तेजित हैं। मैंने 24 फरवरी को कृष्णा जिले में नन्दीगामा सी.सी.आई. खरीद केन्द्र का दौरा किया। 12 फरवरी के बाद से एक किंटल भी कपास की खरीद नहीं की गई है। दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को खरीद के 15 दिनों के अन्दर धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन किसानों के एक महीने बाद भी भुगतान नहीं किया गया है। लगभग 14,000 किंटल कपास बाजार में पड़ा हुआ है। लगभग 1000 किसान पिछले 15 दिनों से बाजार में अपने भंडार को बेचने के लिए प्रतीक्षारत हैं। मैंने यह पाया है कि किसानों को अपना उत्पादन बेचना खेती करने भी ज्यादा कठिन प्रतीत हो रहा है। सभी स्थानीय समाचार-पत्रों में बाजार में किसानों को हो रही कठिनाइयों के बारे में अनेक बातें छपी हैं। अब किसान हताशा में अपने स्टॉक को किसी भी कीमत पर बेचना चाहते हैं। भारत सरकार ने कपास का समर्थन मूल्य 2010/- रुपये प्रति किंटल घोषित किया है। परंतु भारतीय कपास निगम ने अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की खरीद 1954/- रुपये प्रति किंटल पर ही की है। किसानों को न्यूनतम मूल्य 1704/- रुपये ही दिया गया है।

[श्री पेनुमल्ली मधु]

महोदय, मेरे दौरे के चार दिन पहले ही एक गरीब किसान, शैक मोउलालि ने कांसिकिचरला के निकट आत्म-हत्या कर ली। दूसरे किसान शैक महबूब की 10 एकड़ भूमि की 22 फरवरी को नीलामी की गई। उसकी कपास की उपज बाजार में है, लेकिन उसकी भूमि नीलाम कर दी गई है। इसी प्रकार की अनेक बातें सुनी जा सकती हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और कृषि मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की खरीद में सक्रियता दिखाई जाये। धन्यवाद।

श्री सी. रामचन्द्रैया (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूँ।

डा. अलादी पी. राजकुमार (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करता हूँ।

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी स्वयं को इस मुद्दे को संबद्ध करता हूँ।

श्री उपसभापति : ठीक है, आप सभी स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध कर रहे हैं।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे से संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती वृंदा कारत (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस मुद्दे से संबंध करती हूँ।

श्री सी. रामचन्द्रैया : महोदय, माननीय मंत्री को इस संबंध में कोई आश्वासन देना चाहिए। (व्यवधान) श्रीमती प्रभा ठाकुर (व्यवधान)

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : उपसभापति जी, मैं एक बहुत ही...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : उन्होंने कहा है कि वे इसकी जांच करेंगे। (व्यवधान)

श्री सी. रामचन्द्रैया : महोदय, उन्हें खड़े होकर इसे अधिकारिक रूप से कहना चाहिए। बैठे-बैठे इस प्रकार से कहने का कोई अर्थ नहीं है...(व्यवधान)।

डा. प्रभा ठाकुर : सर, मैं एक बहुत ही चिंताजनक विषय की ओर आपके माध्यम से...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. प्रभा ठाकुर : सर, यह नकली दवाओं का मामला है और लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है।...**(व्यवधान)**...सुनिए...सुनिए...**(व्यवधान)**...

डा. प्रभा ठाकुर : 27 फरवरी, के "हिन्दुस्तान" में...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड) : सर, गृह मंत्री जी जा रहे हैं, या तो हमें यह सवाल उठाने दीजिए, या वे यहीं रहें।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह : सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक बहुत ही...**(व्यवधान)**...

डा. प्रभा ठाकुर : सर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदय, यह सवाल गृह मंत्री जी के सामने इसलिए उठा रहे हैं कि यह एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पहले यह हो जाने दीजिए। इस मुद्दे पर बहस को समाप्त हो जाने दीजिये।

देश में नकली दवाइयों की विक्री

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : सर, कई बार बातचीत की गई है। नकली दवाओं के मामले को लेकर कई बार इस सदन में चिंता व्यक्त की गई है, चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इसका कुल रिजल्ट क्या निकला है? अभी 27 फरवरी के "हिंदुस्तान" में मुखपृष्ठ पर जो समाचार छपा है, वह बहुत ही चिंताजनक है और विचार करने को मजबूर करता है कि इतने विधेयकों और चर्चा का फायदा क्या है, अगर स्थित यह है कि 4000 करोड़ की दवाएं नकली बन रही हैं और रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं, चाहे क्रोसिन दवा हो, चाहे कफ सिरप हो, खांसी-जुकाम की दवा हो, हो सकता है और भी कई गंभीर बीमारियों की दवाएं हों, वे तीस प्रतिशत, चालीस प्रतिशत नकली मिल रही हैं - तो यह कितनी चिंताजनक स्थिति है और आज स्थिति यह है कि जो आम आदमी है, वह बेचारा सोचता है और इतनी महंगी दवाई खरीदता है कि वह ठीक होगा, लेकिन उसका मर्ज और बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि उन दवाओं के दुष्प्रभाव भी होते होंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो चार हजार करोड़ की दवाओं का व्यापार हो रहा है, उसमें से 40 प्रतिशत की खपत तो अकेले दिल्ली में ही हो रही है। यह सब क्या हो रहा है? मैं यह भी जानना चाहूंगी कि अब तक कितने लोगों के लाइसेंस रद्द किए हैं? सर, इसमें एक विशेष बात यह भी देखने में आई है कि ई.एस.आई. के अस्पताल हैं, उनमें नकली दवाओं का बहुत

[डा. प्रभा ठाकुर]

चलन हो रहा है। मेरी जानकारी में यह बात भी आई है कि चावल को पॉलिश करते समय, जो उससे बुरादा निकलता है, वही बुरादा नकली कैप्सूल में भरकर, दवाओं के नाम पर वितरित किया जा रहा है। जहां आम आदमी, गरीब आदमी इलाज के लिए, ई.एस.आई. अस्पताल में जाता है, तो वहां पर कितनी बार मॉनिटरिंग हुई है, जांच हुई है या जांच करने की जरूरत समझते हैं? जो आउट डेटेड दवाएं होती हैं, उन अधिकांश दवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण जनता के लिए खपत में लाया जा रहा है। इस बारे में अब तक क्या विचार किया गया है? मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि जो दिल्ली में 40 प्रतिशत नकली दवाओं की खपत हो रही है, इससे संबंधित कितने मामले पकड़े हैं, उनके कितने लाइसेंस रद्द किए गए हैं, कितनों के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किए गए हैं और कितने लोगों को इसमें सजा हुई है? अगर कानून के मुताबिक किसी के लाइसेंस रद्द नहीं होते हैं तो इन कानूनों का कोई फायदा नहीं है, बल्कि 'मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की।' मैं समझती हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तराखण्ड) : उपसभापति जी, प्रभा जी ने यहां पर जो नकली दवाओं का प्रश्न उठाया है, हम इसको सामूहिक हत्या का अपराध मानकर फांसी की सजा देने वाला एक बिल सदन में रख चुके हैं। मैंने अपने समय में उसको रखा था और उसके बाद वह स्टैंडिंग कमेटी से भी आ चुका है। मैं प्रभा जी से यह कहना चाहूंगी कि वे सरकार से दबाव डलवाकर बिल ही ले आएंगे। अगर वह बिल यहां से पारित हो जाता है तो बहुत कठोरतम दंड का प्रावधान उन लोगों के लिए हो सकेगा जो इस व्यापार में लिप्त हैं।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री वी. नारायणसामी (पुडुचेरी) : महोदय, मैं "विदेशी मुद्रा की वसूली न होना" के संबंध में लोक लेखा समिति के इकसठवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट समुक्तियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति (चौदहवीं लोक सभा) के पच्चीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

सभापीठ की अनुमति से उठाये गये मामले - क्रमागत

एक प्रत्रकार की गिरफ्तारी और उसे जेल में बंद रखा जाना

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले 5-6 दिनों से, देश के एक नामी पत्रकार को जेल में बंद करके रखा गया है। उनको उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उस पत्रकार का नाम आलोक तोमर है और आज तक उस पत्रकार को न उसके परिवार के लोगों से और न उसके किसी वकील से मिलने की इजाजत दी जा रही है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कानून का क्या दांव-पेच है, उसे वह जानें, लेकिन संविधान ने इस देश के लोगों को जो अधिकार दिया है और खासकर एक पत्रकार को जो अधिकार दिया है, अगर उसके अधिकार को इस तरह से छीन लिया जाएगा तो मुझे यह लगता है कि आप फिर से कुछ उन काले कानूनों को इस देश में वापस ला रहे हैं, जिनसे हम लोग परेशान रह चुके हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री उपसभापति : आप केवल सम्बद्ध कीजिए।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : मैं अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूँ।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सर, माननीय गृह मंत्री जी, इसका जवाब दें और इनको बोलने दिया जाए, ताकि वे इसका कोई जवाब दें....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वे जवाब दे रहे हैं। आप चाहते थे कि वे जवाब दें। वे जवाब देना चाहते हैं। (व्यवधान) वह उत्तर दे रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : हम इस मामले पर विधि अनुसार कार्यवाही करना चाहेंगे और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा चाहे उसे गिरफ्तार कर लिया गया हो या फिर वह स्वतन्त्र हो। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उसकी पूरी मदद की जाये और उसे आवश्यक विधिक-सहायता प्राप्त हो।...(व्यवधान)

श्री बलवीर के. पुंज (उत्तर प्रदेश) : गिरफ्तार करना ही अनुचित था...

श्री उपसभापति : अब, श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी।

**भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए हुए
उप-चुनाव को रद्द किया जाना**

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला आन्ध्र प्रदेश में हुए उप-चुनाव से संबंधित है। कल चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित कर उप-चुनाव को रद्द कर दिया है, मैंने इसकी एक प्रति सभापीठ को दी है। आदेश में यह उल्लेख किया गया है : विशाखापट्टनम विधान सभा के सभी 24 खण्डों में हुआ मतदान अवैध है। हमने उक्त मतदान को रद्द कर दिया है...

श्री उपसभापति : एलाऊ किया है, तो इनको सुनने दीजिए।

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी : मतदान 19 फरवरी को हुआ था। निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि 48 विधान सभा सदस्य और 8 मंत्री विधान सभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे और उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। एक केन्द्रीय मंत्री...(व्यवधान)। महोदय, एक केन्द्रीय मंत्री ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया है...(व्यवधान)...निर्वाचन आयोग ने सी.डी. भी देखी थी। यह एक गंभीर...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : यह निर्वाचन आयोग का कार्य है।...(व्यवधान)...

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी : महोदय, मुझे बोलने दिया जाये। (व्यवधान)

श्री सी. रामचन्द्रैया (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, डा. सुब्बाराजी रेड्डी को त्याग-पत्र देना चाहिए। (व्यवधान) निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। उन्हें इन सब बातों पर शर्म आनी चाहिए। (व्यवधान) आपके मंत्रियों ने सब कुछ किया है, लेकिन...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : जब एलाऊ किया है तो सुनने दो...(व्यवधान) जब एलाऊ किया है, तो सुनने से...(व्यवधान) आपको कुछ कहना है, तो बाद में बोलिए...(व्यवधान) नहीं, नहीं। डा. राजकुमार, कृपया बैठिये। (व्यवधान) देखिए, आपने एक मिनट कहा था, एक मिनट हो गया...(व्यवधान)

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी : महोदय, उन्होंने मुझे इस मुद्दा को उठाने नहीं दिया है। अब, वे इस मुद्दे से ही डरे हुए हैं। वस्तुतः समस्या यह है कि आन्ध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई है। भारत-सरकार के एक माननीय मंत्री ने चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। मंत्री जी को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

श्री उपसभापति : इस बात पर निर्वाचन-आयोग द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी : यह आचार-संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि...

श्री उपसभापति : यह उन पर निर्भर करता है। उनके पास इसके लिए पर्याप्त अधिकार हैं। अब, अगला वक्ता। (व्यवधान)

श्री सी. रामचन्द्रैया : महोदय, हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। लेकिन उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए। इसमें शामिल मंत्रियों को...(व्यवधान)

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है और उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे हम स्वयं को संबद्ध करते हैं। (व्यवधान) सत्ता का ऐसा दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग का सम्मान किया जाना चाहिए।

श्री सी. रामचन्द्रैया : जी हां, यह सत्ता का दुरुपयोग है।

डा. अलादी पी. राजकुमार (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप इसका उल्लेख कर चुके हैं। अब हमें अगले वक्ता पर आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी. रामचन्द्रैया : वे अपने साथ करोड़ों रुपये की राशि लेकर गए थे। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कोई भी बात अभिलिखित नहीं की जायेगी। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) आप पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। उसे अभिलिखित कर लिया गया है। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) येल्लैया जी, आप बैठिए...(व्यवधान) आप बैठिए...(व्यवधान) यह मामला समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) अमर सिंह जी, कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) वह इस मामले की सभा को जानकारी दे चुके हैं। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) आप बैठिए...(व्यवधान) आप क्या चाहते हैं? यह सभा...(व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) यह मामला समाप्त हो गया है। इसका उल्लेख किया गया है। यह केवल उल्लेख करने के लिए था। आपने ऐसा किया है। (व्यवधान) श्रीमती मोहसिना किदवई। (व्यवधान) यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। (व्यवधान) यह काफी महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा आदिवासी लोगों पर हमला

†श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ कि यह मामला इम्पोर्टेंट है, जिसको खामोशी के साथ सुनने की बात होनी चाहिए। महोदय, मैं आपके जरिए इस सदन में यह मामला उठाना चाहती

†माननीय सदस्य द्वारा उद्घु में दिया गया भाषण मूल संस्करण में उपलब्ध है।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

हूँ कि कल छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा जिला है जिसमें नक्सलाइट्स का पूरा कारोबार चल रहा है। वहां पर 27 तारीख को सरकार की बुलाई हुई एक मीटिंग में काफी आदिवासी लोग गए, एक दिन वहां रहे और 28 तारीख को वहां से वापिस आ रहे थे। वहां पर एक सलमादूजम आर्गनाइजेशन बना हुआ है, जो एक नॉन-आफिशियल आर्गनाइजेशन है। यह आर्गनाइजेशन नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। ये आदिवासी मीटिंग में दंतेवाड़ा गए थे और वहां से 28 तारीख को वापिस आ रहे थे। दो-तीन गाड़ियों में वे सारे आदिवासी, गरीब लोग मीटिंग में सुनने गए थे। जब वे 27 को वहां गए थे तो उनको पूरा पुलिस प्रोटेक्शन था। लेकिन जब वे लोग 28 तारीख को वापिस आ रहे थे तो सबसे बड़ी चिंताजनक और अफसोस की बात यह है कि उनके साथ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था। इस बीच में धर्मपुरा एक जगह है जहां स्टेट हाईवे पर नक्सलाइट्स ने लैंड माईंस बिछाकर उनकी गाड़ियां उड़ा दी जिसमें सौ लोग मर गए। जबकि सरकार को मालूम था कि यह नक्सलाइट एरिया है। आप यह सोचिए कि उनको कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था जबकि सरकार को मालूम था कि यह नक्सलाइट एरिया है और यहां से जो लोग जाते हैं उन पर हमले होते हैं। न सिर्फ यह कि इतने लोग वहां मरे, मरने वालों की ऑफिशियल फिगर 55 है लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग मरे हैं, जिनकी सौ से कम संख्या नहीं होगी। उससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने 55 लोगों को वहां से किडनेप कर लिया। वहां से 55 किडनेप हो गए और न जाने कितने लोग मरे और कितने घायल हैं, जिनकी पूरी संख्या सरकार ने नहीं दी है और सबसे अफसोस की बात यह है कि तीन किलोमीटर पर एक इरापुर थाना भी था। जहां तक मेरी इत्तला है कि साढ़े ग्यारह बजे का यह वाक्या है और शाम को वहां पुलिस पहुंची है। मैं कहती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा वाक्या कभी हुआ ही नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हों। वहां तीन-चार जिले ऐसे हैं दंतेवाड़ा और उसके आसपास के जहां नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा है। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि 40 हजार आदिवासी भाई-बहन वहां राहत कैम्पों में रह रहे हैं, जिनका खाना-पीना सब सरकार दे रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार की यह एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इससे बढ़कर कोई वाक्या नहीं हो सकता कि जाते वक्त उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई और बाद में वापिस आते वक्त कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई। इसका मतलब है कि वहां की सरकार और पुलिस मिली हुई थी, जिसके कारण इतने लोग मारे गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बहुत जबर्दस्त घटना हुई है, जबकि यहां के होम मिनिस्ट्री बाकायदा वहां नक्सलाइट मूवमेंट से लड़ने के लिए स्टेट को पैसा भेज रही है कि पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो और हथियार आएँ और इस

मूवमेंट से लड़ा जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दे रही है और अगर यह इसी तरह से चलता रहा.....(व्यवधान)

श्री बलबीर के. पुंज (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस विषय में कुछ और कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : देखिए, उनको बोलने दीजिए। बाद में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो चेयर की परमिशन लीजिए...(व्यवधान) यदि आप भी सभापीठ से समय मांगते हैं तो हम लाभदायक चर्चा कर सकते हैं।

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : केन्द्र की सरकार से मदद मांगी गई है...(व्यवधान)

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी होम मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : इस तरह से उनकी भी बात पूरी नहीं होगी और आपकी भी बात पूरी नहीं होगी।...(व्यवधान)

श्रीमती मोहसिना किदवई : ये जो हत्याएं हुई हैं इनको डिनाइ कर सकते हैं? ...(व्यवधान)

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) : सर...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : बागड़ोदिया जी, आप बैठिए, प्लीज...(व्यवधान) आप भी उठकर खड़े हो गए...(व्यवधान) देखिए वे भी उठते हैं, आप भी उठते हैं। आप बैठिए, प्लीज। ...(व्यवधान) वर्मा जी, आप बैठिए। यह सही नहीं है कुछ भी अभिलिखित नहीं किया जायेगा। आप चेयर का परमिशन लेकर इंटरवीन हो।...(व्यवधान) मैं जानता हूँ। कृपया बैठिए।

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति जी, मैं यह कह रही थी कि जो आप फरमा रहे हैं सही है कि नक्सलाइट्स के अगेंस्ट वहां एक संस्था बनी हुई है, जिसको सरकार का भी प्रोटेक्शन है।...(व्यवधान)...यह कितनी बड़ी बात है कि इस खतरनाक माहौल में वहां की आवाम नक्सलाइट्स से लड़ने के लिए उठ खड़ी हुई है। उसको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन है। हमारी पार्टी ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। इसलिए हम वह बात कर रहे हैं कि हम नक्सलाइट्स के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले होम मिनिस्टर साहब ने उन तमाम एमपीज को बुलाया था, जहां पर नक्सल मूवमेंट्स चल रही हैं और उन्होंने वहां यह कहा था कि हम जितना पैसा भेज रहे हैं, जितनी डिमांड होती है, हम भेजते हैं, लेकिन वहां की जो कारकर्दिगी है, वह सैटिस्फैक्टरी नहीं है। इसलिए मैं समझती हूँ कि यह एक बहुत इम्पार्टेंट मैटर है। इसकी तरफ सरकार का ध्यान फौरी तौर पर जाना चाहिए।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

उपसभापति जी, मैं कह रही हूँ कि इन्हीं 3-4 सालों में वहां नक्सल मूवमेंट ज्यादा पनपी है। जिस वक्त यह शुरू हुआ था, अगर उसी वक्त उसे कुचल दिया जाता, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : बैठिए, मीणा जी...(व्यवधान)...आप एसोशिएट कीजिए...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात तो कह लूँ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, मैं समय दूंगा...(व्यवधान)...जो नाम दिए गए हैं, उन्हें देख कर मैं समय दूंगा...(व्यवधान)...देखिए, 4 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है, उसके बाद मैं समय दूंगा...(व्यवधान)...देखिए, 4 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है, उसके बाद मैं समय दूंगा...(व्यवधान)...क्या बात है भई...(व्यवधान)...शुक्ल जी, बैठिए...(व्यवधान)...अहलुवालिया जी, 4 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है...(व्यवधान)...आप बैठिए...(व्यवधान)...

श्री बलबीर के. पुंज : उपसभापति महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मि. पुंज, आप बैठिए...(व्यवधान)...मि. पाणि, प्लीज बैठिए...(व्यवधान)...आप बैठिए न भई...(व्यवधान)...देखिए, यदि आप वास्तव में इस मामले में चर्चा करने के इच्छुक हैं, तो हमें इस पर चर्चा करने दीजिए। अगर आप इस पर चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं, तो मैं दूसरे विषयों को ले लूंगा। देखिए, इस विषय पर बोलने के लिए चार सदस्यों ने सूचना दी है। मैं पहले इन चार सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि दोहराये नहीं क्योंकि हमें दूसरे कार्य पर भी विचार करना है। इसमें आरोप और प्रति-आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। हमें माननीय सदस्यों को सुनने दीजिए। जब मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा तब आप बोल सकते हैं। लेकिन आरंभ में बाधा नहीं डालें।

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभापति महोदय, दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों द्वारा आदिवासियों की हत्या के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यह बात सही है और दंतेवाड़ा के एस.पी. ने भी यह माना है कि यह सुरक्षा की चूक थी, क्योंकि जिस संस्था द्वारा आदिवासियों की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका सम्मेलन था, जिसमें 8,000 गांवों के आदिवासी इकट्ठे हुए थे...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मोहसिना जी ने इस पर पूरे डिटेल में बोला है, आप प्लीज कोई नया प्वाइंट बोलिए।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैं अपनी बात कह रहा हूँ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप तो कह रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : आप मेरी बात तो सुन लें। 8,000 आदिवासी इकट्ठे हुए थे। रात को वे आदिवासी आना चाहते थे, लेकिन वह जिला नक्सलवाद से पूरी तरह प्रभावित है, इसलिए रात को उन्हें आने नहीं दिया गया। सुबह 4 ट्रकों से वे आ रहे थे, लेकिन उनके साथ सुरक्षा की फोर्स नहीं थी...(व्यवधान)...

श्री बलवीर के. पुंज : महोदय, यहां मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।...(व्यवधान)....सभा को सर्वसम्मति से हमले की निन्दा करनी चाहिए।...(व्यवधान)....लेकिन मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है।...(व्यवधान)....यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस सदस्यों...(व्यवधान)....वह बात कर रहे हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मि. मीणा, प्लीज कंप्लीट कीजिए।

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभापति महोदय, इससे यह लगता है...(व्यवधान)....उपसभापति महोदय, इससे ऐसा लगता है कि नक्सलवादियों से लड़ने के लिए विपक्ष के नेता महेन्द्र कर्मा, जो कांग्रेस के हैं, वे तो लड़ना चाहते हैं और आदिवासियों की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन वहां की सरकार का दृष्टिकोण...(व्यवधान)...

श्री बलवीर के. पुंज : महोदय, यह कहना फिर गलत है।...(व्यवधान)....महोदय, जो पार्टी सत्ता में है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यदि आप इस पर कोई चर्चा करने के इच्छुक नहीं हैं, तो मुझे अफसोस है।...(व्यवधान)....मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह केवल शून्यकाल में किया गया उल्लेख है।...(व्यवधान)....यह इतना ही है कि...(व्यवधान)....मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे नियमों को पढ़ें...(व्यवधान)....शून्य-काल जैसा कुछ नहीं होता है।...(व्यवधान)....मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ।...(व्यवधान)....हम किसी प्रकार से एक या दो मामले उठा रहे हैं जिन पर विचार किये जाने की अनुमति दी गई है।

श्री मूल चन्द मीणा : मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए...(व्यवधान)....सर, यह अर्जेंट मैटर है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : सुनिए...(व्यवधान)....जरा, सुनिए भाई।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल) : सर, एक सुझाव है। मेरे ख्याल में ये जो लोग मरे हैं, इनकी लाशों के ऊपर यह जो हम कर रहे हैं, यह हमें शोभा नहीं देता। इस मुद्दे पर हम पहले भी इस सदन में चर्चा कर चुके हैं और मेरे ख्याल में इस समस्या के बारे में हाऊस के अंदर एक आम सहमति लगभग तय है। इसलिए अगर हम

[श्री नीलोत्पल बसु]

इस विषय पर कोई व्यवस्थित चर्चा (स्ट्रेकचर्ड डिस्कशन) चाहते हैं तब डिबेट हो सकती है और अलग-अलग पक्ष आ सकता है। इस तरह से इतनी दुखद घटना जिस में गरीब आदिवासियों की जानें गयीं, उनकी लाश के ऊपर जो राजनीति मंडरा रही है, यह हमें शोभा नहीं देता।

श्री उपसभापति : मीणा जी, प्लीज समाप्त कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : मैं आदिवासियों के मरने की बात कर रहा हूँ। महोदय, 50-55 आदिवासी मर जाएं और सुरक्षा की कमियों के कारण यह घटना हो...(व्यवधान).... सारे प्रदेश के अंदर, सारे राज्य के अंदर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आदिवासी अपनी सुरक्षा में खुद लगे हुए हैं, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? महोदय, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार तो कर नहीं रही है, क्या केन्द्र सरकार उनकी सुरक्षा करना चाहती है या नहीं?... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : फागुनी राम जी, आप बैठिए। श्री मोती लाल वोरा।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़) : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने अपनी सूचना में इस बात का उल्लेख किया है कि कल बस्तर में बहुत बड़ी संख्या में जो आदिवासी सलमा जुडुम से जुड़े हुए हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यह बहुत दुखद घटना है और मैं कहना चाहता हूँ इस दुखद घटना पर केन्द्र सरकार को पहल करनी चाहिए और जिन आदिवासियों की हत्या हुई है, मौत हुई है उनको सही मायने में मुआवजा भी मिलना चाहिए। महोदय, अगर हम इस तरह एक-दूसरे की आलोचना करते रहे तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने इस बारे में बैठक ली थी और बैठक लेकर कहा था कि नक्सलवादी समस्या लगातार बढ़ रही है। उस बैठक में इसे रोकने के संबंध में चर्चा हुई थी। कल यह जो घटना हुई, यह एक दुखद घटना है। माननीया मोहसिना किदवई जी ने जो कुछ कहा, मैं उससे अपने आपको जोड़ते हुए इस बात को कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को तत्काल पहल करनी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड) : उपसभापति महोदय, कल तीन बजे इस संबंध में जानकारी मिली थी और हमने सभापति जी से आग्रह किया था, लेकिन जब मैं आपके दफ्तर में आया था तो मोहसिना जी की चिट्ठी आ चुकी थी। तो मैंने यह ठीक समझा कि मोहसिना जी ही इस सवाल को उठाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना का भी इस तरह से जिक्र किया जाएगा। उपसभापति जी, मैं

फिर से इस बात को दोहराना नहीं चाहता और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने अगर अपना हक छोड़ा था तो इस उम्मीद से छोड़ा था कि आदिवासियों के सवाल पर पूरा सदन एक होगा। लेकिन जिस तरह ये यह बात उठायी गयी उससे मैं अपने आप को मर्माहत समझता हूँ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह घटना सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो यह दर्दनाक घटना हुई है। इसके विरुद्ध वहाँ के लोगों ने जनजागरण भी चलाने का प्रयास किया है, इस सवाल पर पक्ष-विपक्ष सब साथ हैं, जो विरोधी दल के नेता हैं वह इस अभियान के साथ हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भारत की सरकार कोई ऐसी ठोस नीति बनाए, जिसके तहत यह रोका जा सके। पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, जहाँ तक आप चले जाइए और नेपाल के साथ हमारा जो 1700 किमी. का बॉर्डर है, इस बॉर्डर से भी नेक्सलाइट आन्दोलन चलाया जा रहा है। मैं भारत सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस दुखद घटना पर...(व्यवधान)...आप मेरी बात तो सुनिए, हमने तो आपकी बातें सुन लीं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मीणा जी, आप क्यों इंटरवीन (हस्तक्षेप) कर रहे हैं?...**(व्यवधान)**... आपने अपने मौके पर बोल लिया। अब उनको बोलने दीजिए। यह सही बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस समस्या को सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या के नजरिए से न देखा जाए। यह जो इलाका है, बस्तर का इलाका, यह देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यह आदिवासियों का इलाका है, वहाँ पर कोई दूसरा है ही नहीं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसको गम्भीरता से ले। चूंकि अब यह राज्य सरकारों के वश में नहीं है और कहीं भी नहीं है, चाहे वह कांग्रेस-शामिल हों, चाहे हमारे दल द्वारा शासित हों। कहीं भी अब यह राज्य सरकार के वश में नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से गम्भीरता से कहता हूँ कि आप इस पर विचार करते हुए कोई ऐसी नीति बनाएं, ताकि राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर सके। यह बहुत जरूरी है। मैं श्री मोती लाल वोरा जी के साथ हूँ कि जहाँ एक ओर राज्य सरकार कम्पेंशंसन दे, मैं राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि वह उन गरीबों को मुआवजा दे, वहीं भारत सरकार की भी आज यह जिम्मेवारी है कि वह उन आदिवासियों, जिनको मारा गया है, उनका मुआवजा दे और यह सदन इसकी घोर-से-घोर निन्दा करे।

श्री उपसभापति : श्री एस.एस. अहलुवालिया जी।

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने जो सवाल उठाया है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : देखिए, आप। चेयर ने स्वीकृत किया है...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : सर, अगर बिना नोटिस वाले को भी बोलने देंगे तो...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए।...(व्यवधान)...यह सही नहीं है।...(व्यवधान)...आप प्रश्न करते रहें।...(व्यवधान)...आप बोलिए।...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी : सर, आपने कहा था कि सिर्फ नोटिस वाले ही बोलेंगे।...(व्यवधान)...मैं चेयर से परमिशन मांग रहा हूँ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए।...(व्यवधान)...आप बैठिए, न।...(व्यवधान)...मैं कह रहा हूँ, कृपया बैठिए...(व्यवधान)...आप बैठिए।...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी : अहलुवालिया जी बोल रहे हैं, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : देखिए, बिना नोटिस के भी जो सब्जेक्ट...(व्यवधान)...आप बोलिए, अहलुवालिया जी। मैंने स्वीकृत किया है...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने जो मुद्दा उठाया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके प्रति पूरे सदन को...(व्यवधान)...मुद्दा क्या होता है, कुछ समझ है!...(व्यवधान)...क्यों प्रिज्यूडिस्ड (पूर्वाग्राही) दिमाग लेकर बैठे रहते हो...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अहलुवालिया जी, कृपया समाप्त कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, इस घटना के प्रति पूरे सदन को संवेदना जतानी चाहिए।

महोदय, जुड़ूम आन्दोलन, एक ऐसा आन्दोलन है, जो सारे भारत में आज तक नक्सलवाद के खिलाफ नहीं हुआ। यह पहली बार हुआ है, first time. वहां के गरीब आदिवासियों ने हाथों में लाठी, डंडे, गंडासे लेकर नक्सलवाद का विरोध करने के लिए, अपने जल, जंगल और भूमि की रक्षा करने के लिए तैयार हुए, तत्पर हुए। छत्तीसगढ़ एक मार्ग दिखा रहा है। नक्सलवाद एक राज्य और एक जिले का विषय नहीं है, भारत में 149 जिले इससे प्रभावित हैं। उन्होंने जो सी.आर.जेड., कम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन डिक्लेयर किया है, उसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये गरीब लोग वहां और जगह-जगह छत्तीसगढ़ में पोस्टर लगे हुए हैं, तख्तियां लगी हुई हैं...(समय की घंटी)...कि बी.जे.पी. और कांग्रेस मिलकर यह आन्दोलन चला रहे हैं और गवर्नमेंट उसके साथ है। ये एन.जी.ओज, सारे दल मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं। पर, उसका राजनीतिकरण करने के पहले...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कोई राजनीतिकरण नहीं भी करना चाहे...(व्यवधान)...आप अच्छा माहौल बनाइए।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, मैं चाहता था कि यह सदन इस घटना की पूरी तरह से भर्त्सना करे, सर्वसम्मति से...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह तो हो गया है।...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मुआवजे की मांग करे।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : वह तो हो गया है।...(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इसकी शुरुआत कहां से हुई, महोदय? पी.डब्ल्यू.जी. ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, अब छोड़िए...(व्यवधान)...वह सब नहीं है।...(व्यवधान)... डा. मुरली मनोहर जोशी।...(व्यवधान)...अब हम परिनियत संकल्प पर विचार करेंगे ... (व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वह विद्‌ड्रॉ किया।...(व्यवधान)...उसके बारे में क्यों भूल जाते हैं...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : देखिए, कृपया मेरे साथ सहयोग करें...(व्यवधान)...परिनियत संकल्प, डा. मुरली मनोहर जोशी।...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी : सर, यह तो मेरे साथ अन्याय है।...(व्यवधान)...आपने बिना नोटिस वाले को बोलने की परमीशन दी और मुझे नहीं दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : डा. मुरली मनोहर जोशी संकल्प प्रस्तुत करेंगे...(व्यवधान)...

प्रो. राम देव भंडारी : सर, मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बैठिए।...(व्यवधान)...नहीं, आप बैठिए। नहीं, नहीं। यह समय नहीं है...(व्यवधान)...अब, डा. मुरली मनोहर जोशी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

परिनियत संकल्प

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006
(2006 का संख्यांक 1) का निनुमोदन चाहने वाला परिनियत संकल्प
और

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005

डा. मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित कर रहा हूँ कि :-

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभापति जी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, जिसको एक अध्यादेश के द्वारा जल्दबाजी में लाकर कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं, जो मेरी दृष्टि से देश के, शिक्षा के, अल्पसंख्यक सभी समुदायों के लिए हानिकारक है। इसमें पहली बात तो यह समझ में नहीं आती कि सात महीने के अंदर ही ऐसी क्या घटनाएं हो गई थीं, जिनके कारण यह अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। जनवरी, 2005 में एक विधेयक पास होकर अधिनियम बना था और फिर जुलाई, 2005 में आप उसके लिए एक संशोधन ले आए और वह भी सारी चीजों को पलटने वाला संशोधन। इस संशोधन को लाते समय यह कहा गया कि क्योंकि संविधान में एक संशोधन हो गया है, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि एक अध्यादेश के द्वारा हम वह संशोधन विधेयक द्वारा लागू कर दें।

उपसभापति जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में यह विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा इस अध्यादेश के अंदर नहीं दी गई है। कौन अल्पसंख्यक हैं? पुराने संविधान के संशोधन में कहा गया था कि वे अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें संविधान में उसके अनुच्छेद 30 के अंतर्गत माना गया है। इसमें ये भाषाई और पांथिक दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक हैं। अब इस सारे अध्यादेश को पढ़ने से यह पता नहीं चलता कि इसमें भाषाई और पांथिक, दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों के बारे में क्या अधिकार हैं। क्या भाषाई लोगों का निर्णय करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को होगा और इस आयोग को होगा? भाषाई अल्पसंख्यक, यह तो राज्य सरकारों का विषय है, वही इस पर निर्णय करते हैं, उनके बारे में संज्ञान लेना उनका काम है। लेकिन, कोई भी बात इसमें साफ-साफ नहीं की गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या होगा और धार्मिक अल्पसंख्यकों का क्या होगा? इस प्रकार से यह संघीय स्वरूप पर आघात करता है, पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर आघात करता है। यह भी बात गौर-तलब है कि किसी संस्था के बारे में जानकारी देने का काम, इकट्ठा करने का काम, खासतौर पर शिक्षा संस्थाओं के लिए उनका कौन प्रबंध कर रहा है, वित्तीय स्रोत कहां से आ रहे हैं, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं, उनके बाकी जो कुछ कायदे-कानून, जिसके मुताबिक वह संस्था बननी चाहिए, वे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी पहले राज्य सरकार अच्छी तरह छानबीन करती है, लेकिन आपने उसके जो सारे अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया

है, समाप्त कर दिया है। किसी भी संस्था की जांच के लिए, उच्च संस्था के लिए, उच्च शैक्षिक संस्थाओं के लिए अनेक संस्थाएं मौजूद हैं, जैसे यू.जी.सी. मौजूद है, ए.आई.सी.टी.ई. मौजूद है, आई.एम.सी. मौजूद है और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी एक संस्था मौजूद है, जो बार-बार बताता रहता है, उसका जो रजिस्ट्रार है, वह बताता रहता है कि कहां भाषाई अल्पसंख्यक हैं या कहां नहीं हैं, इन सबका आपने कोई अधिकार रखा ही नहीं, सबको समाप्त कर दिया है और वह सारा अधिकार आपने उठाकर एक आयोग को दे दिया है, जिसके पास शैक्षिक और बाकी जानकारीयां प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। जो पहले से ही देश के अल्पसंख्यकों का आयोग मौजूद है, उसके अधिकार का भी आपने अतिक्रमण कर दिया है। तो एक प्रकार से जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, जो शिक्षा के स्तर का और शिक्षा की उच्चतर क्वालिटी का, इन सबका निर्धारण करती है, उन सबको आपने समाप्त कर दिया। फिर इस बारे में इसमें कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है कि जो भी संस्था अल्पसंख्यक के रूप में आएगी, उसकी शिक्षा का स्तर कौन निर्धारित करेगा? उसमें अगर शिक्षा का स्तर गिर गया, तो अल्पसंख्यकों के साथ भी आप एक बड़ा भारी अपराध करेंगे और उनकी सारी शिक्षा को आप निम्नतर दर्जे पर स्थापित कर देंगे, कहेंगे कि यह सेकेंड ग्रेड है। तो उनके साथ आपने ऐसा किया है। विश्वविद्यालयों के अधिकारों का भी आपने अतिक्रमण कर दिया है। उनके स्टैच्यूट्स हैं, जिनके मुताबिक वे ऐफिलिएशंस देते हैं, संबद्धता देते हैं, लेकिन आपने उनके अधिनियम, परिनियम, इन सबको भी ताक पर रख दिया है। तो यह एक सवाल इसमें बहुत गहरा है।

दूसरे, आप इसमें केवल ऐफिलिएशन की समस्या क्यों लेते हैं? ऐफिलिएशन कोई समस्या नहीं है। मैंने 6 साल तक इस विभाग को संभाला है, ऐफिलिएशन कोई समस्या नहीं है, समस्या आती है एन.ओ.सी. - अनापत्ति प्रमाण पत्र में और उसका अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से कोई ताल्लुक नहीं है, वह सबके लिए समान है। मेरे पास जितनी शिकायतें आती थीं, उनमें से अधिकांश बहुसंख्यक लोग, जिन्हें मेजारिटी इंस्टिट्यूशंस कहा जाता है, उनकी आती थी एन.ओ.सी. की। एन.ओ.सी. की जो व्यवस्था है, उसमें अपने आप में कुछ कठिनाइयां हैं। आप उनको देखें। उसको सरल किया जाना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, उसमें भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन एन.ओ.सी. ही एक सबसे बड़ी चीज है कि जो सबसे पहले आपकी संस्था की गुणवत्ता और उसके रख-रखाव को निर्धारित करेगी - उसके पास जमीन है या नहीं, वित्तीय साधन हैं या नहीं, अगर हैं तो कहां से आए हैं, कौन उनको दे रहा है, ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसमें ये सारी बातें देखनी जरूरी होती हैं। तो न.ओ.सी. इसमें थोड़ा समय लगता है, इसको हम भी मानते हैं,

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

हमने भी देखा है। इसलिए इसमें ज्यादा समय न लगे, उसके नियम साफ हों, उसमें पारदर्शिता हो, यह बात सारी संस्थाओं के लिए जरूरी है। इसमें आप यह क्यों कहना चाहते हैं कि एन.ओ.सी. जल्दी सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थाओं को ही मिले और बाकी को देर में मिलता रहे? यह तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि एन.ओ.सी. मिलने की कठिनाइयां सारी संस्थाओं के लिए दूर होनी चाहिए, उसमें केवल अल्पसंख्यक का ही सवाल नहीं है। ऐफिलिएशन के बारे में भी यह आयोग करने की जरूरत नहीं है। आप देश में ये बातें क्यों पैदा करना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में भी अल्पसंख्यक अलग है, बहुसंख्यक अलग है? इस तरह से धीरे-धीरे आप न केवल शिक्षा के सैकुलर करैक्टर पर, बल्कि संविधान के सैकुलर करैक्टर पर भी आघात कर रहे हैं। जो फेडरल करैक्टर है, उस पर भी आप आघात कर रहे हैं और जो बेसिक फीचर्स का दूसरा हमारा सिद्धान्त है कि यह संविधान सैकुलर है, देश सैकुलर करैक्टर का है, उस पर भी आप आघात कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जिन अल्पसंख्यकों के नाम पर यहां पर विधेयक लेकर आए हैं, आप उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं कि उन्हें आप एक अलग स्ट्रीम में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह अलगाववाद को बढ़ावा देगा - शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देगा, और क्षेत्रों में तो पहले से ही बढ़ावा दिया हुआ है।

मेरा अनुरोध यह है कि इस विधेयक का निरनुमोदन किया जाए और सदन इस पर गंभीरता से विचार करे। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो इसी सदन ने पास की है, उसके अंतर्गत उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वह मेरे जमाने में पास नहीं हुई थी, वह श्री राजीव गांधी जी के जमाने में पास हुई थी, उसके अंदर जो सिद्धान्त हैं, आप उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं - शिक्षा समान हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, शिक्षा में एक्सैसिबिलिटी हो, उस तरफ ध्यान दीजिए और उसके लिए आप अगर एक कम्प्रिहेंसिव विधेयक लाएं तो सदन उसका स्वागत करेगा, उसकी जरूरत है।

फिर आप कहते हैं कि यह इसलिए आप कर रहे हैं कि शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला है और उस सत्र में आपको कोटा फिक्स करने के लिए इसकी आवश्यकता है। देखिए, सत्र जो शुरू होगा, उसके लिए कोई एन.ओ.सी. या नई संस्था नहीं बन सकती क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है जून, जुलाई या अगस्त में और इतनी जल्दी कोई नई माइनॉरिटी संस्था नहीं आ सकती। अगर आएगी भी तो 90+60=150 दिन यानी पांच महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे और फिर उसमें कोई झगड़ा भी हो सकता है। अतः अभी कोई यह जरूरी नहीं कि चूंकि यह सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए यह अध्यादेश लाना

ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मेरा सुझाव यह होगा कि आप इस पर गहराई से विचार कीजिए और उसमें जो कुछ आवश्यकता है, जिन संस्थाओं की बात आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल संस्थाओं की, उनमें जहां जिस सहायता की जरूरत है, उसकी बात कीजिए। अल्पसंख्यकों की संस्थाएं आगे बढ़ें, वे अगर आगे मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, उसके लिए जो कुछ करना हो, आप उस बारे में एक कम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आएंगे तो सदन को कोई ऐतराज नहीं होगा, परन्तु इस तरह से आप अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश न करें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक का, इस अध्यादेश का इस समय निरनुमोदन किया जाए और इस पर एक बहुत अच्छा बिल सोच-समझकर लाया जाए, जो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बने। देश की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की वर्तमान अवस्था, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप कुछ लाएंगे तो शायद उसका देश को ज्यादा लाभ होगा, अन्यथा यह विधेयक कोई काम नहीं करेगा। मेरा जितना अनुभव है इस मामले में, उसके आधार पर मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के लिए कोई सहायता नहीं देगा, इससे और झगड़े बढ़ेंगे और भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के सवाल अलंग से खड़े होंगे। इसलिए कृपा करके आप इसे वापिस ले लें, यही सबसे अच्छा होगा। धन्यवाद।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) :
उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री उपसभापति : क्या आप इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : नहीं सर, जब इसके ऊपर डिस्कशन होगी, तब ही श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने जो कहा है - चूंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस को वापस लेने के लिए अपना प्रस्ताव दिया है, इसलिए डिस्कशन में जब और चीजें भी सामने आएंगी, जैसे आपने एन.ओ.सी. के बारे में या एफिलिएशन के बारे में सवाल उठाए हैं या दूसरी अन्य जो भी आशंकाएं हैं, उन सभी पर हम यहां पर बात करेंगे।

प्रस्ताव उपस्थित किए गए।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे (महाराष्ट्र) : महोदय, यदि आप सभा को एक बजे दोपहर के भोजन के लिए स्थगित करने वाले हैं...(व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप दस मिनट बोलें। तत्पश्चात्, आप दोपहर के भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आपकी पार्टी के पास 42 मिनट का समय है। दो वक्ता हैं। इसलिए अपना समय तदनु रूप निर्धारित कर लें।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे : महोदय, पहले जब मूल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक प्रस्तुत किया गया था और इस सभा में चर्चा हुई थी, तब विभिन्न कारणों से मेरे लिए खड़ा होना और उक्त विधेयक का विरोध करना आवश्यक हो गया था। अब उसी विधेयक में संशोधन लाया गया है। यह लगभग उसी तर्ज पर है जिसका वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने विधि का संशोधन करने के लिए विधि का प्रयोग करते हुए पूर्णतया अनुपालन किया है। वे 42वें संशोधन से ही ऐसा करते रहे हैं जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिनिर्णय को भी संविधान में संशोधन करके उलट दिया गया था। महोदय, ऐसा बार-बार हुआ है। जब निराश्रय महिलाओं के रख-रखाव का प्रश्न आया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने कुछ ऐसा कहा - ऐसा नियम नहीं है - ऐसा केवल शाहबानो के मामले में कहा गया था, और आपने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण के तरीके को निमंत्रित करने के लिए नया विधान लाकर विधि को बदल दिया था। महोदय, जब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्था नहीं हो सकता है, यह निर्णय अपने ऊपर लेते हुए कि कौन अल्पसंख्यक संस्था है, आपने आगे बढ़कर विधि को बदल दिया। जब संविधान अधिदेश देता है कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक लोगों को करनी होती है। जब आई.एम.डी.टी. अधिनियम को उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ऐसा इस देश पर हमले की अनुमति देना है, आपने एक आदेश प्रख्यापित करके इस निर्णय को उलट दिया था, जिसके द्वारा, पुनः असम में घुसपैठियों को घुसपैठियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किया गया था - जो शेष देश में उपलब्ध नहीं है ताकि वे आपके लिए मतदान कर सकें। महोदय, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां तक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें चलाने का संबंध है, यह अधिकार इस देश के नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार का विशेष बर्ताव भेदभावपूर्ण होगा जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, आप यह विधान परोक्ष उद्देश्य से लाये हैं और अपने वोट बैंक राजनीति की सुविधा के लिए कतिपय तुरंत आवश्यकताओं के अनुकूल करने के लिए अब विधान में और संशोधन किया जा रहा है। अतः, महोदय, इस सभा को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कानून के मूल सिद्धांतों को समाप्त करने के लिए कानून के प्रख्यापन की अनुमति दी जानी चाहिए और इन परिस्थितियों में हमें इस विधेयक को

पारित करना चाहिए। महोदय, इस विधेयक की समस्याएं अल्पसंख्यक के उल्लेख से प्रारंभ हुई जिसे संविधान में या इस विधेयक में परिभाषित नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह माना है कि अल्पसंख्यक की अवधारणा चाहे वह धार्मिक अथवा भाषाई हो, आवश्यक रूप से राज्य विशेष पर निर्भर करती है। लेकिन, यहां केन्द्रीय सरकार उस शक्ति को छीन लेना चाहती है जो कि इस देश के संघीय ढांचे पर प्रत्यक्ष रूप से आघात है जिसके अन्तर्गत यह निश्चित किया जाता है कि किसी राज्य में कौन अल्पसंख्यक हैं और अखिल भारतीय स्तर पर कौन अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि इस कानून में स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया गया है कि अल्पसंख्यक के प्रश्न का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।

महोदय, प्रश्न यह है कि 'अल्पसंख्यक' की यह अवधारणा क्या है, हमारे देश में, आज इस अवधारणा की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इस संरक्षण को, जो अनेक देशों में अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक था, जनसंख्या के एक ऐसे बड़े वर्ग के लिए, जो इस दर्जे की मांग करता है, एक विशेषाधिकार के रूप अंतर्गत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। 'अल्पसंख्यक' की अवधारणा सामाजिक दृष्टि से इक्यावन की तुलना में उन्नचास की अवधारणा नहीं होती है। लेकिन हम इसका महत्व नहीं समझ पाये हैं।

कभी-कभी, मैं स्वयं से यह प्रश्न करता हूं कि फ्रांस के नागरिक को कनाडा में अल्पसंख्यक माना जा सकता है। क्या उन्हें ऐसा समझा जाता है? या क्या स्कॉटलैण्ड-निवासी को इंग्लैंड में अल्पसंख्यक माना जाता है, या जर्मन नागरिक को स्विटजरलैंड में या फ्रांसीसी को स्विटजरलैंड में अल्पसंख्यक माना जाता है। अतः मेरा विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार को अल्पसंख्यक की इस अवधारणा का अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार स्वयं निर्णय करने के इस अधिकार पर बहस होनी चाहिए। तब तक अल्पसंख्यक के नाम पर हो रहे सभी प्रकार के गलत कार्यों को रोक दिया जाना चाहिए।

महोदय, जब अल्पसंख्यकों के लिए नये मंत्रालय का गठन किया गया था, तो प्रभारी मंत्री ने कहा था कि "इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों का ही प्रश्न नहीं है। मैं भाषायी अल्पसंख्यकों से भी सरोकार रखता हूं और मैं इस सभा से सरोकार रखता हूं कि इस देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं।"

महोदय, प्रश्न यह है कि क्या अखिल भारतीय स्तर पर इस अधिनियमन के अंतर्गत उपलब्ध विशेषाधिकार हिन्दुओं को दिये जायेंगे क्योंकि कुछ क्षेत्रों में वे अल्पसंख्यक हैं। अतः ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार अपनी वोट-बैंक राजनीति के उद्देश्य से कतिपय वर्गों के लिए 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग करने का प्रयास करती रही है जो खेदजनक है। यह विधेयक इसकी अनुमति दे रहा है, अतः मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

[श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे]

महोदय, अब मैं विधेयक पर आ रहा हूँ, मैं यह पाता हूँ कि हर बार व्यर्थ की जल्दबाजी की जाती है और ऐसी व्यर्थ की जल्दबाजी के बाद फुर्सत के क्षणों में पछतावा होने लगता है। उन्होंने नवम्बर, 2004 में अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। तुरंत इस विधेयक को पारित कर दिया गया। इसलिए विधेयक को दिसम्बर, 2004 में लोक सभा और राज्य सभा में सीधे पारित किया जा सका, जो हमने किया। छः महीनों में आपने संशोधन प्रस्तुत कर दिया। इस संशोधन को स्थायी समिति को भेजा गया। इस स्थायी समिति ने तीन महीनों में अपना निर्णय लिया। लेकिन आपके पास उस प्रतिवेदन के लिए भी इन्तजार करने का समय नहीं था। स्थायी समिति का प्रतिवेदन 6 दिसम्बर को आया और फिर भी आपने उसके पहले ही अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया। इसकी क्या आवश्यकता थी? यह कहा गया है कि आगामी शैक्षणिक वर्ष से पहले हमारे यह सरल एवं सुगम प्रक्रिया की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। जब शैक्षणिक वर्ष जुलाई-अगस्त में कहीं शुरू होता है, तो एक महीने में क्या विशेष बात हो जाती। व्यावसायिक कॉलेजों में आजकल सत्र सितम्बर में शुरू होता है। अतः यह सब व्यावसायिक कॉलेजों, जो अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं, को अनुमति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि धन कमाया जा सके। यह अल्पसंख्यकों के हित के लिए नहीं है, अल्पसंख्यक छात्रों के हित में नहीं है।

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, आप नौ मिनट बोल चुके हैं। आप दोपहर के भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं। सभा को दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् सभा 1 बजे मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

म.प. 2.00 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर दो मिनट पर सभा पुनः समवेत हुई।
उपसभापति महोदय पीठासीन थे।

श्री उपसभापति : श्री बाल आपटे।

श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे : महोदय, मैं अपना भाषण जारी रखने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मेरा यह विश्वास है कि जब अवकाश किया जाता है, हमेशा अतिरिक्त समय की व्यवस्था होती है जिसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में, जोकि विचारार्थ इस सभा में प्रस्तुत किया गया है, यह पहले ही कह चुका हूँ कि यह केन्द्रीय सरकार को अनियंत्रित अधिकार

दिये जाने की प्रक्रिया है कि वह यह निर्णय करे कि अल्पसंख्यक कौन है। महोदय, इस प्रश्न ने हमें गत पचास वर्षों से परेशान कर रखा है और सभी किसी न किसी तरह से इसका स्पष्ट उत्तर दिये जाने से बचते रहे हैं। महोदय, जब इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश का मामला आया और जब उच्चतम न्यायालय ने मेरिट और फीस के मामलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो अल्पसंख्यक संस्थाओं और उनके अधिकारों का प्रश्न उत्पन्न हुआ। अतः उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को कि अल्पसंख्यक किसे समझा जाना चाहिए, शीघ्रता से अन्य मामलों से अलग करते हुए एक वृहत् बेंच को भेज दिया। शुरू में उन्होंने इसे संवैधानिक बेंच, तत्पश्चात् सात जजों, तत्पश्चात् नौ जजों और ग्यारह जजों वाली बेंच को भेज दिया। तत्पश्चात् तीन सुविदित अधिनिर्णय - एक 11 जजों द्वारा टी.एम.ए. पाई, दूसरा 5 जजों द्वारा इस्लामिक संस्था में अधिनिर्णय को स्पष्ट करने वाला, और फिर तीसरा, तीन जजों द्वारा ए.पी. इनामदार में अधिनिर्णय दिये गये। उन्होंने सभी कुछ किया और शिक्षा के लिए नई समस्याएं पैदा की लेकिन उन्होंने इस मूल प्रश्न का निर्णय देने की बात टाल दी थी जिसे प्रारंभ में उठाया गया था कि अल्पसंख्यक कौन हैं। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के अभिलेखों में कहीं न कहीं अभी भी अनिर्णित पड़ा हुआ है और हम यहां किसी बात को मानते हुए बिना किसी वैधानिक या संवैधानिक अधिकार के आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि विधि के अंतर्गत इस प्रकार के भेदभावमूलक आचरण को स्वीकृत नहीं किया गया है। जिसका कि हम संकीर्ण दलगत स्वार्थों के लिए खुल्लम-खुल्ला समर्थन कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय हित में नहीं है। महोदय, जैसाकि मैंने कहा है, इस विधेयक में ऐसी कई त्रुटियां हैं जोकि मौजूदा विधि का अतिक्रमण करती हैं। पहले आपने सूची बनाई थी जिसमें से अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय का चयन किया जा सकता था और चुने गए विश्वविद्यालय काफी महत्वपूर्ण थे - नागालैण्ड विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, एन.ई.एच.यू. अर्थात्, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय - जैसाकि वे देश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जिनसे अल्पसंख्यक संस्थान स्वयं को संबद्ध करना चाहेंगे। लेकिन, यदि वह सूची बनाना मनमानापन और दुर्भावनापूर्ण था, तो उस सूची को समाप्त करना न केवल पूरी तरह निरंकुशता को दर्शाता है, बल्कि असंवैधानिक भी है। महोदय, हम यह जानते हैं कि ये संस्थान विश्वविद्यालयों से स्वयं को संबद्ध करना चाहेंगे और अधिनियम में कम से कम इसके शब्दों में यह उल्लेख है कि विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धन उनके अपनी संविधियों, विनियमों और शर्तों पर निर्भर करेगा। लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने का अनियंत्रित अधिकार देते समय केन्द्री सरकार यह भूल गई है कि ये विश्वविद्यालय सांविधिक रूप से स्थापित किये गये हैं। सांविधिक रूप से नियंत्रित होते हैं और विश्वविद्यालय अधिनियमों

[श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे]

की अपनी नियमावली होती है। उनमें संबद्धता प्रदान करने, संबद्धता समाप्त करने का प्रावधान होता है, उनमें शिकायत करने का प्रावधान होता है; उनमें पीड़ित पक्ष द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोकि या तो कुलपति होता है या राष्ट्रपति होता है, को अपील करने का प्रावधान होता है। इसमें पहले ही उच्चतर प्राधिकारी का प्रावधान किया जाता है और इसमें पहले ही अपील का प्रावधान किया जाता है और जहां तक राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों का संबंध है, इनकी संपूर्ण नियमावली को राज्य विधियों द्वारा अधिनियमित किया जाता है। राज्यों द्वारा राज्यों की विधियों में विधि द्वारा स्थापित प्राधिकरण से ऊपर केन्द्रीय आयोग को राज्य के कानून के द्वारा अपील की शक्ति प्रदान करना स्पष्ट रूप से संघीय सिद्धांत के विपरीत है और स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक भी है, क्योंकि इससे संविधान के आधारभूत ढांचे को आघात पहुंचता है। तकनीकी रूप से, प्राधिकरण को संभवतः राष्ट्रपति महोदय से भी अधिक प्राधिकार हों, क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में यदि राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च प्राधिकारी होते हैं, तो आयोग राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर अपना निर्णय थोप देगा। 'यह न केवल असंगतिपूर्ण है, बल्कि अनुचित, अशोभनीय और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक भी है। आप संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन किए बिना संविधान के अंतर्गत बनाए गए राज्यों के कानूनों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऐसा ढांचा है जिसमें केन्द्रीय विधान मण्डल के पास ज्यादा अधिकार हैं, जी हां। लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग किया जाये; उन्हें हड़पा नहीं जा सकता है और उनका यहां विधि बना करके ही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। संविधान ऐसे मामलों में, जहां दो कानूनों में विवाद होता है, राज्य कानून पहले ही क्षेत्र का कब्जा कर रही है, तो विस्तृत व्यवस्था का प्रावधान करता है। लेकिन, आप इसकी परवाह नहीं करते क्योंकि आपको कानून की परवाह नहीं है; आपको केवल अपने वोटों की चिंता है। यही कारण है कि आपने 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा सम्मिलित की। आपने अधिनियम में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की परिभाषा शामिल की है। और इसकी शब्दावली अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अनुरूप है। यदि अनुच्छेद 30 मौलिक रूप से मार्ग-निर्देशन, नियंत्रण कर रहा है, तो फिर आपको इसे अपने अधिनियम में परिभाषा के रूप में दोहराने की क्या आवश्यकता है? यह आपकी जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, उसे पूरा करता है? कुछ ऐसा सुस्पष्ट कहने की आवश्यकता है कि मैं ऐसा आपके लिए कह रहा हूं। इसलिए इन छोटी-छोटी घटनाओं से इस विधान की दुर्भावना का पता चलता है। राज्य सभा ने इस विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया था और उसने काफी ठोस, काफी

उपयुक्त सुझाव भी दिये थे। इसमें अधिकतम 60 दिनों का नियम है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई आवेदन किया जाता है और यदि उस अवधि के अन्दर उत्तर नहीं दिया जाता है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है। ऐसे नियम का हमेशा दुरुपयोग किया जाता है। हमारे पास टाऊन योजना विधियों में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें ऐसा ही उपबंध है जो आपने अपने विकास-योजना के लिए किये हैं और यदि प्राधिकरण निश्चित दिनों के अन्दर निर्णय नहीं करता है, तो यह माना जायेगा कि आपकी योजना स्वीकृत है और जो अधिकारी पक्ष लेना चाहता है, तो उसे कुछ नहीं करना होता है, बल्कि उस योजना को साठ दिनों तक बिना किसी कार्रवाई के यों ही लंबित पड़े रहने देता है। इसमें भी ऐसा ही हो सकता है। अतः स्थायी समिति ने काफी उपयुक्त सुझाव दिये। यह सुझाव दिया गया कि साठ दिनों की बजाय इसके लिए अधिक समय रखा जाये; इस अवधि को दो महीनों की बजाय इसे तीन महीने किया जाये। लेकिन आपने ऐसे उपयुक्त सुझाव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप तर्कसंगतता नहीं बर्तना चाहते हैं।

दूसरा सुझाव प्रतिबंधों के बारे में है। यह विशेषाधिकार दिया गया है कि आप देश के किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकते हैं। इसमें सुस्पष्ट भौगोलिक सीमाएं हैं जो वास्तव में केरल में स्थित किसी संस्थान को नागालैंड में स्थित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की अनुमति प्रदान नहीं करती हैं। अतः इसमें एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया गया था कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह साथ लगती भौगोलिक सीमाओं के अन्दर ही होना चाहिए। ऐसा करना विधि सम्मत भी है। वर्तमान प्रावधान विसंगतिपूर्ण है और यह स्थायी समिति की सिफारिश की अनदेखी करता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी ओर मैंने पहले ही ध्यान दिलाया है। आप इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं; आप राज्य की भौगोलिक सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने धारा 10-क में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

इसके बाद वर्तमान विधान में एक और खतरनाक प्रावधान यह है कि आयोग देश के किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। आयोग को इस प्रकार के अधिकार से उसे इसका दुरुपयोग करने की शक्ति मिल जायेगी और यह आयोग संस्थानों को किसी न किसी प्रकार से सुविधाएं जुटाने की नियत से, न कि विश्वविद्यालयों के हित संवर्धन में एक या दूसरे न्यायालय में हस्तक्षेप करता रहेगा। इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। यह अल्पसंख्यकों के लिए हितकर नहीं होगा। इससे हस्तक्षेप की आड़ में कुप्रबन्धन, कुप्रशासन और अनुचित कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। अतः इसके बारे में सुझाव हैं। जहां ऐसी शक्ति प्रदान की जाती है, वह शक्ति यह है कि

[श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे]

आप न्यायालय के आमंत्रण पर लंबित पड़े मुकदमे में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई न्यायालय निश्चित रूप से कतिपय मूलभूत विवादास्पद मुद्दों में इसकी सहायता करने के लिए आयोग से कहेगा। लेकिन, नहीं, आप सभी जगह जाकर हस्तक्षेप करना चाहते हैं ताकि आप किसी न किसी प्रकार से न्याय में बाधा उत्पन्न कर सकें।

संविधि द्वारा नियंत्रित किसी अधिकार से इस प्रकार से हस्तक्षेप करने वाला कोई अखिल भारतीय प्राधिकरण न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा को ही उलट कर रख देगा। आप न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप करेंगे जोकि वास्तव में नागरिकों का अधिकार है। यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि मुकदमे से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसे न्यायालय की अनुमति से ऐसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं, न्यायालय के आमंत्रण के बिना नहीं। आप बिना आमंत्रण के ऐसा करने जा रहे हैं।

महोदय, इसके बाद, इस विधान में अल्पसंख्यक के दर्जे की इस अवधारणा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सुरक्षोपाय नहीं हैं। अल्पसंख्यक के दर्जे का उन राज्यों में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है जहां पिछले 10 वर्षों के दौरान इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा महाविद्यालय बड़ी संख्या में खुल गये हैं। आप आन्ध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक होने का दावा करते हैं, आप निकटवर्ती कर्णाटक के रहने वाले हैं, आप मुम्बई में अल्पसंख्यक होने का दावा करते हैं और अल्पसंख्यक दर्जे वाले आपके कालेज में 95 प्रतिशत छात्र आपके समुदाय से नहीं हैं, क्योंकि यह वास्तव में वहां स्थापित है। यह अल्पसंख्यक संस्थान बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली बार भी यह कहा था कि मुम्बई जैसे स्थानों पर कुल संस्थाओं में से 70 प्रतिशत अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं। अल्पसंख्यक संबंधी यह अवधारणा अपना सर उठा रही हैं। अतः इसका दुरुपयोग किया जाता है। उन्हें अपने समुदाय के 50 प्रतिशत और सामान्य वर्गों के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश दिए जाने के अधिकार होते हैं। यदि आपके अपने समुदाय के 50 प्रतिशत छात्र नहीं होते हैं, आपके केवल 20 या 10 प्रतिशत ही हैं या कभी-कभी आप अपने समुदाय की उपेक्षा भी करते हैं क्योंकि यदि आप उन सीटों को बचाकर रखते हैं, तो आप धन कमा सकते हैं। अतः अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित 40 प्रतिशत सीटों को अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा गैर-अल्पसंख्यक और गैर-मेरिट सूची वाले छात्रों से भरा जाता है और धन कमाया जाता है। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्णाटक में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं। अतः अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए सांविधिक तौर पर यह सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए कि यदि इसका दुरुपयोग

सिद्ध हो जाता है, तो अल्पसंख्यक समुदाय होने का आपका अधिकार समाप्त हो जायेगा, क्योंकि आप अल्पसंख्यक समुदाय की मदद नहीं कर रहे हैं।

अंत में, मैंने जो कुछ पहले कहा है, उसे दोहराऊंगा। यह विधान उन लोगों के लिए है जो धन कमाने के लिए इन संस्थानों को चला रहे हैं। ये संस्थाएं धन कमाने की परियोजनाएं हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 'चीनी-सम्राट' होते थे उसी प्रकार अब ये 'शिक्षा-सम्राट' बन गये हैं। अतः आप अल्पसंख्यकों के नाम पर उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप अल्पसंख्यकों को धोखा दे रहे हैं। कृपया, ऐसा मत कीजिए। कृपया इस प्रकार के विधान को पारित होने से रोकिए। धन्यवाद, महोदय।

†मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी 11 नवंबर, 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक अमल में आया था। मैं इस बिल की हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्ष 2004 में कौमी कमीशन बराए अक्विलियती तालीमी इदारे कानून पास हुआ था, लेकिन इस कानून के निफाज के बाद जो हालात सामने आए, जो तजुर्बात सामने आए, उनके पेशे-नजर इस कानून में मजीद इस्लाह की जरूरत महसूस की गई थी। यह जरूरत भी महसूस की गई कि इस कानून का स्कोप और बढ़ा दिया जाए और जहां-जहां कुछ कमियां बाके हैं, उन कमियों और खामियों को दूर कर दिया जाए। इससे पहले एक चीज यह थी कि 2004 के कानून में अक्विलियती तालीमी इदारों को सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज का हक दिया गया था और उन 6 यूनिवर्सिटीज में से 4 यूनिवर्सिटीज नॉर्थ-ईस्ट में थीं। जहां तक मुस्लिम और सिख माइनॉरिटीज का ताल्लुक है, उनकी बड़ी तादाद शिमाली हिंदुस्तान में आबाद है और शिमाली हिंदुस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको इलहाक का हक दिया गया था। चूंकि अक्विलियतें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं, इसलिए इन इलाकों की मुस्लिम और सिख अक्विलियतों को इस एक यूनिवर्सिटी के इलहाक के सिलसिले में दुश्वारी पेश आ रही थी। इसी वजह से अब इस तरमीमी बिल में, जो इस वक्त हमारे सामने है, 6 यूनिवर्सिटीज की बजाय मुल्क की हर यूनिवर्सिटी के साथ इलहाक का हक देकर इस कमी को दूर किया गया है।

सर, जहां तक तालीम का सवाल है, हाउस मुकम्मल तौर पर इस बात पर सहमत है कि तालीम हर हिन्दुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए और तालीम के बगैर न मुल्क तरक्की कर सकता है, न मुल्क के आवाम तरक्की की राह पर चल सकते हैं। इस

†माननीय सदस्य द्वारा उर्दू में दिया गया भाषण मूल संस्करण में उपलब्ध है।

[मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

मुत्ताफिका फैसले के बाद इस बिल पर यह बहस हो रही है कि यह बिल माइनोरिटीज को कितना फायदा पहुंचाएगा या माइनोरिटीज के साथ कितना विश्वासघात किया जा रहा है। सही मायने में ऑपोजीशन के लोग भी यह चाहते हैं और हुकूमत के लोग भी यह चाहते हैं कि माइनोरिटीज, जो तालीमे एतबार से मुकम्मल तौर पर पसमान्दा हो चुकी हैं, उनकी पसमान्दगी को दूर करके कौमी मुख्यधारा में माइनोरिटीज को भी मेजोरिटी के साथ शाना-बसाना खड़ा कर दिया जाए। यह है वह उद्देश्य, जिसकी बुनियाद पर हाउस में दोनों साइड से अपनी-अपनी चिन्ताएं भी व्यक्त की जा रही हैं और अपने-अपने सुझाव भी दिए जा रहे हैं। मैं डा. मुरली मनोहर जोशी जी को बहुत ही गौर से सुन रहा था और उनकी चिन्ताओं के पीछे भी यही बात साफ तौर पर जाहिर हो रही थी कि वे भी ईमानदारी के साथ मुल्क में माइनोरिटीज का तालीमी भला चाहते हैं और तालीमी भलाई के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के सामने अपने कुछ सुझाव रखे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक पूरा हिन्दुस्तान एक रंग में दिखलाई दे, तरक्की की नहरें मुल्क की हर कौम के दरवाजे तक पहुंचें, तभी हम हिन्दुस्तान का एक खूबसूरत सपना देख सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर तशबीश जाहिर की कि यह बिल मुल्क में लोगों के बीच दरार पैदा कर सकता है और अकलियत और अकसीरियत में मजीद खाइयां पैदा होंगी और इससे लोगों की तशबीश में इजाफा होगा।

जहां तक मुल्क के संविधान का सवाल है, तो मुल्क का संविधान और देश का दस्तूर इतना महान है कि इसने देश में रहने वाली किसी कौम को, चाहे वह किसी मजहब से ताल्लुक रखती हो या किसी लिसानी अकलियतो-अकसीरियत का दर्जा रखती हो, सबके घर तक मसावात की रौशनी पहुंचाने का इन्तजाम किया है। मगर इस हकीकत के बावजूद शायद हमारा हाउस इस हकीकत से इनकार न कर सके कि जब हम अमल में उसी दस्तूर को देखते हैं, तो वह दस्तूर अमली तौर पर जब नाफिज होता है, तो एक बहुत बड़े तबके को, जिसको माइनोरिटी के नाम से याद किया जाता है, हम महरूम देखते हैं। इसलिए कि नफाज मुल्क की आजादी के बाद से ही दस्तूरे हिन्द का हो रहा है और तालीमी एतबार से मुल्क की माइनोरिटीज, बिलखुसुस मुल्क की सबसे बड़ी माइनोरिटी, जिसे हम मुस्लिम माइनोरिटी कहते हैं, तालीमी एतबार से जिस हद तक पसमान्दा हो गई है, अगर मुल्क के दस्तूर की रौशनी में जिन हाथों में हुक्मरानी का पॉवर था और जिन हाथों से इस दस्तूर को नाफिज होना, आलमे अमल में आना मुमकिन था, शायद उनसे कहीं-न-कहीं ऐसी गफलत जरूर हुई है, जिसके

नतीजे में आज माइनोरिटीज की परसमान्दगी को दूर करने के लिए अज-सरे-नौ हाउस में यह बहस हो रही है। अगर माइनोरिटीज के साथ भी वही सलूक किया गया होता, तालीमी इदारों में बाधाएं रोकने के लिए, जिस तरह दूसरे सेक्शन में किया गया है, तो शायद न आज इस बिल की जरूरत पड़ती, न इस चिन्ता की जरूरत पड़ती। यह बिल अपने आप में खुद इस बात को दर्शाता है कि मुल्क की आजादी के बाद से लेकर अब तक मुल्क की माइनोरिटीज के साथ कहीं-न-कहीं कजरवी अपनाई गई है, बिलखुसुस तालीमी मैदान में। इसलिए आज सबकी चिन्ताएं इस बात पर मरकूज होकर रह गई हैं कि माइनोरिटीज की तालीमी परसमान्दगी को दूर करने के लिए ऐसे दस्तूरी उसूल लाए जाएं, बिल की शकल में, जो माइनोरिटीज की तालीमी पोजीशन को महफूज करते हुए इन्हें भी मुल्क की मेजोरिटी के साथ तालीमी मैदान में शाना-बशाना खड़ा होने का मौका दे सके। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसी सिलसिले में जो यह बिल आया है, इसे गवर्नमेंट का अहम फैसला अकलियतों के तालीमी फरोग के लिए हम मानते हैं। मगर इस तरह के और भी फैसले इससे पहले आए हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। "मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की"। बहुत अच्छे-अच्छे फैसले आए, बहुत अच्छे-अच्छे कमीशन बने, मगर बात वहीं आकर रुक जाती है कि अमल कौन करेगा? काश, मल हो गया होता तो आज इस तरह की न चर्चा करने की जरूरत थी, न इस तरह का बिल लाने की जरूरत थी। आज मैं हुक्मते हिंद से यह कहना चाहूंगा कि आप यह बिल लाए हैं, मुबारक कदम है, नेकनीयती नजर आ रही है, मगर इस बिल के पास हो जाने के बाद आपको इसका भी जतन करना पड़ेगा कि जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को ईमानदारी के साथ दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि यह जो कमीशन बना है, इस कमीशन के जो अख्तियारात हैं, शायद उन अख्तियारात की रूह और मंशा यही है कि जो बाधाएं आती थीं, उन बाधाओं का निष्कासन नहीं होता था। अब अगर वे बाधाएं आती हैं और लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं तो उन शिकायतों पर ईमानदारी के साथ गौर किया जाएगा व उन शिकायतों को दूर करके मुख्य धारा में मुल्क की बड़ी अकल्लियत को भी लाया जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर सबको समान दर्जा अमली तौर पर दिया जाए। मैं दस्तूरी तौर पर नहीं कह रहा हूं, जानबूझकर यह जुमला बोल रहा हूं, इसलिए कि दस्तूर ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है, मगर तालीम का इतना अप-डाउन मुख्तलिफ समुदाय में यह बतला रहा है कि कहीं-न-कहीं तास्सुबाना रविश अख्तियार करके लोगों ने एक बहुत बड़े तबके को तालीम से महरूम कर दिया है। बकिया इसमें जितने भी सेक्शंस हैं, सब पर मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। हरेक सेक्शन और दफा में इस बात की कोशिश की गयी है कि तालीमी अकल्लियती इदारों को तहफफुज देने में किसी

[मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

तरह की कोई कमी वाक्यी न होने पाए। मगर एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जिन इदारों को आप मंजूरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए और लोगों को उत्साहित कीजिए कि लोग ज्यादा-से-ज्यादा इदारे खोलें। मैं तो इससे पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि मुस्लिम इलाकों में खुसूसी तौर पर थाने खोलने पर जोर दिए जाते हैं, तालीम के इदारे खोलने पर जोर नहीं दिए जाते। काश, तालीमी इदारे खोलने पर जोर सर्फ किया गया होता तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे उन मुजरिमाना हरकतों पर कदगन लगता जो मुजरिमाना हरकतें सिर्फ मुसलमानों में नहीं, नॉन-मुस्लिमों में भी पाई जाती हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तालीम की रोशनी से महरूमी है। आदमी जब तालीम हासिल कर लेता है तो इज्जत और बेइज्जती की परिभाषा को पहचानता है, गद्दारी और वफादारी की परिभाषा को पहचानता है, हुकूक देना और दिलवाने की परिभाषा को पहचानता है।

आज तालीम के फरोग के सिलसिले में यह जो कदम उठाया जा रहा है, अगर इस पर ईमानदाराना अमल हो गया, मैं इस बात को बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि परेशानी बिल लाने में हमारे लिए नहीं है, परेशानी ऑर्डिनेंस पास करने में हमारे लिए नहीं है, परेशानी तो आलमें अमल में लाने की है। जब तक आलमे अमल में यह बिल नहीं आएगा तब तक कितना ही कूबसूरत बिल और कितने ही हुकूक की दुहाई देकर कोई ऑर्डिनेंस पास किया जाए, मैं समझता हूं कि उसका नतीजा पोजिटिव निकलने वाला नहीं है। पोजिटिव निकलने के लिए मैं इस बिल पर अपनी आखिरी बात अर्ज करना चाहूंगा कि तालीमी इदारे तो हम खोल देंगे, मगर तालीमी इदारे नाम जमीन के एलॉटमेंट का नहीं है, बिल्डिंग की खूबसूरती का नहीं है, चैयर और डैस्क का नहीं है बल्कि उसमें पढ़ने वालों के जरिए से तालीमी इदारा पहचाना जाता है। आज खुसूसियत से मैं मुल्क की सबसे बड़ी मायनोरिटी, मुस्लिम मायनोरिटी की बात कहना चाहूंगा, यह देखकर हमें निदामत भी होती है और अफसोस भी कि मुल्क में मुस्लिम मायनोरिटी का तनासुब तालीमी एतबार से बहुत ही पिछड़े बल्कि अति पिछड़े लोगों से भी ज्यादा गिरती चली जा रही है। इसकी वजह क्या है, क्यों है? मायनोरिटी खुद तालीम हासिल करना नहीं चाहती है या उनको तालीम के मवाके नहीं दिए जाते, इस बात को ईमानदारी के साथ लेना होगा। कुछ तो ऐसा है कि लोग अपनी गुरबतो अफलास की बुनियाद पर तालीम के इदारों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक गुरबत का खात्मा नहीं होगा आदमी तालीम की बात क्या सोचेगा? आज जिन-जिन इलाकों में सनअती इदारे हैं, इंडस्ट्रियल इदारे हैं जैसे अलीगढ़ वहां

ताला बनता है, मुरादाबाद वहा पीतल बनती है और मुबारकपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल, बनारस - इन एरियाज में बुनाई का काम होता है, साड़ियां बुनी जाती हैं। मिर्जापुर और भदोही में कारपेट बनते हैं। हम देखते हैं और आप भी देखते हैं कि इसमें छोटे-छोटे बच्चों, 10-10, 12-12 साल के बच्चों का इस्तेमाल होता है। वे बच्चे सौ, दो सौ या तीन सौ रुपए महीने पाते हैं। मां-बाप पेट की आग बुझाने के लिए उन तमाम बच्चों को उन इदारों में डाल देते हैं।

अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 10 साल का हिन्दुस्तानी बच्चा कालीन बुनने के लिए पैदा हुआ है या स्कूल जाने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए कि यह 10 साल का बच्चा एक मजदूर की शक्ल में दिखलाई दे रहा है? अगर मजदूर भी हो, मगर पढ़ा-लिखा हो, तो हिन्दुस्तान की तस्वीर बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे सामने आएगी। आज हम इस बात पर बेपनाह रुपया-पैसा खर्च करते हैं कि हम इस्टेबेलिस्ट हों, हम आगे बढ़ें। नतीजे में हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। मगर, यही पैसा अगर हम इन गरीबों की तालीम पर खर्च कर दें और इन गरीबों को तालीमयाप्ता हिन्दुस्तानी बनाकर खड़ा कर दें, तो मेरा यह मानना है कि वह तालीमयाप्ता हिन्दुस्तानी जितनी रकम उसके ऊपर मुल्क की नेशनल प्रॉपर्टी के तौर पर लगी है, वह बच्चा खुद नेशनल प्रॉपर्टी बनकर अपने मुल्क के इज्जत-ओ-वकार के आसमान तक पहुंचाएगा। वे बच्चे, जो कालीन बुन रहे हैं, बुनकरी कर रहे हैं या पीतल और ताले का काम कर रहे हैं, भट्टियों में काम कर रहे हैं या मजदूर बन कर भट्टों पर काम कर रहे हैं, आखिर उन बच्चों को कैसे स्कूल भेजने के लिए उत्साहित किया जाए, मेरे सामने यह एक बड़ा, बुनियादी और अहम सवाल है, इसलिए कि तालीम अजहद जरूरी है। गवर्नमेंट ने आठवीं क्लास तक बिला फीस की तालीम कर दी है। गवर्नमेंट ने दोपहर के खाने का इन्तजाम भी कर दिया है। उसमें न तो माइनॉरिटी का कोई सवाल है और न ही मेजॉरिटी का सवाल है। मगर सबसे पहला सवाल उस गुरबत-ओ-अफलास का है कि जिसे एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा हो, वह तालीम की रोशनी कहां से हासिल करेगा, स्कूल कैसे पहुंचेगा? आपने तो स्कूल खोलने का अधिकार देकर यकीनन एक बड़े काम की तरफ अपना हौसला दिखलाया है, मगर जब तक आप स्कूल जाने वालों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, उनको स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो स्कूल खोलने के बाद क्या हम उनमें इंसानों के बजाए जिन्नातों और भूतों का बसेरा करना चाहते हैं?

हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि ये बच्चे, जो दो सौ या तीन सौ रुपए महीने पर काम कर रहे हैं, इनके लिए एक तरीका और उपाय यह हो सकता है कि मरकजी हुकूमत और सुबाई हुकूमतें इस पर गौर करें कि जितना पैसा उन बच्चों को

[मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी]

सिर्फ पेट भरने के लिए दिया जाता है कि या तो वे पढ़ें या अपना पेट भरें। मगर ये दोनों हुकूमतें आधा-आधा पैसा अपने जिम्मे करके उन बच्चों के लिए वजायफ़ मुकर्रर कर दें, तो ऐसी सूरत में वह नन्हा-सा बालक तालीम हासिल करके एक अच्छा हिन्दुस्तानी भी बन सकता है और तीन वक्त, दो वक्त की रोटी, जो उसे नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके पेट की आग भी बुझ सकती है।

मैं तो अक्सर यह कहा करता हूँ कि हमारे मुल्क में गांधी जी, मौलाना आजाद, जवाहर लाल नेहरू और इस तरह की जितनी भी शख्सियतें, चाहे इधर से मुल्क की खिदमत के लिए पैदा हुई हों या उस साइड से मुल्क की खिदमत के लिए पैदा हुई हों, इन शख्सियतों के पेट में अन्न और पानी गया था, सुविधाएं थीं, जिनकी बुनियाद पर वे तरक्की करके मुल्क का निशान और मुल्क का स्लोगन बन गए थे। आज के ये बच्चे, जो मारे-मारे फिर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि इन बच्चों में कौन गांधी जैसा जेहन रखता है, कौन नेहरू जी जैसा जेहन रखता है और कौन मौलाना आजाद जैसा जेहन रखता है। मगर हम यह जानते हैं कि भारत के जमीर-ओ-खमीर से पैदा होने वाला हर हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान को इज्जत के आसमान तक जरूर पहुंचा देगा, इसलिए कि उसके जिस में यह बात शामिल है, उसके खून में यह बात शामिल है। शर्त यह है कि उसको मौका मिले और उसे मौका देने के लिए सिर्फ स्कूल खोलना ही लाजमी नहीं होगा, स्कूल तक पहुंचाने के लिए उन्हें वे लाजमी सुविधाएं भी देनी जरूरी होंगी, जिनकी बुनियाद पर गरीबों को उत्साहित करके स्कूलों तक पहुंचाया जाए। तब यही गरीब जिसके हाथ और पैर की कमाई के जरिए आज हिन्दुस्तान की फसलें लहलहा रही हैं, उसके तामीर-ओ-तरक्की के नक्शे से हिन्दुस्तान मजबूत होता जा रहा है, अगर उसके पास ईल्म का भी हुनर हो जाएगा, अगर उसके पास तमदुन और कल्चर भी आ जाएगा, तो इतना बड़ा मुल्क, जो अपनी संस्कृति में विशाल है, जो अपनी तहजीब में लासानी है, जिस मुल्क का नेचर ही उस मुल्क के ईल्म और अमल को दुनिया में उजागर करता है, अगर इन बच्चों पर थोड़ी-सी मेहनत हो जाती है और इन बच्चों को स्कूल का मुंह इस तरह से दिखाया जाता है कि उनके पेट भी भरें और वे तालीम भी हासिल करें, तो मैं समझता हूँ कि यह बिल भी कार-आमद होगा और हुकूमत की पॉलिसी भी कार-आमद होगी।

मैं आखिरी जुमला अर्ज करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैं ऐसी सूरत में इस बात पर फिर बल दूंगा कि उनको दो सौ या तीन सौ रुपए महीने में मिलते हैं।

जब उनके घर पर जाकर कहा जाए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो वे कहते हैं कि साहब पेट की आग बुझाएं या स्कूल जाएं। और भी परेशानियां और बाधाएं हैं। ऐसे गरीबों को हमने देखा है कि रात-रात भर रिक्शा चलाते हैं और उस कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।

सर, मैं अपना ही एक वाक्या आपके सामने रखना चाहूंगा। बरसात का समय था, झारखंड में एक शहर है हजारीबाग, मैं वहां बस स्टैंड पर उतरा और वहां से दो किलोमीटर पर महल्ला मटवारी जाने के लिए रात के दो बजे मैंने एक रिक्शा किया। उस जमाने में रिक्शा वाला डेढ़ रुपया लिया करता था। इतनी झमाझम बारिश हो रही थी और वह आदमी रिक्शा चला रहा था। जब मैं घर पर पहुंचा, तो मैंने उससे पूछा कि आप और क्या करते हो? उसने कहा कि बाबू जी, मैं रात में, दिन में रिक्शा चलाता हूं और अपने बच्चों को, बड़ी ख्वाहिश है मेरे दिल में, कि अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा कर उनको मुल्क का सेवक और इल्मो-अदब के मैदान में उनकी जिंदगी को निखारूं। मैंने उसको डेढ़ रुपये के बजाए दस रुपये दिए, मगर ये दस रुपये उसके मुस्तकबिल को तो नहीं सवार सकते थे। अलबता उसकी ख्वाहिशों का एहताराम करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कितने लोग हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मगर हाय रे, पेट की मार कि भूख की आग से तड़पता हुआ बचपन बेहतर जवानी के लिए महरूम हो जाता है। मगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि जिन बच्चों को ऐसी छोटी-छोटी जगहों पर सौ रुपए, दो सौ रुपए हासिल करने के लिए पेट की आग बुझानी पड़ती है और इल्म जैसी महान शक्ति से वे बच्चे वंचित रह जाते हैं, अगर यही रकम सेंट्रल गवर्नमेंट और शुबाही गवर्नमेंट आधी-आधी अपनी साइड से मुहैया करवा दें ऐसे बच्चों के लिए, तो उनके पेट की आग भी बुझ जाएगी और आप जो इल्म का सपना अपना बनाना चाहते हैं, वह भी साकार हो जाएगा।

सर, इस बिल की हिमायत करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि जन-जन में यह नारा गूंजे - "पढ़ो, लिखो, इंसान बनो, भारत की पहचान बनो"। थैंक यू, शुक्रिया।

श्री ए. विजय राघवन (केरल) : माननीय उपसभापति महोदय, उच्च शिक्षा में अल्पसंख्यकों को और अधिक अवसर प्रदान करने वाले इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। तथापि, यदि इस विधेयक के उपबंधों को विचार किए बिना लागू किया गया तो इसे लेकर मेरी कुछ आशंकाएं हैं। स्थाई समिति ने विधेयक की गहन समीक्षा की है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस बात पर बल दिया है और मैं उद्धृत करता हूं :

"समिति यह महसूस करती है कि किसी संस्था द्वारा अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग रोकने के लिए विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय होने चाहिए।"

[श्री ए. विजय राघवन]

स्थायी समिति के प्रतिवेदन में यह आशंका जताई गई थी। सभा में भाजपा के मेरे सहयोगी द्वारा उठाए गए मुद्दों का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ।

महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अपनाए गए कट्टर हिन्दुत्ववाद के कारण इस देश के अल्पसंख्यक व्यक्ति मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। सौभाग्यवश, देश में बहुसंख्यकों द्वारा की गई पहल के कारण और हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष सोच रखने वाले लोगों ने अल्पसंख्यक समुदायों में इस देश में नागरिक के रूप में रहने का आत्मविश्वास जगाया है। इस दिशा में यह विधेयक और अधिक विश्वास प्राप्त करने में अल्पसंख्यकों की मदद करेगा।

महोदय, इनके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने जब भी ऐसा कोई विधान पारित किया है, हमारे कुछ खराब अनुभव रहे हैं।

इस विधेयक के दायरे का दुरुपयोग किए जाने की पूरी संभावना है। हमारे समाज में अपेक्षाकृत अधिक अमीर वर्ग हैं। इस विधेयक के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक संस्था शुरू कर सकता है। यदि उसके पास भूमि खरीदने के लिए और भवन का निर्माण करने के लिए धन है तो वह अल्पसंख्यक संस्था शुरू कर सकता है। अतः इस संबंध में हमें बहुत सचेत रहना चाहिए। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रारंभ करने का अधिकार अल्पसंख्यकों में आर्थिक रूप से सम्पन्न अल्पसंख्यकों तक ही आरक्षित नहीं होना चाहिए। मुद्दा यह है। सरकार द्वारा इस सभा को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि लाभ अमीर अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों में तथाकथित रूप से आर्थिक रूप से सम्पन्न अल्पसंख्यक व्यक्तियों को न जाए। अतः विधेयक लागू करते समय इसका दुरुपयोग रोकने के लिए अधिकाधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। कोई भी जाकर यह कह सकता है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय से है। समस्या यह है। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मेरी यही आशंका है। इसी तरह हमारे पास केरल का उदाहरण है। श्री ए.के. एंटनी इस सभा के सम्मानित सदस्य हैं। केरल सरकार ने गैर सहायता प्राप्त कालेज प्रारंभ करने की अनुमति दी थी और उनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए हैं। कुल परिणाम क्या रहा? आश्वासन यह दिया गया था कि 50 प्रतिशत चिटें समाज के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दी जाएंगी किंतु अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने तथा इन संस्थानों को प्रारंभ करने के बाद किसी भी संस्था ने अपना वादा नहीं निभाया। केरल के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि निजी संस्थानों ने, स्व वित्तपोषित संस्थानों ने लोगों को धोखा दिया है,

राज्य और उसके लोगों से जो वादा उन्होंने किया था वह पूरा नहीं किया है। श्री ए.के. एंटनी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा है। उन्होंने लोगों से धोखा किया है। तो ऐसा यहां भी हो सकता है। इससे बचाव के लिए क्या उपाय हैं? फीस के ढांचे के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद प्रतिभाशाली छात्रों, गरीब छात्रों को भय है कि उन्हें उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा भी या नहीं। यह अवसर यहां नहीं है। सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विधान बनाना चाहिए कि इस देश के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए इन महाविद्यालयों में अवसर मिल सके। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे किसी अधिनियमन को लाने से पूर्व, हम इस महती सभा में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को आश्वासन दे कि इस देश के गरीब और उत्कृष्ट छात्रों की सहायता के लिए एक विधान लाए जो उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करे। जब माननीय मंत्री वाद-विवाद का जवाब दें तो उन्हें मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों के उत्तर अवश्य देने चाहिए।

महोदय, एक समस्या और है, यदि हम इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को शुरू कर देते हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए एक निश्चित संख्या में सीटें आरक्षित होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इससे अल्पसंख्यकों में अपेक्षाकृत अधिक निर्धन वर्गों के हितों की रक्षा हो पाएगी। सभा में मैं यह संदेह व्यक्त करना चाहूंगा। क्या उन्हें अवसर मिलेगा? मेरे माननीय मित्र आजमी जी हमारे देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति ब्यान कर रहे थे। कृषि कामगारों में उनका बहुमत है। अनुसूचित जातियों के बाद मुसलमानों का बहुमत है। बाल श्रमिक चाहे वे मुरादाबाद में हों अथवा वाराणसी या अलीगढ़ में हों, उनमें से अधिकांश मुस्लिम बच्चे हैं। वे समाज के वंचित वर्गों के हैं। क्या इस विधान से उनके हितों की रक्षा की जायेगी। मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें सर्वाधिक वंचित वर्गों और अल्पसंख्यकों में अपेक्षाकृत अधिक निर्धन लोगों के लिए आरक्षित की जाएं।

उनके हितों की पूर्ति की जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस विधान से क्या उनके हित सधेंगे। सरकार को इस सभा को आश्वासन देना चाहिए कि इस विधान से अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। क्या हम अल्पसंख्यकों में गरीब तबकों के हितों की रक्षा करने जा रहे हैं? इस मुद्दे पर मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं। भाजपा ने इस विधेयक के बारे में अपना विरोध जताया है। स्थाई समिति के प्रतिवेदन में 'टिप्पण' था। वे इस पूरे मामले से यह कहकर ध्यान हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं

[श्री ए. विजय राघवन]

कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, इससे यह होगा, वह होगा। इसका आशय यह होगा कि वे अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध हैं। उनके विरोध में यह झलक रहा है। इस विधेयक के बारे में मेरी अपनी आशंकाएं हैं। केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में एक विशिष्ट मुद्दा है। महोदय, जब हम इस विधान में संशोधन कर रहे थे तो इस सम्मानित सभा में चर्चा हुई थी कि राज्यों के हित की रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए। भारत जैसे देश में विविधता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां केरल या पश्चिम बंगाल से भिन्न हैं। हमें मामलों का विश्लेषण भिन्न दृष्टिकोण से करना होगा। उन राज्यों में जहां भू-सुधारों के द्वारा हमने सामाजिक परिवर्तन किए हैं, समाज के सभी वर्गों को लाभ दिया गया है। यदि हम केरल या पश्चिम बंगाल या उन राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं को देखें, जहां हमने भू सुधार अपनाये हैं तो वहां इन शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्र बड़ी संख्या में हैं। हम देश के सभी राज्यों में इसी तरह नहीं कर सकते क्योंकि वहां मतभेद और भिन्नताएं हैं। तो इस विधेयक के बारे में मैं कहूंगा कि राज्यों को अपने दायित्वों के निर्वहन का कार्य सौंपा जाना चाहिए और विभिन्न राज्यों में मतभेदों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब हमने यह चर्चा शुरू की थी तो इस सम्मानित सभा में यह कहा गया था कि ऐसे बहुत से प्रावधान थे जिनसे राज्य अपने विधान बना सकने की स्थिति में थे।

राज्यों की स्वायत्तता अर्थात् राज्यों के संघीय स्वरूप की रक्षा करने के लिए राज्य विधान को केन्द्रीय विधान के समान ही दर्जा दिया जाना चाहिए। इस विधान में एक कमी है। वह यह है कि यदि राज्य आयोग और केन्द्रीय आयोग के बीच मतभेद होता है तो केन्द्रीय आयोग ही मजबूत स्थिति में होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह राष्ट्रीय आयोग राज्यों पर सुपर पावर है। राज्य सरकारें भी हैं। राज्यों में सरकारें जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। जैसे, मेरे राज्य में इन संस्थानों में से 80 प्रतिशत संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हैं किंतु एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज को ही अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है बाकी के संस्थानों को यह दर्जा नहीं मिला है। तो इन कॉलेजों को अल्पसंख्यक समुदाय चला रहा है। संस्थान सभी छात्रों के लिए होता है।

एक अल्पसंख्यक संस्था का आशय यह नहीं है कि वह संस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। वह उत्कृष्ट छात्रों के लिए हैं और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है किंतु यदि हम केरल का उदाहरण देखें तो मैं इस सरकार से आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध करूंगा

क्योंकि यदि हम खण्ड 12 (ख), (iv) को देखें तो उससे ऐसा आभास मिलेगा कि राष्ट्रीय आयोग के पास राज्य सरकारों से अधिक शक्तियां हैं। हो, सकता है कि इसके पास राज्य आयोग से अधिक शक्तियां हो सकती हैं। यह एक अलग बात है। किंतु इसकी शक्तियां राज्य सरकारों की शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती। राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील के बारे में निर्णय लेने के प्रश्न पर राज्य सरकार का रुख क्या होगा? इस बारे में भलीभांति पता किया जाना चाहिए। इसे समुचित रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे निश्चित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संबंधित राज्य सरकार ही है जो वास्तविकता को केन्द्र सरकार से बेहतर जानती है। तो इस मुद्दे पर मेरी अपनी आशंकाएं हैं किंतु मैं यह कहूंगा कि मैं बाजपा के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय को संतुष्ट करने के लिए है किंतु महोदय, आशंकाएं हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब तबकों के हितों...

डा. मुरली मनोहर जोशी : आपने वही बातें कही है जो हमने कही हैं...

श्री ए. विजय राघवन : मेरे पास विसम्मति टिप्पणी की प्रति है...

श्री उपसभापति : श्री विजय राघवन, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री ए. विजय राघवन : इसमें यह उल्लेख है कि आतंकी गतिविधियों के लिए ऐसे संस्थानों का दुरुपयोग हो सकता है। मैं यहां भाजपा के दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा। मेरी अपनी आशंकाएं हैं...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : महोदय, मैंने नोट दिया था और मैंने यह नहीं कहा। मैं इससे निपट लूंगा।

श्री ए. विजय राघवन : मेरा यह कहना है कि अपने संविधान के संघीय स्वरूप और राज्यों की स्वायत्तता और शक्तियों को देखते हुए, राज्य सरकार को अपने राज्यों की वास्तविकता का पूरा ज्ञान होता है। इसके आधार पर राज्य सरकारें अपने विधान बनायेंगी। इस तरह आप जब भी कुछ संशोधन करते हैं या राज्य आयोगों के निर्णय के विपरीत निर्णय लेते हैं या तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित सरकारों से उचित परामर्श किया जाए। मेरा इस सरकार में पूरा विश्वास है कि वे हमारी ओर से सुझाव स्वीकार करेगी क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है खास तौर पर, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब तबकों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद महोदय।

श्री उपसभापति : श्री शाहिद सिद्दिकी, आपकी पार्टी के दो वक्ता हैं और ग्यारह मिनट हैं।

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस हाउस को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह का एक कंसेंसस पिछली बार हुआ जब यह बिल डिसकस हुआ था, उस वक्त भी और आज भी एक कंसेंसस है, इस बात पर सब पार्टियाँ इस बात को समझती हैं कि देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए मॉयनोरिटीज का खास तौर पर मुस्लिम मॉयनोरिटीज का शिक्षा के मैदान में आगे आना आवश्यक है। इस पर कोई मतभेद नहीं और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत तकलियत मिलती है मुल्क के मॉयनोरिटीज को और उनको अहसास होता है कि पूरा मुल्क इस पर जाग रहा है और उनके मसले को समझ रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि राघवन जी ने जो बात कही है, मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि आप जब मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, बना रहे हैं हर एजुकेशन में, तो इस बात का ख्याल रखिए कि मुसलमानों में, खास तौर पर 90 प्रतिशत जो पिछड़े हुए हैं वे दस्तकार हैं, वे गरीब हैं। वे लोग हैं जिनकी पहली जेनरेशन आज शिक्षा में आ रही है, जिनकी पिछली सात-दस पीढ़ियों ने शिक्षा हासिल नहीं की। वे जब आ रहे हैं तो इस कम्पटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते। उनके लिए इन मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशन में मेरा अपना तजुर्बा है कि कोई जगह नहीं है। बंगलौर के कॉलेजेज में, साउथ के कॉलेजेज में, यहां जो कॉलेज खुल रहे हैं वहां जब हम गरीब मुसलमान बच्चों को एडमिशन के लिए भेजते हैं तो उनको इंकार मिलता है, उनको दाखिला नहीं मिलता है। तो मैं सरकार से खास तौर पर यह कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सदन मेरा साथ दे इसमें कि ये जो मॉयनोरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें उनको बाध्य किया जाए कि वे कम से कम 25 प्रतिशत रिजर्वेशन पिछड़े मुसलमान बच्चों के लिए रखें, इकॉनोमिकली बैकवॉर्ड मुसलमान बच्चों के लिए रखें और उनके लिए इसमें स्कॉलरशिप रखी जाए, उनको वहां पर जगह दी जाए। इसके लिए उनको बाध्य करना पड़ेगा। अगर आप बाध्य नहीं करेंगे तो उनको जगह नहीं मिलेगी। मैं इससे भी सहमत हूँ कि जहां ये मॉयनोरिटी इंस्टीट्यूशंस मॉयनोरिटीज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो दुकानें बन गई हैं, जो कॅमर्शियल इस्तेमाल में आ रही हैं। चूंकि मॉयनोरिटीज इंस्टीट्यूशंस हर तरह के हैं, तरह-तरह के, इसके कॅमर्शियलाइजेशन को रोकने के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा कि ये कॅमर्शियल परपज के लिए मॉयनोरिटीज के नाम पर इस्तेमाल न हों। क्योंकि बदनामी फिर मॉयनोरिटीज की होती है, बदनामी मुसलमानों की होती है लेकिन होता यह है कि कुछ लोग अपने खास मकसद के लिए इंस्टीट्यूशन को कॅमर्शियलाइज करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। वह चीज रुकनी चाहिए। तीसरी बात, जो हमारे मौलाना ने कही कि - मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मर्ज जैसे-जैसे आपने मसले को हल करने की कोशिश की है पिछले 55 साल में मर्ज

बढ़ता गया, चूंकि शायद मैं गलती पर हूं, इमानदारी से कोशिशें नहीं हुईं। हुआ यह कि मैं क्या सियासी फायदा उठा सकता हूं टोकनिज्म होता रहा, आप क्या उठा सकते हैं, आपका विरोध इसलिए हुआ कि आपकी राजनीति कुछ कहती है, आपने कोई मामला रखा कि आपकी राजनीति कुछ कहती है। मैंने मॉयनोरिटी की बात इसलिए की कि मुझे कुछ वोट लेने थे। यह जो वोट की राजनीति मॉयनोरिटी के साथ हुई है यह देश के हित में भी नहीं है और मॉयनोरिटी के हित में भी नहीं है, इसलिए इससे हमें उठना पड़ेगा, खास तौर से इस सदन में इस माहौल को बनाना पड़ेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो आपने मर्ज को हल करने की कोशिश की है इससे मर्ज का इलाज मुमकिन नहीं है। क्योंकि मुसलमानों में खास तौर पर जो बैकवर्डनेस है, वह प्राइमरी एजुकेशन में है, वह सेकेंडरी एजुकेशन में है। वहां पर जब तक आपका ध्यान नहीं होगा हॉयर इंस्टीट्यूशन में आप उनको अच्छे कम्पटीशन के साथ नहीं ला सकते, देश की सेवा में जो उनका योगदान है, वह नहीं हो सकता। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम सर्वशिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, तो हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, वे चाहे पिछड़े बच्चे हैं, वे चाहे एबल बच्चे हैं, वे किसी धर्म से हैं, किसी जाति से हैं, ट्राइबल हैं, मुसलमान हैं, यानी देश के हर बच्चे को हम शिक्षा देंगे। यह हमने फैसला किया है, हमारी सरकार ने फैसला किया है, इस देश ने फैसला किया है। उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि जो ज्यादा पिछड़े हैं किसी भी कारण से उनके लिए जब सर्वशिक्षा अभियान में आप अलग से आबंटन नहीं करेंगे, अलग से कोई स्कीम नहीं बनाएंगे, आबंटन मत कीजिए, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा कि जहां ज्यादा बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां ज्यादा फोकस की जरूरत है। तो मॉयनोरिटी के जो बच्चे हैं, ख़ौस तौर पर जैसा मौलाना ने कहा कि जो हमारे दस्तकार बच्चे हैं, सर, मैं दस्तकार बच्चों के बारे में कहना चाहता हूं, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरिएंसेज हैं, इन बच्चों के साथ। होता यह है कि मां-बाप पढ़ाना भी चाहते हैं, पेट काटकर, पेट पर पत्थर बांधकर बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह बच्चा जो पहली बार स्कूल में आ रहा है, जिसके यहां सात पीढ़ियों में कभी पढ़ाई नहीं हुई, उसको पता नहीं कि स्कूल का होम वर्क क्या होता है, जिसको पता नहीं कि स्कूल का व्यवहार क्या होता है, वह स्कूल में कम्पीट नहीं करता। यह वह बच्चा आ रहा है, जो आज से पहले बुनकर बनता था, सीखता था, उससे रोटी खाता था, आज वह भी चाहता है कि उसका बच्चा भी पढ़े, वह भी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़े, वह भी उस देश को अब्दुल कलाम दे, उसकी भी हर बात की ख्वाहिश है, मैं जानता हूं कि हर माइनोरिटी के बाप की ख्वाहिश यह है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अब्दुल कलाम बने, अब्दुल हमीद बने, वह अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी बने, हर हिन्दुस्तान के मुसलमान के मन में यह ख्वाहिश है।

[श्री शाहिद सिद्दिकी]

वह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है, लेकिन होता क्या है, एक तो उसकी जुबान यानी जुबान चली गई, उर्दू में शिक्षा ले नहीं सकता, अंग्रेजी वह जानता नहीं, हिन्दी में उतना कम्पीटेंट नहीं है जिसकी वजह से कम्पटीशन में वह दूसरे बच्चों से पीछे रह जाता है। वह दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार में, जिंदगी के कपड़ों में, चलने में, होम वर्क में पीछे रह जाता है, इसका नतीजा यह है कि ड्राप-आउट रेट बहुत ज्यादा हाई है मुसलमान बच्चों का। इसको दूर करने के लिए आपको सेंसेटिवली मामले को समझकर इसके लिए फोकस्ड प्रोग्राम बनाने होंगे। जब तक आप फोकस्ड प्रोग्राम नहीं करेंगे, आप नीचे से नीचे लेकर काम नहीं करेंगे, हवा में किले बनायेंगे, तो मुझे माफ करें, उससे माइनोंरिटीज को फायदा होने वाला नहीं है, माइनोंरिटीज से जुड़े हुए कुछ अफराद जिनके पास पैसा है, जिनमें सलाहियत है, उनको फायदा हो जायेगा, इंस्टीटयुशन्स बना लेंगे, पैसा कमा लेंगे, करोड़ों कमायेंगे, उनको फायदा होगा, माइनोंरिटीज को फायदा नहीं होगा। अगर आप माइनोंरिटीज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इस देश को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका तरीका यही है कि इस काम को लेकर चलें और जो राष्ट्रीय अभियान शिक्षा का है, उसमें आप उनके लिए अलग से फोकस्ड प्रोग्राम तैयार करें, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

सर, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब आप पिछली बार बिल लेकर यहां आये थे, उस वक्त भी हमने बहस की थी और उसकी खामियां गिनाई थीं। उस वक्त भी हमने कहा था कि अमल जो है वह सबसे अहम चीज है, इस पर अमल कैसे होगा? पिछली बार आपने कुछ यूनिवर्सिटियां नार्थ-ईस्ट की और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी रख दी थी। यहां भी मुझे पर्सनली एक्सपीयरेंस हुआ है कि जिन इंस्टीटयुशन्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एप्लाई किया, माइनोंरिटी के इंस्टीटयुशन्स जिन्होंने सारी तैयारियां मुकम्मल करके, बिल्डिंग बनाकर के, फर्नीचर खरीद कर के, सामान खरीद कर के, जितनी जरूरतें हैं, सब पूरी कर लीं, कहीं से पैसा इकट्ठा करके, मेहनत करके, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एन.ओ.सी. के लिए एप्लाई किया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से आज तक किसी भी इंस्टीटयुशन को जबाव नहीं मिला। एक जबाव नहीं मिला और हमारे लोग जब वाइस चांसलर से मिलने गये, उनसे रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में कोई जबाव दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मशीनरी नहीं है। यह देखने की, आपके यहां आकर इन्सपेक्शन करने की, समझने की और उसके लिए एन.ओ.सी. देने की मेरे पास मशीनरी नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने यूनिवर्सिटियों को कह तो दिया, लेकिन क्या उन यूनिवर्सिटीज को इन्स्ट्रक्शन्स दी हैं कि माइनोंरिटीज

म.प. 3.00 बजे

के जब आपके पास एफिलियेशन के लिए आयें, तो आप उनको एफिलियेशन दें। आप इसके लिए एक समय-सीमा निश्चित कीजिए कि तीन महीने के अंदर या छह महीने के अंदर आपको एफिलियेशन देना है नहीं तो जबाब देना है कि क्यों नहीं दिया आपने एफिलियेशन। यह बहुत आवश्यक है, वरना यह कागज पर ही रहेगा, जैसा हमने पीछे देखा है। आप आर्डिनंस लाये कि बहुत जल्दी है, बहुत इमरजेंसी है, आप तो आर्डिनंस ला रहे हैं, लेकिन वहां पर चिड्डी का जबाब देने के लिए कोई यूनिवर्सिटी तैयार नहीं है कि आपने एफिलियेशन के लिए एप्लाई किया है तो एफिलियेशन दें कि नहीं दें। मंत्री जी, इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, तब हां, हम समझेंगे कि आपकी नीयत ठीक है और आप वाकई चाहते हैं। नीयत तो आपकी ठीक है, नीयत आपकी ठीक रही है, लेकिन अमल आपका पिछले 55 साल में खराब रहा है और उसके बारे में, मैं इस बात को ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि अमल में पार्टियों का कोई रोल नहीं होता है। मैं मानता हूं कि माइनॉरिटीज के ताल्लुक किसी की नीयत में खोट नहीं है, न जोशी जी, आपकी नीयत में खोट है, न इनकी नीयत में खोट है।...**(व्यवधान)**...

डा. मुरली मनोहर जोशी : हमारी नीयत में खोट नहीं है, यह तो हमने साबित कर दिया है।...**(व्यवधान)**...

श्री शाहिद सिद्दिकी : वह एक अलग बहस है।

श्री उपसभापति : आप कुछ टाइम अपने साथी के लिए छोड़ना चाहते हैं या नहीं?

श्री शाहिद सिद्दिकी : असल बात यह है कि जब अमल का वक्त आता है, तो हमारा सिस्टम जिस तरह से काम करता है, वहां हम भी उस काम को नहीं करा पाते हैं। इसलिए आपको सिस्टम पर ध्यान देना होगा और उन्हें बाध्य करना होगा कि यूनिवर्सिटीज उनको एफिलियेशन दें। सर, मैं आखिर में, यह कहना चाहूंगा कि आज दुनिया में जहां भी हम जाते हैं। हम किसी भी लेवल पर बात करते हैं - चाहे वह हैड ऑफ दी स्टेट से बात करते हों, चाहे आम आदमी से बात करते हों - एक बात हमें सुनने को मिलती है कि क्या वजह है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान, जो इतनी बड़ी तादाद है, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा है या दूसरे नम्बर पर है, वहां पर आतंकवाद उनके बीच कभी जड़ नहीं बना सका, एक-आध कोई इनडिविजुअल निकल आया हो, लेकिन जड़ नहीं बना सका? क्यों हिन्दुस्तान के मुसलमान आतंकवाद से नहीं जुड़े हैं? यहां तक कि कश्मीर के मामले में भी, हिन्दुस्तान के जो बाकी हिस्सों के मुसलमान हैं, उन्होंने कभी भी उसमें कोई हिस्सा नहीं लिया, उसका साथ नहीं दिया और हम फख के साथ हर जगह कहते हैं कि उसका कारण हमारे मुल्क का कल्चर है, हमारी सभ्यता है,

[श्री शाहिद सिद्दिकी]

हमारी परम्परा है और हमारे मुल्क का लोकतंत्र है जिसने एक अलग माहौल दिया है, जिसकी वजह से हिन्दुस्तान का मुसलमान एक यूनीक मुसलमान बनकर निकला है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज दुनिया में, दुनिया के मुसलमानों की लीडरशिप का रोल जो है, रोल मॉडल का जो रोल है, वह हिन्दुस्तान का मुसलमान दे रहा है और आने वाले वक्त में देगा। आज दुनिया में जो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, वह हिन्दुस्तान का मुसलमान दे रहा है और हमें, सिर्फ हिन्दुस्तान को दुनिया की लीडरशिप का रोल नहीं करना है, हिन्दुस्तान के मुसलमान को भी मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप का रोल करना है और उनको रास्ता दिखाना है तथा वे आज जिस खाई में हैं, जिस अंधेरे में हैं, उससे निकालकर उन्हें रोशनी की तरफ लाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान का मुसलमान भी उसी तरह से नेशनल कैपिटल बने, हमारी लेबर फोर्स जो है, हमारी पापूलेशन आज हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है लेकिन यह कैपिटल तब है, जब हमारे पास शिक्षा हो, हमारे पास स्वास्थ्य हो और हमारे यहां सोशल पीस हो। इस सोशल पीस को बनाने के लिए आवश्यक है कि हर सैक्शन में यह एहसास आए कि इस स्टेट में, इस पाई में मेरा भी एक हिस्सा है और वह एहसास देने का काम आपका भी है, मेरा भी है और इनका भी है। वह एहसास अगर हम देंगे तो आने वाले वक्त में हिन्दुस्तान दुनिया को लीड करेगा, हिन्दुस्तान से अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होंगे जो हिन्दुस्तान की भी शान बनेंगे और मुसलमान की भी शान बनेंगे तथा दुनिया में एक पैगाम देंगे। इसके लिए मैं अपने साथियों से यह कहना चाहूंगा कि मन से यह बात निकाल दीजिए कि कोई आतंकवाद का खतरा पैदा हो जाएगा। अरे, आतंकवाद तो हमने गुजरात में नहीं पनपने दिया। मुझे याद है, मैं और कुलदीप नैयर जी जमशेदपुर गए थे। जमशेदपुर में दंगा हुआ था। एक एम्बुलेंस के अंदर सवा सौ लोग जिंदा जला दिए गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें थीं। एम्बुलेंस को बंद करके, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी और कुलदीप नैयर साहब ने वहां के मुसलमानों से पूछा था कि इन हालात में क्या तुम पाकिस्तान जाना चाहोगे, यहां से कहीं महफूज जगह जाना चाहोगे? तब वहां के मुसलमानों का जवाब यह था कि क्यों जाना चाहेंगे पाकिस्तान, यह हमारा वतन है, हम यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे। मैंने आज तक किसी दंगा पीड़ित इलाके में किसी एक मुसलमान को यह कहते हुए नहीं सुना कि मैं देश छोड़ना चाहता हूँ। उसके देश प्रेम में कोई कमी नहीं आती - गुजरात के बावजूद, जमशेदपुर के बावजूद, भिवंडी और जलगांव के बावजूद - तो हम यह कॉलेज खोलकर, यूनिवर्सिटी खोलकर कैसे आतंकवाद की तरफ जा सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का एक-एक मुसलमान मुल्क पर मरने

को तैयार है। उसे शिक्षा दे दीजिए, उसे आगे बढ़ने का मौका दे दीजिए, वह इस तरह से सेवा करेगा कि दुनिया देखेगी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान ने इस देश की किस तरह से सेवा की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : डा. मलयसामी, श्री रवि शंकर प्रसाद ने अनुरोध किया है क्योंकि उन्हें जरूरी काम से अस्पताल जाना है। इसलिए, मैं उन्हें बुला रहा हूँ।

डा. के. मलयसामी (तमिलनाडु) : जी, कोई बात नहीं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : उन्हें भी धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदय, मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी सम्मति टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है। महोदय, मैं माननीय मंत्री से दो बातें पूछकर अपनी बात शुरू करूंगा। मूल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा आयोग अधिनियम 6 जनवरी, 2005 को लागू हुआ था। 6 जनवरी, 2005 को आपका ओरिजनल एक्ट बना और आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, अगस्त 2005 में। पहला बुनियादी सवाल यह उठता है कि कोई भी नया एक्ट बनता है तो उसको कुछ समय आप काम करने के लिए देते हैं, उसके ऐक्सपीरिएंस को देखते हैं और देखने के बाद अगर लगता है कि दिक्कत हो रही है तो आप उसमें संशोधन करते हैं। यही हम लोगों का अनुभव भी है, यही इस सदन का अधिकार भी है। माननीय मंत्री जी, मेरी पहली परेशानी यह है, जिसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि सिर्फ सात महीने में ऐसा क्या हो गया कि इस पूरे मूल अधिनियम में इतने बड़े परिवर्तन की आवश्यकता हुई? मैं, जब आपके संशोधन बिल को देखता हूँ, तो उसके "स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस" से इसकी तीन लाइनें कहना चाहता हूँ।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

शाहिद भाई, आपने अभी जोरदार भाषण दिया है, यह सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपकी बात से शुरू करूंगा।

"आयोग द्वारा प्राप्त अधिकतर अब्यावेदनों ने आयोग का ध्यान शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हेतु अल्पसंख्यक समुदायों को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में तथा ऐसे संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों की ओर दिलाया है।" अगर आप कोई नया इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, आपने उसके लिए आवेदन किया, आपने बिल्डिंग बनाई, आपने कुछ काम किया, तो इसके लिए आप साल-डेढ़ साल-दो साल का वक्त देंगे या नहीं देंगे? सिर्फ सात महीने में ऐसा क्या आ गया, कि इतने अभ्यावेदन आ गए कि हम लोगों ने दरखास्त दी कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने में? माननीय मंत्री जी मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार के विधेयक में यह आपका वक्तव्य है। और यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे दोस्त शाहिद सिद्दिकी ने कहा कि इसका उद्देश्य जो है, हम सभी एक राय के हैं, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने कि अकल्लियत आगे बढ़े, पढ़े। पढ़ाई में कमजोरी किसकी है, हम सभी जानते हैं। जो उसमें बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके यहां पढ़ाई की बहुत कमी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे अमेंडमेंट का उद्देश्य ऐसा है कि हमें कॉलेज स्थापित करने का बिल्कुल अनलिमिटेड अधिकार मिले, जिसमें हम जैसा चाहे, वैसा करें - इसको मैं आगे स्पष्ट करूंगा। आपके मूल अधिनियम की दफा 10 में लिखा था कि आप सरकार से कंसल्ट करेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं 10(2) को और 10(2) के अनुसार "अनुसूचित विश्वविद्यालय उस राज्य सरकार से परामर्श करेगा जिसके साथ उप-धारा (1) के अंतर्गत मान्यता चाहने वाला अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थित है और मान्यता प्रदान करने से पहले ऐसी सरकार की राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अपना संविधान है। उसमें राज्यों का एक अधिकार है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता भी है। राज्य का अपना एक अधिकार भी है और संविधान की एक संघीय परंपरा को भी हम सभी समझते हैं। अब जो आपने परिवर्तन किया है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट लूप में कहीं नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं। मेरे मित्रों ने इसको पहले जरूर पढ़ा होगा, आपने एक कंपीटेंट अथॉरिटी बना दी। उसमें आपने कहा कि उनको अनापत्ति देने का अधिकार होगा और उसके बाद आपने कहा, मैं अमेंडमेंट का 10(3) पढ़ रहा हूं :-

10(3) के अनुसार, "अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों की अवधि के भीतर - सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान नहीं करेगा; अथवा जहां कोई आवेदन रद्द किया गया है तथा उसकी सूचना ऐसा प्रमाणपत्र पाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को नहीं दी गई, तो यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को अनापत्ति प्रमाणपत्र मंजूर कर दिया गया है।" माननीय मंत्री जी, इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक शख्स ने आवेदन-पत्र दिया। वह आवेदन-पत्र निचले स्तर पर क्लर्क के यहां दब गया, साठ दिन की मियाद पूरी हो गई और नो ऑब्जेक्शन दिया हुआ माना जाएगा। राज्य सरकार लूप में नहीं है, आपने एक कंपीटेंट अथॉरिटी बना दी और साठ दिन में डीमिंग फिक्शन देकर परमीशन दे दिया। इसका क्या मतलब है और मैं यह कहना चाहता हूं, मैंने डिसेंटिंग नोट में कहा था कि जिस समय में हम रह रहे हैं, वह टेररिज्म का समय है और माइनोंरिटीज का पूरा विकास होना चाहिए, लेकिन कुछ में फंड कहां से आ रहे हैं, यह मालूम कैसे

होगा? कल अगर दाऊद इब्राहिम कोई फ्रंट खोलना चाहते हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, तो यूनिवर्सिटी के पास मशीनरी नहीं है जांच करने की, क्षमा करें मंत्री जी। हम जानते हैं, इस मुल्क में - आज संसद में मेरा सवाल था, साउथ के टेरेरिज्म पर। सात-आठ ऐसे फ्रंट्स हैं, जो टेरेरिज्म के फ्रंट के रूप में काम करते हैं। क्या उस सच्चाई से हम मुंह मोड़ सकते हैं? मैं शाहिद भाई की बात का बिलकुल इकरार करता हूं कि मेजॉरिटी मुसलमान नहीं हैं ऐसे, देशभक्त हैं, लेकिन कुछ लोग इस फ्रंट का दुरुपयोग करेंगे, उस फ्रंट की जांच का क्या प्रावधान है? स्टेट गवर्नमेंट लूप में नहीं है, साठ दिन में डीमिंग फिक्शन हो गया, यूनिवर्सिटी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वह सिर्फ एफीलेशन देगी। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी देश की सबसे बड़े पंचायत में बैठे हुए हैं और यह पंचायत जब कानून बनाती है, तो आने वाली नस्लों के लिए बनाती है। हम कानून रोज नहीं बदलते, लेकिन एक कानून ऐसा जरूर बनाना चाहिए, जिसमें इन संभावनाओं की चिंता करने की जरूरत हो और मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि यह पूरा जो संशोधन आया है, जो मैंने पहली बात कही, बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माईंड के आया है। सात महीने बहुत छोटा समय होता है, किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संबंध में नियत के काम करने का। कोई एम्पीरिक्ल एवीडेंस नहीं है। एक आपने कह दिया कि कुछ लोग चाहते हैं, हमें दिक्कत होगी और हमने कर दिया, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यहां पर अपने दोस्त शाहिद सिद्दिकी की बात का समर्थन करके, अपनी बात खत्म करूंगा। हम सभी समझते हैं कि माइनोरिटी का विकास तो होना चाहिए। मैं यह भी जानता हूं कि इस देश के विकास शिक्षा के क्षेत्र में तब तक नहीं होगा जब तक इस देश की अक्लियत का विकास नहीं होगा। मैं आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर जोर से कहना चाहता हूं, लेकिन अक्लियत का कौन सा स्टैंडर्ड, मैं जानना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों का कौन सा स्तर। मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी कभी हमारे सामने इस बात को कहें कि क्या उन्होंने कोई व्हाइट पेपर बनाया है कि अभी तक जितने माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स खुले हैं, उनमें किस स्तर के लोगों को एडमिशन दिया गया है? उनमें क्या-क्या मार्केटिंग ऑरिएंटेशन प्रोफिट था? कहीं पर तो इसकी सबसे बड़ी पंचायत को बताया जाना चाहिए। हमारे वामपंथी मित्र केरल के अनुभव से बोल रहे थे, अपने अनुभव से वे भी सहायता कर रहे हैं। शाहिद भाई, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं कि एक गंभीर आशंका यह है कि शिक्षा चाहने वाले अल्पसंख्यकों में जरूरतमंदों के वास्तविक अधिकार नकार दिए जाएंगे और एक बार फिर यह धन कमाने का जरिया भर ही बना रह जाएगा। इसका आपके पास क्या रास्ता है? माननीय डा. जोशी जी ने बहुत विस्तार से कहा है कि जो कमीशन इसके अंदर बना है, वह

[श्री रवि शंकर प्रसाद]

माइनोरिटीज कमीशन के ऊपर हो गया है। डा. जोशी जी ने इस पर चर्चा भी की है कि संघीय व्यवस्था का किस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, उसको विस्तार से रखेंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस संशोधित बिल की धारा-12 (c) को देखें, जिसमें कमीशन को इस बात का अधिकार दिया गया है, कमीशन जांचे कि यह कॉलेज माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन है या नहीं? उसमें उसको क्या देखना है। शाहिद भाई, आपको इस प्रावधान को देखना चाहिए। 12 (ग) (ख) के अनुसार, "निरीक्षण या जांच के दौरान दस्तावेजों के समापन में यदि यह पाया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नियमों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दाखिला देने में असफल रहा है तो उनका निबंधन कैंसल हो सकता है। वहां पर माइनोरिटीज के किस स्तर के बच्चे आ रहे हैं? वहां पर कितने उपेक्षित बच्चे आ रहे हैं, कितने सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे आ रहे हैं, कम से कम यह भी तो देना चाहिए था। यह बिल्कुल ठीक है कि माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स में गैर माइनोरिटीज न जाएं, लेकिन आज इस मुल्क में जुलाहे हैं, अंसारी हैं और कितने अन्य पिछड़े हुए हैं, जिनका मैं नाम लेने की जरूरत नहीं समझता हूँ, जिनको शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। आपने इस पूरे एक्ट में इतना बड़ा कमीशन बनाया और आपने इस कमीशन को इतनी बड़ी ताकत दे दी कि वह संघीय संविधान से बड़ा है, वह भारत के माइनोरिटीज कमीशन से बड़ा है। जो आपने एक नया माइनोरिटीज विभाग बनाया है, शायद इससे भी बड़ी उसकी ताकत है। इस कमीशन को, इस बात को जांचने का कोई अधिकार नहीं है कि माइनोरिटीज में जिनको शिक्षा की जरूरत है, उनकी इंस्टीट्यूशन्स में क्या चिंता हो रही है? शाहिद भाई, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माफ करना ये सारी दुकानें खुलेंगी। ये दुकानें खुलने वाली हैं। इसलिए संशोधन में, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि बार-बार रेप्रेजेंटेशन आया कि नॉन-आब्जेक्शन मिलने में कठिनाई हो रही है, तो साढ़े 6 महीने में क्या कठिनाई हो गई? जबकि एकेडेमिक ईयर एक साल का होता है। नए इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने में दो साल लगते हैं तो साढ़े 6 महीने में ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि इतना बड़ा संशोधन करने की नौबत आई। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मैं देर तक बोलना नहीं चाहता किंतु मैं केवल यही कहूंगा कि इस पूरे संशोधन से गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है।

अब, मैं अपने अंतिम मुद्दे पर आता हूँ। क्या मुद्दा है? अल्पसंख्यकों का विकास हम सभी चाहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश होता क्या है, कुछ न कुछ काम हो जाता है, माफ करना जिससे तफरकात बढ़ता है, जो उपेक्षित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको शिक्षा की

जरूरत है, वे फिर हाशिये पर चले जाते हैं। मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि यह पूरा संशोधन वही होने वाला है। मंत्री जी, अंत में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, ये बुनियादी मुद्दे हैं, ये बनें, अच्छे चलें और भविष्य में रहें, लेकिन सारे यही अनुभव आ रहे हैं कि यह ठीक नहीं चल रहा है, इसकी चिंता करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. के. मलयसामी : उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिए मेरी पार्टी ने मुझे अंतिम क्षणों में अवसर दिया है।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : किंतु याद रखें, आपके पास केवल 11 मिनट का समय ही है। आपको अपनी बात इसी समय के भीतर कहनी होगी।

डा. के. मलयसामी : जी, इस पर मैं कोई विशेष तैयारी नहीं कर पाया हूं, जबकि आम तौर पर मैं तैयारी के साथ आता हूं। किंतु फिर भी मैं कुछ मुद्दे अपनी समझ से उठाना चाहूंगा...(व्यवधान)...महोदय, सबसे पहले...(व्यवधान) महोदय, यदि श्री वी. नारायणसामी व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो मैं अतिरिक्त समय लूंगा।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें...(व्यवधान)...

डा. के. मलयसामी : महोदय, सबसे पहले मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।
...(व्यवधान)...

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बोलिए।

डा. के. मलयसामी : अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें प्रोत्साहित करने में तत्पर ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से और इन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने वाली हमारी माननीय मुख्यमंत्री सुश्री जे. जयललिता की ओर से...। वैसे, मैं विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सही दिशा में लाया गया सही विधेयक है। अल्पसंख्यकों के इतिहास में यह एक मील का पत्थर है। महोदय, गांधीजी के अनुसार समाज की सभ्यता अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर निर्भर करता है। महोदय, हमारा सपना है कि वर्ष 2020 तक हम विकसित देश बन जाएंगे तब देश के सभी अल्पसंख्यकों को यह महसूस होगा कि उनमें पर्याप्त सुरक्षा और आत्मविश्वास है। इन्हीं स्थितियों में विधेयक आया है। यह नया विचार नहीं है। दूसरी ओर, हमारे संविधान में अनुच्छेद 46 में पहले से ही यह है और उसमें अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में इस बात पर विचार किया गया था कि उनके आर्थिक तथा शैक्षणिक हित की सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। ये सभी बातें उसमें थीं। यहां तक कि स्वतंत्रता से पहले भी

[डा. के. मलयसामी]

संविधान में प्रदत्त इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कई विधान बने, अधिसूचनाएं जारी की गईं और कई संस्थान सामने आए। 2004 में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन हेतु उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और यह अध्यादेश अधिनियम बना, और अब इसमें संशोधन भी आया है। विधेयक असल में कहता क्या है? विधेयक का दायरा व्यापक है और इसमें स्थिति की वास्तविकता का सार्थक मूल्यांकन है? **सार्थक प्रशंसा** और **व्यापक गुंजाईश** है। उनके द्वारा विधेयक लाने की जो भी पृष्ठभूमि रही हो या कोई भी कारण रहे हों, और चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या आंध्र प्रदेश सरकार का रिजर्वेशन, जो भी पृष्ठभूमि हो, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। इन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं देख सकता हूं कि अधिनियम बनने वाले पहले के अध्यादेश तथा वर्तमान विधेयक में बहुत अधिक सुधार किए गए हैं। इसमें समय सीमा की बात कही गई है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए 60 दिन की समय-सीमा तय की गई है। ऐसा न होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया हुआ समझा जाएगा। किन्तु, एक बार आदेश दिये जाने के बाद क्या व्यथित पक्ष को अपील करने का अधिकार होगा?

महोदय, अन्य विशेषताएं भी हैं - दर्जा और दुरुपयोग। मेरा मतलब आयोग दुरुपयोग के मामले भी देख सकता है।

विधेयक की विशेष और बेहतर विशेषताओं के अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से एक-दो मुद्दे स्पष्ट करवाना चाहता हूं। सामान्यतः मैं शीघ्रता से और संक्षेप में बोलता हूं।

अब मैं पहले मुद्दे पर आता हूं। इसका दायरा व्यापक किया गया है। उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई संस्था है। उनकी व्यवस्था जो भी हो, उनके उद्देश्य जो भी हों किंतु कुछ भी प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। सही कार्य के लिए सही लोग होने चाहिए और एक अभियान होना चाहिए। मैं एक खास प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप पहले ही एक अध्यादेश को विधान में बदल चुके हो और अब आप संशोधन लेकर आए हो। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इस अधिनियम को अक्षरशः लागू करने में सक्षम हैं। यह है मेरा पहला मुद्दा। मैं खास तौर पर माननीय मंत्री श्री नारायणसामी और श्री जयराम रमेश से जानना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी यहां पर हैं, वे सदा इस बात पर ध्यान कि मैं संस्थागत विफलता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं या मानवीय विफलता शब्द का। क्या संशोधन को लागू करने में संस्थागत विफलता अथवा मानवीय विफलता हो सकती है...(व्यवधान)...

दूसरा मुद्दा है कि यह विधेयक शक्तियों का दुरुपयोग करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आयोग को शक्ति प्रदान करता है। अधिनियम में परिवर्तित होने पर यह विधेयक आयोग को शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही की शक्ति देगा। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुरुपयोग करने वालों को सजा दी जाए, आपके पास पर्याप्त सुरक्षोपाय और मानक हैं?

महोदय, मेरा तीसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि अल्पसंख्यक दर्जा क्या है। क्या वह धर्म से जुड़ा होगा या वह छात्रों की अल्पसंख्या या पूर्व उदाहरणों से लम्बद्ध होगा। अधिनियम में केवल 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है - वे हैं - मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख। मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि इन पांच वर्गों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक कौन से हैं? भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से मैं यही जानना चाहता हूँ।

अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या है? सामान्यतः जब दो समूह होते हैं तो छोटा समूह अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक समूह को अल्पसंख्यक के रूप में नहीं जाना जाता। वे अल्पसंख्यक कहा जाना पसंद नहीं करते। दूसरी ओर, शक्ति, अधिकार और प्रबलता केवल अल्पसंख्यकों के साथ हैं। ऐसी स्थिति में जब सभी अधिकार और शक्तियां अल्पसंख्यक समुदाय के पास हैं, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाए? मैं केवल यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अल्पसंख्यक का निर्णय करते समय केवल संख्या ही नहीं बल्कि शक्ति और अधिकार भी प्रासंगिक होते हैं। कुछ अल्पसंख्यक वर्ग ऐसे हैं जो अपनी पहचान बनाये रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक माना जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करने जा रहे हैं? मैं सुस्पष्ट परिभाषा चाहता हूँ और वे इसको कैसे लागू करेंगे?

अब मैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ जो आरक्षण से संबंधित है। मेरे कई मित्र शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण पर बोल चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिए जाने से इंकार किया है, तमिलनाडु में हम 69 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं जो 50 प्रतिशत से अधिक है। हम इसे इन वर्षों के दौरान लागू करने में सफल रहे हैं। तो स्थितियां ऐसी हैं। ऐसी स्थिति में यह आयोग क्या करेगा? महोदय, आपने अपने नए अधिनियम में न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कही है। सिविल कोर्ट इत्यादि पर आपने रोक लगा दी है, ठीक है। यह बात समझ में आती है

[डा. के. मलयसामी]

मगर मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास रिट अधिकार क्षेत्र तथा अन्य अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। क्या आप उनको हस्तक्षेप करने से रोक सकते हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री बी.एस. ज्ञानादिशिखन (तमिलनाडु) : आम तौर पर विधान में धारा दी गई होती है। यह केवल सिविल कोर्ट पर लागू होता है। यह अनुच्छेद 226 पर या उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्तियों पर लागू नहीं होगा।

डा. के. मलयसामी : मैं यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने केवल सिविल कोर्ट पर ही रोक लगाई है, दूसरे न्यायालयों पर नहीं। इसका क्या उपयोग है? सिविल कोर्ट पर जब रोक होगी तो अन्य न्यायालय भी आएंगे। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में आपकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र न होने पर...**(व्यवधान)**...

श्री बी.एस. ज्ञानादिशिखन : आप एक अधिनियम द्वारा इसे रोक नहीं सकते।

डा. के. मलयसामी : मुद्दा यह है कि क्या एक पीड़ित पक्ष न्यायालय जा सकता है। वह सिविल कोर्ट नहीं जा सकता किंतु वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। और एक बार फिर प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। मैं केवल इसी बात पर विशेष बल देने का प्रयास कर रहा हूँ। अंत में, महोदय, श्री विजय राघवन भी इस बारे में बोले...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया समाप्त कीजिए।

डा. के. मलयसामी : महोदय, यह अंतिम मुद्दा है। आप कहेंगे, तो मैं आपका आदेश मान लूंगा। महोदय राज्य सरकार को रोका गया है। यह अधिनियम अल्पसंख्यक आयोग को शक्ति प्रदान करना है जबकि कुछ मामलों में राज्य का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। क्या यह कहना उचित होगा कि राज्य के होते हुए, उसके बिना परामर्श, बिना सहमति के आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार के अनुमोदन, सहायता, सहमति और स्वीकृति के बिना आप कुछ भी क्रियान्वित कर सकते हैं। महोदय, पश्चिम बंगाल या उसके जैसे अन्य राज्यों, जिनकी सीमा अन्य देशों से लगती है, की व्यर्थ समस्याएँ हैं। इस पर पहले ही बल दिया जा चुका है। मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में जब राज्य को हस्तक्षेप करने तथा अपने विचार रखने से रोका जाए और केवल राष्ट्रीय आयोग को ही शक्तियाँ दी जाएँ, यह सही नहीं है। कुछ करने से पहले उन्हें दो बार सोचना होगा। धन्यवाद।

श्री एम.पी.ए. समद समदानी (केरल) : महोदय, जो भी माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं मैं उन सबी का धन्यवाद करता हूँ। समय के अभाव को देखते हुए मैं विचाराधीन विषय के ज्यादा ब्यौरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत से मुद्दों को अन्य सदस्य स्पष्ट कर ही चुके हैं। किंतु महोदय, मैं कुछ मुद्दों पर जरूर बोलूंगा जिन्हें कुछ माननीय सदस्यों ने उठाया है।

महोदय, जब कभी भी अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास अथवा सामाजिक प्रगति के बारे में कुछ किया जाता है तो चर्चा में बहुत से मुद्दे ले आये जाते हैं। यहां मैं बहुत विनम्रतापूर्वक टिप्पणी करना चाहूंगा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विधेयक शिक्षा के बारे में है और इस बात से सब लोग सहमत हैं और यह स्थापित राष्ट्रीय वास्तविकता है कि अल्पसंख्यक पिछड़े हैं। अल्पसंख्यकों को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा जीवन के सभी स्तरों पर जिस दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसको कई आयोगों ने सामने रखा है। किंतु महोदय, जब भी उनकी उन्नति को लेकर कुछ किया जाता है तो मैं महसूस करता हूँ कि अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के पहलू के संबंध में हमारे देश में विभिन्न दलों में, सभा में राजनैतिक दलों में किसी न किसी प्रकार की आम सहमति होनी चाहिए। कम से कम अल्पसंख्यक समुदायों की उन्नति के पहलू पर तो होनी चाहिए।

महोदय, इसके स्थान पर इसे दुष्प्रचार का मुद्दा बना दिया जाता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सोच-समझकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री और 'संप्रग' सरकार को अल्पसंख्यकों को प्रगति की ओर ले जाने और उनके पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए कुछ ठोस उपाय करने के लिए बधाई देता हूँ। इसे अनावश्यक दुष्प्रचार के साधन के रूप में न लेकर सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं एक चीज समझ नहीं पाया हूँ। हमारे माननीय सदस्य जोशी जी ने चर्चा प्रारंभ की थी। फिर सभा में उस ओर से कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी और एक वरिष्ठ सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया। मैं उनसे संविधान के अनुच्छेद 25-30 के बारे में जानना चाहूंगा। अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर संविधान में स्पष्ट प्रावधान हैं। यहां तक कि मूल अधिकारों में भी हर व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म निर्बाध को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने और उस धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये सभी बातें हम जानते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कह कर इसकी आलोचना की या आरोप लगाए कि यह विधान कानून के दुरुपयोग के लिए बना है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि सरकार कानून का इस्तेमाल करना चाहती है। यह संशोधन कानून के इस्तेमाल तथा उसकी रक्षा के लिए है क्योंकि यह संविधान के अनुसार ही है। यह संवैधानिक मानक स्थापित करने

[श्री एम.पी.ए. समद समदानी]

के लिए है कि सरकार यह संशोधन लेकर आई है। महोदय, शाहबानो मामले की बात भी कही गई। महोदय, मुझे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक और शाहबानो मामले में संबंध समझ नहीं आया। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। महोदय, मेरे ख्याल से हमें इस मामले पर ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए। सुबह, जब हम आदिवासियों के नरसंहार के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, जो असल में एक राष्ट्रीय आपदा है, तो यही सहमति बनी थी कि राजनैतिक हितों को साधने में इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी राजनैतिक दल इस पर सहमत हैं कि ऐसे गंभीर मुद्दों, त्रासदियों को दुष्प्रचार का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। महोदय, श्री रवि शंकर प्रसाद ही नहीं बल्कि उस ओर बैठे सभी माननीय सदस्यों का मैं बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग, कुछ आतंकवादी, अल्पसंख्यकों का नाम खराब कर रहे हैं। उन्होंने यहां कुछ नाम भी लिए। महोदय, मैं इसे समझ नहीं पाया हूँ, हम किसी व्यक्ति को किसी समुदाय के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यह निरर्थक बात है। यदि कोई व्यक्ति देश की अखण्डता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वह देश का दुश्मन है। हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होना है चाहे वे किसी भी समुदाय के हों। यह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की समस्या नहीं है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। वो देश के दुश्मन हैं हमें उनका संबंध किसी समुदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पुरानी बीमारी का सही उपचार किया जाना चाहिए। यह बहुत ही खराब और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी धार्मिक समुदाय का संबंध आतंकवाद से जोड़ना मानवता के प्रति अन्याय होगा। आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। संसार में कौन से धर्म या सामाजिक समूह ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है? यदि कोई हिन्दू कोई गलती कर रहा है तो क्या हिन्दुत्व उसके लिए उत्तरदायी है?

अयं निजः परोवेतिगणानां लघुचेतसाम्।

उदारचरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

हिन्दुत्व वेदों और उपनिषदों का धर्म है जो कहता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हिन्दुत्व को किसी आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य करता है तो वह हमला है। यह मानवता के विरुद्ध एक हमला है किंतु आतंकवाद को धर्म से जोड़ना एक भूल है।

महोदय, मेरा विश्वास है कि सभी धर्म शांति में विश्वास करते हैं। चाहे वह हिन्दुत्व हो, ईसाई मत हो, बौद्ध हों, इस्लाम हो या कोई और सभी शांति में विश्वास करते हैं। हिन्दुत्व की हर सांस, उसकी अंतरात्मा 'ओम शांति' के महान मंत्र से जुड़ी

हुई है जो शांति के लिए है। ईसाई मत सदा स्वर्ग तथा धरती पर शांति मनाता है। पैगम्बर साहब ने मुसलमानों को सिखाया कि वे हमेशा यह प्रार्थना करें 'अल्लाह, तুম शांति हो, हमें शांति दो।' तो धर्म केवल शांति है। हम जहां भी हों, धर्म शांति के लिए ही है। धर्म ही शांति है। यहां तक कि 'इस्लाम' शब्द भी अरबी भाषा के 'सीलम' से लिया गया है जिसका अर्थ है 'शांति'। तो, आतंकवाद को इस समुदाय से, उस समुदाय से या किसी धर्म से जोड़ना बहुत बड़ी भूल है। यह मानवता के प्रति अन्याय होगा।

महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा मुद्दा उठाया गया है जिसका विधेयक से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका मौजूदा संशोधन से कुछ लेना-देना नहीं है। यह विधेयक हमारे समाज के पिछड़े वर्ग और हमारे नागरिकों के शैक्षणिक उत्थान के लिए है। उन्हें मुख्यधारा में लाना होगा।

महोदय, यहां कई अनावश्यक मुद्दे उठाए गए हैं। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा भी उठाया गया था। यह मैं समझ नहीं पाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा इसे अल्पसंख्यक ही चला रहे हैं। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का अलीगढ़ एक अच्छा केन्द्र रहा है। मैं यहां ऐसे मुद्दे उठाने के लिए नहीं हूं। मैं यह मुद्दा चर्चा के लिए नहीं उठा रहा हूं। किंतु यदि इसे उठाया ही गया है तो हमें इसका उत्तर देना ही होगा।

महोदय, हमें बताया गया था कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक पहचान की पुनः स्थापना के लिए कुछ ठोस कदम उठाने वाली है। क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण के हिस्से के रूप में अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जा रहे, उनके द्वारा आरम्भ किये गये महान संस्थाओं की पहचान की रक्षा की जाए?

महोदय, इसे कृपया वोट बैंक से न जोड़ें। जब कभी अल्पसंख्यकों के बारे में कोई बात उठती है, तो वोट बैंक, तुष्टिकरण, अल्पसंख्यकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा एक तरह से मूल विषय को कमजोर करने के लिए किया जाता है। सभ्यता के यह हित में है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई संकल्प कहते हैं कि हर देश को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी; उनके हितों की रक्षा करनी होगी और उनके अधिकारों का बचाव करना होगा। यू.एन.ओ., यूनेस्को इत्यादि के कई संकल्प हैं क्योंकि उनकी रक्षा करना सभ्य समाज का ही कर्तव्य है। हमें अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी होगी।

[श्री एम.पी.ए. समद समदानी]

महोदय, भारत की ध्येया ही एक महान और ऐतिहासिक परंपरा रही है। भारत का अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में विश्वास रहा है यह कोई नई बात नहीं है। संप्रग सरकार की यह कोई नई पहल नहीं है। हम उसी महान परंपरा का पालन करते हैं। हमारा इतिहास, हमारी महान सांस्कृतिक बिरासत और हमारी परंपरा हमारे समाज की बहुलवाद प्रवृत्ति और अन्य धार्मिक समुदायों की रक्षा की प्रवृत्ति का बखान करते हैं। वेद और उपनिषदों के देश भारत में धर्म की भूख हमेशा रही है। इसके बाद भी, हमारी धार्मिक प्रबलता शेष थी और हम अन्य धर्मों का स्वागत करते रहे। भारत में मुख्य धर्मों का जन्म हुआ है। इसके बावजूद, भारत ने तीन विदेशी धर्मों का स्वागत किया। महोदय, यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह हम सभी का कर्तव्य है। जब पवित्र पैगम्बर मदीना में थे, जब उन्होंने वहाँ समाज की स्थापना की, तब उन्होंने 1400 से 1500 वर्ष पहले वहाँ अल्पसंख्यकों को उनका घोषणापत्र दिया। इसे मदीना चार्टर के नाम से जाना जाता है और यह अभी भी उपलब्ध है। इस चार्टर में **पैगम्बर साहब** ने यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय से कहा, 'आप हमारे समाज के एक भाग के रूप में हो, हम यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए हैं यदि कोई बाहर से तुम पर हमला करता है तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।' 1500 साल पहले पैगम्बर ने यहूदी समुदाय को यह कहा था। हर जगह सभ्यता का अर्थ अल्पसंख्यकों की रक्षा होना है। महोदय, कई ऐतिहासिक कारणों के चलते भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं रहा है। चाहे वह उच्च व्यवसाय हो, शिक्षा या सामाजिक या आर्थिक स्थिति। यह ऐसी चर्चा कहने का समय नहीं है। अल्पसंख्यक पिछड़े हुए हैं और यह आर्थिक पिछड़ेपन की अपेक्षा एक सामाजिक पिछड़ापन है। भारत की सामाजिक स्थिति उसके पिछड़ेपन तथा हमारे समाज के कई वर्गों के पिछड़ेपन का सही विश्लेषण करने में सफल रहे राम मनोहर लोहिया के महान विचार मुझे याद आते हैं। यह आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है। बाबू जगजीवन राम, जिन्हें देश के महान नेता के रूप में जाना जाता है, जिनके नाम पर देश के प्रधान मंत्री के रूप में विचार किया गया था वे एक मूर्ति के अनावरण समारोह में गए थे। मुझे याद है वो मूर्ति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की थी। कुछ लोगों ने मूर्ति को गंगा जल से धोने की बात कही थी। यह जगजीवन के जन्म का दोष नहीं था, यह उनकी आर्थिक स्थिति का दोष भी नहीं था। यह सामाजिक पिछड़ेपन, हमारे समाज के सदियों पुराने विभाजन से सम्बद्ध था। इसी से सरकार को लड़ना है और इन सभी पिछड़े वर्गों का ध्यान रखना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाभ होगा। यह देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। महोदय, यह स्थापित तथ्य है...(व्यवधान)...

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एम.पी.ए. समद समदानी : महोदय, बस समाप्त कर ही रहा हूँ। जब राजेन्द्र सच्चर समिति नियुक्त की गई तब भी यही हाथ तोब मची थी। यह कोई नया आयोग नहीं है। पिछली सरकारों ने भी कई आयोग गठित किए थे। गोपाल सिंह पैनल रिपोर्ट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तैतालीसवें और पचपनवें दौर के प्रतिवेदन हैं, और 1986 की नई शिक्षा नीति के कार्रवाई कार्यक्रम हैं। ये सभी प्रतिवेदन अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन की एकमत से बात करते हैं और तथ्य और आंकड़ें मौजूद हैं। इसलिए महोदय, यदि समाज का कोई वर्ग अलग-थलग होता है, जब समाज का एक तबका हाशिये पर होता है और जब वे मुख्यधारा से दूर होते हैं, तो कोई भी देश प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता।

महोदय, मुसलमानों की संख्या अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक है। मेरे विचार से माननीय सदस्य जोशी जी मुझसे सहमत होंगे - वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कार्य बहुत ही कारगर ढंग से काफी लम्बे समय से चला रहे थे - कि केन्द्रीय सरकार की श्रेणी-1 सेवा में उनका प्रतिनिधित्व 1.6 प्रतिशत है। यह पिछड़ापन है। यह पिछड़ेपन की स्थिति है कि मुसलमान जो कुल जनसंख्या के लगभग 12 प्रतिशत हैं, उक्त सेवा में 1.6 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन, महोदय, यह एक प्रतिभाशाली समुदाय है। इस देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय प्रतिभावान हैं। वे कई अन्य कारणों से पिछड़े हैं, लेकिन वे प्रतिभाशाली हैं। प्रत्येक पिछड़े वर्ग, प्रत्येक प्रतिभाशाली समुदाय की सेवाओं का उपयोग सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक मानव संसाधन है। यह एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया समाप्त करें।

श्री एम.पी.ए. समद समदानी : अतः, महोदय, इस राष्ट्रीय परिसम्पत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए वे बहिष्कार के बजाय समावेश चाहते हैं। मेरे विचार में ऐसे सकारात्मक समावेश के लिए यह संशोधन वास्तव में एक सही कदम है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई देता हूँ जिनके द्वारा उठाया गया यह निर्भीक कदम और महान धर्मनिरपेक्ष प्रत्यक्ष पत्र इस सकारात्मक कदम को उठाने के लिए बहुत अधिक उत्तरदायी हैं। मैं पुनः इस संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करती हूँ। ऐसे प्रयास से अल्पसंख्यक वर्ग को निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा क्योंकि यदि आप अल्पसंख्यक वर्ग में साक्षरता-दर पर एक नजर डालें,

[श्रीमती एन.पी. दुर्गा]

तो यह औसतन राष्ट्रीय औसत की तुलना में दस प्रतिशत से भी कम है। स्कूलों में बच्चों की प्रवेश दर में हो रही लगातार गिरावट की वजह से स्थिति और अधिक बिगड़ रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो इस आयोग को स्थापित करने का प्रयोजन और इस आयोग को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। महोदय, यह सही दिशा में उठाया जा रहा एक कदम है और मुझे विश्वास है कि इससे साक्षरता दर में सुधार लाने में मदद मिलेगी और अल्पसंख्यक वर्ग में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। महोदय, मेरी पार्टी इसका स्वागत करती है।

महोदय, केवल विधान बनाने अथवा इस तरह के आयोगों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने से अल्पसंख्यक वर्ग में अंतर्निहित और रूढ़िवादी विश्वासों की समस्या का समाधान नहीं होता है। इस समय जबकि देश बहुत तेजी के साथ विश्व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि बहुत से मुसलमान परिवार अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में नहीं कराते हैं। कई रूढ़िवादी माता-पिता अपनी बेटियों को सहशिक्षा वाले शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजते हैं और कुछेक वयस्क अपने बच्चों, विशेषरूप से लड़कियों के कल्याण के संबंध में शिक्षा के लाभ को नहीं समझते हैं। हालांकि अब स्थिति में बदलाव हो रहा है लेकिन यह आशा के अनुरूप नहीं है।

इस विधेयक में आयोग की विभिन्न शक्तियों और कृत्यों, जैसे कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने के अधिकार, किसी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध होने के अधिकार, शिकायतों आदि की जांच करने और पूछताछ करने के अधिकार, के बारे में कहा गया है। लेकिन इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने का क्या सिद्धान्त होगा। क्या यह संस्थान में दाखिल हुए अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों अथवा संस्थान को स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा अन्य किसी मानदंड के आधार पर होगा। मैं मंत्री महोदय से इस मुद्दे को स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूँ। प्रस्तावित संशोधन में अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी इच्छानुसार किसी भी विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धन की अनुमति दी गई है। यह प्रशंसनीय कदम है। अन्यथा, मौजूदा अधिनियम में देश के केवल चुनिंदा छह विश्वविद्यालयों के साथ सम्बन्धन करने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले, अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने सम्बन्धन के लिए जगह-जगह ठोकें खानी पड़ती थीं। कुछ समय पहले, गोपाल सिंह पैनल ने यह उद्घाटित किया था कि यहां तक कि धनी साधन संपन्न

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को विभिन्न संस्थानों और अन्य सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता देने के लिए मना करके भेदभाव किया जाता था। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधन इस समस्या का समाधान कर पाएगा।

इस समय, सरकार जो कुछ कर रही है वह समुद्र में बूंद की भांति है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। महोदय, यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि जब आन्ध्र प्रदेश में टी.डी.पी. सत्ता में थी, तो उस समय हमारे नेता श्री एन. चन्द्रबाबु नायडू ने आन्ध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत कुछ किया था। हमने ऊर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया था। हमने 'रोशनी' जोकि अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए 'स्वसहायता' समूह हैं, की शुरुआत की थी। हमारे पास अल्पसंख्यक वर्गों के लिए दुकान और मकान नामक एक और योजना है जिसके अंतर्गत हमारी सरकार अल्पसंख्यक लोगों को दुकानें और मकान उपलब्ध कराती है और यह योजना बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रही है। हमने हज भवन का निर्माण किया है और हम हज जाने वाले मुसलमानों को रियायतें भी दीं। हमने राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न अन्य उपायों के अलावा राज्य के लगभग सभी मंडलों में शादी महलों का निर्माण भी किया है। मैं अगला मुद्दा इस विधेयक के खंड के अंतर्गत उठाना चाहूंगा वह अदालत की किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए आयोग को अधिकार देने के बारे में है। मैं कोई कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मेरे पास जो सीमित ज्ञान है, उसे मद्देनजर रखते हुए मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इससे अदालत की कार्यवाही का अतिक्रमण नहीं होगा। स्थायी समिति का भी यही मत है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हुए यह सुझाव देना चाहूंगा कि आयोग केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करे जिनमें अदालत आयोग से सहायता अथवा मदद देने के लिए अनुरोध करे। अन्यथा, इससे कई समस्याएं उत्पन्न होंगी और अन्ततः इस संशोधन का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा।

महोदय, उप खंड 10(क) में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अपनी इच्छानुसार किसी भी विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धन का अधिकार दिया गया है। यह अच्छी बात है कि आपने अल्पसंख्यक संस्थानों को मौजूदा छह अनुसूचित विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धन करने की बजाए किसी भी विश्वविद्यालय के साथ सम्बन्धन करने का अधिकार दिया है। लेकिन यदि कोई संस्थान कन्याकुमारी में स्थापित किया गया है और वह संस्थान अपने आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करना चाहता है तो उस स्थिति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उक्त संस्थान के कार्य-निष्पादन पर किस तरह निगरानी रखेगा। विश्वविद्यालय किस तरह सुनिश्चित करेगा

[श्रीमती एन.पी. दुर्गा]

कि उक्त संस्थान इस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए मानकों का किस तरह पालन कर रहा है और वह संस्थान, उन्हें समय-समय पर जारी किए गए मानकों का किस तरह पालन कर रहा है और वह संस्थान उन्हें समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किस तरह कर रहा है। अतः, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के विचारार्थ यह सुझाव देना चाहूंगा कि यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होना चाहता है - तो यह स्वाभाविक है कि वह केवल किसी नामी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होना चाहेगा - तो उसे सीमित होना पड़ेगा किसी किस्म के भौगोलिक सान्निध्य या राज्य सीमा के भीतर रहना पड़ेगा। इससे संस्था का कार्य कारगर डंग से चलेगा।

अन्ततः, महोदय, विधेयक में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में सूचना एकत्र करने, वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण करने और उन्हें नियोजित शिक्षा प्रदान करने के लिए यथार्थ आधारभूत सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। यहां, मैं सुझाव देना चाहूंगी कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करते समय उन इलाकों को वरीयता दी जाए जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आयोग को देशभर के अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करने और रिपोर्ट करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अब, श्री मोतिउर रहमान।

श्री मोतिउर रहमान (बिहार) : आपने तो मेरा नाम ही सही नहीं बोला है, एक तो आपको पहले ही मुझे समय देना चाहिए था। ऐसा कैसे चलेगा?

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : मैंने श्री मोतिउर रहमान का नाम लिया है।

श्री मोतिउर रहमान : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया है।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : मेरे ख्याल में मैंने आपका नाम सही बोला। मैंने मोतिउर रहमान कहा है।

श्री मोतिउर रहमान : मैं तो सही नहीं सुन पाया, लेकिन अब आप उसे सही कर दीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ और इस बात के लिए यू.पी.ए. गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ कि जिस हिम्मत के साथ वे इस इतने बड़े बिल को लेकर आए हैं, वही व्यक्ति या वही इंस्टीट्यूशन इस प्रकार की हिम्मत कर सकता है, जिसका दिल एवं दिमाग साफ हों। पिछले 50 वर्ष में इस मुल्क में जितना नुकसान माइनोंरिटीज को हुआ, उन्हें न तो सामाजिक तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिला और न ही वे तालीमी तौर पर आगे बढ़ सके। दूसरे मामलों में भी जब कभी भी मौका मिला, इन भगवाकरण करने वाले लोगों ने, भाजपा के लोगों ने हमारे पैर खींचने का काम किया है। आज भी ऐसे एक बिल की मुखात्फत करने की कोशिश की गई, जिस बिल के जरिए इस मुल्क के मुसलमानों को, माइनोंरिटीज को तालीमी तौर पर एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब भी मौका आता है, ये आतंकवाद या आई.एस.आई. के नाम पर मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। जब इनकी हुकूमत थी एवं श्री जोशी जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब इन्होंने एक सर्कुलर जारी करने का काम भी किया कि बिहार एवं दूसरी जगहों के मदरसों में आई.एस.आई. का अड्डा है। हमें इस बात का अफसोस है। उस जमाने में श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने साफ इन्कार कर दिया...(व्यवधान)

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : उस समय वह कहां मुख्यमंत्री थे?

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : श्री पाणि...(व्यवधान)...कृपया बाधा न डालें ... (व्यवधान)...

श्री मोतिउर रहमान : उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि इस देश में कहीं पर भी मदरसों में आई.एस.आई. का अड्डा नहीं है। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश, इस देश के प्रति आपसे भी ज्यादा ईमानदार और वफादार कोई है तो वह माइनोंरिटी है। आपने हर मौके पर मेरा इम्तिहान लिया है, लेकिन जब भी आपने मेरा इम्तिहान लिया है, मैंने उसे पास किया है और आपके पास यही एक पूंजी है। आपके पास न तो कोई कार्यक्रम है, न कोई सिद्धांत है और न ही कोई उसूल है। न उसूल हैं। आपके पास एक कार्यक्रम है कि जब भी मॉयनोरिटी का नाम आएगा आप उसका किसी न किसी जरिए से विरोध करेंगे। अभी दाउद इब्राहिम का नाम आपने लिया। दाउद इब्राहिम की वजह से इस मुल्क में कितने आदमियों की हत्याएं हुई हैं। नरेन्द्र मोदी की वजह से...(व्यवधान)...गुजरात में दंगे हुए, कितने मौतें हुई हैं वहां। और बाल ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र और हिन्दुस्तान में कितनी हत्याएं और

[श्री मोतिउर रहमान]

दंगे हुए। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए...(व्यवधान) इस मुल्क में आतंकवाद किस की वजह से बढ़ा है, और कौन आतंकवादी है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, हम इसका...(व्यवधान)

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया बैठ जाइए (व्यवधान) आप लोग बैठिए, बैठिए।...(व्यवधान)

प्रो. राम देव भंडारी : महोदय, इन लोगों को सच्चाई सुनने की हिम्मत करनी चाहिए...(व्यवधान)

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : श्री रहमान, मैं नहीं...(व्यवधान)। कृपया बैठ जाइए (व्यवधान) बहुत हो गया (व्यवधान) आप लोग बैठिए...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी (पाण्डिचेरी) : महोदय, जब वह बोल रहे हैं; तो व्यवधान डाला जा रहा है (व्यवधान)

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अब और अधिक समय नहीं है (व्यवधान) आपके पास सात मिनट का समय है (व्यवधान) आप इस बिल के बारे में बात करें।
...(व्यवधान)

श्री मोतिउर रहमान : मैं बिल के बारे में बात करूँ और वे दाउद इब्राहिम के बारे में बात करें।...(व्यवधान)

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया जारी रहें (व्यवधान)। श्री पाणि इस तरह न करें (व्यवधान) आपको कुछ अनुशासन दिखलाना चाहिए (व्यवधान) मैं निबट लूँगा (व्यवधान)

श्री मोतिउर रहमान : क्या इनके अंदर कोई ईमानदारी नाम की चीज है।
...(व्यवधान) अगर इनमें ईमानदारी आ जाए तो इस मुल्क का कायाकल्प हो जाएगा।
...(व्यवधान)

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कृपया...(व्यवधान) अगला मौका आपका है। आप उत्तर दे सकते हैं। (व्यवधान) देखिए, आपके 7 मिनट थे, 5 मिनट हो गए हैं
...(व्यवधान)

श्री मोतिउर रहमान : इन लोगों ने शिक्षा का भगवाकरण करने का काम किया था। डा. मनमोहन सिंह जी, अर्जुन सिंह जी और अली अशरफ फातमी जी ने मेहनत से इस भगवाकरण को जितना खत्म करने का काम किया, जिस सेक्युलरिज्म को इस देश में संविधान के मुताबिक काम करने का मौका मिला, ऐसे मौके पर यह बिल लाकर के, मैं जानता हूँ तीन-तीन वर्षों से नो ऑब्जेक्शन के लिए पड़ा हुआ है, इनके मिजाज के

लोग अक्सर बैठे हुए हैं देश के कोने-कोने में, वे नहीं चलने देते हैं, हार मानकर मजबूरी में इस बिल को लाना पड़ा।...(व्यवधान)

श्रीमती जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : इतने साल कांग्रेस का शासन रहा ... (व्यवधान)

श्री मोतिउर रहमान : मॉयनोरिटीज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अगर बिल लाए हैं तो इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए, यू.पी.ए. गवर्नमेंट की, वह कम है। मैं पूरे देश के मुसलमानों की तरफ से मॉयनोरिटी की तरफ से मुबारकबाद देता हूं, लेकिन हिम्मत आपने की इन लोगों के विरोध के बाद भी। मैं रवि शंकर प्रसाद जी के बारे में अच्छी ऑपिनियन रखता था, लेकिन इनके भी खून में वही चीज है जो डा. जोशी के खून में है। ऐसे हालात में अगर इस मुल्क में जिस प्रकार से इस बिल को लाकर के अकलियतों के मान-सम्मान और शिक्षा-दीक्षा के बारे में सोचा जा रहा है, यह बहुत अच्छी बात है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।

श्री उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : प्लीज कंक्लूड कीजिए। कृपया इसे अब समाप्त करें।

श्री मोतिउर रहमान : अभी तो मुझको पांच मिनट बोलना है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में इन लोगों ने जिद कर दिया। मैं सझता हूं कि इनके दिमाग का जो फितूर है, ऐसे ही मौके पर हम लोगों को समझने का मौका मिलता है। इस बिल की जो मुखालफत करते हैं, वैसे लोगों की बात माननीय मंत्री जी को नहीं माननी चाहिए। बेखौफ और हिम्मत के साथ मैं कहता हूं कि

"मुझको मिटा सके, यह जमाने में दम नहीं

हम से है जमाना, है जमाने से हम नहीं।"

इसलिए ये लोग गलतफहमी में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा माइनोंरिटी है, इस देश के प्रति सबसे वफादार कोई कौम है, तो हम किसी से भी पीछे नहीं हैं, हम हर मोड़ पर इस मुल्क के लिए एक-एक कतरा खून का देने के लिए तैयार रहते हैं। उस पर अंगुली उठाकर के इस मुल्क को कमजोर करने का काम, अगर किसी ने आज तक किया है, तो ये भाजपा और आर.एस.एस. के लोग हैं।...(व्यवधान)...इनके द्वारा संचालित स्कूलों में क्या हो रहा है?...(व्यवधान)...इन्होंने कभी सोचा है।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश) : बिहार को किसने बर्बाद कर दिया? ... (व्यवधान)...

श्री मोतिउर रहमान : इनके स्कूल में क्या हो रहा है?...(व्यवधान)...आर.एस.एस. के स्कूल जहां-जहां खुले हैं, वहां पर फिरकापरस्ती की बात होती है।...(व्यवधान)...वहां

[श्री मोतिउर रहमान]

देश को तोड़ने की बात होती है, लेकिन हमारे यहां मॉडर्नाइटी स्कूल में हिन्दी की पढ़ाई होती है।...**(व्यवधान)**...क्या इनके स्कूल में उर्दू की पढ़ाई होती है?...**(व्यवधान)**... फिर कैसे ये सेक्युलर हैं?...**(व्यवधान)**...हम सेक्युलर हैं। कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और यू.पी.ए. के लोगों ने इस देश को बचाने का संकल्प लिया है।

ऐसे हालात में, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अशरफ फातमी साहब से कहता हूँ कि आप आगे बढ़कर चलिए, इस देश की जनता, हिन्दू और मुसलमान, इन चंद फिरकापरस्तों के अलावा, तमाम के तमाम आपके साथ हैं। जय-हिन्द।

डा. राधाकांत नायक (उड़ीसा) : श्री उपसभापति, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया। मैं स्वगृहीत सीमा में कुछ हद तक विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं कुछेक प्रक्रियात्मक मामलों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता जिन पर सदन का ध्यान गया है। मैं कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा जो इस विधेयक से संबंधित है, और उनका समर्थन करना चाहता हूँ।

महोदय, अधिकांश मुद्दे जो यहां पर उठे हैं और जिनके बारे में विपक्ष ने चर्चा की है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 से संबंधित हैं। महोदय, इस अनुच्छेद पर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा हुई थी; और अधिकांश मुद्दे, अधिकांश शंकाएं जो आज उठाई गई हैं, पर विचार-विमर्श किया गया और तत्पश्चात् इस अनुच्छेद को स्वीकार किया गया। इस अनुच्छेद की जांच समय-समय पर न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपितु न्यायपालिका द्वारा स्वयं और अन्ततः लोगों द्वारा भी की गई है। अतः यह संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग बन गया है जिसे विपक्ष द्वारा कुल मिलाकर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। महोदय, इस अनुच्छेद के कार्यान्वयन ने, इस देश की उन सभी सरकारों जिन्हें लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित किया जा रहा है, को जनादेश दिया है। अतः, महोदय, प्रक्रिया की बजाए, मैं इस अनुच्छेद के सार का उल्लेख करना चाहूंगा।

महोदय, इस अनुच्छेद में जो पहली बात कही गई है उसमें सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय का संरक्षण शामिल है। महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय की संकल्पना केवल इस देश तक ही सीमित नहीं है। विपक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि किसी भी संविधान में, किसी भी देश में, इस तरह के संरक्षी प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई है। यह सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर कनाडा का संदर्भ दिखाया गया था। महोदय,

हमारे देश की तरह कनाडा में भी कई जातियां हैं और फ्रेंच-क्यूबेक के कुछ भागों में कैथोलिकों को अल्पसंख्यक माना जाता है। कई और देशों में, इस तरह की स्थिति विद्यमान है और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए कानून भी मौजूद है। मैं न तो इस अनुच्छेद के विभिन्न अर्थभेदों और न ही संविधान के अन्य उपबंधों के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस माननीय सदन के सम्मुख एक अनुस्मारक के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में दिए गए निर्णय अर्थात् टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य, से उदाहरण पढ़ना चाहूंगा। अब, महोदय, मैं आपको उस निर्णय को पढ़कर सुनाता हूं। मैं केवल 3 या 4 मिनट लूंगा। मैं उद्धृत करता हूं, "हमारे देश को अकसर 'भारत माता', 'मदर इंडिया' के रूप में चित्रित किया जाता है। भारत में रहने वाले लोगों को उनके बच्चे कहा जाता है और वह दिल से उनका कल्याण चाहती है। किसी स्नेहमयी माता की तरह, परिवार का कल्याण उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ परिवार के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सदस्य ताकतवर और स्वस्थ हो। मैं यहां यह उल्लेख नहीं करना चाहूंगा कि मैंने जिस फैसले को उद्धृत किया है वह उच्चतम न्यायालय के ग्यारह सदस्यों का फैसला है। तब," लेकिन तब भी सभी सदस्यों की संरचना एक जैसी नहीं है चाहे वह शारीरिक रूप से हो और/अथवा मानसिक रूप से हो। सुव्यवस्थित और स्वस्थ विकास के लिए यह स्वाभाविक है कि माता-पिता और विशेष रूप से माता अपने कमजोर बच्चे और उसके खान-पान का विशेष रूप से ध्यान रखे ताकि उसे ताकतवर बनने में सहायता मिले। कमजोर बच्चे को अतिरिक्त खाना देकर और उसकी ओर ध्यान देकर और उसकी पढ़ाई के लिए प्राइवेट ट्यूशन की व्यवस्था करके उसकी सहायता की जा सकती है। किसी ने भेद-भाव करने की बात कही है जोकि सही नहीं है। यह एक सकारात्मक उपचार है, यह सही उपचार है। मैं पुनः उद्धृत करता हूं "यदि हम किसी वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति की वास्तव में कोई सहायता करते हैं अथवा उसे विशेष आहार देते हैं, तो उसे अनुचित या गलत नहीं कहा जा सकता है, इसी तरह यदि हम समाज के किसी विशेष वर्ग को अतिरिक्त लाभ देते हैं तो उसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत के सभी लोग एक समान नहीं हैं और इसलिए समाज के किसी विशेष वर्ग को अतिरिक्त लाभ देना अनुचित नहीं होगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को उनकी कई अक्षमताओं के कारण और उनमें सुरक्षा तथा विश्वास की भावना पैदा करने के लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं, हालांकि अल्पसंख्यकों को समाज के कमजोर वर्ग अथवा अल्पसुविधा प्राप्त लोग नहीं माना जा सकता है।" महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि "भारत की एक बिलियन आबादी में छः मुख्य जातीय समूह और बावन मुख्य जनजातियां, छः मुख्य धर्म और

[डा. राधाकांत नायक]

6,400 जातियां और उप-जातियां; अठारह प्रमुख भाषाएं और 1600 गौण भाषाएं और बोलियां हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षवाद के सार इस बात से पता चल सकता है यदि भारत के उभारदार नक्शे को पच्चीकारी में बनाया जाए जहां उपरोक्त एक बिलियन लोग मार्बल के छोटे-छोटे टुकड़े हैं जो इस नक्शे के बनने में मदद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी कोई भी भाषा, जाति, धर्म हो, की अपनी व्यक्तिगत पहचान है जिसे सुरक्षित रखना चाहिए ताकि जब उसे व्यवस्थित ढंग से जोड़ा जाए तो वह भारत का सुन्दर नक्शा पेश करे। भारत के नागरिक की तरह प्रत्येक टुकड़ा पूरे नक्शे को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नक्शे में अलग-अलग रंग तथा उसी रंग के भिन्न-भिन्न शेड, मार्बल के भिन्न-भिन्न शेडों और रंगों का परिणाम हैं, लेकिन मार्बल के एक छोटे से टुकड़े को हटाने से, भारत का पूरा नक्शा बदल जाएगा और उसकी सुन्दरता खत्म हो जाएगी।" राष्ट्र के निर्माण में भारत के प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण स्थान है। हरेक टुकड़े को अपने स्वयं के रंग को बरकरार रखना होगा। वह पत्थर अपने आप में नगण्य हो सकता है, लेकिन जब समुचित ढंग से रखा जाता है, तो वह भारत की विभिन्न रंगों की तस्वीर प्रदर्शित करता है।

"भारत के नागरिक की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। संविधान में भारत के लोगों के बीच असमानताओं को मान्यता दी गई है लेकिन जब वह प्रत्येक नागरिक को समान महत्व देता है, तो उनमें असमानता होने के बावजूद भी, वे एकीकृत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न समुदायों को परिरक्षित रखने और सुरक्षित रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए जिससे पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है, संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ समानता, के बुनियादी सिद्धान्त का प्रावधान किया गया है जिसमें उपयुक्त उपबन्ध किए गए हैं जो विभिन्न समुदायों का परिरक्षण सुनिश्चित करते हैं। महोदय, किसी बात का उल्लेख न करते हुए, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है।

मैं उद्धृत करना चाहूंगा "भारत में धर्मनिरपेक्षवाद को भारत के विभिन्न लोगों ने, जो नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं और विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, मान्यता दी हुई है और वे एक साथ मिलकर पूर्ण और संगठित भारत का निर्माण करते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में न केवल मौजूदा अंतर को परिरक्षित किया गया है अपितु उसके साथ-साथ लोगों को एकजुट करके एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने की संकल्पना की गई है।" उद्धरण समाप्त हुआ।

महोदय, इस दर्शन के साथ जिस पर भारतीय संविधान आधारित है, मैं नहीं समझता कि हमें छुटपुट प्रक्रियात्मक, लघु मामलों में समय व्यर्थ गंवाना चाहिए। हम

किसी महासागर की गहराई कौफी के चम्मच अथवा शार्ट मीटर से नहीं माप सकते हैं। अतः महोदय, मैं सभा का अधिक समय न लेते हुए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी के इस कथन के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा "वस्तुतः हम अपने देश की तुलना एक बहुत बड़े जुम्बो जेट से कर सकते हैं जो मनभावन मौसम में एक स्वर्णिम गंतव्य की ओर उड़ान भर रहा है। इस उड़ान के लिए, प्रत्येक वर्ग के लोगों को उतनी मजबूती के साथ वैसे ही संगठित किया जाना है जैसे कि फ्रेम के विभिन्न भागों को परस्पर जोड़कर किया जाता है। फ्रेम की मजबूती, फ्रेम के सबसे कमजोर खंड की मजबूती के बराबर है। उसमें एक छोटी-सी दरार अर्थात् असन्तुष्ट अल्पसंख्यक जेट को जमीन पर गिरा सकता है, यदि उस दरार की मरम्मत नहीं करवाई जाती है।" उद्धरण समाप्त। अतः महोदय, हम प्रक्रिया के लिए कानून के उपबन्धों, संविधान के उपबन्धों को कम नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (केरल) : श्री उप-सभाध्यक्ष, महोदय, आपने मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, मुझे याद है कि हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 को पारित करने से पूर्व दिसम्बर, 2004 माह में काफी लम्बा वाद-विवाद किया था और अब सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 लाया गया है। मुझे अभी भी याद है कि मैंने उस वाद-विवाद में भी भाग लिया था और मैंने कई शंकाएं व्यक्त की थीं और इस विधेयक के क्रियान्वयन के बारे में कई स्पष्टीकरण मांगे थे। अब, विधेयक को पारित करने के एक वर्ष बाद सरकार पुनः एक अध्यादेश लेकर आई है और उस अध्यादेश के बाद, यह विधेयक सभा में लाया गया है। सबसे पहले, मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जहां तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के क्रियान्वयन का संबंध है, पिछले 12 या 13 माह के दौरान उनका क्या अनुभव रहा है। किसी विश्वविद्यालय विशेष के साथ कितने अल्पसंख्यक संस्थान सम्बद्ध किए गए हैं और सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन में पिछले 12 माह के दौरान क्या अनुभव प्राप्त किया है? केन्द्र सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक समुदायों को अधिसूचित किया गया है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा कितने समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है? सरकार द्वारा किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जाता है? मैं सरकार से इस संबंध में यह स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि मेरे विचार से सरकार का इरादा नेक नहीं है। जहां तक इस विधेयक की भावना का संबंध है, हम निश्चित तौर पर इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और हितों की रक्षा

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

करना बहुसंख्यक समुदाय का सामाजिक दायित्व है। इस कारण से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के विभिन्न भागों में, विशेषरूप से मूलभूत अधिकारों में, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया है। हमारे संविधान में उनके शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा की गई है। किसी देश का यह पूर्णरूप से सामाजिक दायित्व है कि वह यह देखें उसके यहां अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की सही तरह से रक्षा की जाए और उनके कल्याण के बारे में ध्यान दिया जाए। लेकिन इस मामले में, हम इस विधेयक में सरकार के इरादे का इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में यह अल्पसंख्यकों के हित का समर्थन कर रहा है क्योंकि ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से ये लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पिछले कई दशकों से बेहतर शिक्षा से वंचित रहे हैं, वे अन्य कई सुविधाओं से वंचित रहे हैं। अतः उन्हें और अधिक विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए।

लेकिन, जहां तक मूल अधिनियम का संबंध है, इसे वर्ष 2004 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। तदपरान्त, इस सदन ने इस विधेयक को पारित किया था। इस बार भी एक अध्यादेश 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित किया गया था। संसद का सत्र 16 फरवरी को बुलाया जाना था। मैं इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए की गई जल्दबाजी और उसके बाद सदन में इसे मतसमर्थन के लिए लाने की आवश्यकता को नहीं समझ पा रहा हूं। समाज के कुछेक वर्गों को खुश करने के लिए इस मामले में अनावश्यक जल्दबाजी यह दिखाने के लिए दर्शाई गई है कि वे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में माहिर हैं। हम अल्पसंख्यकों के हितों का पूर्णरूप से समर्थन करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों थी? मूल विधेयक और इस संशोधित विधेयक को सदन में अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। इस स्थिति से बचा जा सकता था। उन्हें साफ मन से सदन में लाना चाहिए था और यह कहना चाहिए था "हमें अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करनी है।" मूल अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग को यह जो अधिकार दिया जा रहा है, वह अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः मूल अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का सशक्तिकरण किया जाना आज की आवश्यकता है। यह कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन इसे विधान या विधेयक के माध्यम से इस सभा में लाया जाना चाहिए था। यह मेरा दूसरा मुद्दा है।

तीसरे मुद्दे की बात करते हुए, जिसे कई अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है, विधेयक में दी गई परिभाषाओं से संबंधित है। यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाएं विशेषरूप से उच्चतर शिक्षा में, मुहैया कराने का प्रावधान करने के लिए है। लेकिन अभी भी यह इस बात पर अस्पष्ट है कि कौन-सा समुदाय अल्पसंख्यक है। मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विस्तार में नहीं जाना चाहता। टी.एम.ए. पैई मामले में भी यह सुस्थापित दृष्टिकोण है कि अल्पसंख्यकों के दर्जे का निर्धारण किसी राज्य विशेष के यूनिट विशेष द्वारा किया जाना चाहिए। यह अब सुस्थापित दृष्टिकोण है। इस विधेयक के अनुसार, यह बहुत विशेष बात है। केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करेगी कि कौन अल्पसंख्यक है। इसलिए संविधान की संघात्मक संस्था अथवा संघात्मक चरित्र पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा प्वाइण्ट यह है कि क्या इसे ध्यान में रखा जा रहा है अथवा इस पर विचार किया जा रहा है।

उक्त अधिनियम की धारा 2(ख) में "कालेज" का आशय विश्वविद्यालय के अलावा किसी कालेज या शिक्षण संस्थान से है जिसे अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किया गया है। उदाहरणार्थ 'क' अथवा किसी अल्पसंख्यक समुदाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, किसी शैक्षणिक संस्थान अथवा इंजीनियरिंग कालेज को शुरू करता है और प्रतिव्यक्ति शुल्क अथवा और कुछ लेकर अन्य समुदायों से संबंधित छात्रों से सभी सीटें भर लेता है, उस स्थिति में वह भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अथवा अल्पसंख्यक कालेज के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धारा 2 (ख) की परिभाषा के अनुसार होगा। हम इस एहतियात की मांग कर रहे हैं। "अल्पसंख्यक" शब्द का दुरुपयोग करके शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा का व्यवसायीकरण न किया जाए अथवा अल्पसंख्यक के दर्जे का शैक्षणिक संस्थान दुरुपयोग न करें, कोई एहतियात उपाय किए गए हैं। वह एहतियात क्या है? सुरक्षोपाय क्या है? सरकार ने क्या उपाय किए हैं? पिछले 12 माह के दौरान उसका क्या अनुभव रहा है? हमारे अनुभव के अनुसार, जो श्री विजय राघवन ने इस सदन में अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, अधिकांश मामलों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या सावधानी और एहतियात बरती जाएगी। यह न केवल "कालेज" की परिभाषा के बारे में है अपितु "अल्पसंख्यकों" के बारे में भी है। खण्ड 2 (च) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "अल्पसंख्यक" का आशय उस समुदाय से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। तब राज्य सरकार की भूमिका क्या है? उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह निर्धारित करने के लिए कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक

[श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन]

समुदाय है या नहीं, राज्य सरकार के साथ कोई परामर्श किया गया है। आप दिल्ली में बैठे हैं और यह निर्धारित कर रहे हैं कि यह समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय है। इसका क्या मानदण्ड है? किन मानदण्डों का अनुकरण किया जा रहा है? क्या इसके बारे में कोई विचार किया गया है? महोदय, पिछली बार इस विषय पर चर्चा करते समय मैंने इस मुद्दे को उठाया था। खण्ड 2 (छ) के अनुसार, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का आशय विश्वविद्यालय के अलावा ऐसे किसी कालेज अथवा संस्थान से है जिसे अल्पसंख्यकों में से किसी एक अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किया गया हो। मैं पुनः इस प्वाइण्ट पर क्यों जोर दे रहा हूँ? अब हम राष्ट्रीय आयोग का सशक्तीकरण कर रहे हैं। हम उसे और अधिकार प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए, कोई राज्य सरकार, राज्य शिक्षा नीति के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र इस कारण से नहीं दे रही है कि वह अल्पसंख्यक दर्जे का दुरुपयोग है। अब राष्ट्रीय आयोग अपीलीय प्राधिकारी है। असंतुष्ट पार्टी अपीलीय प्राधिकारी को अपील करेगी। अपीलीय प्राधिकारी कौन है? उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय को अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग अपीलीय प्राधिकारी है। जब कभी भी विश्वविद्यालय और किसी व्यक्ति विशेष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, जब कभी भी उपयुक्त प्राधिकारी और किसी व्यक्ति अथवा सहविधि में यथा परिभाषित अल्पसंख्यक समुदाय के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद का समाधान राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आयोग का निर्णय - समय के अभाव के कारण मैं उपबंधों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ - किसी सिविल डिक्री के समान होगा। उस डिक्री के खिलाफ, केवल उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि आप हमारे संविधान के संघात्मक संघीय ढाँचे को नजरअंदाज कर रहे हैं। राज्य सरकार की क्या भूमिका है? हमने संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया है। हमने अनुच्छेद 15 के खण्ड 5 को शामिल किया है। हम राज्य सरकार को सामर्थ्यकारी उपबंध प्रदान कर रहे हैं। हम इसके निर्धारण के लिए राज्य सरकार को सामर्थ्यकारी उपबंध बनाने की छूट दे रहे हैं। हम सामर्थ्यकारी उपबंध बनाने को छूट इसलिए दे रहे हैं ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करके उनके हितों की रक्षा की जा सके। संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के रूप में सामर्थ्यकारी उपबंध की व्यवस्था की गई है। ऐसा ही कुछ किया गया है। राज्य की शिक्षा नीति को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। अतः, इस मामले पर विचार किया

जाना चाहिए। अतः इस विधेयक को लाने का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना है। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। जैसाकि श्री विजय राघवन ने बताया है, हमें इस विधेयक के संबंध में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग करने के मामले को गम्भीरता से लिया जाएगा जिसके लिए उपबंध संशोधन और अन्य नियम बनाने की आवश्यकता है ताकि जो लोग वास्तव में अल्पसंख्यक हैं उन्हें पर्याप्त सहायता और बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इस तरह के संशोधनों और प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाए। मुझे आशा है कि सरकार इन संशोधनों और प्रस्तावों को लेकर आएगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सरकार इस पर आगे विचार करेगी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती सईदा अनवरा तैमूर (असम) : श्री उपसभाध्यक्ष, महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। इसके साथ-साथ, मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (संशोधन) विधेयक में उन कमियों को दूर करने, जिन्होंने वर्ष 2004 में आयोग की स्थापना से लेकर अब तक इसके कार्यकरण में बाधा खड़ी की है। के लिए भी प्रयास किया है। इस विधेयक में उन उपबंधों को शिथिल करने की मांग की गई है जो अल्पसंख्यक संस्थानों को किन्हीं छह सूचीबद्ध अनुसूचित विश्वविद्यालयों यानि दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर हिल्स विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नागालैण्ड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करने पर लगे प्रतिबंध से संबंधित है। इस विधेयक में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अब इस विधेयक में इन अल्पसंख्यक संस्थानों को उनकी इच्छानुसार किसी भी विश्वविद्यालय के साथ उसके नियमों के अनुसार सम्बन्धन करने की अनुमति दी गई है। एक और उपबंध के अनुसार, यदि 60 दिन की अवधि के भीतर कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) नहीं दिया जाता है अथवा उक्त अवधि के भीतर इस संबंध में निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदक आगे कार्रवाई कर सकता है और किसी संस्थान को शुरू कर सकता है। यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि इनमें से कुछ संस्थान एन.ओ.सी. प्रदान नहीं करते हैं।

संसद के पिछले सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने (तिरानवेंवां) संविधान संशोधन विधेयक, 2005 पारित किया था। इस संशोधन के अनुसार, "राज्य, विधि के अनुसार, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों अथवा अनुसूचित जाति

[श्रीमती सईदा अनवरा तैमूर]

अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के उत्थान के लिए, विशेष उपबंध बना सकता है, ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या सहायताप्राप्त न हों, शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हो।" इस संविधान संशोधन के कारण, अब राज्य विधानमण्डल अपने-अपने राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी सहायता-प्राप्त अथवा गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों, केवल उनको छोड़कर जिन्हें प्रत्येक राज्य में संगत प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, में कमजोर वर्गों के लिए दाखिले हेतु आरक्षण करने के लिए सक्षम हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक राज्य में पात्र अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 15 (5) के अंतर्गत छूट का लाभ मिले जबकि अपात्र संस्थानों को यह लाभ न मिले। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह राज्यों पर निर्भर करेगा कि वे इसे किस तरह क्रियान्वित करते हैं।

महोदय, मैं श्री विजय राघवन और श्री आजमी द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का समर्थन करती हूँ क्योंकि हमें यह देखना होगा कि गरीब छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जाए। जैसाकि आजमी ने कहा है कि गरीब वर्ग के लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें लाभ नहीं मिलता है। इसका लाभ केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही मिल पाता है। अतः हमें यह देखना है कि इस विधेयक को राज्यों में कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाए। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि विधान पारित होने के बाद भी, इसे राज्यों में क्रियान्वित नहीं किया गया है। अब, वर्तमान संशोधन के साथ, और अधिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान सम्बन्धन पा सकेंगे। और इसकी वजह से आयोग अल्पसंख्यक संस्थानों को स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सम्बन्धन की अनुमति देने अथवा अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के मामले में बिना किसी परेशानी के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करने में और अधिक कारगर तथा सक्रिय हो पाएगा।

कुछेक माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि हमें इस विधेयक को पुनः लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जबकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मेरे विचार में, हम इस विधेयक के माध्यम से अपने देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूती प्रदान करने में सफल हो पाएंगे। हमने यह देखा है कि गुजरात में क्या हुआ था। अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया गया। पूरा विश्व भारत पर नजरें गढ़ाए हुआ था और इस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऐसी घटना किस तरह हो सकती है। अर्जुन सिंह

जी इस विधेयक को लाए हैं और मैं इस विधेयक को लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और श्री अर्जुन सिंह जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मेरे विचार में इससे पूरे विश्व को यह संकेत मिलेगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अन्यथा यह केवल शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा। यह हमारे संविधान में है। लेकिन इसे क्रियान्वित किया जाना है। हम सभी की यह राय है कि अल्पसंख्यक भारत में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

श्री राम जेटमलानी (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपकी उदार सहभागिता की आलोचना नहीं करूंगा। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक में कुछ बहुत गलत गया है। इतिहास अपने आप को पुनः दोहरा रहा है। मैंने उस दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य देते हुए यह उल्लेख किया था कि वर्ष 1980 में मैंने इस महती सभा में यह उल्लेख किया था - मुझे खेद है कि उस समय मैं लोक सभा में था - कि इस विधेयक में कुछ गलत है और कि इस विधेयक को समुचित रूप से संशोधित करने और उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता है। किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी थी और अन्ततः, हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उलझ गए, इस विधेयक को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया है। वही बात यहां पर भी हो रही है।

अब, सबसे पहले, आपकी सबसे बड़ी गलती उद्देश्यों और कारणों के कथन में है। "इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं" - पृष्ठ 6 पर यह कहा गया है - "(i) इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का प्रावधान किया गया है..."। अब, महोदय, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 में पूर्णतः कोई शर्त नहीं लगाई गई है, यह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से बाध्य नहीं है; इसे संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून से भी विनियमित नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यह अधिकार सभी धार्मिक और भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। आप यह कहकर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते हैं कि अल्पसंख्यक वे लोग होंगे जिन्हें कोई सरकार विशेष अधिसूचित करेगी। मेरा आशय है कि आपकी सोच तो बहुत लम्बी है, जिसे मैं भी स्वीकार करता हूँ लेकिन आपने इस बारे में नहीं सोचा है कि उन इरादों को मान्य कानून में किस तरह तबदील किया जाएगा। अतः आप संविधान द्वारा प्रदत्त किसी अयोग्य अधिकार को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने वाले किसी प्राधिकरण पर निर्भर क्यों बना रहे हैं? यह प्राधिकारी कौन है? उक्त अधिकार के प्रयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कोई प्राधिकरण सृजित नहीं किया जा सकता है और न ही उन अल्पसंख्यकों को,

[श्री राम जेठमलानी]

जो वास्तव में अल्पसंख्यक है, इस अधिकार से वंचित रखा जा सकता है। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भगवान के लिए यदि आप अपने नेक मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं - जिसके लिए आप बघाई और आभार के पात्र हैं - तो आप कृपया इस बारे में बेहतर कानूनी सलाह लें और इस कानून को समुचित ढंग से बनाएं और अपनी इच्छाओं को पूरा करें।

अब मुख्य समस्या जो मुस्लिम समुदाय जोकि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, को पेश आ रही है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में है और मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप उन्हें दो आश्वासन दें - कि आप उच्चतम न्यायालय में मुकदमा लड़ेंगे और यदि उच्चतम न्यायालय वही गलती करता है जोकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की है, तो आपको इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में बहाल करने के लिए, आवश्यक कारगर विधान लाना पड़ेगा। आपने यह कार्य नहीं किया है। लेकिन, उसके विपरीत, आप इस विधेयक द्वारा इसे कायम रख रहे हैं। यदि आप इस विधेयक में यह कहते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान वह है जिसे अनापत्ति प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित किया गया हो, तब निश्चित तौर पर वह विश्वविद्यालय कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसे अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद स्थापित किया गया है। आपको ऐसा प्रावधान करना होगा कि किसी भी अदालत के निर्णय के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा अंतिम रूप से सम्मिलित किया जाता है, वास्तव में, वह एक ऐसा संस्थान है जिसे मूल रूप से इस देश के मुसलमानों ने भारतीयता के सिद्धान्त का प्रसार करने के सहायनीय उद्देश्य और विज्ञान तथा वैज्ञानिक ज्ञान के संदेश, जोकि सर सैयद अहमद का सपना था, के साथ स्थापित किया गया था। जब तक आप यह नहीं करेंगे, तब तक आप उस इतने बड़े अन्याय का हल नहीं कर सकते हैं जो आपके खराब प्रलेखन के परिणामस्वरूप और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गलत निर्णय के परिणाम स्वरूप हुआ है। यदि आप अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में, मैं मुस्लिम समुदाय की ओर से बोलते हुए यह अनुरोध करता हूं कि आप सही काम करें और इस विधेयक में कम से कम यह उपबंध करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं और आज यह चेतावनी देता हूं कि आपको विधेयक को अन्ततः किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत के तौर पर दरकिनार कर दिया जाएगा।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, माननीय श्री राम जेठमलानी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं।

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी, हम पिछले चार घंटे से इस बिल के बारे में यह बहस सुन रहे हैं। इसमें ऑनरेबल मैम्बर साहेबान ने बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज दिए हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह जो बिल लाया गया है, इसका एक उद्देश्य यह है कि माइनोंरिटीज को कैसे एजुकेट किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी ने यह बात नहीं बताई कि इस कमीशन को बने हुए एक साल हो गया, क्या इस कमीशन के आने के बाद माइनोंरिटी ने पांच स्कूल भी खोले हैं? एक साल में कितने माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस को स्टेटस दिया है? कितने माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस को उनकी च्वायस के मुताबिक यूनिवर्सिटी एफिलिएशन मिली है? अगर एक साल में यह नहीं कर पाए, तो हम यह सोचें कि क्या इस अमेंडमेंट बिल के बाद माइनोंरिटी का काम होने वाला है?

सवाल यह है कि माइनोंरिटीज को एजुकेट करना है। अगर यह हाऊस इस सारे बिल को इसी रूप में यूनैनिमसली पास कर दे, तो मैं इस हाऊस में यह कहने वाला हूँ कि पांच साल भी लग जाएं, तो इस उद्देश्य का एक परसेंट भी एचीव नहीं होगा, क्यों? सवाल यह है कि एजुकेशन देना सरकार का काम है। कंस्टीट्यूशन में लिखा है कि हिन्दुस्तान के सारे लोगों को एजुकेशन देनी है। क्या यह बिल आने के बाद वह ताकत बढ़ाने जा रहे हैं? इश्यू क्या है? इश्यू यह है कि माइनोंरिटी वाले किसी की गलती से पीछे रह गए, वह छोड़ों। उनको देने के लिए ऐसा बिल लाओ, कहो कि आज हम एक हजार करोड़ रुपया रखते हैं, जो स्कूलों को दिया जाएगा, जहां माइनोंरिटी के बच्चों को इन्सेंटिव मिलेगा, ताकि चाइल्ड लेबर न हो, ताकि ड्रॉप आऊट न हो। इस तरह जो बच्चा स्कूल जाएगा, उसके पैरेंट को दो सौ या तीन सौ रुपया मिलेगा। तो वह है - अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहन अब इसमें यह बिल बैठा है। इस बिल में क्या है? 90 परसेंट जरूरत है, स्कूलों की। सारा बिल जाता है, यूनिवर्सिटीज की तरफ। आप बताइये, यहां हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आज मैं कोई मेडिकल कॉलेज खोलने की दरखास्त देता हूँ, तो क्या 60 डेज में इंडिया की कोई मेडिकल काउन्सिल या हैल्थ डिपार्टमेंट इसकी इजाजत दे देगी? आप कह रहे हैं कि अगर किसी को 60 दिनों में अनापत्ति नहीं मिलता, तो वे ऑटोमैटिकली खुद ही खोल सकते हैं। जहां बताइए कि कौन-सी स्टेट गवर्नमेंट या कौन-सा डिपार्टमेंट किसी स्कूल को 60 डेज में इजाजत देता है? अतः हम अल्पसंख्यकों और राज्य सरकार के बीच झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं - यूनिवर्सिटीज। इंडिया में आज एक सौ के ऊपर यूनिवर्सिटीज हैं। आप कहते हैं कि माइनोंरिटीज को यूनिवर्सिटी की च्वायस दे दो। क्यों दे दो? इसमें माइनोंरिटी को क्या फायदा है? सर्वप्रथम, मैं पंजाब में हूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कहूँ कि मुझे वह यूनिवर्सिटी पसन्द नहीं है।

[श्री तरलोचन सिंह]

माइनॉरिटी वाले अपनी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कहें कि मुझे तो यहां से चेन्नई में जाना है। क्यों जाना है? क्या अपनी यूनिवर्सिटी में विश्वास नहीं है? आप अनावश्यक रूप से अल्पसंख्यकों और विश्वविद्यालय के बीच झगड़ा पैदा कर रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी का भी एक्ट है। यूनिवर्सिटी एक्ट में यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी है। मुझे याद है कि पिछली बार एजुकेशन मिनिस्टर, जो पिछली सरकार के थे, उन्होंने फीस के बारे में कुछ बात की थी, तो सारा इंडिया खड़ा हो गया, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करने लग गया। अब इस एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर यूनिवर्सिटी किसी माइनॉरिटी वाले को एफिलिएशन नहीं देती, तो यह कमीशन का आर्डर यूनिवर्सिटी में भी लागू होगा it means कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी भी खत्म होगी। पहले स्टेट की ऑटोनॉमी खत्म हो, जैसा ऑनरेबल मैम्बर ने कहा है, फिर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खत्म हो और माइनॉरिटी को क्या मिला?

भाइयो, बात बड़ी क्लियर है कि क्रिश्चियन भी एक माइनॉरिटी है। मैंने पिछले छः साल माइनॉरिटी कमीशन में काम किया है। एक भी दरखास्त नहीं आई कि इंडिया में कहीं क्रिश्चन स्कूल्स को एफिलिएशन न मिली हो या स्टेट्स न मिला हो। आज देश की 19 परसेंट एजुकेशन क्रिश्चियन कम्युनिटी देती है। उनको कोई शिकायत नहीं है, सिखों को कोई शिकायत नहीं है। जब हमारे लोग अपने कॉलेज चेन्नई में, मुम्बई में, कोलकाता में लोगों के लिए खोलते हैं, तो मुसलमान भाइयों के लिए जो इतने बड़े लैक्वर हुए, इसमें सोचना चाहिए कि आपका इश्यू क्या है और यह बिल क्या करेगा। हम तो मांगते हैं रोटी और केक की बात होती है। आप इसमें यह देखें कि इस बिल से क्या मिलने वाला है? सरकार इस पर बड़ी क्लियर होकर सोचे और माइनॉरिटी को क्लेश में न डलवाए। इस बिल से क्लेश बढ़ेगा और हर रोज शिकायतें आएंगी। जैसी जेठमलानी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, आप उसको रोको। माइनॉरिटी के लिए अगर करना है, तो एक ऐसा बिल लेकर आएँ, सारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के लिए एक ऐसा crash प्रोग्राम बनाएं, हजारों करोड़ रुपया उसके लिए रखें और खासतौर से नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि साऊथ में तो केरल में, कर्नाटक में बहुत बड़े-बड़े मुसलमानों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स हैं। जो यह भावना है कि हम इस बिल से उनको आगे बढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से यह एक गलत रास्ते आप जा रहे हैं। सारा हाऊस यूनेनिमस इस बात पर वचनबद्ध हो कि हम माइनॉरिटी को पूरी तौर पर एजुकेट करें और उसके लिए सही रास्ता निकालें। यह बिल पास करने से तो हम बिना मतलब क्लेश बढ़ाएंगे और क्लेश बढ़ने से फायदा भी नहीं होगा।

वाइस चेयरमैन साहब, मैं बहुत लंबा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपने कहा था कि मुझे चार मिनट बोलना है। आखिरी बात, मैं यह कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले नेशनल माइनोरिटी कमीशन बना रखा है, इसको सरकार अब कंस्टीट्यूशनल स्टेटस देने जा रही है, क्या वह कमीशन यह काम नहीं कर सकता? सरकार ने आज तक यह फिगर नहीं दी कि कितनी पेंडिंग एप्लीकेशन माइनोरिटीज की पड़ी हैं, जिनको राज्यों ने रोक रखा है? सरकार ने यह फिगर भी नहीं दी कि कितने माइनोरिटी कमीशन के पास एप्लीकेशन स्टेटस के लिए पेंडिंग हैं? अप आपके पास वह फिगर ही नहीं है, तो आप बिल बिना मतलब के बना रहे हैं। यह कार्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राजकोष पर बिना कोई बोझ डालें और इस नारे के बिना किया जाना चाहिए था कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं इसी बात के साथ हाऊस से अपील करता हूँ कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि माइनोरिटी के लिए क्या करना है और वह सही तौर पर करे। जस्ट ऐसे बिलों से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। शुक्रिया, सर।

श्री अबू आसिम आजमी : वाइस चेयरमैन साहब, मैं आभारी हूँ, जो आपने मुझे "द नेशनल कमीशन फोर माइनोरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2005" की डिबेट में हिस्सा लेने के लिए परमीशन दी। मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि वह कौम, जिसने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आज हम एजुकेशन के लिए भीख मांगने के लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं :-

जिन्होंने जान देकर मेकदे की आबरू रख दी।

वही अब कतरे कतरे के लिए तरसाए जाते हैं।

सर, कांग्रेस सरकार ने आजादी के 58 सालों में मुसलमानों के लिए कोई ठोस काम तो किया नहीं, अलबता मुख्तलिफ कमेटियां, कमीशन बनाएं। इस तरह महज मुसलमानों को रिझाने की कोशिशें कीं और उनके हाथों में खोखले कानून और कमीशन के खिलौने थमा दिए। अब यह जो कमीशन कानून के तहत बनाया जा रहा है, इससे मुसलमानों के ठोस मसायल का हल तो होगा नहीं, अलबता सरकार यह राग अलापेगी कि इसने मुसलमानों और अकलियतों के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। आपने पचास सालों में बहुत कुछ किया है। पचास सालों में 30-35 आपने फसादात किए हैं, पचास सालों में मुसलमानों को भिखमंगा बना दिया है और क्या दिया है आपने पचास सालों में?...**(व्यवधान)**

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : आप भिखमंगे हैं क्या? अपने आपको भिखमंगा क्यों कह रहे हैं?...**(व्यवधान)**

श्री अबू आसिम आजमी : क्या?...**(व्यवधान)**...अरे, आप इतना परेशान क्यों हैं? मुझे बोलने दीजिए, मुझे थोड़ा समय मिला है।

श्री राजीव शुक्ल : आप भिखमंगा क्यों कह रहे हैं अपने आपको?

श्री अबू आसिम आजमी : सिर्फ कमेटियां बनाना, कमीशन बनाना, बनाकर दे देना और मुसलमानों को बोलेंगे कि यह झुनझुना लेकर फिरते रहो। अगर आपकी नीयत सही होती, तो 1981 में पार्लियामेंट में जो बिल पास किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनोरिटी स्टेटस है, वह बिल जो आपने पास किया था...**(व्यवधान)**...जुडिशियरी बड़ी नहीं होती, पार्लियामेंट बड़ी होती है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया था।...**(व्यवधान)**... जरा सुन लो। कलेजा क्यों फट रहा है सच्चाई सुनने में?...**(व्यवधान)**...

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

श्री राजीव शुक्ल : हमने राष्ट्रपति दिया है, आप मुख्यमंत्री बना दे उत्तर प्रदेश में मुसलमान को।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : शुक्ल जी, आप उन्हें बोलने दो।...**(व्यवधान)**...आजमी जी, आप बिल पर बोलिए।

श्री राजीव शुक्ल : उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री बना दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : आजमी जी को बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...डा. फागुनी राम जी आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : राष्ट्रपति इन्होंने नहीं बनाया है, हम लोगों ने भी मत दिया था।...**(व्यवधान)**

श्री राजीव शुक्ल : एक नहीं, लंबी फेहरिस्त है हमारे पास।...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : देखिए, राजीव जी, बिल फिनिश करना है।...**(व्यवधान)**

श्री अमर सिंह : कलाम साहब का विरोध किया था कांग्रेस पार्टी ने। अनावश्यक श्रेय ले रहे हैं आप।...**(व्यवधान)**...कलाम साहब का विरोध किया था कांग्रेस ने।

श्री उपसभापति : अरे, बैठिए आप लोग।...**(व्यवधान)** देखिए, बैठिए।...**(व्यवधान)**... बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : कलाम साहब का विरोध किया था इन्होंने।...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल : एक कलाम साहब नहीं, जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब...**(व्यवधान)**...

श्री अबू आसिम आजमी : भाई, आपका नम्बर आएगा तो आप कह लेना, अभी मेरा नम्बर है तो मुझे बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : हमें इस विधेयक को पारित करना है। क्या आप इच्छुक नहीं है कि इस विधेयक को पारित किया जाए। हमें कुछ विशेष उल्लेखों को लेना था और वे अंतिम वक्ता हैं।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया।

श्री उपसभापति : आजमी जी, देखिए आप इस बिल पर बात कीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी : मैं बिल पर ही कह रहा हूँ, मैंने कोई दूसरी बात नहीं की है।

श्री उपसभापति : बिल में खामियां क्या हैं, वे बताइए।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, मैं वही कह रहा था। मैं वही कह रहा था कि इस बिल के रूप में एक झुनझुना देकर हमको बहकाओ मत। मैं कह रहा था कि 58 साल हो गए, 58 साल में वह कौम जो आजादी के बाद 28 से 50 फीसदी तक अच्छी-अच्छी नजीरों में थी, आज डेढ़ परसेंट पर क्यों आ गई? अब यह अगर इनसे कहें तो इनको बुरा लगता है। मैं यह कह रहा था कि आज एक तरफ तो ये बहुत बड़ा एहसान जताएंगे कि हम बिल लाए हैं और दूसरी तरफ बी.जे.पी. के लोग माइनोंरिटी में अपीजमेंट का राग अलापना शुरू कर देंगे, लेकिन मुसलमानों को मिलेगा कुछ नहीं। सर, मैं इस बिल के बारे में यह कह रहा था कि अकलियतों के बनाए जाने वाला यह कमीशन महज एक सरकारी कमीशन होगा क्योंकि इसके चेयरमैन और दो मैम्बरों का इंतिखाब इलेक्शन या सिलेक्शन के बजाए नामिनेशन से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कानून में नामिनेशन की गुंजाइश रखी है। सैक्शन 3(ii) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन के चेयरमैन और दो मैम्बरों को नॉमिनेट करेगी, जो जम्हूरी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी कमेटी में लाए जाएंगे, वे सरकारी चापलूसी करेंगे और सच्चाई नहीं लाएंगे, इसलिए इसमें इलेक्शन का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ।

दूसरा मेरा कहना यह है कि इस कमीशन के ओहदेदारान सिर्फ अकलियती फिरके के इफराद ही रह सकते हैं, ऐसा सैक्शन 4 में बताया गया है, लेकिन अकलियती फिरके के बारे में नजरीयात में इख्तिलाफात हैं। कांस्टिट्यूशन में अकलियतों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है - रिलीजस माइनोंरिटी और लिग्विस्टिक माइनोंरिटी। लेकिन, हमें इस नेशनल कमीशन के ओहदे के लिए नेशनल माइनोंरिटी और रीजनल माइनोंरिटी में तफरीक करनी होगी। महाराष्ट्र में अगर एक बंगाली अकलियती फिरके का फरद बन जाता है, पंजाब में एक गुजराती अकलियती फरद बन जाता है और मराठी हाऊस में अकलियती फरद बन जाता है, तो नेशनल लैवल पर किसी

[श्री अबू आसिम आजमी]

पंजाबी, मराठी या गुजराती को अकलियती फरद नहीं कहा जा सकता। लेकिन, एक मुसलमान या एक सिख, एक बुद्धिस्ट या एक इसाई बतौर मजहबी अकलियती फरद के नेशनल माइनॉरिटी का हिस्सा है। माइनॉरिटी फिरका नेशनल लैवल पर क्या है, इसकी तजवीज कानून में बराबर नहीं की गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कमीशन बनाना चाहिए, नहीं तो लोग जाकर हाई कोर्ट में पेटिशन डालकर स्टे ले आएंगे।...**(समय की घंटी)**...सर, मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। मैं श्री राम जेटमलानी साहब की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ।

श्री उपसभापति : देखिए, आपकी पार्टी के 11 मिनट थे, 18 मिनट हो गए हैं।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, मेरे को अभी दो-तीन मिनट ही हुए हैं।

श्री अमर सिंह : सर, पांच मिनट तो इन लोगों ने इंटरप्शन में ले लिए हैं।

श्री उपसभापति : मैं वह समय निकालकर बोल रहा हूँ।

श्री अबू आसिम आजमी : सर, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि 1981 में इसी हाऊस में एक कानून पास हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर है, लेकिन हाई कोर्ट के एक बेंच ने उस अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के करैक्टर को, जिसके लिए सर सैयद अहमद खान ने एक-एक गांव में जाकर भीख मांगी थी, मुस्लिम युनिवर्सिटी उसका नाम है, आप ही की सरकार थी, आपने कानून बनाया, लेकिन वह युनिवर्सिटी आज मुसलमानों की नहीं है। इस तरह से आप * बनाने का काम बंद कीजिए। जैसे राम जेटमलानी जी ने कहा है, आप...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : * वर्ड निकाल दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप यह वर्ड बहुत यूज करते हैं और उसको बार-बार निकाला जाता है।

श्री उपसभापति : आप खत्म कीजिए।

श्री अबू आसिम आजमी : इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर आज सत्ता में आए हैं तो मुसलमानों की मेहरबानी पर आए हैं, इन्हीं की मरहून-ए-मिन्नत पर आए हैं, इसलिए आप जरा * बनाना बंद कीजिए। आप सचमुच कुछ काम करना शुरू कीजिए। सर, क्या करूँ ये लोग यही कर रहे हैं, इसलिए बार-बार इनके लिए यही लफ्ज मुंह में आता है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो यह बिल आया है, जैसा कि श्री राम जेटमलानी साहब ने अभी कहा कि फिर से इस पर पैटीशन होगा और काम रोका जाएगा, इसलिए आप इस बिल को जरा अच्छी तरह से देख लीजिए,

*सभापीठ के आदेश से निकाल दिया गया।

ताकि इस मुल्क में वाकई मुसलमानों को उनका हिस्सा मिल सके। आपने मुझे बोलने दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

एक माननीय सदस्य : सर,

श्री उपसभापति : अब आप बैठ जाइए, आपने पहले ही बहुत वक्त ले लिया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि जब सारे सदन में जो कुछ विचार प्रस्तुत किए गए, उनके बारे में आपने मुझे फिर से अपने विचार रखने की इजाजत दी है। मुझे खुशी हुई होती, बीच में अगर सरकारी पक्ष की ओर से मंत्री महोदय ने यह बताया होता कि इस संशोधन को लाने के पीछे सरकार की नीयत क्या है, मंशा क्या है और साथ ही इससे क्या फायदा होने वाला है। जहां तक मैंने इनका स्टेटमेंट पढ़ा है और इसमें इसका एक कारण जो इन्होंने बताया कि क्यों इस संशोधन को लाया गया, वह यह है, "संसद द्वारा पारित संविधान (तिरानवेंवां संशोधन) विधेयक, 2005 के कारण, यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान कौन से हैं क्योंकि राज्य को सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, उन संस्थानों को छोड़कर जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है, में प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। चूंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और दाखिला प्रक्रिया पूरे जोर-शोर से चल रही है, यह आवश्यक हो गया है कि संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का सशक्तिकरण करने के लिए अध्यादेश प्रस्थापित किया जाए।" इसका अर्थ यह है कि नई संस्थाओं को खोलने के बारे में और उसमें आने वाली किसी दिक्कत के बारे में, इस बिल का, इस संशोधन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि आज जो संस्थाएं हैं, उनमें से किसे माइनॉरिटी बताया जाए, ताकि उन संस्थाओं के अन्दर बैकवर्ड और वीकर सैक्शन्स का जो आरक्षण अन्य संस्थाओं में है, उससे उनको वंचित किया जा सके। इसलिए एक हिसाब से जो यह बिल या यह संशोधन लाया गया है, यह पिछड़े, दलित एवं अन्य दुर्बल सैक्शन्स को आरक्षण से वंचित करने के लिए लाया गया है। यह मुसलमान भाइयों या माइनॉरिटीज के फायदे की दृष्टि से नहीं लाया गया है।

उपसभापति महोदय, जब मेरे पास यह मंत्रालय था, मैंने इस प्रश्न पर काफी गहराई से सोचा था। मेरे पास इस प्रश्न का कोई एक भी आवेदन नहीं आया जिसमें कि यह कहा जाए कि हमें एफिलिएशन में कोई दिक्कत हो रही है या माइनॉरिटी स्टेटस में कोई दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत होती थी तो एन.ओ.सी. में होती थी और उसे हमने तरह-तरह से सुलझाने की कोशिश की और आज भी मैं इस बात को

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

मानता हूँ कि एन.ओ.सी. के सवाल पर गहराई से विचार होना चाहिए, सिर्फ माइनोंरिटी संस्थाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर संस्था के बारे में विचार होना चाहिए कि उनको एन.ओ.सी. आसानी से मिल सके। इस प्रकार एक चीज तो यह है कि इस बिल का जो उद्देश्य इसमें लिखा है, उससे साफ जाहिर है कि यह किसी खास माइनोंरिटी को या विशेषकर मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से नहीं लिखा गया है।

दूसरी बात, अगर मंत्री महोदय बता सकें तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर इस वक्त जो माइनोंरिटी संस्थाएं हैं, उनको कौन-कौन सी माइनोंरिटीज चला रही हैं? किसके पास कितनी माइनोंरिटी संस्थाएं हैं? आखिर इस बात का फैसला भी हो कि वहां क्या असुविधा है, इसके लिए तो पहले यह पता लगना चाहिए कि कौन सी माइनोंरिटीज कौन-कौन सी संस्थाएं चला रही हैं। फिर सवाल यह भी उठता है कि माइनोंरिटी किसे कहा जाएगा। अभी तक समुप्रीम कोर्ट ने भी इस सवाल को हल नहीं किया है और संविधान में भी स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं लिखा गया है। कोई भी प्रावधान आपको इस बात का अधिकार नहीं देता है कि आप रिलीजियस माइनोंरिटीज को डिफाइन करें। लिग्विस्टिक माइनोंरिटीज तो पहले से ही डिफाइन्ड हैं। अब इस सेकुलर डेमोक्रेसी में इस रिलीजियस माइनोंरिटीज के सवाल को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि माइनोंरिटी करेक्टर को किस तरह से डिफाइन करें। आज मुझे आप मैजॉरिटी कहते हैं, लेकिन कल सवेरे अगर मैं चर्च में जाकर बैप्टिज्म ले लूं या मस्जिद में आकर कलमा शरीफ पढ़ लूं, तब क्या मैं ओवर नाइट माइनोंरिटी हो जाऊंगा? और क्या अगर मुझे अपने स्कूल में यह बंचित कराना है रिजर्वेशन दलितों के लिए, तो सुबह मैं एक रास्ता नहीं खोल सकता कि अपना धर्म बदल लूं और कल कह दूं कि मैं मॉयनोरिटी हूँ। आप इन सवालों को किन सतही नजर से देख रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। इस देश में जब मुसलमान भाई यह कहते हैं कि वे मॉयनोरिटी हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने जितना काम किया उसके बाद तमाम मुसलमान भाइयों ने मुझसे आकर यह कहा कि आपने अकलियत के लिए बहुत काम किया। मैंने कहा कि भाइयों, मैं आपको अकलियत नहीं मानता और मैं हाथ जोड़कर यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मॉयनोरिटिज्म की, इस अल्पसंख्यक वाद की मानसिकता से इस देश को मुक्त कराइए, इसको और बढ़ाइए मत। इसको बढ़ाने के बहुत खराब नतीजे होंगे। मैं इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम कानून, चाहे वे रिजर्वेशन के हों, चाहे वे एजुकेशन के मॉयनोरिटी करेक्टर को लाने के लिए हों, वे देश में अलगाव को बढ़ाएं और वह अलगाव बहुत अच्छा नहीं होगा। आज भी जो परिस्थिति है देश में,

सेपरेटिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है, एक माइंड सेट जिस तरह से पैदा हो रहा है, मैं सदन से, देश से हाथ जोड़कर यह दरखास्त करना चाहता हूँ कि उसे बढ़ाने की तरफ न बढ़ें उसको एक करें। हमने भी किया था मॉयनोरिटी एजुकेशन के लिए। हमने कहा था कि हर मदरसे को भी हम एक साइंस टीचर और एक मैथमेटिक्स टीचर देंगे। मुझे खुशी होती अगर आज यह बताया जाता कि हमारी तुलना में दोगुने, तीन गुने मदरसों को आपने साइंस टीचर्स दिए हैं। हमने कम्प्यूटर सेंटर दिए थे। हमें खुशी होती अगर यह बताया जाता कि मॉयनोरिटीज के लिए इतने और कम्प्यूटर सेंटर खोले गए हैं। ख़ताति के लिए हमने कम्प्यूटर सेंटर दिया था उसे आपने बंद कर दिया। बड़े जोर से कहा जा रहा है कि उर्दू के लिए दस करोड़ से तेरह करोड़ कर दिया। मैंने एक करोड़ से दस करोड़ किया था। उर्दू यूनिवर्सिटी हम लोगों के जमाने में बनी थी। तो यह सवाल कहना कि मॉयनोरिटी के हित के लिए आप ला रहे हैं, आप हाथ न हिलाएं, जस्टीकुलेट न करें, मैं जानता हूँ जयराम जी आपको इससे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आप मॉयनोरिटी के लिए कुछ काम करें, वहां शिक्षा को फैलाएं, उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों से तो साफ कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि जरा गौर करके देखें कि इससे इनको मिलेगा क्या। जो तमाम भाइयों ने बात कही है बिल्कुल सही बात कही है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। और उनके लिए यह एक धोखे की टट्टी साबित होगा। इसलिए इस बात को गहराई से समझ लें। और इस बात पर भी गौर करें कि मुसलमान भाई के नाम पर अगर आप समझते हैं कि आप मुस्लिम मॉयनोरिटी के तौर पर कुछ उसके लिए ऐसे कानून बनाकर उनकी तरक्की कर सकेंगे, यह बिल्कुल गलत होगा। यह तो महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि धर्मान्तरण होने से किसी आदमी की मॉयनोरिटी और मैजॉरिटी नहीं बदलती और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात कहते थे। इस देश में इस आधार पर कोई मॉयनोरिटी आज तय नहीं की जा सकती कि वह मस्जिद में जाता है या मंदिर में जाता है। फिर तो तरह-तरह की रिलिजियस मॉयनोरिटीज निकलेंगी। दूसरे, लिंग्वेस्टेक मॉयनोरिटी का इसमें कोई किसी तरह से जिक्र नहीं। कैसे डिटरमिन करेंगे? लिंग्वेस्टेक मॉयनोरिटी के मामलों के लिए भी क्या यही कमीशन तय करेगा? इस कमीशन के अंदर जो आपने लोगों को रखा है उसमें कोई भी लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, एक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और दूसरे हैं, एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है, वह कोई व्यापारी भी हो सकता है, उद्योगपति भी हो सकता है, फिल्म का कलाकार भी हो सकता है। लेकिन उसमें एजुकेशनली क्वालिफाइड आदमी कौन हैं, यह भी समझ में नहीं आता। आपने स्टेट गवर्नमेंट के राइट को इम्पीड किया है, इसके अंदर। यह फेडरेल करेक्टर के ऊपर आघात करता है। इस बात को गहराई

[डा. मुरली मनोहर जोशी]

से सोचना चाहिए कि आप कैसा कानून बना रहे हैं। मॉनोरिटीज कमीशन के अध्यक्ष ने अभी यहां पर बात की, उनके अधिकारों पर भी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए, इससे बहुत झगड़े बढ़ेंगे। मॉनोरिटी का करेक्टर तय होगा यह जैसा अभी बताया।...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : जोशी जी, अभी स्पेशल मेशन भी लेने हैं, लोग इंतजार में हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं जल्दी खत्म करूंगा। मुझे अफसोस यह है कि जब मैं बोलता हूं तभी चेयर...**(व्यवधान)**

श्री उपसभापति : नहीं-नहीं, ऐसा न कहें...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है मैं इसके खतरों से आपको कॉसन देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी निगाह में जो आज देश में अलगाववाद बढ़ रहा है, जो साम्प्रदायिक जहनियत बढ़ रही है, उसको और आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अभी यह बताया गया और आजमी साहब ने बहुत सही बात उठाई कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए आगे बढ़ने की एजुकेशन के तौर पर बहुत मुश्किलत हैं और वे एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। उसके लिए...**(व्यवधान)**

श्री वी. नारायणसामी : सर,...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : कृपया करके आप चुप रहें। मुझे उसके लिए यह निवेदन करना है कि यहां जितने हमारे मुसलमान मेम्बरान हैं, वे सब मिलकर जरा इस पर गौर भी तो करें कि यह क्यों हो रहा है। उसके जो कारण हैं, सही कारण हैं, उन पर भी सोचें। आप अपने यहां अवेयरनेस फैलायें और यह कहें कि भाई आपको माडर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में आना है और सरकार से मैं यह कहूंगा कि उस माडर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में लाने के लिए व्यवस्थाएं करे। वहां स्कूलों में बच्चे साइंस पढ़ें, विश्वविद्यालयों में जितने भी लोग हैं, उनको स्पेशल कोचिंग दी जाये, उनको स्कालरशिप दिये जायें, वे कम्पटीशन में बैठ सकें, इसके लिए आप कोचिंग की व्यवस्था करें। इस बिल से कुछ मिलने वाला नहीं है। एफिलिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि उनको अवसर दिये जाने चाहिए। सब पिछड़े वर्गों को अवसर दिये जाने चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे मुसलमान हो और चाहे कोई हो। आप उन तबकों को, जिनका प्रतिनिधित्व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नहीं है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रबन्ध क्या कर रहे हैं? वे प्रबन्ध ज्यादा जरूरी हैं और इस बिल में उन प्रबन्धों का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और जैसा राम जेटमलानी जी ने कहा कि यह कांस्टीट्यूशनल प्रावीजन्स का भी एक तरह से

विरोध करता है। बेहतर यह हो, आज आप इस विधेयक को वापिस करें, बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, एक कम्प्रेहेंसिव बिल लायें, तब उस पर विचार होगा कि भाई किस तरह से आप इन पिछड़े समुदायों की, वे चाहे किसी भी जाति में हों, शिक्षा में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। मुझे इस बारे में आपसे फिर बार-बार यह कहना है कि किसी भी तरह से, कोई काम जो अल्पसंख्यकवाद को बढ़ाये और देश को विभिन्न जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों में बांटे और भाषाओं में बांटे, वह खतरनाक होगा। हम एक बार पहले भी इस मुल्क में उस खतरे को भुगत चुके हैं, वह खतरा दुबारा नहीं आना चाहिए। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ और इसलिए इस बिल का विरोध करता हूँ। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इन तमाम बातों को जो यहां सामने रखी गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, इस बिल को वापिस करें। और एक बात, जब आप किसी माइनारिटी इंस्टीट्यूशन को इतने अधिकार दे रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? वह ए.आई.सी.टी.ई. के परव्यु से बाहर हो गया, वह आई.एम.सी. के परव्यु से बाहर हो गया, वह यूनिवर्सिटीज के परव्यु से बाहर हो गया, अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको हम एफिलिएशन नहीं दे रहे हैं, कुछ कारण बताती है, फिर कोई अपील करता है और कमीशन की राय में यह आया कि हां, इसको देना है, इसको तो देना ही है, तो फिर ये सारे स्टैंडर्ड खत्म हो गये। आप क्यों यह बात करना चाहते हैं कि माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स का स्टैंडर्ड अलग है, अंतर है और वहां से पढ़ा हुआ लड़का या लड़की नेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं आता, तो आप इन तमाम बातों पर गौर करें, संविधान की भावना पर गौर करें। ये बेसिक फीचर थ्योरी के खिलाफ जाता है, ये सेक्युलर कैरेक्टर के खिलाफ जाता है, ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है, ये राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, ये उन तमाम संस्थाओं के, जैसे - यू.जी.सी. वगैरह हैं, उनके परव्यु से आपको बाहर कर देता है और वे सिर्फ जनरल इंस्टीट्यूशन्स को देखने के लिए रह जायेंगे। यह क्या बात हो रही है? वर्षों से जो संस्थाएं चल रही हैं, जो इस काम को अंजाम दे रही हैं, आपने फैसला कर दिया कि सब निकम्मी हो गई, ये सब नाकाबिल हैं, यह इस देश में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकतीं, यह क्या बात हो रही है?...**(समय की घंटी)**... हम अपनी सारी संस्थाओं के प्रति इस तरह से अविश्वास पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह देश-हित में बिल्कुल नहीं है और मैं फिर यह अपील करूंगा कि इस अलगाववादी मानसिकता को, जिसमें खासतौर पर अल्पसंख्यकों को अलग करने की कोशिश की जाती है, इसको आप वापिस करें। मैं इसके निरनुमोदन करने के प्रस्ताव का फिर से जोरदार अपील करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन इस बात पर गहराई से विचार करेगा और इस विधेयक को वापिस लेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपसभापति महोदय, आज विस्तार से सभी संसद सदस्यों ने यहां बात रखी, जिनमें श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे साहब, मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी साहब, श्री विजय राघवन साहब, श्री शाहिद सिद्दिकी साहब, श्री रवि शंकर प्रसाद जी, डा. के. मलयसामी साहब, श्री एम.पी.ए. समद समदानी साहब, श्री मोतिउर रहमान साहब, डा. राधाकांत नायक साहब, श्री प्रेमचन्द्रन साहब, श्रीमती सईदा अनवर तैमूर साहिबा, श्री राम जेठमलानी साहब, श्री तरलोचन सिंह साहब, श्री अबू आसिम आजमी साहब और आखिर में हमारे सीनियर लीडर डा. मुरली मनोहर जोशी साहब ने अपनी बातें रखीं। मैं अब सभी, जितने संसद सदस्यों ने यहां सवाल उठाये हैं, सबका अलग-अलग जबाब देना मुश्किल है और मैं नहीं चाहूंगा कि यहां पर, जो इधर से खासतौर पर उठाये गये, वोट बैंक की बात कही गई, शाहबानो केस का मामला उठाया गया। अंडर वर्ल्ड से इस बिल को जोड़ा गया, टेररिज्म की बात आई और इधर से कुछ साथियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी इस बिल से जोड़ा। यहां तक कि सर्व शिक्षा अभियान का भी मसला इस बिल के साथ जोड़ा गया। मैं इन सवालों के जवाब में न जाते हुए यह बताना चाहूंगा कि इस बिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। बाकी जो सजैशंस आए हैं, चाहे वह माइनोंरिटीज की डेफीनेशन का मामला हो कि माइनोंरिटीज कौन होंगे, सेंटर-स्टेट के रिलेशन के बारे में सवाल उठे, बहुत सारे संसद सदस्यों ने, खासतौर से अगर माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन बन जाएगा तो उसका मिसयूज होगा, उसके बारे में भी बात आई। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह बिल पास हुआ था, 11 नवम्बर, 2004 में, उसके बाद जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आयी तो उसमें यह महसूस किया गया कि कुछ कमियां उस एक्ट में रह गयी थीं और तकरीबन 350 एप्लीकेशंस मुख्तलिफ जगहों से कमीशन के पास आयीं। जब उसके अंदर चीजों को देखा गया और जब जानकारी ली गयी तो जो दो-तीन मुश्किलें आयीं, उनमें सबसे बड़ी मुश्किल थी - "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" - जो स्टेट ईश्यू करती है। अब हो सकता है कि कुछ राज्यों के अंदर आसान हो, दे देते हों लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर ज्यादा मुश्किलें हैं। एक तो "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" सबसे बड़ा मसला था। जो पहला एक्ट था, उसके अंदर हमने लिमिट की थी कि 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर ही जो माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एफिलिएशन होगा। अब केरल का कोई कॉलेज अगर दिल्ली में एफिलिएशन लेगा तो उसको मुश्किलें होंगी। उस दायरे को बढ़ाने के लिए भी यह बिल लाया गया है। मेरे ख्याल से ये दो बड़े रीजन्स थे जिनकी वजह से इस बिल को दोबारा लाना पड़ा है। सर, यह बात दुरुस्त है कि 13 अगस्त को यह बिल हम लोग अमेंडमेंट के लिए इसी राज्य सभा के अंदर लाए थे। बाद में इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था और उसकी भी

कुछ रिकमेंडेशंस आयीं। उन पर भी मंत्रालय ने कंसिडर किया और उसके बाद यह कंप्रीहेंसिव बिल आज सदन के सामने है। हमारे एक साथी ने उधर से कहा कि जब स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशंस हुई तो उससे पहले ऑर्डिनेंस कैसे आ गया? ऑर्डिनेंस उसके बाद आया है और आज जो बिल है, उस ऑर्डिनेंस के बाद है, सभी लोगों को मालूम है। मैं यहां पर सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जब यू.पी.ए. की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बनी तो एक कमिटमेंट इस सरकार का, यू.पी.ए. सरकार का था कि सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म के लिए जो कुछ करना होगा, किया जाएगा, उसमें न किसी से दबने का मामला है, न किसी से समझौते का मामला है। वह कमिटमेंट आज भी है। सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन ही नहीं, और भी कई इकदामात उठाए गए हैं, जो आप लोगों के सामने हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इसमें जो भी मामले एन.ओ.सी. के आएंगे - ऐसा नहीं है कि स्टेट से नहीं पूछा जाएगा -लेकिन अगर कोई राज्य के पास जाता है, अपनी दरखास्त देता है और दरखास्त देने के बाद उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता है, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती, ऐसे मामलों में 60 दिन के बाद - वह अगर जवाब दे दे, मना करे तो एक पोजीशन हो सकती है, नहीं दे तो दूसरी पोजीशन है -इन दोनों हालात में वह कमीशन के पास आ सकता है, अपनी दरखास्त दे सकता है। दरखास्त देने के बाद कमीशन न सिर्फ दरखास्त देने वाले को, बल्कि राज्य को भी सुनेगा और उनकी राय भी लेगा कि आखिर आपने एन.ओ.सी. क्यों नहीं दिया? अगर कमीशन संतुष्ट होता है कि उसको एन.ओ.सी. मिलना चाहिए, तो एन.ओ.सी. दिया जाएगा, लेकिन अगर कमीशन संतुष्ट नहीं होता है, तो एन.ओ.सी. नहीं दिया जाएगा। यह कहना कि जब सम्बन्धन होगा, तो काउंसिल का जो दायरा है, उसमें भी हस्तक्षेप होगा, तो नहीं। चाहे मेडिकल काउंसिल हो, चाहे वह एन.आई.सी.टी.ई. हो, चाहे एन.सी.टी.ई. हो, उसके दायरे में कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। जो उसके रूल्स-रेग्युलेशन्स हैं, जो मापदंड हैं, उनमें कमीशन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरे कॉलेजों के लिए, दूसरे इंस्टीट्यूशन्स के लिए जो भी मापदंड होगा, वह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स के लिए भी लागू होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर, उदाहरणार्थ कोई यूनिवर्सिटी दस किलोमीटर दायरे से बाहर अगर सम्बन्धन नहीं देती है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स को भी नहीं देगी, लेकिन अगर वह देती है दूसरे इंस्टीट्यूशन्स को, तो अब इस अधिनियम के बाद उसको वह सम्बन्धन देना होगा। तो यह दिमाग से निकालने की बात है कि यह बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या किसी काउंसिल की पावर में हस्तक्षेप करेगा, इस चीज को दिमाग से निकालना चाहिए। जहां तक व्यावसायिककरण की बात है कि अगर कोई माइनॉरिटी इंदारा बन गया और वह माइनॉरिटी इंदारा व्यावसायिककरण

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

की तरफ जाता है, तो इससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। जब यह स्पेशल मौका माइनोंरिटी को दिया जा रहा है कि वह अपने इदारे खोले, चलाए, तो व्यावसायिककरण से बचना चाहिए और उसके लिए भी जो कदम होंगे, वे उठाए जाएंगे।

जहां तक सवाल पैदा होता है कि इस बिल का फायदा होगा या नहीं होगा, तो अभी तो बिल पास होगा, अधिनियम बनेगा और उसके बाद इसके जो नतीजे आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम आपके सामने आएंगे और क्लीयर कट इसके अंदर सीधे-सीधे यह है कि इसके अधिनियम बन जाने के बाद माइनोंरिटी को फायदा होने वाला है। इसमें हम सिर्फ मंत्रालय में बैठकर नहीं, माइनोंरिटी कम्युनिटी - इसमें सभी लोग आते हैं - इनसे बातचीत करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

महोदय, कई जगहों से सवाल उठा कि आखिर माइनोंरिटी होगा कौन? तो अभी तक जो हमारा पिछला बिल था, उसमें हमने पांच कम्युनिटीज को माइनोंरिटी कम्युनिटी माना था - मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट तथा जोरासट्रीयन, पारसी, लेकिन अब अगर किसी राज्य में, मानो पंजाब में अगर हिंदू माइनोंरिटी में हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे और इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करके जिस राज्य में, जैसे कश्मीर में, हिंदू माइनोंरिटी में हैं, बुद्धिस्ट माइनोंरिटी में हैं, इसीतरह से नागालैंड में हिंदू माइनोंरिटी में हैं, जिस राज्य में जो माइनोंरिटी में होगा, उसको भी हम कंसिडर करके, उसका अलग से नोटिफिकेशन करके उसको मान्यता देंगे।

जहां तक सवाल पैदा होता है स्टेट्स से रिलेशनस का, राघवन साहब ने जो बात यहां पर रखी थी, उसको हमने कंसिडर किया है और अमेंडमेंट के रूप में हमने इस बात को रखा है कि स्टेट्स से भी जब कमीशन में बात आएगी, अनापत्ति प्रमाणपत्र के सिलसिले में या संबंधन के सिलसिले में, तो स्टेट की बात भी हम लोग सुनेंगे और तभी किसी फैसले पर हम लोग जाएंगे, उसको भी हमने अमेंडमेंट में शामिल किया है। अब कुछ सवाल इधर से उठा था और कई लोगों ने उठाया कि माइनोंरिटी इंस्टीट्यूशन में गरीब लोगों के लिए या जो मुसलमानों में बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए - यह सब इस बिल के अंदर नहीं आता है। यह तो अलग से डिस्कशन की चीज है। वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर उसको भी हम लोग बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करेंगे।

तो कुल मिलाकर, मैं सदन से यही अपील करना चाहूंगा कि यह जो बिल आज सदन के सामने लाया गया है, उसका सीधा मकसद है कि जो कमिटमेंट है यू.पी.ए. का और इस सरकार का, कि सामाजिक न्याय, सामाजिक इंसाफ और सेक्युलरिज्म के लिए

जो भी कदम उठाने हैं, वे हम उठाएंगे और माइनोंरिटी शिक्षा के लिए, अकल्लियत को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम मुमकिन हैं, वे हम करेंगे और उसी दिशा में यह एक और कदम है और मुझे उम्मीद है कि पूरा सदन, मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस बिल को एक खास अच्छी इंटेंशन के लिए लाया गया है, इसलिए सभी मिलकर इस बिल को समर्थन दें, मदद दें और इसको पास करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री उपसभापति : सर्व प्रथम, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री उपसभापति : अभी मैं श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि :

"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपसभापति : अब, हम विधेयक पर खंडशः विचार करेंगे।

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

श्री उपसभापति : अभी, हम खंड 3 पर विचार करेंगे। खंड 3 में, माननीय मंत्री द्वारा दो संशोधन (संख्यांक 3 और 4) प्रस्तुत किए गए हैं।

खंड 3 - अध्याय III के स्थान पर नये अध्याय का प्रतिस्थापन

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

इसे हिंदी विधेयक से देखा जाये।	(5) पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 26 में 'साठ' शब्द के स्थान पर 'नब्बे' शब्द प्रतिस्थापित किया जाये। (6) पृष्ठ 3 पर, पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्;
---	---

"बशर्ते कि ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे आवेदन फाइल करने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् ऐसे आवेदन की स्थिति जानने का अधिकार होगा।"

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वे स्वीकृत हुए।

खंड 3, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

श्री उपसभापति : खंड 4 में, माननीय मंत्री द्वारा एक संशोधन (संख्यांक 6) प्रस्तुत किया गया।

खंड 4 - धारा 11 का संशोधन

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

- (6) पृष्ठ 4 पर, पंक्ति 25 में 'सुने जाने का अवसर' शब्दों के पश्चात् 'राज्य सरकार से परामर्श करके' शब्द **अन्तःस्थापित** किए जायें।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 5 से 9 विधेयक में जोड़े गये।

श्री उपसभापति : हमारे पास नया खंड 10 है। माननीय मंत्री इसे प्रस्तुत करेंगे।

नये खंड 10 का अन्तःस्थापन - 2006 के अध्यादेश 1 का

निरसन और व्यावृत्ति

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

- (5) पृष्ठ 5 पर, पंक्ति 44 के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड को **अन्तःस्थापित** किया जाए, नामतः:-

"10. (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संख्या आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, मूल अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्य अथवा कार्रवाई की गई है, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, कार्य अथवा कार्रवाई को मूल अधिनियम के अन्तर्गत, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, किया गया माना जाएगा।"

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 10 विधेयक में जोड़ा गया।

श्री उपसभापति : अभी, हम खण्ड 1 पर विचार करेंगे। खण्ड 1 में, माननीय मंत्री द्वारा एक संशोधन (संख्यांक 2) प्रस्तुत किया गया है।

खण्ड 1 - संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

2. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 3 और 4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामतः -

"1. (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन)

अधिनियम, 2006 कहा जाये। (2) यह दिनांक 23 जनवरी, 2006 को लागू हुआ माना जाएगा।"

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

श्री उपसभापति : अब, हम अधिनियमन सूत्र पर विचार करेंगे। इसमें मंत्री जी द्वारा एक संशोधन (संख्यांक 1) प्रस्तुत किया गया है।

अधिनियमन सूत्र

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

1. पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 1 में 'छप्पनवां' शब्द के स्थान पर 'सत्तावनवां' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

विधेयक में नाम जोड़ा गया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक यथा संशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ।

लोक सभा से प्राप्त संदेश

संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2006

महासचिव : महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोक सभा से, वहाँ के महासचिव के हस्ताक्षर सहित, यह संदेश प्राप्त हुआ है :

"लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 120 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे निदेशानुसार आपको यह सूचित करना है कि लोक सभा ने 1 मार्च, 2006 की अपनी बैठक में राज्य सभा द्वारा 24 फरवरी, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बिना किसी संशोधन के सहमति दे दी है।"

विशेष उल्लेख

**कुडप्पा विमानपत्तन के विकास के लिए तत्काल
उपाय किए जाने की आवश्यकता**

श्री राममुनी रेड्डी सिरिगीरेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, कुडप्पा को भगवान बालाजी के मंदिर, जो विश्व का दूसरा सबसे समृद्ध मंदिर है का प्रवेश द्वार कहा जाता है। परन्तु, जब आप इसके अन्दर तथा इसके आस-पास की अवसंरचना को देखेंगे तो यह नगण्य लगती है। कुडप्पा आन्ध्र प्रदेश के रॉयलसीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नगर है और इस क्षेत्र में कई व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां चलाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कुडप्पा में कोई विमानपत्तन नहीं है। यहां तक विमानपत्तन है और सन् 1985 के दौरान कुडप्पा से अन्य शहरों में वायुदूत उड़ानें भी संचालित की जाती थीं। इस समय, यह विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में है। परन्तु, कुडप्पा के विमानपत्तन को कुछ कारणों से बंद कर दिया गया है जोकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ही पता है। कुडप्पा और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों के स्थानीय व्यावसायी और लोक प्रतिनिधि इस विमानपत्तन को पुनः खोले जाने और चेन्नै, हैदराबाद, बंगलौर आदि जैसे शहरों को जोड़ने के लिए सस्ती उड़ानें शुरू करने के लिए बार-बार अनुरोध करते रहे हैं। निजी विमान कम्पनियां कुडप्पा से छोटी उड़ानें शुरू संचालित करने के इच्छुक हैं, परन्तु उनका कहना है कि जब तक यह विमानपत्तन चालू नहीं किया जाता है तब तक वे छोटी उड़ानें संचालित नहीं कर पाएंगे। यदि इस विमानपत्तन को चालू किया जाता है तो इससे स्थानीय प्रतिनिधियों और व्यावसायियों को अत्यधिक मदद मिलेगी। लोक प्रतिनिधियों ने भी इस विमानपत्तन को खोले जाने का अनुरोध किया है परन्तु, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विमानपत्तन को खोले जाने के लिए तत्काल उपाय करें और निजी एयरलाइन्स तथा इंडियन एयरलाइन्स को छोटी उड़ानें संचालित करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश) : मैं स्वयं को श्री राममुनी रेड्डी सिरिगीरेड्डी द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री उपसभापति : आन्ध्र प्रदेश के सभी सदस्य स्वयं को इसके साथ संबद्ध कर रहे हैं। श्री रेड्डी जी, आन्ध्र प्रदेश के सदस्यों के सहयोग को देखिए।

देश में कन्या भ्रूण हत्या

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान) : जनगणना की क्रमिक रिपोर्टों में भारत के विषय लिंगानुपात को प्रदर्शित किया गया है। परन्तु 'लैनसेट' पत्रिका के नवीनतम

अंक में प्रकाशित सर्वेक्षण में चौंका देने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। कनाडा और भारत के शोधकर्ताओं ने 1998 में 1.1 मिलियन परिवारों के बीच सर्वेक्षण किया तथा 1997 में लगभग 1,33,738 जन्म के मामलों का अध्ययन किया। भारतीय-कैनेडियन दल द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में किये गए इस अध्ययन के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 5 लाख अजन्मी कन्याओं - प्रत्येक 25 कन्याओं में से एक कन्या की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। 1997 में 13.6 मिलियन कन्याओं के जन्म का अनुमान लगाया गया था जबकि जन्म की वास्तविक संख्या 13.1 मिलियन थी। 1981 में हुई जनगणना में प्रति 1000 लड़कों पर 962 लड़कियों के होने की जानकारी दी गई जो घटकर वर्ष 1991 में 945 और वर्ष 2001 में 927 हो गई थी। यह असंतुलन विशेषकर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है जहां यह अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 900 लड़कियां से भी कम हो गया है। विशेषकर पंजाब में यह लिंगानुपात घटकर प्रति 1000 लड़कों पर 874 लड़कियां हो गया है।

इस रिपोर्ट में कन्या भ्रूण हत्या के मुख्य कारण के रूप में अल्ट्रासाउण्ड निदान तकनीक के दुरुपयोग की बात दोहराई गयी है। यद्यपि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से 11 वर्षों से भी अधिक समय से विद्यमान कन्या भ्रूण हत्या कानून में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा का कारण समाज में लड़कों को प्राथमिकता दिया जाना है जिसकी वजह से हम लड़कियों को एक-समान सम्पत्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बेटी को आर्थिक बोझ समझा जाता है क्योंकि उस पर दहेज के रूप में धन खर्च करना पड़ता है। मनुष्य के लालच और बढ़ते उपभोक्तावाद ने स्थिति को बदतर बना दिया है। यह तर्क कि दहेज के लिए लड़की की नृशंस हत्या होते हुए देखने से तो, उसे गर्भ में ही मार डालना अच्छा है, बहुत ही घृणित है।

जहां समुदाय की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण है, वहीं यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें समाज का प्रबोधन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून के क्रियान्वयन का कार्य पूरी ताकत से करने की आवश्यकता है। मैं इस महती सभा के अन्तःकरण से अनुरोध करता हूं कि वह मौके की नजाकत को समझें और सरकार तथा इस समाज को निदेश दें और उनसे अनुरोध करें कि वे अजन्मी कन्याओं की गर्भ में ही इस निष्ठुर हत्या पर नियंत्रण लाने तथा रोक लगाने के लिए युद्ध-स्तर पर कदम उठाएं।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्रीमती वंगा गीता (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, मैं डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

देश में बच्चों का शोषण

श्री बी.एस. ज्ञानादिशिखन (तमिलनाडु) : महोदय, भारतीय दण्ड संहिता में बच्चों के प्रति किये गये यौन शोषण के संबंध में कठोर दण्ड की अपेक्षा वाले किसी विशिष्ट अपराध का उल्लेख नहीं किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है क्योंकि सैकड़ों बाल विवाह खुलेआम सम्पन्न किए गए और राज्य ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान कानूनों ने अपने सीमित दायरे और संवेदनशील प्रक्रिया की आन्तरिक समस्याओं के कारण ऐसे बच्चे को, जिसका यौन शोषण हुआ है; वास्तव में कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने बाल दुर्व्यवहार और शोषण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। बाल दुर्व्यवहार से संबंधित मामलों की पड़ताल हेतु एक पुलिस अधिकारी, डॉक्टर और मनोचिकित्सक सहित एक संयुक्त जांच दल होना चाहिए। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जहां इसकी पर्याप्त आशंका हो कि कोई बच्चा असुरक्षित है तथा उसके प्रति दुर्व्यवहार होने अथवा उसका शोषण किए जाने की संभावना है, न्यायालय को ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए जिससे वे निवारक आदेश जारी कर सके। न्यायालय के विवेकाधिकार से यौन दुर्व्यवहार के पीड़ित बच्चे को वीडिओ अथवा सी.सी.टी.वी. सम्पर्क के जरिए साक्ष्य देने की अनुमित दी जानी चाहिए और बच्चों से संबंधित मामलों का निपटान करने वाले विशेषज्ञों को पीड़ित का कानूनी साक्षात्कार अवश्य लेना चाहिए। बच्चों के यौन दुर्व्यवहार की कानूनी धारणा पुरानी हो गयी है। यहां तक कि बच्चे खतरनाक उद्योगों में नियोजित हैं और श्रम निरीक्षक एक मूकदर्शक बने रहते हैं। आज का बच्चा कल के भारत का एक गौरवशाली नागरिक है और इसलिए उसे सभी प्रकार की देखभाल, सुविधाएं, निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता है तथा इसके अलावा उसे हमारे मनोवैज्ञानिक समर्थन की भी जरूरत है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि इस संबंध में समुचित विधान अथवा संशोधन लाया जाए।

डा. ज्ञान प्रकाश पिलानिया (राजस्थान) : महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती एन.पी. दुर्गा (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करना चाहूंगी।

श्रीमती वंगा गीता (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करना चाहूंगी।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

देश में हवाईअड्डों का निजीकरण

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, देश के दो महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, नई दिल्ली और मुम्बई का आधुनिकीकरण तथा रख-रखाव निजी हाथों में सौंप कर सरकार ने निजीकरण के प्रति अपना निश्चय जता दिया है। हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हो, यह आवश्यक था, क्योंकि यात्री सुविधाओं के लिहाज से उनका रख-रखाव सन्तोषजनक नहीं था। मगर इनका निजीकरण करना न तो देश के हित में है और न ही सरकार की निर्धारित नीतियों के अनुकूल है, क्योंकि इन दोनों हवाई अड्डों से सरकार को काफी मात्रा में राजस्व मिलता था। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इनका निजीकरण क्यों किया गया?

इसके अतिरिक्त नागरिक उड्डयन मंत्री जोर-शोर से कह रहे हैं कि पहली बार निजीकरण का ऐसा समझौता हुआ, जिसमें प्रबन्धन हथियाने वाली कम्पनी अपने मुनाफे का एक मोटा प्रतिशत सरकार को देगी। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मुनाफे में भागीदारी की इतनी ही हसरत थी, तो भारतीय कम्पनियों को ही तवज्जह दिया जाता। कम-से-कम इन कम्पनियों को आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक दायित्व के प्रति कुछ जवाबदेही तो बनती। क्या कारण है कि स्वदेशी कम्पनी के साथ पक्षपात किया गया? दूसरे, विदेशी कम्पनियाँ वित्तीय मसलों के लक्ष्यों में सामाजिक सरोकारों और दायित्वों को पीछे रखती हैं। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि वे विदेशी कम्पनियाँ सामाजिक दायित्वों को पूरा करेंगी, तो कैसे? धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : सर, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

देश में बांस की खेती को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती एन.पी. दुर्गा (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मेरा विशेष उल्लेख देश में बांस की खेती को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता से संबंधित है। महोदय, विश्व में बांस का बाजार सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला निर्यात बाजार है। अभी, विश्व में बांसों के मूल्यवर्धित उत्पादों की कीमत दस बिलियन डॉलर है और यह अगले दस वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। भारत विश्व में दूसरा प्रमुख बांस उत्पादक देश है किन्तु, जब 43 हजार करोड़ रुपये के अन्तर्राष्ट्रीय बांस बाजार में भारत के हिस्से की बात आती है तो

[श्रीमती एन.पी. दुर्गा]

यह केवल 4560 करोड़ रुपये का है जबकि भारत विश्व में 20 प्रतिशत बांस का उत्पादन कर रहा है। इस 20 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत उत्पादन आन्ध्र प्रदेश में होता है। महोदय, भारत में 130 किस्म के बांसों की उपज होती है। भारत 8.96 मिलियन हेक्टेयर में बांसों की खेती करता है, जोकि हमारी वन भूमि का 12.8 प्रतिशत बनता है। यदि आप हमारी घरेलू मांग को भी देखें तो वह 266.90 लाख टन की है और हम केवल 134.7 लाख टन बांसों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा, बांस में कम निवेश की जरूरत पड़ती है और यह बड़ी तेजी से बढ़ता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और यह लौह-अयस्क तन्त्र से मजबूत होता है। यह 'टीक' का विकल्प भी है। यह कैंसर रोधक के रूप में कार्य करता है और इसका प्रयोग सीमेंट-बद्ध बोर्ड आदि में किया जाता है।

महोदय, भारत सरकार ने बांस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है। इसने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक एक करोड़ रोजगार प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। किन्तु यह मिशन बहुत मंद गति से प्रगति कर रहा है। इस पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। महोदय, बांस के उत्पादन पर और अधिक ध्यान देने का समय आ गया है। अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह दसवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 300 लाख टन बांसों का उत्पादन करने के लिए कदम उठाये जिससे भारत को 2015 तक 27 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

श्री जेसुदासु सीलम (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

सरकारी बैंकों द्वारा कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भर्ती की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री के. चन्द्रन पिल्लै (केरल) : उपसभापति महोदय, धन्यवाद। पाठ पर बोलने से पहले, मैं इस विषय के संबंध में एक वाक्य कहना चाहता हूँ। कल, यह मामला केरल उच्च न्यायालय में उठा और इस मामले पर 'स्टे' लगाया गया है। मैं यह सभा की जानकारी के लिए कह रहा हूँ।

महोदय, सरकार ने सरकारी बैंकों को परिवीक्षाधीन अधिकारियों की कुल रिक्तियों के 30 प्रतिशत पदों की भर्ती कैम्पस से सीधी भर्ती के माध्यम से करने की अनुमति दी है जो पहले केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाता था। बाद में, भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी बैंकों ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों के रूप में भर्ती करने के लिए छात्रों की जांच परीक्षा शुरू कर दी।

परिवीक्षाधीन अधिकारियों का चयन अखिल भारतीय लिखित परीक्षाओं और साक्षात्कारों के माध्यम से किया जाता था और इसके लिए मूलभूत योग्यता 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक थी। इस प्रकार, सभी योग्यता प्राप्त वर्गों को मौजूदा रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के समान अवसर प्राप्त हो रहे थे। परन्तु, सरकारी बैंकों के प्रबंधनों को दी गयी स्वतंत्रता और कैम्पस जांच परीक्षा के माध्यम से की गई भर्ती से बड़ी संख्या में योग्य युवक चयन का अवसर गंवा रहे हैं क्योंकि महाविद्यालयों/संस्थाओं का चयन प्रबंधन की पसंद से ही किया जाता है। केरल में कैम्पस भर्ती के लिए केवल तीन महाविद्यालयों पर ही विचार किया गया है जिससे लाखों उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग आरक्षण नीति के लाभ से भी वंचित हो जाते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस निर्णय की समीक्षा करें और इस संबंध में तत्काल उपाय करें ताकि सभी पात्र वर्गों को सरकारी बैंकों में विद्यमान रिक्त पदों के लिए आवेदन करने का अवसर मिल सके। धन्यवाद, महोदय।

गोवा में अंजेडीवा द्वीप में त्यौहार मनाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक (गोवा) : महोदय, ग्राम अंजेडीवा द्वीप, कैनाकोना तालूका में एक द्वीप है जो कि गोवा राज्य का भाग है तथा जिसका क्षेत्रफल 34,0075 वर्ग मीटर है, जिसका ग्राम अंजेडीवा की संख्या 1, 2 और 3 के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया गया।

गोवा सरकार ने इस द्वीप को कर्णाटक के करवाड़ में निर्मित 'प्रोजेक्ट सी-बर्ड' के प्रयोजनार्थ गोवा भू-राजस्व संहिता 1968 के उपबंधों के अन्तर्गत भारत सरकार को हस्तान्तरित किया था।

इस द्वीप में नोसा क्षेत्रोरा डि ब्रोतस (अवर लेडी ऑफ सिप्रिंग्स) नामक चर्च है, जिसे सन् 1506 में निर्मित किया गया था और इसे वर्ष 1682 में और तत्पश्चात् वर्ष 1729 में पुनः बनाया गया था। यह भारत का पहला चर्च है जिसे ताजमहल बनने के 158 वर्ष पूर्व पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। इस द्वीप में प्रत्येक वर्ष दो त्यौहारों का आयोजन किया जाता है। एक त्यौहार 2 फरवरी, को 'आवर लेडी ऑफ सिप्रिंग्स' में तथा दूसरा त्यौहार 4 फरवरी को 'चैपल ऑफ संत फ्रांसिस डि एसीस' में आयोजित किया जाता है।

तथापि, भारतीय नौसेना द्वारा किये गये वायदों के बावजूद श्रद्धालुओं को इन दोनों त्यौहारों का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। द्वीप में विद्यमान चर्च और चैपल का रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है।

[श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक]

यह बात सर्वविदित है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों को भी नौसेना सप्ताह आदि जैसे अवसरों पर सद्भावना दृष्टि से जनता के लिए खोल दिया जाता है। करवाड़ की प्रोजेक्ट सी-वर्ड भी इसका अपवाद नहीं है जिसके प्रवेश द्वार विगत तीन वर्षों से नौसेना सप्ताह के दौरान आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। इन दोनों पारंपरिक त्यौहारों को संबंधित प्राधिकरण द्वारा बगैर किसी ज्यादा परेशानी के आराम से मनाया जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा करके आप गोवा की शांतिप्रिय कैथोलिक जनसंख्या की निधि-सम्मत भावनाओं का सम्मान करेंगे। गोवा और दमन के आर्चबिशप ने भी इसी तर्ज पर भारतीय नौसेना को पत्र लिखा है।

अतः, रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना को यह निर्देश दें कि वे इन दोनों त्यौहारों के आयोजन की अनुमति प्रदान करें और उस द्वीप पर स्थित चर्च और चैपल के रखरखाव का काम भी संभालें।

देश में आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रेमा करियप्पा (कर्णाटक) : महोदय, मैं इस महती सभा और सरकार का भी ध्यान स्कूली बच्चों के शोषण के गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहती हूँ, जिन्हें भूतपूर्व और वर्तमान नेताओं के बड़े पैमाने पर मनाये जाने वाले जन्मदिवस समारोहों में शामिल होने और कार्यक्रम प्रस्तुत करने, और उन रास्तों जिनसे होकर विदेशी हस्तियाँ राजभवन अथवा राष्ट्रपति भवन, जैसी स्थिति हो, की ओर जाती हैं, पर खड़े होकर ऐसी हस्तियों का स्वागत करने के लिए बाध्य किया जाता है। उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस तथा इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भी भेजा जाता है। पिछले वर्ष मीडिया ने यह जानकारी दी थी कि ये स्कूली बच्चे राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला में पानी और अन्य सुविधाओं के बगैर बैठे रहे। मीडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में और एक घटना को उजागर किया गया था जब किसी राजनीतिक दल के हाई प्रोफाइल महासचिव ने स्कूली बच्चों को पानी और खाद्य के बगैर घंटों तक इन्तजार करवाया जिसके परिणामस्वरूप उनमें डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो गई, अनेक बच्चे बेहोश हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इन स्कूली बच्चों को धार्मिक जुलूसों में बैंड के साथ और वृंदगीत गाते हुए देखा जा सकता है। यह स्कूली बच्चों का घोर शोषण है।

महोदय, बच्चे विद्यालय में सीखने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार के समारोह में भाग लेने और किसी जुलूस का हिस्सा बनने अथवा किन्हीं

हस्तियों का स्वागत करने के लिए उन्हें बाध्य करना उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अतः इस परम्परा को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह स्कूली बच्चों, विशेषकर छोटी उम्र के बच्चों के प्रति एक अपराध है।

अतः, मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वह स्कूली बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों, धार्मिक जुलूसों में भाग लेने तथा प्रसिद्ध हस्तियों को उनके यात्रा के दौरान मार्ग में स्वागत करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ताकि स्कूली बच्चों के शोषण को रोका जा सके। धन्यवाद।

शहरों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता

श्रीमती सईदा अनवरा तैमूर (असम) : महोदय, दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में सड़क दुर्घटनाओं में दिन-प्रति-दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब सरकार सड़कों को चौड़ा करने के लिए कदम उठा रही है। एक-लेन वाली सड़क को दो लेन वाली सड़क और दो-लेन वाली सड़क को चार-लेन वाली सड़क में बदला जा रहा है। फिर भी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी नहीं आ रही है। मेरा सुझाव है कि परिवहन मंत्रालय द्वारा वाहनों की गति सीमा तय की जाए और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में संकेत यह लगाए जाएं। ओवरटेक करने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति के तत्काल इलाज हेतु अस्पतालों में एक अलग प्रकोष्ठ होना चाहिए। अस्पतालों में रक्त बैंक होने चाहिए तथा उनमें इलाज की आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों का तत्काल उत्तम इलाज हो सके। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे विशिष्ट प्रकोष्ठ में इन आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करें और राज्यों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देश दें।

ऐसा देखा जाता है कि मामला दर्ज करने के लिए पुलिस दुर्घटना की सूचना देने में विलम्ब करती हैं और इसके फलस्वरूप मरीज के इलाज में विलम्ब हो जाता है। अतः, सरकार को यह भी देखना चाहिए कि सबसे पहले घायल को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया जाए और तत्पश्चात् कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएं।

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बस स्टॉप नहीं बनाया जाना चाहिए। बस स्टॉप सुरक्षित स्थानों पर ही बनाए जाने चाहिए। कई बार हमने देखा है कि जब परिवार के सदस्य सड़क पार करके बस में चढ़ने के लिए जाते हैं तब वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

अतः, मैं अनुरोध करती हूँ कि इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हों।

श्री ए. विजय राघवन (केरल) : महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्यों द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ। यह अत्यन्त गंभीर मामला है।

श्री उपसभापति : वे इसका जवाब देंगे।

श्री ए. विजय राघवन : विट्ठल भाई भवन के सामने एक संसद सदस्य भी दुर्घटना का शिकार हुए। कोई भी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री उपसभापति : श्री विजय जे. दर्डा; अनुपस्थिति हैं। डा. एम.ए.एम. रामास्वामी; अनुपस्थित हैं। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी; अनुपस्थित हैं। श्री संजय राउत; अनुपस्थित हैं।

पूरे देश में इंसुलिन पर से करों को समाप्त करने की आवश्यकता

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, सारी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में हैं। इनमें से ज्यादातर को इस बीमारी की शुरुआत में या इसके बढ़ जाने पर इंसुलिन लेना ही पड़ता है। इसलिए इंसुलिन को लाइफ सेविंग ड्रग्स की लिस्ट में शामिल किया जाना और इस पर से सेन्ट्रल और स्टेट सेल्स टैक्स खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। टाइप-वन डायबिटीज के मरीज इसके बिना जी ही नहीं सकते। दिल्ली में इंसुलिन पर सेल्स टैक्स 3-4 साल पहले ही खत्म किया जा चुका है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें और देश भर के डायबिटीज के मरीजों के जीवन की रक्षा के लिए शीघ्र ही इंसुलिन पर टैक्स खत्म करें और सभी स्टेट्स को भी इस पर से टैक्स हटाने के लिए निर्देश जारी करें। धन्यवाद।

डा. फागुनी राम (बिहार) : महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल) : महोदय, मैं अपने आपको इस विशेष उल्लेख के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

कर्णाटक की पर्यटन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री बी.के. हरिप्रसाद (कर्णाटक) : महोदय, कर्णाटक सरकार ने राज्य में अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का विकास करने के लिए समय-समय पर बनायी गयी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति और उससे वित्तीय सहायता मांगी है। इन परियोजनाओं में से कुछ हैं - हम्पी के कमालपुरा में पर्यटक आवास सुविधा का उन्नयन; बीजापुर के गोलगुम्बद, किट्टूर फोर्ट, बेलगांव में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम; सिद्धराबेट्टा पर्वत श्रृंखला;

बंगलौर के भारतीय विरासत अकादमी में पर्यटक होटल; सागर (शिमोगा) और करकला (उडुप्पी) में अन्तर्जातीय पर्यटन परियोजनाएं; लककुंडी गडग और डम्बाला लक्ष्मेश्वर; तटीय बीहड़ तथा स्वास्थ्य पर्यटन स्थल; नंदी पर्वतीय क्षेत्र (रोप-वे सहित); बंगलौर के जागे जलप्रपात और लाल बाग उद्यान तक रोप-वे; बीजापुर बीदर, गुलबर्गा, पट्टाडकल पर्यटन सर्किट; दवार्यानादुर्ग, सिद्धराबेट्टा, गोस्वनाहल्ली पर्यटक स्थल; श्रीरंगापटनम, शिवपुरा में स्वतंत्र परिपथ स्थल और मैसूर में रामास्वामी क्षेत्र।

ये प्रस्ताव, जिनमें लगभग 90 करोड़ रुपये का परिव्यय अंतर्गस्त है और जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति और उससे धनराशि प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, को केन्द्र द्वारा स्वीकृति दे देनी चाहिए और वर्तमान बजट के अंतर्गत ही इसके लिए आवंटन किया जाना चाहिए।

श्री उपसभापति : मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री जनार्दन पुजारी (कर्णाटक) : महोदय, मैं स्वयं को श्री बी.के. हरिप्रसाद द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री वी. नारायणसामी (पांडिचेरी) : महोदय, मैं स्वयं को श्री बी.के. हरिप्रसाद द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, आप को अनुमति नहीं दी जा सकती है। पूरी सभा स्वयं को संबद्ध कर सकती हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट की अनुमति दीजिए। महोदय, श्री 'गोरखनाथ मंदिर' नामक एक मंदिर है जिसका पुनरुद्धार तथा उद्घाटन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सन् 1,912 में ब्रह्म श्री नारायण गुरु स्वामी द्वारा 'एक भगवान, एक जाति, एक धर्म' के उद्घोष के साथ की गई थी। इस समय इस मंदिर को देश का सबसे सुन्दर मंदिर माना जाता है। अब वहां दशहरे का भी आयोजन किया जाता है। अब इसे मैसूर के दशहरे से भी बढ़कर माना जाता है। अतः, इसके साथ ही, उसे भी शामिल किया जा सकता है।

देश के पहाड़ी क्षेत्रों में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

परिसीमन अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल) : उपसभापति महोदय, लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या होने के कारण देश के पर्वतीय, पठारी एवं आदिवासी क्षेत्रों का संसद एवं विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व कुप्रभावित होना निश्चित है। देश में यही ऐसे क्षेत्र हैं, जो सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं, जहां उद्योग नहीं हैं, संचार,

[श्री हरीश रावत]

सड़क व स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की भी भारी कमी है तथा कृषि अत्यधिक पिछड़ी हुई है। रोजी रोटी की तलाश में यहां के लोग सर्वाधिक पलायन कर रहे हैं। संसद व विधान सभाओं में इन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का कम होना इन क्षेत्रों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन क्षेत्रों की आवाज संसद व विधान सभाओं में कमजोर होने से इनका विकास और पिछड़ जाएगा। इनमें से अधिकांश क्षेत्र या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं या नक्सलवाद से प्रभावित हैं।

महोदय, वर्तमान परिसीमन कानून में दो विधान सभा क्षेत्रों के मध्य 10 प्रतिशत जनसंख्या का अंतर मान्य है। यदि इस अंतर को बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक मान्य कर दिया जाए, तो इन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व संख्या में आ रही गिरावट को कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। संसद वर्तमान परिसीमन कानून में संशोधन के माध्यम से यह उपबंध कर सकती है। देश के सीमान्त क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास सहित देश की शांति व सुरक्षा की दृष्टि से इस संदर्भ में प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप आवश्यक है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि इन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को यथासंभव पूर्ववत् बनाए रखने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करने के लिए कदम उठाएं। धन्यवाद।

उड़ीसा में पुस्तकालयों और वाचनालयों के रख-रखाव में कमी

डा. राधाकांत नायक (उड़ीसा) : महोदय, अपने हिस्से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की सहायता से मैंने उड़ीसा में ग्रामीण पुस्तकालयों और वाचनालयों का एक आन्दोलन प्रारंभ किया जिसमें कुछ अधिकारी गहरी रुचि ले रहे हैं। कुछ राज्य तथा जिला स्तरों के अलावा, सार्वजनिक पुस्तकालयों की सामान्य दशा विशेष रूप से उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में बहुत दयनीय है। इस संबंध में धन कोई बाधा नहीं है क्योंकि वित्त आयोग ने पुस्तकालयों और वाचनालयों के लिए दिल खोल कर धन दिया है। इस कार्यक्रम की निगरानी हेतु कोई अलग निदेशालय नहीं है और न ही इसके लिए कोई प्रशिक्षित स्टाफ है। इस बात का डर है कि कहीं प्रधानमंत्री के ज्ञान केन्द्रों का मुख्य विचार इस प्रक्रिया में असफल न हो जाए।

इस पृष्ठभूमि में, मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह उड़ीसा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में शिक्षा का विस्तार करने और पढ़ने की आदत डालने के लिए पुस्तकालयों और वाचनालयों का एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने हेतु इन तथ्यों को उड़ीसा सरकार की जानकारी में लाए।

विवाह के पूर्व एच.आई.वी./एड्स की अनिवार्य जांच की आवश्यकता

श्रीमती वंगा गीता (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष, महोदय मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरा विशेष उल्लेख विवाह के पूर्व एच.आई.वी./एड्स की अनिवार्य जांच के संबंध में है। हमारे देश आने वाले दशकों में विश्व में एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित लोगों की अनुमानित संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाला देश बनने की कगार पर है। सरकार को आने वाले वर्षों में एच.आई.वी./एड्स की महामारी में संभावित वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एच.आई.वी./एड्स की प्रतिक्रिया को तेज करने की चुनौती को पर्याप्त रूप से पूरा करना चाहिए। इन चुनौतियों में पर्याप्त स्वास्थ्य कार्यबल, प्रयोगशाला क्षमताएं, व्यापक निगरानी, पर्याप्त तथा सतत वित्तपोषण सहित प्रतिसंवेदी अवसंरचना शामिल हैं। सरकार को अन्य देशों के उन क्षेत्रों में जहां इन महामारियों को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, के अनुभव पर विचार करना चाहिए। सरकार को 2007 तक एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के कष्ट को कम करने के अपने प्रयास के दौरान भारत को पेश आने वाले कुछ मुख्य स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी अड़चनों पर बल देना चाहिए।

हाल ही की एक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि चार राज्यों अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में भी गर्भवती महिलाओं में एक प्रतिशत से भी अधिक एच.आई.वी. संक्रमण पाया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में प्रसवपूर्व चिकित्सालयों में जांच की गई गर्भवती महिलाओं में एच.आई.वी. संक्रमण की दर समनुरूप से एक प्रतिशत से अधिक रही है, जोकि किसी राज्य को अधिक एच.आई.वी. संक्रमण वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए एक मानक है। ट्रक चालकों तथा टैक्सी चालकों की पत्नियों में इसके संक्रमण की अधिक संभावना दर्शायी गयी है क्योंकि प्रसव-पूर्व चिकित्सालय में आने वाली महिलाओं में 2.94 प्रतिशत एच.आई.वी. संक्रमित महिलाएं इसी श्रेणी में आती हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि उसे प्रत्येक राज्य में विवाह के पूर्व एच.आई.वी./एड्स की जांच को अनिवार्य बनाने के लिए एक अधिनियम लाना चाहिए ताकि हम कम से कम अपनी भावी पीढ़ी को इस बीमारी से बचाने के लिए इस महामारी को इसके पहले चरण में ही कुचल दें। इस कानून में तेजी से कार्रवाई करने तथा युद्ध-स्तर पर कार्रवाई करने के लिए अधिक शक्ति दी जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री जेसुदासु सीलम (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री गिरीश कुमार सांगी (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य, श्रीमती वंगा गीता द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

**बारक घाटी (असम) में चाय बागान वालों की
दयनीय दशा के संबंध में चिंता**

श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य (असम) : महोदय, असम देश का मुख्य चाय उत्पादक राज्य है। इसकी स्थिति खराब है। कोई भी बैंक कछार टी इस्टेट को जिसे बारक घाटी में चाय उत्पादन जारी रखने के लिए निधियों की आवश्यकता है, अवसर प्रदान करने का इच्छुक नहीं हैं। कछार के चाय बागान वित्तीय सहायता के अभाव में रुग्ण हो गए हैं। इस उद्योग की ओर पूर्व सरकार की उदासीनता इसकी ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। चूंकि लगभग 7,000 परिवार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चाय के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी अच्छी स्थिति बहाल करने के लिए रुग्ण बागानों के मुद्दे को तात्कालिक आधार पर उठाए जाने की आवश्यकता है। चाय कछार जिले की मुख्य फसल है।

चाय उद्योग इस समय अपने सही रास्ते पर है और विगत पांच वर्षों से इसे जो मंदी पेश आ रही थी उसे इसने दरकिनारा कर दिया है। कीमतों में लगभग 20 रुपये की वृद्धि दर्ज होना शुरू हो गया है। यह वृद्धि 2005 के मौसम के दौरान 928 मिलियन किलोग्राम के रिकार्ड स्तर तक फसल की उपज के कारण हुई है। चाय उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है क्योंकि इसकी घरेलू खपत 3-4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और क्योंकि और अधिक बागवानी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी कीमतों में उछाल बनी रहेगी। इसकी घरेलू खपत इसके कुल उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है। ऐसा समझा जा रहा है कि सरकार एक विशेष चाय निधि गठित करने की प्रक्रिया में है जिससे चाय उत्पादकों को जरूरत के समय निधियां प्रदान करके चाय उद्योग को सहायता मिल सके।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह रुग्ण चाय बागानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जिससे केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि चाय बागानों के बंद हो जाने के कारण लोगों को बेरोजगार होने से भी बचाया जा सकेगा। धन्यवाद।

डा. फागुनी राम (बिहार) : महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ संबद्ध करता हूँ।

**वाराणसी और गोरखपुर के हथकरघा बुनकरों को
पेश आ रही समस्याएं**

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : उपसभापति महोदय, मैं सभा का ध्यान वाराणसी और गोरखपुर के हथकरघा बुनकरों की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहती हूँ। इन शहरों के पारंपरिक रेशम उद्योग व्यापार के उदारीकरण से उत्पन्न समस्याओं और चुनौतियों का पहले से ही सामना कर रहे थे। परन्तु, चीन से सस्ते रेशम और रेशम से बने वस्त्रों की भरमार ने इस समस्या को और बदतर बना दिया है। इसके कारण 70-80 प्रतिशत हथकरघे वास्तव में बंद हो गये हैं और बुनकर या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।

यद्यपि नीतियों, परियोजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों से उभर कर आ रही हैं आकांक्षाओं पर ध्यान दिए बिना हाथकरघा क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं जिसका प्रभाव हाथकरघा बुनकरों की जीविका पर पड़ रहा है। सहकारी समितियों आदि के माध्यम से कार्यान्वित योजनाएं अप्रभावी साबित हो चुकी हैं। और इससे पहले की ये पारंपरिक उद्योग समाप्त हो जाए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह गांवों में अपेक्षाकृत कम लागत के विकेन्द्रीयकृत कताई एकक स्थापित करके, डिजाइन में सुधार लाकर, बाजार नेटवर्क को बढ़ाकर, डिजाइन अथवा किस्मों का पेटेंट करके मिलों और विद्युत करघाओं से अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाव करके, हथकरघा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाने जैसे तत्काल उपाय करें। और आयातित रेशम तथा टसर सूत को शुल्क अदा करने से छूट दी जानी चाहिए और इस पर राजसहायता प्रदान करके उचित मूल्य की दुकानों के जरिए इसका वितरण किया जाना चाहिए; चीन से आयातित रेशम के कपड़ों पर अधिक से अधिक शुल्क लगाया जाना चाहिए; भारत में उत्पादित 13/15 और 14/16 रेशम यार्न को एन.एच.डी.सी. के माध्यम से खरीदा जाना चाहिए तथा इस पर भी राजसहायता प्रदान करके उचित मूल्य की दुकानों के जरिए इसका भी वितरण किया जाना चाहिए; अन्सारी बुनकरों को अखिल भारतीय बुनकर संस्थान, वाराणसी में आरक्षण दिया जाए क्योंकि यह संस्थान मौजूदा 20 प्रतिशत आरक्षण को भी लागू नहीं कर रहा है और बिजली बिलों की वसूली तत्काल रोक दी जाए क्योंकि ये बुनकर हथकरघा उद्योग में मंदी के कारण पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : सभा कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् सभा मध्याह्न पश्चात् पांच बजकर
सैंतालिस मिनट पर बृहस्पतिवार, 2 मार्च 2006
मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

